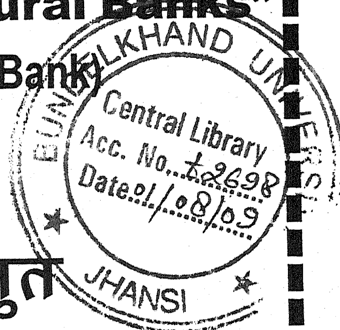
# "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन"

## (तुलसी ग्रामीण बैंक के विशेष सन्दर्भ में)

# "Performance Appraisal of Reginal Rural Banks"

## (with Special Reference to Tulsi Gramin Bank)

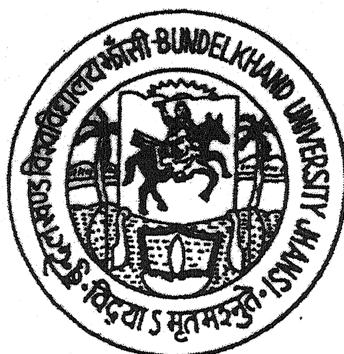



**वाणिज्य संकाय में**

**पी-एच० डी० उपाधि हेतु प्रस्तुत**

**शोध प्रबन्ध**

**२००७**





शोधार्थी

**बिष्णु स्वरूप गुप्ता**

शोध निदेशक

**डॉ० अभिलाष कुमार श्रीवास्तव**

रीडर, विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा (बाँदा)


**बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय झाँसी (उ०प्र०)**

Dr. Abhilash Kumar Srivastava
Reader



Head
Department of Commerce
Atarra P.G. College Atarra

# CERTIFICATE

It gives me pleasure to certify that **Mr. Bishnu Swaroop Gupta** is submitting Ph-D. Thesis entitled [क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन (तुलसी ग्रामीण बैंक के विशेष सन्दर्भ में)] **"Performance appraisal of reginal rural Banks, with special reference to Tulsi Gramin Bank."** for evaluation. He has worked under my supervision. He has been honest and sincere and his work is original. for more than 200 days to complet the research work.

I wish him success in life

Date : 10/9/07

Place : Atarra

Signature

(Dr. Abhilash Kumar Srivastava)

Reader

## सभारोक्ति

प्रस्तुत शोध के अद्यन्त स्वरूप की सम्पूर्णता में जिन महान व्यक्तित्व के धनी गुरूजन वृन्दों एवं सहयोगियों ने अपना अमूल्य सुझाव दिग्दर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जिसके कारण यह कार्य पूर्ण हो सका उनके प्रति अभार व्यक्त करना मैं अपना पुनीत कर्तव्य समझता हूँ। उनमें सर्वप्रथम करूणा की प्रतिमूर्ति एवं विद्वता के व्यास, परम श्रद्धेय डॉ0 आर0 बी0 सिंह भदौरिया वरिष्ठ प्रवक्ता अर्थशास्त्र विभाग जनता महाविद्यालय अजीतमल, इटावा का हृदय से आभारी हूँ। जिन्होंने सदैव आर्शीवचनों से अभिसिंचित करे भविष्य में मुझे इस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है।

मैं डॉ0 एस0एस0 गुप्ता (दादू सर) विभागाध्यक्ष समाज शास्त्र पं0 जे0 एन0 कॉलेज, बाँदा एवं प्रबन्धक राजीव गाँधी डी0ए0वी0 महाविद्यालय, बाँदा का भी विशेष आभारी हूँ जिन्होंने इस शोध कार्य के लिये निरन्तर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की।

मैं वाणिज्य जगत के उत्कृष्ठ विद्वान, सर्वगुण सम्पन्न, सरलता की प्रतिमूर्ति परम श्रद्धेय अपने गुरूजन शोध निदेशक डॉ0 अभिलाष कुमार श्रीवास्तव रीडर विभागाध्यक्ष वाणिज्य संकाय अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, अतर्रा का विशेष आभारी हूँ। जिन्होंने समय–समय पर इस शोध कार्य में अपना बहुमूल्य समय व सुझाव प्रदान किया।

मैं राजीव गाँधी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 रामभरत सिंह तोमर का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने मुझे शोध कार्य के लिये अपने महत्वपूर्ण विचारों के साथ–साथ पर विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों से शोध कार्य सम्बन्धी सामग्री/साहित्य उपलब्ध करवायी।

मैं अतर्रा पी0 जी0 कॉलेज अतर्रा के वरिष्ठ प्रवक्ता श्री पूरन प्रकाश पुरवार व श्री सतीश श्रीवास्तव का विशेष आभारी हूँ जिन्होंने शोध कार्य में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी।

मैं अपने सहपाठी एवं मित्रगण डॉ0 विवेक कुमार पाण्डेय प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजीव गाँधी डी0ए0वी0 महाविद्यालय, बाँदा डॉ0 अरूण कुमार गुप्ता प्रवक्ता वाणिज्य, गुरू हरिकिशन महाविद्यालय, झाँसी फूलचन्द्र केसरी, आशीष कुमार जैन, राजकुमार गुप्ता, अशोक कुमार गुप्ता, मनोज कुमार गुप्ता (वरिष्ठ लिपिक) का भी

आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं सानिध्य में यह शोध कार्य को पूर्ण करने में सरलता का अनुभव हुआ।

मैं श्री दिल्लीपति जाटव (सहायक अर्थ एवं साँख्याधिकारी) एवं श्री ओ0पी0 सिंह प्रबन्धक त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने मुझे शोध कार्य के प्रति बहुमूल्य सामग्री उपलब्ध करायी।

मैं अपने पूज्यनीय बाबा जी स्व0 श्री जुग्गी लाल जी गुप्ता एवं दादी जी स्व0 श्रीमती भगवनिया देवी जी के चरणों में कोटिशः प्रणाम अर्पित करता हूँ जिनकी पुण्यात्मा की स्मृति में इस शोध प्रबन्ध को पुष्पांजलि के रूप में समर्पित करते हुये मैं स्वयं को धन्य समझ रहा हूँ।

मैं अपनी स्नेहमयी माता जी एवं देव स्वरूप पिता जी श्री कृष्ण घनश्याम गुप्ता के चरणों में नतमस्तक हूँ जिन्होंने विभिन्न विपरीत परिस्थितियों एवं आर्थिक विपन्नता के बावजूद भी मुझे उच्च शिक्षा के इस स्तर तक पहुँचाने में अपना श्रेष्ठतम सहयोग दिया।

मैं अपनी जीवन संगिनी कोमलता की साक्षात् प्रतिमूर्ति श्रीमती नीलम गुप्ता एवं छोटी बहन श्रीमती रमा गुप्ता तथा अपने अनुजों रमाकान्त गुप्ता व अवधेश गुप्ता के प्रति विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे यह शोध कार्य पूर्ण कराने में प्रेमपूर्वक सहयोग प्रदान किया।

अन्त में, मैं अपने इस शोध प्रबन्ध को इतने सुन्दर ढंग से कम समय पर मुद्रित करने के लिये अग्रवाल कम्प्यूटर्स कोतवाली रोड बाँदा के प्रोपाइटर श्री नीरज अग्रवाल को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके अथक सहयोग से मैं इसे समय से प्रस्तुत कर सका

Bishnu

दिनांक : 10-09-2007

बिष्णु स्वरूप गुप्ता

स्थान : ATARRA

# विषय सूची

# अध्याय – I

## अध्ययन क्षेत्र की समाजार्थिक स्थिति

# अध्याय–1

## अध्ययन क्षेत्र की समाजार्थिक स्थिति

## 1.1. बुन्देलखण्ड के परिप्रेक्ष्य में जनपद बाँदा का आर्थिक विश्लेषण

### a. बुन्देलखण्ड का संक्षिप्त परिचय

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत ओर विविधाताओं के कारण बुन्देलखण्ड की सभ्यता भारत की एक प्राचीन सभ्यता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के 59 वर्षो के दौरान इस भूखण्ड ने सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से बहुआयामी प्रगति की है। **यह परिक्षेत्र बांदा, चित्रकूट, झांसी, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर, जालौन, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, सागर** जनपदों से मिलकर बना है। जिसका क्षेत्रफल 72000 वर्ग किमी है। इस पूरे क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है।[1]

इस भूभाग से युग युगान्तर की धार्मिक एवं पौराणिक यादे सम्बद्ध हैं। रामायण, महाभारत जैस महाकाव्यों तथा वेद पुराणों संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र का विस्तृत वर्णन उल्लेखित है। ऐतिहासिक काल एवं प्रगैतिहासिक काल के पाषाण कालीन औजार तथा शैल गुफाओं में प्राप्त भिति चित्र यहां मानवीय सभ्यता के बड़े पुराने अवशेषों की पुष्टि करते हैं।

यह संभाग साहित्य, इतिहास तथा लोक संस्कृति किसी भी दृष्टि से उच्च प्रदेशों से कम नहीं है वीरगाथा की परम्परा, अल्हाखण्ड, गोस्वामी तुलसी दास जी का रामचरित मानस, विनय पत्रिका अद्वितीय ग्रन्थ है। राष्ट्रकवि मैथलीशरण गुप्त ने समस्त धर्मावलिम्वयों का गुणगान किया है। वहीं यह क्षेत्र अपनी निर्भीकता तथा

**स्रोतः 1. बुन्देलखण्ड का साहित्य की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वैभव पृष्ट–28**

अन्याय के विरूद्ध संघर्ष के लिये भी विख्यात है। महमूद गजनवी के आक्रमण के पूर्व राजाओं को संगठित करने का प्रयास चन्देल शासकों ने किया। सन् 1942 की स्वतन्त्रता संग्राम की पृष्टभूमि भी इसी बुन्देलखण्ड में तैयार हुई तथा 1857 के स्वतन्त्रता संग्राम में बुन्देलखण्ड के राजाओं तथा सैनिकों ने अंग्रेजी शासन के दांत खट्टे कर दिये।

बुन्देलखण्ड की प्रसिद्वी राष्ट्रीय स्तर से विश्वव्यापी है खजुराहो की कला और लोकप्रियता अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की किसी भी पर्यटक स्थल से अधिक है वही ओरछा, कालिंजर, चित्रकूट, सोनागिरि, गुम्बद मन्दिर, पन्ना आदि सम्पूर्ण विश्व में प्रसिद्व है।

बुन्देलखण्ड का नाम व सीमांए समय–2 पर बदलती रहती हैं। इतिहास में इसे कभी चेदि, जोजाक मुक्ति, विंध्यप्रदेश, मध्यप्रान्तः, संयुक्त प्रान्त आदि नामों से सम्बोधित किया गया है। इसकी प्राकृतिक सीमाएं उत्तर मे यमुना, दक्षिण में नर्मदा, पूर्व में टोस, तथा पश्चिम में चम्बल, काली सिंहा आदि नदियां हैं। जिससे इसके बारे में यह कहावत चरितार्थ है।

यमुना, चम्बल, टौस नर्मदा नदियों से घिरा हुआ
केन धसान वेतवा की निर्मल लहरों से मिला हुआ[2]

## b.अवस्थिति एवं भौतिक विशेषताएं

भौगोलिक दृष्टि से यह परिक्षेत्र $24^0$ उत्तरी अंक्षांश से लेकर $26^0$ 30'' तक उत्तरी अंक्षांश तक $78^0$ 10'' पूर्वी देशान्तर से लेकर $81^0$ 30'' तक पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है जिसका लगभग 68 प्रतिशत क्षेत्र 300 मीटर से कम ऊँचाई पर है। तथा लगभग 4 प्रतिशत क्षेत्र 450 मीटर से अधिक

बुन्देखण्ड का साहित्य का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक वैभव पृष्ठ 28

ऊँचा है एवं शेष 28 प्रतिशत भाग 300 से 450 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है। तथा उत्तर का 1/3 भाग समतलीय मैदानी भाग है। जो 300 मीटर से कम ऊँचा है।

धरातलीय संरचना की दृष्टि से इस क्षेत्र को चार भागों मे विभक्त किया गया है।

1. विध्यन उच्च भूमि
2. मध्यवर्ती ग्रेनाइट उच्च भूमि
3. संक्रमण पेटी
4. काप का मैदान

## 1. विध्यन उच्च भूमि

इसकी ऊँचाई 600 मीटर से अधिक नहीं है यह ललितपुर से लेकर चित्रकूट जनपद तक फैला है स्थानीय भाषा मे इसे पठार (पाठा) कहा जाता है।

## 2. मध्यवर्ती ग्रेनाइट उच्च भूमि

यह भूमि सम्पूर्ण झांसी, ललितपुर, दक्षिण छतरपुर तथा पन्ना के पठारी क्षेत्रों को शामिल किये हुये है। इसकी ऊंचाई लगभग 400 मीटर तक है।

## 3. संक्रमण पेटी

यह मध्यवर्ती ग्रेनाइट उच्चभूमि एवं काप मैदान के बीच का मैदान है। इस क्षेत्र का विस्तार गरौंठा, चरखारी, तथा कर्वी के शिवरामपुर ब्लाक में है।

## 4. काप का मैदान

यह मैदान उत्तरी भाग में लगभग 2/5 क्षेत्र यमुना नदी पार मैदान के रूप में विस्तृत है यह निचला क्षेत्र है जिसकी उत्तरी सीमा यमुना नदी बनाती है। अपूर्ण प्रवाह व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में बाढ़ ग्रस्त

हो जाता है। जिसके कारण बहुत सा मलवा इस क्षेत्र में विछ जाता है जो इसकी उर्वरता बनाये रखने में उपयोगी होता है। यमुना, वेतवा, केन तथा इसकी सहायक नदियां तथा नाले प्रतिवर्ष काप का विस्तार करते हैं।

**प्रस्तुत शोध अध्ययन बांदा एवं चित्रकूट जनपद से संदर्भित है अतः अध्ययन से पूर्व बांदा जनपद के परिदृश्य का अवलोकन आवश्यक समझा जाता है।**

## c. अध्ययन क्षेत्र का पार्श्वदृश्य

सम्प्रति बांदा एवं चित्रकूट जनपद उ0प्र0 के बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र के चित्रकूट धाम मण्डल में अविस्थित है। जनपद बांदा मण्डल मुख्यालय के नाम से जाना जाता है।

## अध्ययन क्षेत्र की अवस्थति

बुन्देलखण्ड प्रभाग के अन्तर्गत वर्गीकृत जनपद बांदा एवं चित्रकूट इतिहास की अतुल गहराइयों मे बीते युग के हजारों मंजरों को अपने अंक में समाहित किये मौन तपस्वी की भांति निर्भीक खड़ा है। इसके इतिहास के पन्ने पलटना किसी स्वर्गिक संसार को जानने के प्रयास जैसा होगा। जनपद बांदा विशेष रूप से भगवान नीलकंठ, महार्षि बामदेव की ख्याति एवं स्मृतियों से जुड़ा धार्मिक भूखण्ड है। वहीं जनपद चित्रकूट भगवान राम की कर्मस्थली रही जहां उन्होंने वनवासकाल के 12 वर्ष व्यतीत किये। इस भूभाग से युग युगान्तर की धार्मिक एवं पौराणिक यादें सम्बद्ध है तो कलयुग में वर्चश्व की होड़ में आक्रान्ताओं के आक्रमण तथा विभाजन का दर्द भी समाहित है। रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों तथा

वेदों, पुराणों, संस्कृत साहित्य में इस क्षेत्र का विस्तृत वर्णन लिपिबद्ध है। ऐतिहासिक काल तथा प्रागैतिहासिक काल के पाषाण कालीन औजार तथा शैल गुफाओं में प्राप्त भित्ति चित्र यहां मानवीय सभ्यता के बड़े पुराने अवशेषों की पुष्टि करते हैं। पूर्व में जनपद को आदि कवि वाल्मीकि सन्त कवि गोस्वामी तुलसी दास, कवि पद्माकर, बाबू केदार नाथ अग्रवाल आदि महापुरूषों की जन्मस्थली एंव कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। जिन्होंने अपने कार्यो द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर जनपद का विशिष्ट प्रतिबिम्ब अंकित किया है। विख्यात चंदेल शासकों ने कांलिजर से ही लगभग 400 वर्षो तक उत्तर भारत के बड़े क्षेत्रों में राज्य किया तथा बुन्देलों ने वाहय शक्तियों से संघर्ष लेकर अनेक वर्षो तक इस क्षेत्र का अस्तित्व कायम रखा। भवनों के खण्डहर आज भी प्राचीन वैभव के साक्षी हैं जो केन नदी के तट पर तथा बामदेवेश्वर महादेव की तलहटी में बसे जनपद के महत्व को स्वतः स्पष्ट करते हैं। **अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक अध्ययन से पूर्व प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक का संक्षिप्त वर्णन अनिवार्य है।**

सतयुग में महाभारत में बांदा नगर के बारे में उल्लेख मिलता है। जिसके आधार पर इसकी स्थिति सृष्टि के पूर्ण काल से है। उस समय उपस्थिर नाम का राजा देवराज इन्द्र द्वारा नियुक्त किया गया था। महर्षि पाराशर की पत्नी व विश्व साहित्य के सबसे विशाल ग्रन्थ महाभारत के रचायिता संकलन, संपादक वेद व्यास की माता मत्स्यगंधा ने यहीं पर जन्म लिया। ऋग्वेद के अनुसार वसु नाम के प्रतापी राजा ने इसे अपनी राजधानी बनाई तथा प्रवाहित शुक्तमती नदी वर्तमान में केन नदी कहलायी है। त्रेतायुग में बांदा का नाम महार्षि बामदेव के निवास एवं तप करने से मिली ख्याति से पूर्व में बामदा पड़ा जो अपभ्रंश होकर बांदा में परिवर्तित हो गया। द्वापर युग में यह शहर विराटपुरी के नाम से प्रसिद्व रहा है। जहां राजा विराट का

शासन रहा। धर्मराज युधिष्ठर ने अपने चारों भाइयों सहित अज्ञातवास का समय यहीं बिताया था। महाभारत काल मे इस नगर पर शिशुपाल का शासन रहा।

बांदा मुख्यालय से दक्षिण–पूर्व दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी पर विंध्यपर्वत की श्रेणियों पर स्थित कालिंजर क्षेत्र तथा यहीं पर स्थित विश्व प्रसिद्ध अभेद दुर्ग आदि काल से ही धार्मिक कथा सामरिक महत्व का केन्द्र रहा है। कालिंजर शब्द की व्युत्पत्ति तथा उसकी सार्थकता विविध अर्थो में हुई है। कहीं इसे तपस्या स्थल तो कहीं इसे भगवान सूर्य का निवास स्थल माना गया है। "मत्यण पुराण" में इसे अमर कंटक तथा उज्जैन के समान अवियुक्त क्षेत्र माना गया है। "हरिवंश पुराण" के अनुसार भगवान विष्णु का श्वेतावतार यहीं हुआ था। बौद्ध कथाओं में इसे कालगिरि की संज्ञा दी गयी है।

1631 ई0 तक बांदा बुन्देलों के अधिकार में रहा है। बुन्देलों के शासन काल में महाराज छत्रसाल यहां के राजा रहे। 18वीं सदी के अन्तिम चरण में पेशवाओं की हुकूमत थी। नवाब अली बहादुर पेशवाओं की ओर से यहां का शासन संभालता था। यह नवाब की राजधानी थी। नवाबों के बाद में यहां अंग्रेजों का शासन आया। सन् 1856 ई0 में देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यहां के नवाब अली बहादुर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया। यहां के नागरिकों ने 1856 ई0 मे अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंका। एक वर्ष तक यह स्वतंत्र रहा किन्तु पुनः यह अंग्रेजों के अधीन हो गया और 1947 में स्वतंत्र हो गया।

स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास गवाह है कि यह क्षेत्र कभी भी आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं रहा। यहां के रणबांकुरों ने अंग्रेजी शासन के नाक मे दम कर दिया। अंग्रेजी हुकूमत ने इन्हें चुनचुनकर जेल में डाला। इसके बावजूद भी स्वतंत्रा की अग्नि बुझी नहीं इनमें प्रमुख पण्डित लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री, पण्डित गोपीचरण

बाजपेयी, मिथिलाशरण, परमानन्द, विश्वनाथ राव, जुगुलकिशोर, कुंवर हरप्रसाद सिंह, चन्द्रभूषण चौधरी, गज्जु खाँ, आदि प्रमुख हैं। जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अविस्मरणीय योगदान दिया, अनेक स्थानों पर गिरफ्तारियां दी तथा अंत तक देश सेवा में डटे रहे।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पौराणिक युगों में बांदा धार्मिक आस्था का केन्द्र रहा तो महमूद गजनवी, कुतुबद्दीन ऐबक, हुमायु शेरशाह सूरी, अकबर, औरंगजेब जैसे अकान्ताओं के आक्रमण भी सहे। **पहले यह झांसी मण्डल में समाहित था। किन्तु 6 मई 1997 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने बांदा जिले को दो हिस्सों में बांटकर छत्रपति साहू जी महराज नगर की घोषणा की जिसे बाद में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बदलकर चित्रकूटधाम कर्वी कर दिया और इस तरह से यह जनपद वर्तमान स्वरूप प्राप्त कर सका।**

## भौगोलिक परिदृश्य

### (अ) जनपद बाँदा

प्रदेश के दक्षिण भूभाग में बुन्देलखण्ड प्रभाग के पूर्व में जनपद बांदा $25^0$ से $26^0$ अक्षांश तथा $79^0$ से $81^0$ देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4114.2 वर्ग किमी0 है या 448475 हे0 है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल 4079.4 वर्ग किमी. तथा नगरीय क्षेत्रफल 34.87 वर्ग किमी. है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रदेश के क्षेत्रफल 240928 वर्ग किमी. का 1.708 प्रतिशत तथा देश के क्षेत्रफल 3287263 वर्ग किमी. का 0.125 प्रतिशत है। जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों का क्षेत्रफल जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4114.2 का 99.15 प्रतिशत है। जनपद के नगरीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल जनपद के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.85 प्रतिशत है। इसके उत्तर में फतेहपुर दक्षिण में सतना, छतरपुर,

पन्ना तथा पूर्व में चित्रकूट तथा पश्चिम में महोबा, हमीरपुर, जनपद इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। जिले के पूर्व में पश्चिम तक की लम्बाई 75–80 किमी० व उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई 50–60 किमी. है। वर्ष 2001 में जनपद की कुल जनसंख्या 1501602 है।

## जनपद चित्रकूट

जनपद चित्रकूट $25^{0}$10 से $26^{0}$40 अंक्षाश तथा $79^{0}$10 से $81^{0}$15 देशान्तर के मध्य स्थित है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3164 वर्ग किमी० तथा 3,44,897 हेक्टेयर है जिसका ग्रामीण क्षेत्रफल 3137.10 तथा शहरी क्षेत्रफल 26.90 वर्ग किमी० है। जनपद का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल प्रदेश के क्षेत्रफल का 1.31 प्रतिशत तथा देश के क्षेत्रफल का 0.096 प्रतिशत है। इसके उत्तर में कौशाम्बी, फतेहपुर दक्षिण में सतना (म०प्र०) पूर्व में बांदा तथा पश्चिम में इलाहाबाद जनपद स्थित हैं।

**तालिका 1.1**
**जनपद के नगरीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल**

| क्र.सं० | नगर का नाम | सम्बन्धित तहसील | क्षेत्रफल(किमी०) |
|---|---|---|---|
| 1 | न०पा०परि० अतर्रा | अतर्रा | 10.00 |
| 2 | न० पं० ,बबेरू | बबेरू | 05.00 |
| 3 | न० प० , बिसण्डा | अतर्रा | 01.27 |
| 4 | न० पं० , नरैनी | नरैनी | 02.00 |
| 5 | न० प० , मटौंध | बांदा | 02.37 |
| 6 | न० प० , तिंदवारी | बांदा | 01.04 |
| 7 | न० प० , ओरन | अतर्रा | 01.90 |
| 8 | न०पा० परि०, बांदा | बांदा | 11.29 |
| 9. | न० प० , राजापुर | मऊ | 0.42 |
| 10. | न० प० , मानिकपुर | कर्वी | 2.59 |
| 11. | न० पा० परि०, कर्वी | कर्वी | 4.77 |
| | **योग** | – | **45.65** |

**स्रोत:– कार्यालय अर्थ एवं सांख्याधिकारी बांदा एवं चित्रकूट**

## प्राशासनिक ढांचा

प्राशासनिक दृष्टि से **जनपद बांदा** में 4 तहसीलें क्रमशः बांदा, नरैनी, बबेरू, अतर्रा, तथा विकासखण्ड कमासिन, बिसन्डा, नरैनी, बबेरू, महुआ, तिन्दवारी, बड़ोखरखुर्द, तथा जसपुरा एवं 6 टाउन एरिया नरैनी, बिसण्डा, ओरन, बबेरू, तिन्दवारी, व मटौंध हैं। 2 नगरपालिका बांदा व अतर्रा हैं। जनपद में 71 न्याय पंचायते, 437 ग्राम पंचायतें 694 कुल ग्राम हैं। जिसमें से 653 अबाद ग्राम हैं एवं **जनपद चित्रकूट** में 2 तहसीलें कर्वी व मऊ , 5 विकासखण्ड कर्वी, मानिकपुर, पहाड़ी, मऊ, रामनगर दो टाउन एरिया राजापुर, मानिकपुर, 1 नगरपालिका परिषद कर्वी 47 न्याय पंचायत, 330 ग्राम पंचायत एवं 567 आबाद ग्राम हैं। जनपद का तहसीलवार विवरण निम्न है।

## तहसील बाँदा

बाँदा तहसील के उत्तर में यमुना नदी और फतेहपुर जिला है। दक्षिण में नरैनी, पूर्व में बबेरू एवं अतर्रा तहसील है। इस तहसील में बड़ोखर, तिंदवारी और जसपुरा ब्लाक है। यहाँ पर गेंहूँ चावल, तिलहन एवं दाल का अच्छा व्यापार होता है। यह तहसील सदर तहसील कहलाती है। जिसका मुकाम सदर बांदा है।

## तहसील बबेरू

यह जनपद की दूसरी सबसे बड़ी तहसील है, यह कस्बा धान का कटोरा कहा जाता है। क्योंकि यहां सिंचाई के लिये नहरों की अच्छी व्यवस्था है। यह कस्बा चावल के व्यापार का अच्छा केन्द्र है। गंगा एवं यमुना यहां की नदियां हैं इसमें बबेरू, बिसन्डा व कमासिन तीन विकास खण्ड हैं।

## तहसील अतर्रा

इस तहसील के निर्माण में कर्वी तहसील जो वर्तमान में चित्रकूट जिले में स्थित है। का पश्चिमी भाग, नरैनी तहसील का उत्तरी भाग, बबेरू तहसील का

दक्षिणी भाग तथा बांदा तहसील का पूर्वी भाग प्रभावित हुआ। इसका मुख्यालय अतर्रा में है। इसके अन्तर्गत महुआ व बिसण्डा विकास खण्ड प्रमुख हैं।

## तहसील नरैनी

इस तहसील में बागै व केन नदियां प्रमुख हैं तथा इसके अन्तर्गत नरैनी व महुआ विकास खण्ड सम्मिलित हैं। यहां के जंगलों में कत्था, शहद व तेंदू पत्ता अधिकता में पाया जाता है। इस तहसील का दक्षिणी भाग पठारी व पथरीला है तथा यहां की खेती में धान व गेंहू बहुतायत में पाया जाता है।

## तहसील कर्वी

यह तहसील मन्दाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है जिसमें धार्मिक क्षेत्र चित्रकूट शामिल है। इस भू–भाग पर अधिकांशतः धान एवं गिट्टी व बालू का व्यवसाय का होता है तथा यह जनपद चित्रकूट का मुख्यालय भी है। जो जनपद का सबसे विकसित शहर है।

## तहसील मऊ

यह तहसील बीहड़ एवं पहाड़ी है जहां की निवासी स्थिति दूर–दूर है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय तेंदू पत्ता, जंगली जलाऊ लकड़ी तथा पत्थर का खनन कार्य है। इस क्षेत्र के अधिकांशतः निवासी अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के हैं।

## अध्ययन क्षेत्र की प्राकृतिक बनावट

बांदा जनपद के उत्तर में लगभग 188 किमी0 यमुना नदी प्रवाहित है। जो जनपद बांदा को फतेहपुर से अलग करती है। तथा जनपद चित्रकूट को इलाहाबाद से अलग करती है। पूरा अध्ययन क्षेत्र यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। आर्थिक दृष्टि से बागै नदी अध्ययन क्षेत्र को दो भागों मे बांटती है जो

क्रमशः बांदा एवं चित्रकूट है। अध्ययन क्षेत्र को प्राकृतिक बनावट के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. मैदानी भाग 2. पठारी भाग

## 1. मैदानी भाग

मैदानी भाग का क्षेत्रफल 3293.6 वर्ग किमी0 है। जो अध्ययन क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत है यह भाग यमुना, केन, बागै, मन्दाकिनी, चन्द्रावल, गड़रा आदि नदियों के द्वारा निर्मित है। इस मैदान में अत्याधिक उपजाऊ मिट्टी पायी जाती है। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था होने के कारण अनाज बहुतायत में पाया जाता है। बांदा जनपद का जसपुरा एवं तिंदवारी विकासखण्ड एवं चित्रकूट जनपद का मऊ व मानिकपुर विकासखण्ड का भाग बीहड़ एवं कम उपजाऊ है।

## 2. पठारी भाग

दोनों जनपदों के पठारी भाग का क्षेत्रफल 3986.84 वर्ग किमी0 है। जो जनपद के कुल क्षेत्रफल का लगभग 54.76 प्रतिशत है। पठारी क्षेत्र होने के कारण यत्र–तत्र पहाड़ियों के दर्शन होते रहते हैं। मध्य प्रदेश की पर्वतीय श्रृंखलाओं के कारण यहाँ पर जल की उपलब्धतता दुर्लभ होने के कारण जनसंख्या विरल है। भूमि ककरीली व पथरीली होने के कारण कम उपजाऊ है। वन स्थलों का क्षेत्र इसमे शामिल है। यहां जलाऊ तथा इमारती लकड़ी मिलती है। इस कारण इस क्षेत्र का अधिक महत्व है। जनपद चित्रकूट का अधिकांश भाग इसमें शामिल है।

## जलवायु

जलवायु दीर्घकालीन मौसम सम्बन्धी दशाओं का औसत है। अध्ययन क्षेत्र जनपद की जलवायु मानसूनी है। जिसे वर्ष पर्यन्त गर्म मौसम, सुहावने मानसून तथा

ठंडे मौसम से सम्बन्धित कर सकते हैं। जहां एक ओर गर्मी में यहां जोरदार गर्मी होती है। वहीं जाड़ों में रूह कंपा देने वाला जाड़ा पड़ता है। जनपद की जलवायु सम्बन्धी विवरण निम्नवत है।

## जाड़ा

जनपद में ठंड के मौसम का समय अक्टूबर से फरवरी तक है। इस मौसम में तापमान बहुत कम रहता है, जो अत्याधिक सर्दी का कारण होता है। इस ऋतु में फसलों में पाला लग जाता है, कभी–कभी ठंडी हवा के साथ हल्की वर्षा होती है, जिससे रबी की फसलों को विशेष लाभ होता है।

## गर्मी

इस ऋतु का मौसम मार्च से जून तक रहता है। इस समय यहां दिन का तापमान औसतन $40^0$C से $50^0$C तक रहता है। जिससे बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, तेज गर्म हवा भी चलती है जिसे लू कहते हैं।

## वर्षा

जनपद मे सम्पूर्ण वर्षा जुलाई से सितम्बर के दौरान होती है, जिससे वातावरण सौन्दर्यमय व हरा–भरा रहता है। यहां की वार्षिक औसत वर्षा लगभग 100cm है। इस मौसम में कभी–कभी ओला वृष्टि भी होती है।

पूर्व में जलवायु की वार्षिक स्थिति आज की तुलना में काफी विभिन्नता को दर्शाती है। पर्यावरणीय असन्तुलन के कारण धीरे–धीरे जलवायु में बदलाव की स्थिति दृष्टिगत है। वर्तमान में न तो पहले की तरह जाड़ा है और न ही वर्षा की स्थित, सम्पूर्ण वर्ष के लगभग आठ महीने गर्मी की स्थित रहती है। इस आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि भविष्य में ऋतुओं का समय फिर से निर्धारित करना पड़ सकता है।

## तापमान

अध्ययन क्षेत्र का तापमान अधिकतम 45°C तथा न्यूनतम 5°C के आस पास रहता है। यद्यपि उच्चतम व न्यूनतम तापमान इन्हीं सीमाओं के अन्तर्गत रहता है। फिर भी कभी–कभी तापमान 50°C को भी पार कर जाता है, ऐसी स्थिति में तेज लू की स्थित मौसम को अत्याधिक कष्टमय बना देती है। मई जून के माह में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, लगभग मध्य जून के आसपास कुछ पूर्वी मानसूनी बौछारों के आगमन के साथ तापमान में कमी आती है। तालिका द्वारा जनपद के तापमान को स्पष्ट किया गया है।

### तालिका १.२

| वर्ष | उच्चतम | निकटतम |
|---|---|---|
| 2000 | 44 | 5 |
| 2001 | 43 | 6 |
| 2002 | 48 | 6 |
| 2003 | 47 | 5 |
| 2004 | 48 | 8 |
| 2005 | 48.5 | 7 |

स्रोतः– जिला कलेक्ट्रेट बांदा एवं चित्रकूट

## मिट्टी

मिट्टी मानव की जीवनोपयोगी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला बहुपयोगी संसाधन है। सम्पूर्ण जनपद मे बुन्देलखण्ड की प्रसिद्ध चारों प्रकार की मिट्टी की किस्म मार, काबर, पडुआ व राकड़ पायी जाती है। जनपद में मिट्टी का वितरण असमान है। विस्तृत भूभाग में बलुई दोमट से लेकर दोमट प्रकार की

मिट्टी पायी जाती है। नदी एवं नालों के किनारे पायी जाने वाली मिट्टी मे बालू की मात्रा विद्यमान रहती है।

ग्रेनाइट क्षेत्रों मे मृदा में क्वार्टज के टुकड़े तथा बीहड़ क्षेत्रों मे कंकड़ की अधिकता रहती है। मैदानी भागों को छोड़कर अन्यत्र मृदा की गहराई बहुत कम है, मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम है। मृदा का रंग हल्का भूरा, परन्तु स्थानीय परिवर्तनों व मूल चट्टानों के अनुसार लाल, पीले, काले रंगों की मृदा पायी जाती है। जनपद की मिट्टी को दो वर्गो में विभाजित कर सकते हैं।

1. लाल मिट्टी 2. काली मिट्टी

## 1. लाल मिट्टी

लाल मिट्टी कणानुमय तथा स्फटिक से संबन्धित है, आधुनिक भूमि वर्गीकरण के ऊसर लाल मिट्टी, अल्टीसाल तथा एन्टीसाल के अन्तर्गत आती है इसे दो उपवर्गो में बांटा जा सकता है।

### अ. राकड़

यह मिट्टी साधारण तथा लालरंग छिछली, कंकरीली, पथरीली तथा अनुपजाऊ होती है, यह मिट्टी बनावट से हल्की होती है इसकी जलधारा बहुत कम होती है। जनपद की बांदा तहसील मे इस किस्म की मिट्टी की अधिकता पायी जाती है।

### ब. पड्डुवा

यह मिट्टी रंग में हल्की भूरी, बनावट में मध्यमवर्गीय, अच्छी जलोत्सारित तथा खरीफ की फसल के लिये आदर्श स्वरूप है। यह मिट्टी 40 सेमी. से 750 सेमी. तक गहरी होती है। इसकी नमी धारण करने की क्षमता 100–200 मिमी. होती है। इसमें बालू का अंश अधिक होता है। यह नदियों के समीपवर्ती क्षेत्र गुन्ता के

मैदान में पायी जाती है।

## 2. काली मिट्टी

काली मिट्टी साधरणतया निचले भागों में मिलती है। इसका विकास सीमित जल निकास से सम्बन्धित है। यह अच्छी प्रकार की बनावट, जलग्रहण क्षमता वाली तथा उपजाऊ होती है। इसकी दो उपश्रेणियां है।

अ. मार       ब. काबर

### अ. मार मिट्टी

यह मिट्टी चूर्णमय व अधिकतर काली होती है। इसमें कंकड़ व पिंड पाये जाते हैं। बनावट में अच्छी तथा जल ग्रहण क्षमता अधिक होने के कारण यह रबी की फसल जैसे गेहूं, चना के लिये उत्तम है। इसमे नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की कमी तथा पोटाश की अधिकता होती है। समुचित जल निकास इसकी विशेषता है। यह केन नदी के तृतीय मैदान व बबेरू तहसील में अधिक पायी जाती है।

### ब. काबर मिट्टी

यह मिट्टी निचले समतल भू भागों मे पायी जाती है। यह रंग में काली तथा बनावट में चिकनी तथा मध्यम गहरी होती है। इसमें कंकड़ नहीं पाया जाता फिर भी सुदृण तथा दृढ़ होती है। यह छोटे कणो वाली चिकनी और उपजाऊ होती है। व सूखनेपर कड़ी दरार पड़ जाती है। यह मिट्टी मध्य के समतल मैदान व बागै तथा गुन्ता के मैदानों में अधिकता में मिलती है।

## 1.2 जनाकांकीय पृष्टभूमि

### a. जनसंख्या

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानवीय संसाधन एवं इसका कौशल महत्त्वपूर्ण होता है। मानवीय संसाधन मानवपूंजी है, इसका विनियोजन किसी भी स्तर की अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया का अंगीभूत प्रत्यय है। जनपदीय अर्थव्यवस्था में मानवीय संसाधन पर्याप्त है। वर्ष 2001 तक इसमें निरन्तर वृद्धि हुई है। लेकिन गुणवत्ता की दृष्टि से यह हीन है, क्योंकि जनपद में साक्षरता की दर अत्यन्त निम्न है, वर्ष 1901 में जनसंख्या 6.19 लाख थी जो 1911 में बढ़कर 6.45 लाख हो गयी तथा 1991 में यह बढ़कर 18.69 लाख हो गयी (संयुक्त जनपद) जो 2001 में बढ़कर 23.03 लाख (जनपद बांदा एवं चित्रकूट) हो गयी जिसमें जनपद बांदा की 15.01 एवं जनपद चित्रकूट की 8.02 लाख थी। जनगणना 2001 के अनुसार कुल पुरूष 12.35 लाख तथा स्त्री 10.68 लाख थी, जनगणना 1991 की तुलना में 2001 में जनपद की जनसंख्या वृद्धि 1921 एवं 1951 को छोड़कर प्रायः बढ़ी है जबकि प्रदेश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा में सुधार तथा मृत्युदर में कमी के कारण भी यह जनसंख्या बड़ी है, जिस पर नियन्त्रण करना आवश्यक है, जिसको निम्न सारणी द्वारा आसानी से समझा जा सकता है।

**तालिका 1.3**

**बांदा एवं चित्रकूट जनपद में जनसंख्या (लाख में)**

| वर्ष | जनसंख्या |
|---|---|
| 1901 | 6.19 |
| 1911 | 6.45 |
| 1921 | 6.03 |

| | |
|---|---|
| 1931 | 6.41 |
| 1941 | 7.40 |
| 1951 | 7.30 |
| 1961 | 9.55 |
| 1981 | 15.34 |
| 1991 | 18.62 |
| 2001 | 23.03 |

स्रोत :— सांख्यिकीय पत्रिका 2005

## b. घनत्व :

अध्ययन क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी में 1971 में 155, 1981 में 202 तथा 1991 में 246 व्यक्ति है: जो बढ़कर 2001 में 316 व्यक्ति हो जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 689 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी0 है। इस तरह प्रदेश की जनसंख्या घनत्व से अभी काफी कम है।

**तालिका १.४**

**जनपद बांदा एवं चित्रकूट का जनसंख्या घनत्व**

| जनगणना वर्ष | जनसंख्या घनत्व (जनपद) | जनसंख्या घनत्व (प्रदेश) |
|---|---|---|
| 1971 | 155 | — |
| 1981 | 202 | 372 |
| 1991 | 246 | 472 |
| 2001 | 316 | 689 |

स्रोत:— कार्यालय अर्थ एवं संख्याधिकारी बांदा एवं चित्रकूट

## c. विकासखण्डवार आबादी का विवरण:

यदि उपरोक्त जनसंख्या को हम विकासखण्डवार अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि यहां सबसे कम जनसंख्या रामनगर विकास खण्ड में 84985 है, जिसमें कुल पुरूष 45194 तथा कुल स्त्रियां 39791 हैं, वहीं सर्वाधिक जनसंख्या नरैनी विकासखण्ड में 212071 हैं जिसमें कुल पुरूष जनसंख्या 113780 एवं कुल स्त्री जनसंख्या 98291 है, जिसे विस्तृत रूप से सारणी से देखा जा सकता है।

**तालिका १.५**

**विकास खण्डवार जनसंख्या एवं गत दशक में प्रतिशत वृद्धि**

| **विकासखण्ड** | **व्यक्ति** | **पु०** | **स्त्री** | **प्रति० वृद्धि** |
|---|---|---|---|---|
| जसपुरा | 91494 | 48375 | 43119 | 15.06 |
| तिंदवारी | 147472 | 79462 | 68010 | 18.91 |
| बड़ोखर खुर्द | 161638 | 87684 | 73954 | 19.75 |
| बबेरू | 176018 | 92885 | 80133 | 19.91 |
| कमासिन | 140951 | 75511 | 65440 | 17.89 |
| बिसण्डा | 150543 | 80547 | 69996 | 13.79 |
| महुआ | 180397 | 97517 | 82880 | 18.36 |
| नरैनी | 212071 | 113780 | 98291 | 24.80 |
| पहाड़ी | 168594 | 90570 | 78024 | 34.12 |
| कर्वी | 198871 | 106927 | 91943 | 38.08 |
| मानिकपुर | 144395 | 77137 | 67258 | 33.92 |
| रामनगर | 84985 | 45194 | 39791 | 45.10 |
| मऊ | 127935 | 67373 | 60562 | 26.58 |
| वनग्राम | 617 | 326 | 291 | 27.74 |
| **योग** | **1982981** | **1063289** | **919692** | **23.60** |

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2005 जनपद बांदा एंव चित्रकूट

## d. लिंगानुपात :

अध्ययन क्षेत्र में 1971 में प्रति हजार पुरूषों पर स्त्री की जनसंख्या 870 थी जो 1981 में घटकर 864, एवं 1991 में पुनः 831 रह गयी, वर्ष 2001 में बढ़कर 864 हो गयी। 1991 में प्रदेश में लिंगानुपात 802 तथा देश में लिंगानुपात 927 था। जिसको देखते हुये जनपद का लिंगानुपात बहुत ही कम है क्योंकि यह देश एवं प्रदेश दोनों से कम है।

## e. साक्षरता :

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षर व्यक्तियों की संख्या 570.85 हजार थी जिसमे कुल साक्षर पुरूष 390.74 एवं साक्षर स्त्रियों की संख्या 180.11 हजार थी। जो वर्ष 2001 में बढ़कर कुल साक्षर व्यक्ति की संख्या 1058.98 हजार हो गयी। जिसमें कुल साक्षर पुरूष 715.59 एवं साक्षर स्त्री 348.39 हजार है। यदि विकास खण्डवार अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि सबसे अधिक साक्षर व्यक्ति कर्वी विकास खण्ड में है, जिनकी कुल संख्या 104696 है। जिसमें कुल पुरूष 67936 तथा कुल स्त्रियां 36755 है, इसके विपरीत जसपुरा विकास खण्ड सब से कम साक्षर व्यक्ति 38373 हैं, जिनमें कुल पुरूष 26303 तथा स्त्रियां 12061 हैं। किन्तु यदि इसे विकासखण्ड की कुल जनसंख्या के प्रतिशत में देखते हैं तो सर्वाधिक साक्षरता रामनगर विकासखण्ड में 71.85 प्रतिशत तथा सबसे कम बिसन्डा विकासखण्ड में 44.20 प्रतिशत है। जिसे निम्न सारणी द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है।

## तालिका १.६

### अध्ययन क्षेत्र मे विकास खण्डवार साक्षर व्यक्ति एवं साक्षरता का प्रतिशत वर्ष **2001**

| विकासखण्ड | साक्षर व्यक्ति | | | साक्षरता का प्रतिशत | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पु० | स्त्री | कुल | पु० | स्त्री | कुल |
| 1. जसपुरा | 26306 | 12067 | 38373 | 68.06 | 35.36 | 52.73 |
| 2. तिंदवारी | 45843 | 21128 | 66971 | 71.69 | 39.09 | 56.76 |
| 3. बड़ोखर खुर्द | 49136 | 20990 | 70126 | 68.67 | 35.61 | 53.74 |
| 4. बबेरू | 50098 | 19519 | 69617 | 67.07 | 30.90 | 50.50 |
| 5. कमासिन | 39331 | 14260 | 53591 | 65.64 | 27.86 | 48.23 |
| 6. बिसन्डा | 39670 | 13203 | 52873 | 61.39 | 24.00 | 44.20 |
| 7. महुआ | 53000 | 21416 | 74416 | 67.28 | 32.43 | 51.39 |
| 8. नरैनी | 57142 | 22911 | 80053 | 63.06 | 29.71 | 47.72 |
| 9. पहाड़ी | 55085 | 28064 | 83149 | 75.60 | 48.10 | 63.44 |
| 10. कर्वी | 67936 | 36755 | 104691 | 80.00 | 51.19 | 66.80 |
| 11. मानिकपुर | 45538 | 21752 | 65290 | 71.64 | 41.85 | 57.91 |
| 12. रामनगर | 28746 | 18612 | 47358 | 81.55 | 60.71 | 71.85 |
| 13. मऊ | 39062 | 20968 | 60030 | 74.47 | 44.89 | 60.54 |
| योग ग्रामीण | 594893 | 271645 | 866538 | 71.51 | 40.88 | 56.96 |
| योग वनक्षेत्र | 335 | 218 | 553 | 31.89 | 6.46 | 15.21 |
| योग नगरीय | 120361 | 76531 | 196892 | 84.56 | 63.82 | 77.01 |
| **योग** | **715592** | **348394** | **1058983** | **73.38** | **4330** | **59.55** |

स्रोतः– सांख्यिकीय पत्रिका 2005 बांदा एवं चित्रकूट

## f. अनूचित जाति/जनजाति :

जनगणना वर्ष 1991 के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की जनसंख्या क्रमशः 409.44 हजार एवं 0.04 हजार थी, जो 2001 में 522.06 हजार एवं 0.06 हजार हो गयी।

### तालिका १.७
### जनपद मे विकास खण्डवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 2001

| विकासखण्ड | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जनजाति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पु० | स्त्री | कुल | पु० | स्त्री | कुल |
| 1. जसपुरा | 6211 | 5331 | 11542 | 0 | 0 | 0 |
| 2. तिंदवारी | 14814 | 12568 | 27382 | 0 | 0 | 0 |
| 3. बड़ोखर खुर्द | 18922 | 15958 | 34880 | 0 | 0 | 0 |
| 4. बबेरू | 19545 | 16695 | 36240 | 0 | 0 | 0 |
| 5. कमासिन | 16101 | 13907 | 30008 | 0 | 0 | 0 |
| 6. बिसन्डा | 21398 | 18384 | 39782 | 0 | 0 | 0 |
| 7. महुआ | 26371 | 22498 | 48869 | 0 | 0 | 0 |
| 8. नरैनी | 23449 | 20273 | 43722 | 5 | 5 | 10 |
| 9. पहाड़ी | 22721 | 19843 | 42564 | 0 | 0 | 0 |
| 10. कर्वी | 23844 | 20977 | 44821 | 12 | 8 | 20 |
| 11. मानिकपुर | 27782 | 24704 | 52486 | 0 | 0 | 0 |
| 12. रामनगर | 11794 | 10474 | 22268 | 0 | 0 | 0 |
| 13. मऊ | 17785 | 16210 | 23995 | 0 | 0 | 0 |

इस तरह यदि सारणी में देखते हैं तो सबसे अधिक अनूसूचित जाति/जनजाति मानिकपुर विकास खण्ड मे 52486 है , जिसमे पुरूष 27782 तथा स्त्रियां 24704 है तथा सबसे कम 11542 जसपुरा विकासखण्ड मे है जिसमे 6211 पुरूष व 5331 स्त्रियां शामिल हैं।

**स्रोतः— सांख्यिकीय पत्रिका 2005**

## 1.3 जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण:

## a. जनसंख्या का व्यवसायगत विभाजन:

वर्ष 2001 की जनसंख्या के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 23.03 लाख है जिसमे कुल ग्रामीण जनसंख्या 19.83 लाख है जो कुल जनसंख्या का लगभग 86.10% है इस तरह यदि हम यह देखें तो जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण क्षेत्र मे रह रहा है ।

किन्तु आज हम जिस दुनिया मे रह रहे हैं वह बदल रही है प्रत्येक परिवर्तन के ऐसे नतीजे हो सकते हैं जिसके बारे में कुछ नही कहा जा सकता। शहरी विकास ,बड़ी मात्रा में लोगों का पलायन, औद्योगिक प्रदूषण , जनसंख्या विस्फोट आदि अपने पद चिन्ह छोड़ गये हैं ।

कालमार्क्स ने कहा है कि **"मनुष्य एक समाजिक प्राणी है लेकिन वह सबसे पहले वर्ग प्राणी है" अर्थात मनुष्य एक आर्थिक प्राणी है। क्योंकि वह सदा आर्थिक क्रियायें करता आया है और यही आर्थिक क्रियायें आर्थिक विकास को गति प्रदान करती हैं।** आदिम युग में आदिमानव अपनी आवश्यकताओं को प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं से पूरा करते थे किन्तु जैसे–2 सभ्यता एवं ज्ञान का विकास हुआ मनुष्य को प्रकृति प्रदान वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना सम्भव नही रह गया और मानव को पूंजी का सहारा लेना पड़ा। किसी भी देश एवं गाँव के आर्थिक विकास के लिये औद्योगिक विकास का होना अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। क्योंकि वर्तमान में उस क्षेत्र मे रहने वाले निवासियों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न प्रकार के उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पादों से पूरी होती है। अतः उस क्षेत्र के निवासी प्राप्त साधनों व कच्चा माल के आधार पर लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करके अपनी आवश्यकतानुसार उत्पादन करते हैं । उद्योगों की स्थापना मे भिन्नता उस

क्षेत्र व निकटवर्ती क्षेत्रों द्वारा कच्चे माल तथा उद्योगों की स्थापना के लिये आवश्यक साधनों जैसे यातायात, भूमि, मानवश्रम, पूंजी प्रमुख कारण होते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मानव सभ्यता के इतिहास से ही आर्थिक विकास की प्रकृति का इतिहास सम्बद्ध है। **क्योंकि मनुष्य एक विकासशील प्राणी है वह सदैव विकास के लिये अन्वेषण एवं सर्वेक्षण करता रहता है** । आदिम अवस्था से अब तक धरती के वाहन तथा आन्तरिक रहस्य को जानने के लिये मानव ने अपने अथक परिश्रम के द्वारा पृथ्वी के उन्नत पर्वतों, पहाड़ों, अथाह समुद्रों ,तथा दुर्गम स्थानों की खोज की है यह उसकी कुशाग्र बुद्धि का परिचय है। जिसके परिणाम स्वरूप आज मानव प्रकृति से शासित नही वरन् प्रकृति पर शासक बन बैठा है। परन्तु हमारे भारत देश मे कुछ ऐसा है देश प्रकृति प्रदत्त संसाधनो से परिपूर्ण होने के वावजूद भी वर्तमान विकास के दौड़ मे पीछे है। भारत एक विकासशील राष्ट्र है जहाँ स्वतन्त्रता के 60 वर्ष बाद भी पूर्ण औद्योगिक विकास नही हो पाया । प्रकृति प्रदत्त साधनों का धनी होने के बाद भी यहाँ निर्धनता , कुपोषण , बेरोजगारी आदि का सम्राज्य व्यापत है।

जनपद बाँदा एवं चित्रकूट के सन्दर्भ विशेष में दृष्टि डालने पर अध्ययन क्षेत्र प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण है। लेकिन औद्योगिककरण का अभाव, अवस्थापना की कमी, पूंजीगत साधनों एवं उद्यमिता की कमी ने जनपदीय अर्थव्यवस्था को गरीबी, बेरोजगारी जैसी जटिल समस्याओं ने जकड़ रखा है। जनपद की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान है, कृषि की धीमी प्रगति तथा निरन्तर जनसंख्या में तीव्र गति के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी एवं प्रछन्न बेरोजगारी को जन्म दिया। कार्य की कमी के कारण यहां के अधिकांश व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय नगरीय क्षेत्रों से अत्यन्त कम है। **जनपद देश के पिछड़े प्रदेशों मे सर्वाधिक पिछड़े जनपदों में से एक है**। जनपद के पिछड़े होने का मुख्य कारण जनपद में उद्योग शून्यता है। जैसा

कि लघु उद्योग सेवा संस्थान कानपुर के द्वारा 1993 में अपने औद्योगिक सभाव्यता सर्वेक्षण प्रतिवेदन जनपद बांदा (बुन्देलखण्ड मंडल) में व्यक्त किया "कि 11–15 लाख की आबादी वाला तथा 7645 (वर्तमान बांदा व चित्रकूट) वर्ग किमी0 मे विस्तृत इस जनपद की अर्थव्यवस्था नितान्त कृषि प्रधान है तथा अधिकांश प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जीवन यापन हेतु कृषि पर निर्भर है। एवं कृषि भूमि पर अत्याधिक भार है जनपद में किसी वृहद एवं मध्यम श्रेणी के औद्योगिक इकाई के एक लम्बे अवसर तक कोई स्थापना न हो सकने से लाभप्रद रोजगार अवसरों का नितान्त अभाव है एवं अधिकांश लोग बेरोजगारी एवं अर्द्धबेरोजगारी की चक्की में पिसते हुये दरिद्र नरायण की सेवा करने के लिये दरिद्रता की सीमा के नीचे जीवन यापन के लिये विवश हैं।" जनपदीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक विलक्षणताओं का अवलोकन करते हुये सर्वेक्षण प्रायः इंगित करता है कि जनपद की अर्थव्यवस्था परम्परागत कृषि पर आधारित होने के कारण उद्यिमता का नितान्त अभाव है जो औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है जनपद के अशिक्षित कृषक परिवार के अधिकांश सदस्य बचपन से ही स्वाभाविक रूप से घरेलू कृषि कार्यो में लग जाते हैं। तथा शिक्षित युवक जनपद में लाभप्रद रोजगार के अभाव में औद्योगिक दृष्टि से विकसित नगरों मे रोजगार हेतु पलायन कर जाते हैं। जनपद में लगभग 14 करोड़ रूपये के पूंजी निवेश से वृहत एवं मध्यम स्तर की दो औद्योगिक इकाईयों में यू0पी0 स्टेट यार्न क0 लि0 (काटन यार्न) बांदा जो वर्तमान समय में बंद पड़ी है तथा मे0 परेराहट स्टील लि0 (ग्लास स्टील कटिंग) मर्का बांदा में स्थापित है। जनपद में 31 मार्च 2005 तक 1953 लघु औद्योगिक इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं जिसमें लगभग 6484 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हैं। जिनमे कुछ प्रमुख इकाईयां दाल, चावल, खाद्य तेल, पिसे मसाले, आइसक्रीम, स्टील फर्नीचर, ग्रिल, चैनल, मोटर बांइडिंग, बेकरी,

प्लास्टिक शू, मिनी दाल मिल, मिनी चावल मिल आदि हैं।[1] जहां तक शिल्प का प्रश्न है तो बांदा जनपद में शजर पत्थर तराशने का काम, पैलानी में सरौता उद्योग आदि प्रमुख हैं। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में कुल कर्मकारों की संख्या 943317 लाख है जो कुल जनसंख्या का 40.12 प्रतिशत है। **ये कर्मकार विभिन्न कार्य कलापों जैसे कृषि, पशुपालन, पारिवारिक एंव गैर पारिवारिक उद्योग यातायात, संचार, आदि मे कार्यरत हैं** जनपद के कर्मकारों का व्यवसायिक वर्गीकरण अग्र तालिका में दिया गया है।

स्रोत 1– भारत सरकार उद्योग मंत्रालय लघु एवं उद्योग विकास संगठन– औद्योगिक संभाव्यता सर्वेक्षण प्रतिवेदन–जनपद बांदा बुन्देलखण्ड मण्डल पृष्ठ–43

## तालिका १.८

# विकासखण्डवार जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण वर्ष–2001

| विकासखण्ड | कृषक | कृषि श्रमिक | पारिवारिक | अन्य कर्मकार | कुल मुख्य कर्मकार | सीमान्त कर्मकार | कुल कर्मकार |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. जसपुरा | 12217 | 4175 | 539 | 3647 | 20578 | 13022 | 33600 |
| 2. तिंदवारी | 18165 | 7497 | 1072 | 6873 | 33607 | 21164 | 54771 |
| 3. बड़ोखर खुर्द | 21250 | 89000 | 1298 | 8294 | 39772 | 23275 | 63047 |
| 4. बबेरू | 28387 | 10618 | 1433 | 745 | 46483 | 24679 | 71162 |
| 5. कमासिन | 26480 | 8763 | 1143 | 2941 | 39327 | 26279 | 65606 |
| 6. बिसन्डा | 27738 | 12689 | 1373 | 2660 | 44460 | 24319 | 68779 |
| 7. महुआ | 33516 | 14529 | 1685 | 6155 | 55885 | 26294 | 82179 |
| 8. नरैनी | 43763 | 12871 | 1568 | 6779 | 64981 | 31657 | 96638 |
| 9. पहाड़ी | 31444 | 9207 | 1332 | 3862 | 45845 | 27970 | 73815 |
| 10. कर्वी | 38812 | 8254 | 1381 | 8122 | 56569 | 29451 | 86020 |
| 11. मानिकपुर | 31240 | 8062 | 851 | 6018 | 46171 | 20637 | 66808 |
| 12. रामनगर | 21200 | 6356 | 925 | 2795 | 31276 | 9758 | 41034 |
| 13. मऊ | 23347 | 7822 | 1279 | 6622 | 39070 | 13181 | 52251 |
| योग ग्रामीण | 357617 | 119773 | 15879 | 70813 | 564024 | 291686 | 855710 |
| योग वनक्षेत्र | 58 | 16 | 0 | 89 | 163 | 90 | 253 |
| योग नगरीय | 7105 | 3733 | 3653 | 588194 | 72685 | 14669 | 87353 |
| योग जनपद | 364780 | 123522 | 19532 | 129096 | 636872 | 306445 | 943317 |

स्रोतः– सांख्यिकीय पत्रिका 2005 पृष्ठ 24

यदि उक्त सारणी का विश्लेषण करें तो यह पाते हैं कि कुल जनसंख्या का मात्र 40.12 प्रतिशत व्यक्ति ही कार्यरत है जिसमें सर्वाधिक व्यक्ति 16.88 कृषि कार्य तथा द्वितीय 13.82 प्रतिशत व्यक्ति सीमान्त कर्मकार है। (सीमान्त कर्मकारों से आशय ऐसे कर्मकारों से है जो 186 दिन से कम अवधि तक कार्य करते हैं। तथा 186 या अधिक दिनों तक कार्य अवधि वाले व्यक्तियों को मुख्य कर्मकार की श्रेणी में रखा गया है।) और यदि इसे मुख्य कर्मकारों में प्रतिशत की दृष्टि से देखते है। तो पाते हैं कि सर्वाधिक व्यक्ति 54.36 प्रतिशत कृषि कार्य में ही सलंग्न है तथा पारिवारिक उद्योग में मात्र 3.24 प्रतिशत व्यक्ति ही कार्यरत हैं जो की कुल कार्यशील जनसंख्या की दृष्टि से बहुत ही कम है स्पष्ट है कि जनपद कि अर्थव्यवस्था कृषिगत कार्य कलापों पर व्यापक रूप से आधारित हैं। यहां निर्धनता व बेरोजगारी प्रमुख समस्या है।[1]

प्रदेश की 23 लाख आबादी वाला क्षेत्र जनपद बांदा एवं चित्रकूट में 33 प्रतिशत आबादी आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। निम्न प्रति व्यक्ति आय जनपद का विशिष्टता है जो अर्थव्यवस्था के निम्न विकास स्तर के कारण व परिणाम दोनो है।

बाजार में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के उत्पाद लोकप्रिय व आसानी से सुलभ होने के कारण वर्षो से जीविकोपार्जन में सहायक रहे परम्परागत उद्योग जैसे बढ़ईगीरी, लोहारी, मोची, आदि व्यवसायों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। युवा पीढ़ी इन व्यवसायों को अपनाने के लिये तैयार नहीं है। जिस कारण यह व्यवसाय तेजी से नष्ट हो रहे हैं। व्यवसायों के नाम पर दैनिक जीवनप्रयोगी सामग्री की दुकानों (जनरल स्टोर) की अधिकता है ग्रामीण क्षेत्रों में इन दुकानों पर अनाज विशेष रूप

स्रोत1:– सांख्यिकी पत्रिका 2005

से क्रय–विक्रय का माध्यम है। भूमिहीन व्यक्ति दूसरों की जमीनों को बटाई, बलकट, या अन्य किसी रूप से लेकर उस पर खेती करता है अथवा एक निश्चित पारश्रमिक पर सम्पन्न लोगों के यहां वर्षभर नौकरी करते हैं। जनपद में साक्षरता का प्रतिशत कम होने के कारण बालश्रम भी अधिक है तथा पुरूषों एवं बच्चों के साथ–2 स्त्रियां भी जीवकोपार्जन में सहभागिता कर रही हैं।

## तालिका १.६

## विकासखण्डवार कृषि आर्थिकी का विवरण– 2001 के अनुसार प्रतिशत में

| क्र. सं0 | विकास खण्ड | कुल मुख्य कर्मकारों का कुल जनसंख्या से प्र0 2001 | कृषि में लगे कर्म0 का कुल मुख्य कर्म0 से प्रतिशत | पारिवारिक उद्योग मे लगे कर्मकारों का का कु0 मु0 कर्म0 से प्रति0 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | जसपुरा | 22.5 | 79.7 | 2.6 |
| 2 | तिंदवारी | 22.8 | 76.4 | 3.2 |
| 3 | बड़ोखर खुर्द | 24.6 | 75.9 | 3.3 |
| 4 | बबेरू | 26.7 | 83.9 | 3.1 |
| 5 | कमासिन | 27.9 | 89.6 | 2.9 |
| 6 | बिसण्डा | 29.5 | 90.9 | 3.1 |
| 7 | महुआ | 31.0 | 86.0 | 3.0 |
| 8 | नरैनी | 30.8 | 87.2 | 2.4 |
| 9 | मऊ | 36.8 | 88.6 | 3.2 |
| 10. | पहाड़ी | 31.9 | 88.1 | 2.9 |
| 11. | कर्वी | 30.5 | 85.1 | 2.9 |
| 12. | रामनगर | 28.4 | 83.2 | 2.4 |
| 13. | मानिकपुर | 27.1 | 79.7 | 1.8 |
| **समस्त विकास खण्ड** | | **30.58** | **84.17** | **3.05** |

**स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2005**

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि औद्योगिक विकास नगण्य होने के कारण समस्त कार्यशील जनसंख्या लाभकारी रोजगारों से वंचित हे। तथा जीवकोपार्जन के लिये जनपदीय आबादी मुख्यतः प्राथमिक कार्यो में ही क्रियाशील है कृषि पर अत्याधिक निर्भरता छोटे–2 तथा बिखरे हुये खेत, मानसून पर आश्रित आधुनिक जानकारियों का अभाव आदि के कारण जनपद को गैर विकास के दुष्चक्र ने जकड़ रखा है।

## 1.4 जनपद की कृषि आर्थिकी :

जनपदीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाली कृषि उदरपूर्ति तक सीमित न रहकर उद्योग का स्वरूप प्राप्त कर रही है। जनपद की लगभग 80 प्रतिशत आबादी की आर्थिक गतिविधि का प्रमुख स्रोत कृषि महत्वपूर्ण है। तथापि इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जनपदीय कृषि एक विकसित व्यवसाय है वास्तव में यहां कृषि अत्यन्त पिछड़ी अवस्था में है। परम्परागत एवं पौराणिक तरीके से उत्पादन किया जाता है जिस कारण प्रति हेक्टेयर उत्पादन अत्यन्त निम्न होता है। कृषि क्षेत्र मे कार्यरत श्रमिकों की संख्या वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक है। कहीं – कहीं पूरा परिवार उत्पादन कार्य में संलग्न रहता है किन्तु निर्वाह क्षेत्र में श्रम का वास्तविक उत्पादन जिसे ''अर्थशास्त्र'' में सीमान्त उत्पादन कहा जाता है शून्य या ऋणात्मक (नकारात्मक) होता है। किसान तथा खेतिहर मजदूरों को वर्ष भर काम नहीं मिलता विशेषकर फसलों की बुवाई, कटाई के समय तो मजदूरों की कमी का अनुभव होता है। किन्तु इसके पश्चात कार्यरत श्रमिक बेरोजगार हो जाते हैं।

एक विशेष बात और यह है कि यहां कि अर्थव्यवस्था ''सामन्तवादी'' है एक ओर साधन–सम्पन्न उच्चवर्गीय कृषक वर्ग है तो दूसरी ओर लघु एवं सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक (साधन विहीन) मध्यम तथा निम्न वर्ग है। अर्थव्यवस्था में शक्ति (पूंजी) प्रथम वर्ग की ओर से प्रतिपादित किये जाते हैं। आय, उत्पादन तथा अवसरों के विकास प्रक्रिया के लाभों को यह वर्ग अपने पक्ष में करने में सफल रहा है। फलतः दूसरा वर्ग यथाशक्ति के निर्धारणवाद में इस प्रकार रहता है कि इसके विकास एवं समृद्धि की अन्तः चेतना मात्र यथास्थितिवाद में बदल जाती है। और समग्र परिपेक्ष्य के यह स्थिति '' निम्न सन्तुलन जाल'' को संचयी बनाने में सहयोग करती है।

वस्तुतः इस जनपद के पिछड़ेपन, अल्प विकसित गरीबी, कुपोषण एंव असमानता के कारण कृषि आर्थिक शक्तियां क्षीण हुई हैं। आर्थिक विकास के कार्यक्रम एवं योजनाओं का तदर्थवाद एवं उनका औपचारिक प्रशासनिक क्रियान्वयन एवं जनपदीय विकास प्रक्रिया में लोगों की लगभग निष्क्रिय सहभागिता ऐसे कारण हैं जिन्होंने इस जनपद के विकास अंतराल को मण्डलीय एवं प्रदेश स्तर पर बराबर

बढ़ाया है। यदि बांदा जनपद और उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो यह अन्तराल सुस्पष्ट हो उठता है।

## तालिका १.१०

## जनपद बांदा एवं चित्रकूट के विकास का स्तर एवं उत्तर प्रदेश से तुलना

| क्र. | मद का नाम | वर्ष | इकाई | शहर | | उत्तर प्रदेश में |
|---|---|---|---|---|---|---|
| सं. | | | | बांदा | उत्तर प्रदेश | बांदा का स्थान |
| 1. | क्षेत्रफल | 1991 | वर्ग किमी0 | 7624 | 244411 | 05 |
| 2. | कुल प्रतिवेदन क्षे0 | 91–92 | हेक्टेयर | 780814 | 27994076 | 03 |
| 3. | वनों के अन्तगर्त क्षे0 | 91–92 | " | 77782 | 5165680 | 13 |
| 4. | बंजर एवं खेती के अयोग्य भूमि | 91–92 | " | 36522 | 1020225 | 03 |
| 5. | कृषि हेतु बेकार भूमि | 91–92 | " | 33037 | 1027599 | 10 |
| 6. | बाढ़, वर्षा से प्रभावित | 91–92 | " | 74247 | 295380 | 02 |
| 7. | सकल बोया गया क्षे0 | 91–92 | " | 581 | 25252 | 10 |
| 8. | शुद्ध बोया गया क्षे0 | 91–92 | " | 499 | 17216 | 02 |
| 9. | सकल सिंचित क्षेत्रफल | 91–92 | हजार हे0 | 176 | 15426 | 42 |
| 10. | शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल | 91–92 | " | 144 | 11948 | 43 |
| 11. | सकल सिंचित क्षे0 का बोये गये क्षे0 से प्रतिशत | 91–92 | " | 30.80 | 61.02 | 54 |
| 12. | शुद्ध सिंचित क्षेत्र का बोये गये क्षेत्रफल से प्रतिशत | 91–92 | " | 28.66 | 64.17 | 54 |
| 13. | जनसंख्या का घनत्व | 91–92 | वर्ग किमी0 | 244 | 473 | 51 |
| 14. | जनसंख्या | 1991 | लाख | 1862 | 139112 | 40 |
| 15. | अनुसूचित जातियों की संख्या | 1991 | लाख | 432884 | 29276455 | 40 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से (चित्रकूट जनपद को शामिल करते हुये) प्रदेश में पांचवे स्थान पर बंजर एवं खेती के अयोग्य भूमि के सन्दर्भ में तीसरे स्थान पर बाढ़ एवं वर्षा से प्रभावित क्षेत्रफल के संदर्भ में दूसरे स्थान पर एवं शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल के संदर्भ में दूसरे स्थान पर एवं शेष सभी तुलनाओं में बांदा एवं चित्रकूट की स्थिति प्रदेश की तुलना में 10वें स्थान से ऊपर ही है। यह सभी स्थान जनपद की कृषि आर्थिकी अर्थव्यवस्था पर चिन्तनीय विषय बनता है क्योंकि स्वयं कृषि क्षेत्र जिस पर अर्थव्यवस्था आधारित है उसमें वर्तमान समय मे समस्त जोतों में लघु एवं सीमान्त जोत का भाग 70 प्रतिशत है लघु एवं सीमान्त कृषक असामान्य कृषि आय वितरण का शिकार है जो जनपदीय आर्थिक विषमता का प्रतीक है। उपरोक्त समान विवरण यह संकेत अवलोकित करते है। कि स्वतंत्रता के 60 वर्ष पश्चात भी जनपद बांदा में विकास एवं संवृद्धि की शक्तियां अत्यन्त निर्बल हैं तथा जनपदीय आर्थिक विकास की योजनाएं इस जाल को भेदने में असफल रही है फिर भी जनपद में कृषि आर्थिक के निम्न व्यवसाय कारगर हैं।

## a.. कृषि व्यवसाय:

जनपदीय कृषि व्यवसाय में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत हैं जिसमें दो हेक्टेयर भूमि से कम के 77.5 प्रतिशत काश्तकार कुल कृषि क्षेत्रफल के 35 प्रतिशत भाग में दाखिल काबिज है। कृषि जोत संख्या के 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर है जनपद की औसत जोत 2 हेक्टयर है। जनपद में 1,43,340 जोत 1 हेक्टेयर से कम तथा 106106 जोते एक हेक्टेयर के मध्य पायी जाती हैं। समुचित सिंचाई से 2 या 3 फसलें या नकदी फसलें प्राप्ति के माध्यम बन सकती हैं। कृषि के अन्तर्गत रवी, खरीफ तथा जायद की फसलों का उत्पादन किया जाता है नरैनी एवं अतर्रा तहसील में चावल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। 80 के

दशक तक यहां कुल 22 चावल मिले थीं। किन्तु आज शासन की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण वह सब बंद हो गयी हैं। गेहूं, चावल, मसूर, चना, अरहर, तिलहन व खाद्यान्न का निर्यात भी किया जाता है। कम कृषि क्षेत्र वाले दूसरों की जमीन को बटाई या बलकट, ठेका पद्धति के रूप में लेकर खेती करते हैं। नदियों के किनारे रहने वाले लोग सब्जियों का प्रमुख रूप से उत्पादन करते हैं और अपनी उपज को स्थानीय रूप से लगने वाले दैनिक बाजारों या डलियों को सिर में रखकर दरबाजे–2 घूमकर बेंचते हैं। सड़ने व नष्ट होने के भय से कभी–कभी इन्हें कम मूल्य पर भी बेंचना पड़ता है। इसके विपरीत कुछ समपन्न वर्ग के कृषक अपनी उपज को बेंचने जनपद के बाहर भी जाते हैं।

जनपद का कृषि उद्योग प्रमुख रूप से मौसमी है प्रायः हर नयी सरकार व जनप्रतिनिधि द्वारा अपने को किसान हितैषी कहने के बावजूद खेत व खलिहानों से वांछित परिणाम नहीं प्राप्त किये जा सके। प्रत्येक बजट में किसानों के लिये काफी कुछ कहा गया किन्तु किसानों को उनके अपेक्षा के अनुरूप कुछ नहीं मिला। यदि जनपद में सिंचाई सुविधाओं, उन्नतशील बीज, आदि महत्वपूर्ण घटकों का समुचित विकास किया जाये तो निश्चित ही कृषि के क्षेत्र में अपूर्व परिवर्तन लाया जा सकता है।

## तालिका १.११

## जनपद बाँदा की भूमि उपयोगिता एक नजर में

| भूमि उपायोग | क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | क्षेत्रफल (प्रतिशत में) |
|---|---|---|
| 1. कुल प्रतिवेदित क्षेत्र | 439314 | 100 |
| 2. वन | 5228 | 1.19 |
| 3. कृषि योग्य बंजर भूमि | 11711 | 2.67 |
| 4. वर्तमान परती | 16993 | 3.87 |
| 5. अन्य परती | 14266 | 3.25 |
| 6. ऊषर एवं कृषि के अयोग्य भूमि | 11518 | 2.62 |
| 7. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग की भूमि | 293060 | 6.67 |
| 8. चारागाह | 382 | 0.08 |
| 9. बाग एवं झाड़ी | 1309 | 0.3 |
| 10. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल | 348600 | 79.35 |

स्रोतः– जिला कृषि अधिकारी बांदा एवं सांख्यिकी पत्रिका 2005

## तालिका १.१२

## वर्ष १६६७-६८ एवं ६८-६६ में प्रमुख फसलों, क्षेत्रफल आच्छादन एवं उत्पादन का विवरण एक नजर में

| क्र. सं. | फसल का नाम | क्षेत्रफल आच्छादन (हे0) | | उत्पादन (मी0टन) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 97–98 | 98–99 | 97–98 | 98–99 |
| | **खरीफ** | | | | |
| 1. | धान | 49400 | 61700 | 56500 | 89800 |
| 2. | ज्वार | 42720 | 36500 | 24000 | 27800 |
| 3. | बाजरा | 4700 | 2800 | 3497 | 2200 |
| 4. | उर्द | 3000 | 3251 | 810 | 1102 |
| 5. | मूंग | 1500 | 1011 | 350 | 285 |
| 6. | अरहर | 10340 | 13810 | – | – |
| 7. | तिल | 1470 | 1192 | 200 | 95 |
| 8. | सोयाबीन | 1380 | 1536 | 1280 | 774 |
| 9. | मूंगफली | 960 | 1391 | 700 | 679 |
| 10. | अन्न | 1400 | 400 | 850 | 200 |
| | योग खरीफ | 124870 | 123200 | 88187 | 122933 |
| | **रबी** | | | | |
| 11. | गेंहू | 130850 | 148673 | 179000 | 236555 |
| 12. | जौ | 6040 | 2701 | 8260 | 4810 |
| 13. | चना | 101500 | 94417 | 70750 | 83320 |
| 14. | मटर | 480 | 950 | 500 | 999 |
| 15. | मसूर | 27910 | 42553 | 19650 | 37064 |
| 16. | अरहर | – | – | 31240 | 29710 |
| 17. | सरसौं | 2910 | 2741 | 1130 | 1495 |
| 18. | अलसी | 5040 | 5793 | 2200 | 3217 |
| | योग रबी | 274730 | 298928 | 312730 | 397223 |

स्रोतः– जिला कृषि अधिकारी बांदा एवं सांख्यिकी पत्रिका 2005

## b. पशुपालनः

किसी भी जनपद के विकास में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशु कृषि कार्यो में सहायक एवं जीवकोपार्जन की दृष्टि से दूध, दही, घी, मांस, अण्डे आदि के रूप में खाद्य पदार्थ प्राप्ति का साधन है। इसके गोबर से उपले, जैविक खाद आदि प्राप्त होती है। पशुपालन एक सुनियोजित उद्योग है यह जनपद की बेरोजगारी हटाने में काफी मददगार है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोग अच्छी नस्ल के दुधारू तथा बहुपयोगी जानवर पालते हैं। जनपद मे मवेशियों की संख्या शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों मे अधिक है। यह कृषि कार्य के साथ–साथ माल ढोने के अतिरिक्त चमड़ा, हड्डी, सींग आदि उपयोगी कच्चा माल प्राप्त होता है । जिला पशुधन अधिकारी से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जनपद मे दिसम्बर 1997 तक कुल 906723 पशु थे जिनका विवरण निम्न तालिका में दिया है।

**तालिका १.१३**

**पशुधन का विवरण**

| क्र0सं0 | पशुधन का विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1. | गोवशीय | 4,32,393 |
| 2. | महिप वशीय | 2,25,040 |
| 3. | भेंड़ें | 17608 |
| 4. | बकरा–बकरी | 1,64,293 |
| 5. | कुकुक्ट | 26,012 |
| 6. | अन्य पशु | 41,372 |
| | **योग** | **906723** |

स्रोतः– जिला पशुधन अधिकारी–जनपद बांदा एवं चित्रकूट

उर्पयुक्त तालिका को देखने से पता चलता है कि अध्ययन क्षेत्र के कुल पशुधन का 50 प्रतिशत हिस्सा गोवशीय पशुओं का है अध्ययन क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है जहां कृषि गोवंशीय पशुओं द्वारा की जाती है। कृषि के अतिरिक्त गोवंशीय पशुधन दुग्ध उत्पाद में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

## c. मत्स्य उद्योग :

मत्स्य या मछली पकड़ना मानव की प्राचीन आर्थिक क्रियाओं का एक अंश रहा है। जनपद में नहर, तालाब, चेकडैम का प्रमुख उपयोग सिंचाई तथा अन्य तरह के कार्यों के लिये किया जाता है, स्थलीय सर्वेक्षणों के उपरान्त यह तथ्य उजागर हुआ है कि इस जल राशि का उपयोग मत्स्य पालन के लिये भी सुगमता से किया जा सकता है। इसलिये इसे कृषि एवं पशुपालन के साथ–साथ प्रारम्भिक उद्योग की श्रेणी मे रखा गया है। मछली पालन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमे ग्रामीण अंचल में पड़े अनुपयोगी तालाबों, बावड़ियों आदि की उपयोगिता सुनिश्चित करते हुये उत्तम प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ के उत्पादन के साथ–साथ बेरोजगारों और दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये अतिरिक्त आय का साधन बन सकता है। मत्स्य पालन को बढावा देने के उद्देश्य से जनपद मे मत्स्य विकास अभिकरण की स्थापना की गयी है, बेरोजगारों के लिये तालाब, सुधार, नये तालाब के निर्माण व उत्पादन के लिये निवेश हेतु बैंक ऋण तथा अनुदान, मछली के बीज की आपूर्ति, प्रशिक्षण आदि की सुविधायें दी जा रही हैं जिससे, उन्हे रोजी रोटी मिल सके। मत्स्य पालकों को पुराने तालाबों के सुधार के लिये 60000/– की सीमा तक बैंक ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है जिस पर 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 25 प्रतिशत का शासकीय अनुदान प्रदान किया जाता है। एवं निजी भूमि पर नये तालाब के

निर्माण के लिये 200000/— का ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिस पर सामान्य वर्ग को 20 प्रतिशत का अनुसूचित जाति, जनजाति को 25 प्रतिशत का शासकीय अनुदान दिया जाता है साथ ही मत्स्य पालन विकास अभिकरण की ओर से दस दिनो का अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रशिक्षण भत्ता व 100/— एकमुश्त भ्रमण के लिये दिया जाता है। प्रयोगशाला मे मत्स्य पालक के तालाबों की मिट्टी की निःशुल्क जाँच की जाती है व निःशुल्क वैज्ञानिक सलाह दी जाती है।

मत्स्य पालन मे उन्नतशील प्रजाति की मत्स्य बीज की सामाजिक उपलब्धता एक प्रमुख समस्या है। जिसके निदान हेतु मत्स्य पालकों को आक्सीजन पैंकिग मे उत्पादित बीज की आपूर्ति की जाती है। इन सभी शासकीय सहयोगों के कारण मत्स्य व्यवसाय मे जनपद उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है जो निम्न सारणी से स्पष्ट है।

## तालिका १.१४
## जनपद में मत्स्य उत्पादन

| वर्ष | विभा० जला० क्षे० (हे०) | उत्पादन कु० | विभाग द्वारा अगुलिकाओं का वितरण (हजार) |
|---|---|---|---|
| 97—98 | 45.59 | 10 | 1579 |
| 98—99 | 45.99 | 18 | 1332 |
| 99—00 | 45.59 | 265 | 10000 |
| 00—01 | 45.59 | 300 | 12000 |
| 01—02 | 45.59 | 831 | 675 |
| 02—03 | 45.59 | 1055 | 1300 |
| 03—04 | 45.59 | 1122 | 1500 |

स्रोतः— मत्स्य विकास अभिकरण

## 1.5 रोजगार के प्रतिमान (विकल्प) :

बांदा एवं चित्रकूट जनपद शिथिल प्रशासन एवं राजनैतिक व शासकीय उपेक्षा तथा उदासीनता का सदैव शिकार रहा। धारा के विपरीत यह जनपद राजनीति विकास की बाट जोह रहा है। यहां का राजनैतिक नेतृत्व इस हद तक विपन्न है। कि कभी भी यहां के सांसद की आवाज लोकसभा में जोर से नहीं गूंजी है। जब जनप्रतिनिधि ही आलस्य का शिकार है तो जनता भी भेड़चाल की शिकार होगी। जनप्रतिनिधियों की इस शैथल्य ने इस जनपद को रोजगार शून्य, विकास शून्य व निम्न सन्तुलन जाल में अप्लावित कर रखा है। अतः किसी भी नव विकास व्यूह रचना का प्रधान अंग यही होना चाहिये कि वह प्रशासनिक कुशलता से पूर्ण हो और राजनैतिक नेतृत्व के सबल हाथो से संचालित हो। इस सम्बन्ध में यह बात उल्लेखित है कि यहां की जनता, शासकीय उपेक्षा के विरूद्ध लोकतांत्रिक ढंग से आवाज बुलन्द करे। इसके लिये आवश्यक है कि विकास में जन चेतना और जनता (ग्रामीण व नगरीय) दोनों ही लोकप्रिय, सहभागिता स्वैच्छिक एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा उत्पन्न की जावें।

नवयुवक वर्ग की ऊर्जा शक्ति का इस ओर पर्याप्त सहयोग लिया जा सकता है आज के युग में आर्थिक विकास की सैद्धान्तिक परिभाषा को बदलना होगा। परिभाषा यही है कि वह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसमें एक अर्थव्यवस्था की आय में कई गुना वृद्धि हो जाती है। आज की विकास प्रक्रिया अल्पकालीन होना चाहिये। योजनाओं और परियोजनाओं का प्रतिफल कार्य छोटा होना चाहिये ऐसा इसलिये क्योंकि आज का आदमी विकास के लाभों को प्राप्त करने के लिये लम्बी प्रतीक्षा नही कर सकता साथ ही प्रशासनिक मशीनरी, रूटीन वर्क के अपने कार्य न करके परिणामोंमुखी धारणा पर कार्य करें। इस हेतु प्रशासनिक मशीनरी की

जबाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिये।

दुर्भाग्य से इस जनपद के स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका, इसलिये जनपदीय अर्थव्यवस्था वैधव्य के आंसू बहा रही है। आर्थिक विकास की नयी धारणा में केवल आय वृद्धि प्रक्रिया का होना पर्याप्त नहीं है बल्कि यह तथ्य भी सम्मिलित होना चाहिये कि इस प्रक्रिया द्वारा जीवन निर्वाह के साधन और न्यूनतम सामाजिक सुविधाओं में वृद्धि हुई है कि नहीं। विकास का अर्थ तभी सार्थक हो सकता है। जब, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रशिक्षण, आवास और रोजगार के साधनों में पूर्व की अपेक्षा वृद्धि हो। आज के समय में विकास एक धारणा न होकर सापेक्षिक धारणा है और इसका मूलभूत सुविधाओं से धनात्मक सहसम्बन्ध है।

जनपदीय विकास के प्रावैधिक रूपान्तरण के व्यूह रचना हेतु रोजगार के विभिन्न प्रतिमान उपलब्ध हैं, यथा दाल उद्योग, आलू, टमाटर, मिर्च मसाला, आयुर्वेदिक औषधियां, काष्ठशिल्प, कृषि यन्त्र के निर्माण, खाद्य एवं प्रसंस्करण (आचार, मुरब्बा आदि) के उद्योग धन्धे इस जनपदीय अर्थव्यवस्था में व्यापकता से संचालित किये जा सकते हैं। **इसके लिये जनपद में कृषि आधारित औद्योगीकरण निगम की स्थापना और जनपद के तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है।** बैंकिंग व्यवस्था के द्वारा आसान शर्तो पर उद्यमियों को सुलभ ऋण उपलब्ध करना भी एक आवश्यक एवं लाभकारी कदम होगा।

वर्तमान में जनपद बांदा एवं चित्रकूट में रोजगार के विभिन्न प्रतिमान (विकल्पों) मे कुछ प्रमुख प्रतिमान (विकल्प) निम्न है।

### a.शजर पत्थर आधारित रोजगार प्रतिमान :

अध्ययन क्षेत्र के जनपद बांदा में शजर पत्थर तराशने का कार्य किया जाता है। जो प्रदेश मे कहीं अन्यत्र नहीं किया जाता। इसका मूल कारण

जनपद में इस कार्य हेतु उपलब्ध दक्षता है। अपने जीवन यापन हेतु अनेक परिवार इस कार्य हेतु संलग्न है, परन्तु वित्तीय कठिनाई परम्परागत तकनीकी, विपणन की समस्या के कारण इस उद्योग को वांछित ख्याति नहीं मिल पायी है।

शजर एक फारसी शब्द है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। छोटा पौधा या गुल्म अंग्रेजी में इसे डेन्डराइट या मास एगेट कहते हैं। यह बिल्लौर परिवार का सदस्य है। इसमें बनी हुई आकृति एगिट पर लोहे एवं मैगनीज खनिज के एक विशेष आकार में जल में होने से निर्मित होती है।[1] मास स्केल मे इसकी कठोरता काफी होती है। जो कि नीलम, पुखराज के रूप हैं। बहुमूल्यता के तीनों गुण इसमें मौजूद हैं। स्थायित्व, दुलर्भता एवं सुन्दरता। एगेट मुसलमानों का धार्मिक पत्थर भी माना जाता है। इसी वजह से शजर मध्यपूर्व व पश्चिमी देशों मे अत्यन्त लोकप्रिय है। शजर पत्थर को तराशने का कार्य भारतवर्ष में दो जगह होता है। प्रथम बांदा शहर में द्वितीय जयपुर में। यह पत्थर बांदा के केन नदी की तलहटियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस पत्थर की पहचान के लिये पहले पत्थर को पानी में भिगोते हैं। फिर रोशनी की ओर रखकर देखने से दूसरी तह में काले–काले धब्बे दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु के उपरान्त यह पत्थर केन नदी तथा नर्मदा नदी में पाया जाता है। स्थानीय ग्रामीण तथा चरवाहे इसे एकत्र करते हैं। जिसे यहां के शिल्पी क्रय करते हैं। जो 5000/– से 8000/– प्रति बोरी मूल्य होता है।

यह मूलतः श्रमचर आधारित उद्योग है जिस पर पत्थर मे आकृति जितनी साफ, सुथरी व स्पष्ट होती है। वह पत्थर उतना ही मूल्यवान होता है। पहले इन्हें तराशने का कार्य हाथ से किया जाता था। किन्तु वर्तमान में यह कार्य मशीन से किया जाता है।

**स्रोतः बांदा वैभव**

## b. खनिज सम्प्रदा आधारित रोजगार प्रतिमानः

जनपद बांदा एवं चित्रकूट का कुछ हिस्सा पठारी क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। जिसमें ग्रेनाइट बाक्साइट एवं सैन्डस्टीन, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। करतल, पंचमपुर एवं नहरी क्षेत्र आरक्षित कर दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र के पत्थर अति उत्तम किस्म के हैं। भरतपुर एवं गोरबा वेल्ट में डायमेसनस्टोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। इन क्षेत्रों में अभी तक कोई भी स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं किये जा सके। कांलिजर क्षेत्र में हीरा (डायमण्ड) प्राप्त होने की सम्भावना प्राप्त की गयी है। गिरवां से कालिंजर तक ग्रेनाइट बेल्ट है। जनपद के बांदा, अतर्रा एवं नरैनी तहसील में पहाड़ भूमि क्रमश 33.156, 1415.142 एवं 945.821 हेक्टेयर है। इस प्रकार से यदि जनपद का कुल पहाड़ क्षेत्र देखें तो 2394.119 हेक्टेयर है।

जनपद में स्टोन क्रेशर, चन्दन मिट्टी, चूना, पत्थर की मूर्तियां, रंगीन पत्थर की शिल्प बनोन की इकाईयां स्थापित हैं।

**बालूः–** अध्ययन क्षेत्र में रेत (बालू) के असीम भण्डार है जो खनिज सम्प्रदा का प्रमुख साधन हैं। जनपद में करोड़ों रूपये का बालू खनन किया जाता है। जिससे करोड़ों रूप्ये का राजस्व प्राप्त होता है। यहां से बालू का निर्यात किया जाता है। जो अन्य जनपदों में कई गुना अधिक मूल्य पर बिकता है। बालू उद्योग में असीम लाभ की संभावनाओं को देखते हुये एकाधिकार की स्थित उत्पन्न हो गयी है। ठेकेदारों द्वारा ऊँची बोली लगायी जाती है। तथा फिर यह ठेकेदार नदी के तटों से बालू निकलवाकर ट्रैक्टर, ट्रक आदि के अतिरिक्त, गधों, खच्चरों आदि के द्वारा इन्हें उपभोक्ताओं के घरों तक पहुंचाते है। और उच्च लाभ अर्जित करते हैं।

## जनपद बांदा एवं चित्रकूट में बालू प्राप्ति के प्रमुख स्थल

| तहसील | प्राप्ति स्थल |
|---|---|
| बाँदा | मुंडेरी, कनवरा, अछरौंड़, पथरी, खप्टिहां पैलानी, सादी मदनपुर, अमलीकौर |
| नरैनी | लहुरेटा, गिरवां |
| बबेरू | राधोपुर, लोहरा, इटवां, ममसी |
| अतर्रा | महुटा, तेरा, बदौसा, मुसासी |
| कर्वी | महेवा, राजापुर |

स्रोत :– खनिज विभाग बांदा एवं चित्रकूट

**गिट्टी:–** गिट्टी में शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियों से दूर विशेषतः नरैनी तहसील एवं कर्वी तहसील के भरतकूप व शिवरामपुर के पहाड़ों मे गिट्टी बनाई जाती है। जिसका प्रमुख उपयोग सड़क, मकान निर्माण में किया जाता है। इस उद्योग में ठेकेदार पहाड़ का ठेका लेकर मजदूरों द्वारा पत्थरों की तुड़वाई करवाते हैं। फिर क्रेशर मशीन द्वारा विभिन्न नाप की गिट्टियां बनवाकर निर्यात किया जाता है। इस उद्योग मे बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों को मजदूरी करते देखा जा सकता है। कार्यरत श्रमिक प्रतिदिन 50 से 80 रूपये तक की मजदूरी प्राप्त करते हैं।

## जनपद बांदा एवं चित्रकूट में गिट्टी प्राप्ति के स्थल

| तहसील | प्राप्ति स्थल |
|---|---|
| बांदा | मटौंध, चमराहा, पल्हरी, |
| अतर्रा | कण्डोरा |
| नरैनी | पनगरा, गौर शिवपुर, गिरवां जरर, पिथोराबाद, बड़ोखर |
| कर्वी | भरतकूप, शिवरामपुर |

स्रोत1– खनिज विभाग बांदा एवं चित्रकूट

## खनिज सम्प्रदा पर आधारित अन्य उद्योगः–

जनपद बांदा एवं चित्रकूट में खनिज सम्पदा पर आधारित कई उद्योग रोजगार प्रतिमान के रूप में संभावित है।

जैसेः–

1. कंक्रीट सीमेन्ट, हालोबाक्स, सालेड बाक्स
2. रूफिंज टाइल्स
3. मोजेक टाइल्स
4. सिल्का सैण्ड वाशिंग प्लाण्ट
5. सोडियम एण्ड पोटेशियम सिलिकेट
6. एमटी पाउडर
7. डिस्टेमपर/गेरू
8. वांशिंग पाउडर
9. सैन्ड पेपर/क्लास
10. चूना उद्योग
11. सैन्ड स्टोन कटिंग एण्ड पालिंशिंग
12. रंगीन पत्थरों के हस्तशिल्प आदि।
13. पत्थर की मूर्ति।

## c. कृषि संसाधन पर सम्भावित रोजगार प्रतिमान–

1. सब्जी एवं प्याज निर्जलीकरण
2. टमाटर के पेस्ट एंव केचप
3. आचार, चटनी, मुरब्बा
4. सूखे मिर्च

5. आलू के चिप्स आदि

6. नमकीन

7. आटा, मैदा

8. लहसून चूर्ण, मिर्च चूर्ण

9. मिनी राइस मिल, दाल मिल, आयल मिल

10. पापड़, बड़ी

11. सेवइयां आदि

12. दलिया

13. पशुचारा

14. मशरूम

15. आंवला के उत्पाद

## d. वन सम्प्रदा पर संभावित रोजगार प्रतिमान–

मानव जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान है। वनों द्वारा मनुष्य के लिये प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से अत्यन्त लाभप्रद संसाधन प्राप्त होते हैं। जनपद बांदा एवं चित्रकूट में कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र के अन्तर्गत है, जबकि पर्यावरण मानक के अनुरूप कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का 30 प्रतिशत हिस्सा वनों से अच्छादित होना चाहिये। फिर भी जनपद में वनों पर आधारित निम्न उद्योग रोजगार प्रतिमान के रूप में उपलब्ध है।

1. लकड़ी के इमारती सामान।

2. बांस डलिया, चटाई, कूंचा।

3. दोना पत्तल।

4. महुंआ की शराब।

5. महुआ का तेल।

6. रेशम उद्योग।

7. शहद

8. आयुवेर्दिक दवाओं एवं जड़ी बूटियों का संग्रह

## e. पशुधन पर संभावित रोजगार प्रतिमान–

1. क्रीम, घी, मक्खन, पनीर

2. आइसक्रीम एवं दुग्ध उत्पाद

3. मीठा दूध पैंकिंग

4. अण्डा

5. अण्डे के छिलके का पाउडर

6. चर्म शोधन

7. चमड़े के समान (लेदर गुड्स)

8. फिश कटलेट्स

## f. मांग पर संभावित रोजगार प्रतिमानः

औद्योगिक दृष्टि से बांदा एवं चित्रकूट जनपद भारत सरकार द्वारा उद्योग शून्य घोषित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्षेत्र प्रदेश के प्रमुख जिलों में से एक है तथा यहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, लेकिन उद्योग एवं औद्योगिक वस्तुओं से सम्बन्धित मांग में यह जनपद प्रदेश के किसी भी जनपद से पीछे नहीं है। अतः मांग के आधार पर यहां जो सम्भावित उद्योग पनप सकते हैं। वह मुख्यतः निम्न है।

1. कृषि यंत्र, ट्रैक्टर ट्राली।

2. स्टील फेव्रिकेशन, चैनल, गेट, दरवाजा

3. कूलर बाडी, स्टील बक्सा, अलमारी

4. फैन एसेम्बलिंग

5. टायर रिपेयरिंग

6. विद्युत प्लग

7. स्विच होल्डर/बोर्ड

8. हीटर प्लेट

9. सीमेन्ट जाली

10. मिनी आफसेट प्रेस/स्क्रीन प्रिटिंग

11. मिनी कोल्ड स्टोरेज

12. फिटकनी

13. कार्ड बोर्ड/कार्टुन्स

14. कैनवास वैग/होल्डाल

15. होजरी बस्ते

16. डिटरजैन्ट पाउडर

17. साड़ी फाल

18. अगरबत्ती

19. कागज के लिफाफे

20. सर्मिकल काटन

21. फिनायल

22. सोलर लालटेन

23. बांस के सजावटी समान

24. आर्टीफिशियल गहने

25. इन्जीनियरिंग वर्कशाप

26. एल्युमिनियम के फर्नीचर

27. पिसे मसाले

28. डीजल इंजन/जनरेटर

29. साइकिल पार्ट्स/मटगार्ड्स, कैरियर्स, शीट

30. प्लास्टिक के आइटम

31. कास्ट आयरन कास्टिंग

32. गैस विल्डिंग राड

33. मिनरल वाटर

34. होजरी उद्योग

35. बैटरी चार्जिंग

36. स्टोव गैस मरम्मत

37. बाल पेन

38. आइसकैण्डी/आइसक्रीम, बरफ बनाना

39. सुगन्धित तैल

40. अगरबत्ती, धूपबत्ती, धूप

41. मोमबत्ती

42. कम्प्यूटर सेवा केन्द्र

43. कम्प्यूटर सर्विसिंग एवं रिपेयरिंग

44. बायो गैस प्लाण्ट

45. सोलर ऊर्जा उपकरण

46. सरौता उद्योग

47. ईंटा उद्योग

48. लाठी उद्योग

49. जैविक खाद उद्योग

50. मधुमक्खी पालन

51. कुक्कुट पालन

52. हथकरघा उद्योग

53. दरी उद्योग

54. चटाई उद्योग

55. गुटखा एवं पान मसाला उद्योग

56. तेंदू पत्ता एवं बीड़ी उद्योग

57. कान्फैक्स्नरी उद्योग, डबल रोटी, बिस्कुट पर आधारित

58. मिट्टी के बर्तन, कुल्हड़, खिलौना, घड़ा उद्योग

59. रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस एवं लाज उद्योग

60. संचार सेवायें–पी.सी.ओ. कोरियर सेवा आदि

61. परिवहन सेवायें – टैम्पों, टैक्सी, बस सेवा

## g. पर्यटन पर संभावित रोजगार प्रतिमानः

जनपद बांदा एंव चित्रकूट पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनपद बांदा में **बाम्बेश्वर पहाड़, खत्री पहाड़, भूरागढ़ किला, विश्व प्रसिद्व अजेय दुर्ग, कालिंजर, मडफा, वहीं जनपद चित्रकूट में रामघाट, हनुमानधारा, सती अनुसइया, गुप्त गुदावरी, जानकीकुण्ड, राजापुर, वाल्मीकि आश्रम, रामदर्शन, अरोग्यधाम, रसिन** आदि कई अन्य धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थल हैं, इन स्थलों में मकर संक्रान्ति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, नवदुर्गा, आदि विभिन्न तीज त्योहारों पर

विशाल मेले आदि का आयोजन कियाजाता है। जिसमें जनपद के साथ–साथ पड़ोसी जनपदो एवं प्रदेशों से विभिन्न व्यापारी यहां आकर अपनी दुकानें लगाते हैं तथा व्यापार करते हैं इसके अतिरिक्त ठंडी के दिनों में अन्य विभिन्न जनपदों के लोग यहां आकर  पिकनिक तथा मौज मस्ती का आनन्द लेते हैं।

जनपद का पुरातत्व अत्यन्त सम्पन्न है। यहां पर विश्व प्रसिद्व अजेय दुर्ग कालिंजर, मडफा तथा भूरागढ़, दर्शनीय स्थल है। कालिंजर किला एक मील लम्बा तथा आधा मील चौड़ा है। जिसमें सात द्वार आलम द्वार, गणेश द्वार, स्वर्गारोहण द्वार, हनुमान द्वार, बुधभद्र द्वार, लाल दरवाजा, बड़ा दरवाजा आदि देखने योग्य है। इसके अन्तर्गत सीता कुण्ड, सीता सेज, ऋषि वाउन्डकी, भैरव कुंड, कुड्ढा बुढ़िया ताल, कोटि तीर्थ, मृगधारा आदि दर्शनीय स्थल है। किले के पश्चिम में भगवान शिव का एक मन्दिर है। जिसे नीलकण्ठ मन्दिर कहा जाता है। इसके अन्दर लगभग 5 फीट ऊँची शिवलिंग विराजमान है। तथा काली देवी की 4 फीट की मूर्ति है। हनुमान कुंड के समीप प्रस्तर काटकर शिव पार्वती, गणेश नांदी की मूर्तियां उत्कीर्ण की गयी है। गंगा सागर के पास भैरव, विष्णु की मूर्तियां लकुलेश चतुर्मुखी शिवलिंग तथा अनेक गुप्त कालीन प्रतिहार, कल्चुरी एवं चन्देलकालीन मूर्तियां आदि है। पास में ही मड़फा एवं रसिन के दर्शनीय स्थल है। तथा इसका सम्पर्क/चित्रकूट, खजुराहो, राजापुर आदि से होने के कारण विश्व के मानचित्र मे लाने की योजना है। जिस पर वर्तमान सरकार कारोड़ों रूपये खर्च कर रही है। जिसके कारण भविष्य में रोजगार उपलब्ध होने के विभिन्न अवसर है। यदि केन्द्र व राज्य सरकार एक योजनाबद्ध ब्यूह रचना के आधार पर पर्यटन उद्योग को रोजगार के विकल्प के रूप में विकसित करें तो भविष्य में हजारों लोगों को रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है।

## 1.6 अधिसंरचात्मक सुविधायें:

किसी भी जनपद के जनजीवन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये वहां उपलब्ध आधारभूत सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्व होती है। इन्हीं महत्वपूर्ण सेवाओ को विकसित कर जनसंख्या को लाभान्वित एंव सामाजिक व आर्थिक कल्याण में वृद्धि जैसे क्रान्तिक सूचकों को प्राप्त किया जा सकता है। जनपद में कुछ महत्वपूर्ण आधारभूत सेवाओं का विवरण निम्नवत है।

## a. सड़क यातायात:

सड़कों किसी भी क्षेत्र की भाग्य रेखा होती है, औद्योगिक विकास एंव जनजीवन के स्तर को ऊँचा उठाने के लिये यातायात साधनों में सड़क यातायात अत्यन्त महत्वपूर्ण है, जीवन उपयोगी वस्तुओं की एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने एंव आर्थिक कार्यकलापों में सड़कों की एक प्रभावोत्पादक भूमिका है। बांदा एवं चित्रकूट जनपद में लोक निर्माण विभाग द्वारा संग्राहित सड़कों की लम्बाई वर्ष 2003–04 में कुल 2186 किमी0 तथा कुल लम्बाई 2379 किमी है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 76 से जुड़ा है जिसमें कुल 193 बस स्टेशन हैं सारणी द्वारा सड़कों का विवरण निम्नवत हैं।

### तालिका १.१५

| वर्ष | पक्की सड़कों की लम्बाई | | सड़कों से जुड़े ग्रामीणों की सं0 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | कु0लं0 | लो.नि.वि. | 1000 से कम वाले ग्राम | 1000 से अधिक 1500 से कम वाले ग्राम | 1500 से अधिक आबादी वाले ग्राम |
| 2001–02 | 2062 | 1982 | 190 | 123 | 277 |
| 2002–03 | 2164 | 2007 | 192 | 123 | 280 |
| 2003–04 | 2379 | 2186 | 202 | 140 | 283 |

स्रोत :– सांख्यिकीय पत्रिका 2005

## b. रेल यातायात:

परिवहन की दृष्टि से जनपद बांदा एवं चित्रकूट मुख्यालय सड़क के साथ–साथ रेल मार्ग से भी जुड़ा है। जो मध्य रेलवे के हावड़ा झांसी, रेलमार्ग के बीच पर स्थित है। जिसमें 19 रेलवे स्टेशन हाल्ट सहित है तथा कुल 200 किमी0 रेलवे लाइन की लम्बाई है।

## c. संचार सेवायें :

किसी भी जनपद के विकास मे संचार सेवायें वर्तमान में अभूतपूर्व योगदान दे रहीं हैं। जनपद में जब तक समस्त ग्रामों को पूर्ण रूप से पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा जाता तब तक जनपद की संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर सकती फिर भी वर्ष 2003–04 तक अध्ययन क्षेत्र में कुल 285 डाकघर थे जिसमें 266 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 19 नगरीय क्षेत्रों में है। साथ ही साथ जनपद में 17 तार घर 662 पी.सी.ओ. 16501 टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या है।

इनके अतिरिक्त अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न निजी कम्पनियां भी अपनी संचार सेवायें प्रदान कर रही हैं। जिसका शासकीय विवरण संख्या की दृष्टि मौजूद नहीं है। फिर भी अध्ययन के अन्तर्गत निजी स्तर पर आइडिया, रिलायन्स, एअरटेल, हच, टाटा इण्डीकाम आदि कम्पनियां कार्यरत हैं। तथा कोरियर क्षेत्र में विभिन्न नामों से निजी कम्पनियां संचार व्यवसाय में संलग्न है।

सारणी द्वारा संचार सेवाओं का विवरण निम्नवत है।

**तालिका १.१६**

**जनपद बाँदा की संचार सेवायें एक नजर में**

| विवरण | संख्या |
|---|---|
| 1. डाकघर | 285 |
| 2. तारघर | 17 |
| 3. पी.सी.ओ. | 662 |
| 4. टेलीफोन | 16501 |

स्रोतः– अधीक्षक डाक एवं तार एवं सहायक अभियन्ता टेलीफोन बांदा व चित्रकूट

## d. टेलीविजन सेवा :

अध्ययन क्षेत्र के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ एवं साफ प्रसारण के लिये जनपद मुख्यालय बांदा के लिये एवं कम शक्ति वाला दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र पर कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण एवं कम कर्मचारी की वजह से सुचारू रूपये नही चलाया जा पा रहा है।

## e. शिक्षा :

2001 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल 1266.63 हजार व्यक्ति साक्षर थे, जिसमें कुल पुरूषों की संख्या 918.24 हजार व स्त्रियों की संख्या 348.39 हजार थी। वर्ष 2004–05 तक जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2243 उच्च प्राथमिक विद्यालय की संख्या 685, माध्यमिक विद्यालय 121 महाविद्यालय 06 एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय 03 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान 01, पॉलिटेक्निक कॉलेज 01, शिक्षक संस्थान (डायट) 02, इन्जीनियरिंग कॉलेज 01, तथा आयुर्वेदिक कॉलेज 01 कार्यरत हैं।

वर्ष 2003–04 में प्राथमिक शिक्षा में कुल छात्र–छात्रायें 277697, सीनियर बेसिक शिक्षा में 129161, माध्यमिक शिक्षा में 60248 छात्र–छात्रायें , स्नातक शिक्षा में 7119 छात्र छात्रायें व स्नातकोत्तर शिक्षा 2228 छात्र छात्रायें तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 101 छात्र–छात्रायें अध्ययनरत थे।

जिनमें वर्ष 2003–04 में जूनियर बेसिक शिक्षा में 5644 उच्च प्राथमिक शिक्षा में 2525, माध्यमिक शिक्षा में 1415, स्नातक शिक्षा में 60, स्नातकोत्तर शिक्षा में 122, तथा औद्योगिक प्रशिक्षण में 18 शिक्षक शिक्षण कार्य में संलग्न है।

## f. चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य सेवायें :

शासन का यह दृष्टिकोण है कि समाज में रहने वाले प्रत्येक परिवार की

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध करायी जाय। जनपद के मुख्यालय बांदा एवं चित्रकूट नगर में एक–एक जिला चिकित्सालय जो सभी के लिये उपलब्ध है। तथा एक–एक जच्चा – बच्चा अस्पताल भी अपनी सेवायें दे रहा है। इसके अलावा जनपद मुख्यालय पर कुष्ठ रोग, क्षय रोग (टी.वी.) चिकित्सालय भी है और इस प्रकार दोनों जनपदों में लगभग सभी चिकित्सालयों मे सामान्य श्रेणी की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है।

अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2004–05 तक 15 एलोपेथिक चिकित्सालय, 27 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 37 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 4 यूनानी चिकित्सालय, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 28 परिवार व मातृशिशु कल्याण केन्द्र, 310 परिवार एवं शिशु कल्याण उपकेन्द्र है।

इस प्रकार दोनों जनपदों में चिकित्सालयों की संख्या कम है। साथ ही उसमें कार्यरत डाक्टरों की संख्या भी सन्तोषजनक नहीं है। जिसका परिणाम यह होता है कि यहां के मरीजों को कानपुर, इलाहाबाद, झांसी आदि बड़े शहरों में जाने को मजबूर होना पड़ता है। जनपद मे कुछ निजी अस्पताल भी चलायें जा रहे हैं किन्तु उसमें भी पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

## g. विद्युत सेवा :

अर्थव्यवस्था के सर्वोन्मुखी विकास के लिये विद्युत एक महत्वपूर्ण निवेश है। क्योंकि सिंचाई सुविधाओं का विकास औद्योगिक उत्पादन एंव ढांचागत संसाधनों के सफलतापूर्वक संचालन विद्युत पर ही निर्भर करता है। वर्ष 2004–05 तक जनपद में 871 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। जो कुल आबाद ग्रामों का शतप्रतिशत है। जनपद में वर्ष 2004–05 विद्युतीकृत नगर 8, तथा विद्युती एवं अनुसूचित बस्तियां 533 व विद्युतीकरण से आशोक्ति बस्तियों की संख्या 120 थी।

वर्ष 2003—04 तक दोनों जनपदों में घरेलू प्रकाश एवं लघु विद्युतीय शक्ति 41700 वाणिज्यिक प्रकाश एवं लघु विद्युतीय शक्ति 9230 औद्योगिक विद्युत शक्ति 18500, सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था 3760 कृषि विद्युतीय शक्ति 60400, एवं सार्वजनिक जल—कल व्यवस्था व मल प्रवाह उर्दन हेतु 15190 हजार किलो वाट विद्युत उपभोग हुआ था। इस तरह जनपदों में कुल 148780 हजार किलोवाट घण्टा विद्युत का उपभोग हुआ।

## h. जल आपूर्ति :

**(अ) सिंचाईः—** जनपद बांदा एवं चित्रकूट एक कृषि प्रधान जनपद है। जनपद के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि है जिस कारण सिंचाई के संसाधनों का महत्वपूर्ण स्थान ही खाद्यान्न उत्पादन के लिये आवश्यक है कि सिंचाई के साधन अधिक से अधिक उपलब्ध कराये जायें जिससे कृषि सघनता को बढ़ाया जा सके। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के साधन प्रदेश की तुलना में अत्यन्त कम है। अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, राजकीय नलकूप, व व्यक्तिगत नलकूप हैं।

अध्ययन क्षेत्र मे कुल बोये गये क्षेत्रफल मे सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। वर्ष 2003—2004 में 62.8 प्रतिशत नलकूपों द्वारा 25.5 प्रतिशत तथा शेष तालाब, झील, पोखर आदि के द्वारा किया गया था। अध्ययन क्षेत्र में वर्ष 2004—2005 तक नहरों की कुल लम्बाई 1193 किमी0 तथा राजकीय नलकूपों की संखया 460 तथा व्यक्तिगत नलकूपों की संख्या 13165 थी। वर्तमान समय मे केन्द्र सरकार व राज्य सरकार सिंचाई के लिये जनपद मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा ऋण उपलब्ध करा रही है।

**(ब) पेयजल व्यवस्थाः—** प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत जलतत्व को महत्वपूर्ण माना जाता है। यह समस्त प्राणियों व वनस्पतियों की जीवनदायिनी होती है।

ग्रामीण क्षेत्र मे पेयजल सुविधा हैण्डपम्प, कुंआ, झील एवं नदियों के माध्यम से उपलब्ध है। जनपद के केन, बागै व यमुना नदियों के किनारे गर्मी के मौसम में पानी की विकराल समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके निराकरण हेतु शासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत वर्तमान मे जल आपूर्ति हेतु 660 ग्रामों तथा 8 नगरों को शामिल करते हुये इण्डिया मार्क II हैण्डपम्प लगाकर जलापूर्ति की जा रही है। साथ ही साथ अनुसूचित एवं जनजातीय बस्तियों मे जहां हैण्डपम्प सफल नही हो पा रहे वहां कुयें तथा तालाबों के द्वारा जल संरक्षण के अन्तर्गत जल आपूर्ति की जा रही है।

## i. बैंकिंग व्यवस्थाः

अध्ययन क्षेत्र में विकास कार्य को सफलता पूर्वक संचालन हेतु, कृषि क्षेत्रों मे कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने तथा घरेलू बचतों को प्रोत्साहन करने की दिशा मे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। साथ ही साथ यह बैंक लघु एवं बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। जनपद के ग्रामीण विकास के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को उपलब्ध कराने में बैंक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। बैंकों के योगदान के अभाव में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लक्ष्य प्राप्त नही किये जा सकते, जनपद मे विकास योजनाओं पर होने वाला व्यय केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार के अतिरिक्त बैंकों के माध्यम से प्राप्त बचत के आधार पर ही किया जाता है। जनपद बाँदा का अग्रणी बैंक (लीड बैंक) इलाहाबाद बैंक है।

वर्तमान मे बांदा एवं चित्रकूट जनपद में 39 राष्ट्रीय बैंक, 78 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 15 सहकारी बैंक, 4 सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की शाखायें कार्यरत है। जिनमें चित्रकूट में 10 राष्ट्रीयकृत तथा 29 ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं।

## तालिका १.१७

## जनपद बांदा एवं चित्रकूट में कार्यरत बैंकों की शाखाओं का विवरण-

| क्र०सं० | बैंकों के नाम | शाखाओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | इलाहाबाद बैंक | 27 |
| 2. | सेन्ट्रल बैंक | 03 |
| 3. | स्टेट बैंक आफ इण्डिया | 06 |
| 4. | पंजाब नेशनल बैंक | 01 |
| 5. | तुलसी ग्रामीण बैंक | 78 |
| 6. | जिला सहकारी बैंक | 15 |
| 7. | भूमि विकास बैंक | 04 |
| 8. | बैंक आफ बड़ौदा | 01 |
| 9. | यूनियन बैंक | 01 |
| | **योग** | **136** |

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि जनपद बांदा एवं चित्रकूट में कुल 137 बैंक शाखायें कार्यरत हैं। जिनमें सर्वाधिक शाखायें तुलसी ग्रामीण बैंक की हैं जिनकी कुल संख्या 78 है जो कुल बैंकों का लगभग 57 प्रतिशत है। तथा यदि इसे जनसंख्या की दृष्टि से देखते हैं तो प्रति 16810 व्यक्ति एक शाखा कार्यरत है। जबकि भारत सरकार का लक्ष्य 17000 व्यक्तियों के ऊपर एक बैंक का है।

इस प्रकार जनपद मे कुल 136 बैंक शाखायें कार्य कर रही हैं। वर्ष 2004–2005 तक व्यवसायिक बैंकों मे कुल जमा राशि 8970100 हजार रूपये तथा कुल ऋण वितरण राशि 4854400 हजार रूपये थी जो कुल जमा राशि मे ऋण वितरण का प्रतिशत 56.21 था। जिसमे से 3058400 हजार रूपये कृषि तथा कृषि

जन्य क्रियाओं के लिये व 165400 हजार रूपये लघु उद्योगों के लिये व शेष राशि अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में दिया गया था।[1]

## j. विभिन्न सेवायें:

### (अ) पशुचिकित्सालय:

अध्ययन क्षेत्र मे वर्ष 2004–2005 तक कुल पशुधन 803746 थे, जिनके स्वास्थ्य हेतु 19 पशुचिकित्सालय 05 डी श्रेणी पशुचिकित्सालय 17 पशु सेवा केन्द्र एवं 15 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र थे, जो अपनी सेवायें उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही सरकार पशुओं की खरीद पर ग्रामीण व व्यावसायिक बैंकों के माध्यम से ऋण भी उपलब्ध करा रही है।

### (ब) सहकारिता:

जनपद बाँदा एवं चित्रकूट औद्योगिक रूप से पिछड़ा होने के कारण सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। जिसके लिये आवश्यक है कि प्रारम्भिक ऋण समितियों द्वारा कृषि सम्बन्धी कार्य के लिये मध्यकालीन एवं अल्पकालीन ऋण सहकारिता के माध्यम से वितरित करना चाहिये, अतः सहकारी समितियों को पुर्नगठित करना चाहिये।

वर्ष 2004–2005 तक प्रारम्भिक कृषि समितियां 47 थी जिसमे 86767 सहकारी सदस्य थे। समिति मे पूँजी का स्रोत सदस्यता शुल्क, अंशपूँजी, शासकीय अंशपूँजी जमनती ऋण, जिला सहकारी बैंक से अनुदान एवं अन्य स्रोतों से पूँजी एकत्रित करके अपने सदस्यों को उपलब्ध करायी जाती है।

इन समितियों की अंशपूंजी 1,93,46,000 है तथा कार्यशील पूँजी 13,55,53,000 रूपये है व जमा धनराशि 2,81,9000 रूपये है। इन समितियों के द्वारा 660 ग्राम

स्रोत :1. लीड बैंक अधिकारी बांदा एवं चित्रकूट

अंगीकृत किये गये हैं। जिनमे 7,69,23,000 रूपये अल्पकालिक ऋण दिया गया है।[1]

## (स) सेवायोजनः

जनपद मे एक सेवायोजन कार्याजय स्थापित है जिसमे वर्ष 2004–2005 तक 37055 जीवित अभ्यर्थियों की संख्या थी, तथा वर्ष मे पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 6105 व रोजगार मे लगाये गये अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 05 थी।

## (द) अन्य सुविधायें:–

अध्ययन क्षेत्र के अन्य उपलब्ध सुविधाओं मे पुलिस स्टेशनों की संख्या 14, सस्ते गल्ले की दुकाने 535, बीज विक्रय केन्द्र 12, उर्वरक विक्रय केन्द्र 06, कीटनाशक विक्रय केन्द्र 06, कृषि सेवा केन्द्र 22, नगर पंचायत 08, नगर पालिका परिषद 03, न्याय पंचायते 71, व ग्राम पंचायते 437 है।

## 1.7 बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थायें:

भारत मे वित्त की अल्पकालीन और मध्यकालीन आवश्यकतायें ग्रामीण साहूकारों, सहकारी साख समितियों तथा सरकार से उधार लेकर पूरी की जाती है। दीर्घकालीन वित्त की पूर्ति सामान्यतः साहूकारों तथा भूमि विकास बैंकों से की जाती है। **ग्रामीण साख सर्वेक्षण** के अध्ययन के अनुसार कृषकों, के अधिकांश वित्त की व्यवस्था, गैर संस्थागत स्रोत से होती थी। मूल रूप से पेशेवर, महाजन, या सम्पन्न कृषक उस श्रेणी मे आने थे, और सम्पूर्ण प्रदत्त धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत भाग इन्ही गैर संस्थागत अभिकरणो द्वारा दिया जाता था। सम्पूर्ण प्रदत्त धनराशि मे सहकारी साख का अंश केवल 3.3 प्रतिशत और व्यापारिक बैंक का अंश केवल 0.9 प्रतिशत था। इस प्रकार **१९५४ मे ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति** द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से स्पष्ट था कि गैर संस्थागत अथवा व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा दिया

स्रोत– जिला सेवायोजन कार्यालय बाँदा

जाने वाला ऋण भले ही इसकी पूर्ति किसान को अपने चंगुल मे दबोच लेने वाली और भविष्य की पीढी को भी प्रभावित करने वाली थी। कृषि वित्त के सभी स्रोतों तथा ग्रामीण क्षेत्र के साहूकारों, व्यापारी बैंक व राजकीय प्रणाली द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की संरचना मे आधारभूत परिवर्तन हुआ है। तथा नियोजन के पूर्ण जैसा कि **अखिल भारतीय सर्वेक्षण समिति** ने अनुमान लगाया था कि कुल प्रदत्त धनराशि का लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण व्यक्तिगत अभिकरणों द्वारा दिया जाता है। अब धीरे–धीरे सहकारी तथा राजकीय संस्थाओं द्वारा दिये जाने वाले ऋण का प्रतिशत बढ़ रहा है। और गैर संस्थागत व्यक्तिगत अभिकरणों का योगदान कम हो रहा है।

वित्त के स्रोतों को प्रमुख रूप से दो वर्गों मे बांट सकते हैं–

a. गैर संस्थागत स्रोत

b. संस्थागत स्रोत

## a. गैर संस्थागत स्रोत

गैर संस्थागत स्रोत के अन्तर्गत ग्रामीण साहूकार, व्यापारी एवं कमीशन एजेण्ट तथा रिश्तेदार आते हैं।

### (अ) ग्रामीण साहूकारः

साहूकार या महाजन वह व्यक्ति है जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण देता है। ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति ने ग्रामीण साहूकारों को दो वर्गों मे विभाजित किया है प्रथम– कृषक साहूकार या महाजन द्वितीय–व्यावसायिक साहूकार या महाजन।

कृषक साहूकार वह व्यक्ति होते हैं जो प्रमुख रूप से कृषि कार्य करते हैं । लेकिन धनवान होने के कारण कृषि के साथ–साथ धन उधार देने का व्यवसाय

सहायक व्यवसाय के रूप मे करते हैं। जबकि व्यावसायिक साहूकार वह व्यक्ति होते हैं। जिनका मुख्य व्यवसाय ही उधार ऋण देना है।

## कार्य प्रणाली:

इन साहूकारों के कार्य करने के ढंग सरल होते हैं। यह अल्पकालीन एवं मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन तीनों प्रकार के ऋण देते हैं। यह ऋण जमानत लेकर तथा बिना जमानत दोनो प्रकार से दिये जाते हैं, इनकी विशेषता यह है कि यह शीघ्रता से तथा आवश्यकता के समय ऋण देते हैं।

## लोकप्रिय होने के कारण:

ये साहूकार अपने–2 क्षेत्रों मे लोकप्रिय होते हैं। जिनके प्रमुख कारण निम्न है।

1. ये उत्पादक तथा अनुपादक दोनों की उद्देश्यों के लिये ऋण प्रदान करते हैं।
2. यह अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन तीनों ही श्रेणियों के लिये ऋण प्रदान करते हैं।
3. इनकी ऋण प्रदान करने की पद्धति सरल होती है।
4. इनसे सम्पर्क करना अत्यन्त सरल है।
5. यह हर समय ऋण देने को तैयार रहते हैं।
6. यह बिना जमानत के भी ऋण प्रदान करते हैं।
7. यदि इनको ब्याज समय पर मिलता है तो मूल ऋण वापसी पर जोर नहीं देते।

अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति के अनुसार इन साहूकारों का कृषि वित्त में महत्वपूर्ण स्थान है, विशेषकर संस्थागत वित्त में इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। किन्तु सुविधा व सेवा जो पूर्णतया शोषण पर आधारित हो किसी भी समाज में मान्य नहीं होना चाहिये, इन सबके बावजूद 1951–52 में कृषि साख में इनका योगदान लगभग .75 प्रतिशत था जो 1961–62 मे घटकर 61 प्रतिशत एवं

1981 में 26.9 प्रतिशत तथा वर्तमान में लगभग 23.7 प्रतिशत रह गया है।

भारत में साहूकार लोकप्रिय होते हुये बदलाव भी हुये है जिसके प्रमुख कारण निम्न है।

1. इनके द्वारा बहुत अधिक दर से ब्याज ली जाती है जो सामान्यतः 18 प्रतिशत से लेकर 36 प्रतिशत तक होती है। कभी कभी यह 60 प्रतिशत तक ब्याज लेते हैं।

2. अशिक्षित किसानो से यह मनमानी राशि पर अंगूठा निशान लगवाकर हिसाब किताब में बेईमानी करते हैं।

3. साहूकार ऋण देते समय ऋणी से आने वाली फसल को स्वयं को बेचने का अनुबन्ध कर लेता है। इससे ऋणी को हानि होती है।

4. साहूकार अपने ऋणी से बहुत से कार्य मुफ्त करवाते हैं।

उपर्युक्त दोषों के कारण बम्बई की किम जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। कि साहूकारों के लेन–देन का ढंग इस प्रकार का है कि एक बार उनसे ऋण लेने पर छुटकारा पाना कठिन है।''[1]

अतः सरकार ने इस पर नियन्त्रण लगा दिये हैं। जिसके अनुसार प्रत्येक साहूकार को इस प्रकार का व्यवसाय करने से पूर्व रिजर्व बैंक से अनुमति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है।

## (ब) व्यापारी एवं कमीशन एजेन्टः

यह व्यापारी व कमीशन एजेण्ट भी किसानों के साख की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। यह उत्पादन कार्यो के लिये भी ऋण प्रदान करते हैं किन्तु इनका दोष यह है कि यह किसानों की कम मूल्य पर फसल को बेचनें को बाध्य करते हैं इनके बदले वे अधिक कमीशन वसूल करते हैं। इस प्रकार के साख ये कुछ विशिष्ट फसलों जैसे तम्बाकू, मूंगफली एवं फल के लिये ही प्रदान करते हैं इन व्यापारियों

एवं एजेण्टो की कार्य प्रणाली साहूकारों या महाजनों जैसी ही होती है। यह भी शोषण की प्रक्रिया को ही अपनाते हैं।

### (स) रिश्तेदारः

ग्रामीण क्षेत्र मे किसान आवश्यकता पड़ने पर अपने नाते रिश्तोंदारों से नकद या वस्तुओं के रूप में उधार प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की साख आपसी सम्बन्धों के आधार पर अनौपचारिक रूप से दिये जाते हैं। रिश्तेदारों द्वारा लिये गये साख पर ब्याज की दर या तो होती ही नहीं और अगर होती है तो बहुत नीची। ऐसे साख प्रायः अल्पकालीन होते हैं।

## b. संस्थागत स्रोतः

संस्थागत स्रोतों मे निम्न साख संस्थाओं को शामिल किया जाता है।

### (अ). सहकारी साख संस्थायें:

भारत में सहकारी साख संस्थाओं का प्रारम्भ 1904 के "सहकारी साख समिति एक्ट" से हुआ और आजकल यह कृषि वित्त में अच्छा योगदान दे रहा है। यहां ये संस्थायें तीन स्तरों पर पायी जाती हैं।

ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी समितियां, जिला स्तर पर जिला सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। यह संस्थायें अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण सुविधा प्रदान करती हैं। इस समय देश में लगभग 91000 प्राथमिक समितियां 363 केन्द्रीय व जिला सहकारी बैंक, 28 राज्य सहकारी बैंक कार्य कर रही हैं।[1] जनपद बांदा में 11 जिला सहकारी बैंक तथा 46 प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां कार्य कर रही हैं। जिनके द्वारा वर्ष 2003–04 तक 506438 हजार रूपये ऋण के रूप में वितरित किया गया जिनमें से अल्पकालीन ऋण 62464 हजार रूपये तथा मध्यकालीन ऋण 183757 हजार रूपये था।[2]

स्रोतः– 1. मुद्रा एवं बैंकिंग पेज नं० 145

2. प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक बांदा

## (ब). भूमि विकास बैंक:

भारत में दीर्घाकालीन कृषि वित्त प्रदान करने के लिये इस प्रकार की बैक की स्थापना सर्वप्रथम 1929 में मद्रास में की गयी। यह बैंक कृषक की भूमि को बंधक रखकर ऋण सुविधा प्रदान करती है। यह ऋण लम्बी अवधि के लिये कुंआ खुदवाने, पम्पिंग सेट लगवाने, खेती सम्बन्धी यंत्र व ट्रैक्टर खरीदने आदि के लिये दिये जाते हैं। इन बैंको का कृषि साख में योगदान प्रारम्भ में बहुत की कम रहा है। परन्तु धीरे–2 बढ़ने की प्रवृत्ति पायी गयी। 1950–51 में पांच भूमि विकास बैंक थे। जो 1986 में बढ़कर 19 एवं वर्तमान में 20 हो गयी है। यह भूमि विकास बैंक अधिकांशतः तमिलनाडू, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक में केन्द्रित है।[1] इन बैंको की साख सुविधाओं एवं सेवाओं का लाभ बड़े किसानों को ही प्राप्त हुआ है। छोटे किसान एक ओर अपनी अज्ञानता के कारण इनकी लाभदायकता से अपरिचित रहे। वहीं दूसरी ओर जोतों को आकार छोटा होने के कारण भी इनसे लाभ नहीं प्राप्त कर सके। क्योंकि ये बैंक भूमि की प्रतिभूति पर साख प्रदान करते हैं। जिसका छोटे किसानों के पास अभाव होता है। **वर्तमान समय में इसे सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है।** तथा इनका गठन प्राथमिक एवं राज्य स्तर पर किया जाता है।

जनपद बांदा में इनकी तीन शाखायें कार्यरत हैं, जिनके द्वारा वर्ष 2003–04 में 16185 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया।[2]

## (स). व्यापारिक बैंक:

1951–52 में अखिल भारतीय स्तर में कृषि वित्त हेतु व्यापारिक बैंकों का योगदान लगभग नगण्य था। लेकिन अब व्यापारिक बैंकों का योगदान बढ़ रहा है। विभिन्न राष्ट्रीयकृत व्यापारिक बैंक प्रत्यक्ष वित्त उपलब्ध कराने के अतिरिक्त

**स्रोत– 1. भारतीय अर्थव्यवस्था–डॉ0 जगदीश नारायण मिश्रा, पेज नं0 405**
**2. लीड बैंक अधिकारी बांदा व चित्रकूट जनपद**

कृषि विकास को प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह कृषकों को उर्वरक खरीदने, पम्पिंग सेट तथा अन्य उपकरण खरीदने के लिये ऋण तो प्रदान कर ही रहे हैं। साथ ही साथ कृषि यंत्रों उर्वरकों आदि के निर्माण हेतु भी ऋण दे रही है। जो परोक्षतः कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है।

2004–05 तक जनपद में 28 राष्ट्रीकृत बैंक शाखायें कार्यरत थीं, जिनमें कुल 6172800 हजार रूपये जमा धनराशि के रूप में तथा 3125900 हजार रूपये ऋण वितरण की राशि के रूप में वितरित की गयी जो कुल जमा का लगभग 50.64 प्रतिशत है।

## (द). स्टेट बैंक आफ इण्डिया

भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी स्थापना के समय से ही ग्रामीण एवं कृषि वित्त उपलब्ध कराने का भरपूर प्रयास किया जिसके परिणाम स्वरूप यह निम्न प्रकार की सेवायें दे रहा है।

**1.** जिन स्थानों पर केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है या सहकारी समितियां ऋण सुविधा देने में असमर्थ हैं वहां यह बैंक सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष ऋण देती हैं।

**2.** यह बैंक सहकारी बैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान में धन भेजने मे निःशुल्क सुविधा प्रदान करती है।

**3.** यह गोदामों को बनाने के लिये ऋण सुविधा देती हैं।

**4.** यह भूमि बंधक बैंकों के ऋण पत्रों को खरीद कर इनकी सहायता करती हैं।

**5.** यह कृषकों को ट्रैक्टर व अन्य कृषि यंत्रों को क्रय करने एवं सिंचाई के लिये पम्पिंग सेट क्रय करने के लिये ऋण प्रदान करता है। यह बैंक केन्द्रीय व राज्य सरकार की खरीद पर ऋण प्रदान करता है।

**6.** यह ग्रामीण क्षेत्रों मे अपनी शाखायें खोलकर कृषि वित्त के लिये प्रत्यक्ष रूप से

ऋण देने का प्रयास कर रही हैं।

भारतीय स्टेट बैंक ने **"एक गांव अंगीकृत योजना"** आरम्भ की है। इसके अन्तर्गत गोद लिये गये गांव के सभी किसानों की वित्तीय सुविधायें प्रदान करना है।

30 सितम्बर 2005 तक स्टेट बैंक की चुकता अंश पूंजी 526.30 करोड़ रूपये थी, जिसमें रिजर्व बैंक की भागेदारी 59.73 प्रतिशत तथा सरकार की भागीदारी शून्य थी तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात 11.30 प्रतिशत था।

## (य). क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकः

1 जुलाई 1975 को घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित किये जायें। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य यह हो कि देहातों में कृषि एवं (अनाज) उत्पादन में वृद्धि के लिये साख सुविधाओं में वृद्धि की जाय यह बैंक विशेष रूप से छोटे तथा समीान्त किसानों तथा खेतिहर मजदूर, देहाती कारीगरों तथा छोटे किसानों को अलग–अलग राष्ट्रीकृत अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रायोजित किया गया है।

प्रत्येक ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये तथा चुकता पूंजी 25 लाख रूपये निर्धारित की गयी। मार्च 1990 तक भारत सरकार की मंजूरी से 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 194 बैंकों की चुकता पूंजी बढ़ाकर 50 करोड़ रूपये हो गयी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर गठित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों की निगमित अंश पूंजी को बढ़ाकर एक करोड़ रूपये कर दिया गया।[1]

मार्च 2003 के अन्त तक 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमा राशि 48346 करोड़ रूपये थी। तथा इनके द्वारा दिये गये बकाया ऋण की राशि 21773 करोड़ रूपये थी। एवं इनकी गैर निष्पादक अस्तियों का अनुपात मार्च 1996 में 43.01 प्रतिशत से गिरकर मार्च 1998 में 32.8 प्रतिशत तथा मार्च 2002 के अन्त में 16.1 प्रतिशत ही रह गया।[2]

**स्रोतः– 1. प्रबन्धक जिला सहकारी कृषि एवं ग्राम विकास बैंक–बांदा**

**स्रोतः– मुद्रा एवं बैंकिंग – टी.टी. सेठी पेज नं0 206**

जनपद बांदा मे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 49 शाखायें एवं पड़ोसी जनपद चित्रकूट में 29 शाखायें कार्यरत हैं। इस तरह जनपद बांदा में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो तुलसी ग्रामीण बैंक के नाम से है। वह अपने द्वारा दो जनपदों को अधिगृहीत किये है। जिसमें कुल जमा 2004–05 तक 3623804 हजार रूप्ये था। एवं इसके द्वारा दिया गया उधार एवं ऋण अवशेष 2208350 हजार रूपये था।

## (र). राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकः

देश के कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वृद्धि करने तथा सकल वित्तीय संस्थाओं के कार्यो में समन्वय करने के लिये एक राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैक स्थापित करने का निर्णय दिसम्बर 1979 में तत्कालीन प्रध ाानमंत्री स्व0 श्री चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया, जिसको बाद में श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार द्वारा साकार रूप दिया गया।

### स्थापना :

राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक 12 जुलाई 1982 को स्थापित किया गया, जिसने 15 जुलाई 1982 मे कृषि एवं ग्रामीण आवश्यकताओं के लिये एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

### पूंजी :

इस बैंक की अधिकृत पूंजी 500 करोड़ रूपये है। जिसे अगले पांच वर्षो में 2000 करोड़ रूपये करने का लक्ष्य है। वर्तमान में इसकी पूंजी 330 करोड़ रूपये है। जिसे रिजर्व बैंक व केन्द्रीय सरकार ने बराबर मात्रा में दिया है।

### कार्य :

इस बैंक को वह सभी कार्य दिये गये जो रिजर्व बैंक के कृषि साख विभाग द्वारा किये जाते थे। यह बैंक कृषि साख को एक हाते के नीचे लायेगी और

अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करेगी। जिस प्रकार औद्योगिक विकास के लिये औद्योगिक विकास बैंक है। उसी प्रकार कृषि विकास के लिये यह बैंक सर्वोच्च बैंक होगा। जो सभी एजेन्सियों के कार्यो में समन्वय करते हुये कृषि साख का विस्तार करेगी।

इस बैंक को कृषि पुर्नवित्त विकास के वह सभी कार्य सौंप दिये गये हैं। जो यह निगम करता था। इसी प्रकार राष्ट्रीय कृषि दीर्घकालीन कोष व राष्ट्रीय कृषि साख (स्थानीकरण) कोष भी रिजर्व बैंक ने इसको हस्तांतरित कर दिये हैं। यह बैंक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बांड या ऋण पत्र जारी कर सकती है। जिसपर केन्द्रीय सरकार की मूलधन व ब्याज वापसी की गारण्टी होगी। यह बैंक कृषि के संदर्भ में सभी प्रकार की साख की व्यवस्था करेगी, जैसे उत्पादन व विपणन , राज्य सरकारों को ऐसी ही संस्थाओं के पूंजी लाभ के ऋण।

## क्रियायें :

इस बैंक ने पहले ही वर्ष से प्रशंसनीय कार्य किया तथा 1997–98 में सहकारी बैंकों को 10866 करोड़ रूपये की पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान की जबकि इससे पूर्व के वर्षो में इसने इस प्रकार 8984 करोड़ रूपये की पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की थी।[1]

**स्रोत:– 1. मुद्रा एवं बैंकिंग– टी.टी. सेठी पेज नं0 212**

# अध्याय – 2

## अनुसंधान प्रक्रिया

# अध्याय–2

## 2.1– अनुसंधान प्रक्रिया

अनुसंधान प्रक्रिया केवल समस्या को ढूंढने, चयन करने सम्बन्धित साहित्य को संकलन करने, उपकल्पनाओं व परवर्तियों को निर्धारण आदि करने की क्रिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि अनुसंधान के प्रश्नों का सही उत्तर या हल ढूंढने की क्रिया भी सम्मिलित है। अनुसंधान प्रक्रिया जब ही वैज्ञानिक होगी जबकि उसे अधिक से अधिक नियन्त्रण किया जावे। इसके लिये केवल यही आवश्यक नहीं है कि हम समस्या से सम्बन्धित वस्तुओं या व्यक्तियों का निरीक्षण करे उन निरीक्षणों का वर्गीकरण करे, जो वर्गीकृत सामग्री है। उसका विश्लेषण करे बल्कि यह अति आवश्यक है कि अनुसंधान के प्रत्येक पद या चरण पर योजनानुसार नियन्त्रण करें किसी भी अनुसंधान के लिये रीति विधान व अभिकल्प दोनों महत्वपूर्ण पक्ष हैं। रीति विधान अभिकल्प की अपेक्षा अधिक व्यापक होता है। अभिकल्प के अतीत जहाँ अनुसंधान समस्या से सम्बन्धित निर्मित उपकल्पनाओं का पूर्व मूल्यांकन किया जाता है। वहाँ रीति विधान के अन्तर्गत उपकल्पनाओं का पूर्ण मूल्याकंन तो होता ही है। साथ ही साथ उन विधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है जिनसे कि अनुसंधान से सम्बन्धित तथ्यात्मक सामग्री एकत्रित की जाती है। **एक बड़े सरल उदाहरण द्वारा इन दोनों प्रत्ययों को समझा जा सकता है। मान लीजिये हमें मकान बनाने की समस्या है इस समस्या के समाधान के लिये सर्वप्रथम हमें भूमि का चयन करना पड़ेगा यह निर्धारण करना पड़ेगा कि वह भूमि कितनी लम्बी चौड़ी है। हमारी आवश्यकतानुसार है या नहीं इसके उपरान्त हम भवन निर्माण की बात सोचेंगे। भवन निर्माण से पूर्व भवन का नक्शा बनवाया जाता है जिसमें इस बात का पूर्व मूल्यांकन होता है कि भवन मे कितने कमरे होंगे, दरबाजे व खिड़िकियां कहाँ–/**

**होंगे। जीना किधर से होगा आदि–आदि।** अनुसंधान के लिये ठीक इसी प्रकार का नक्शा बनाना अभिकल्प है। परन्तु जब इस नक्शे को आवश्यकतानुसार मूल्यांकन किया जाता है तथा साथ ही साथ निर्माण योजना का भी परीक्षण किया जाता है तब उसे रीति विधान कहते हैं। किसी भी अनुसंधन के लिये यह प्रक्रिया आवश्यक होती है।

सरल शब्दों में अभिकल्प का अर्थ योजनानुसार कार्य करके सम्पूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया पर नियन्त्रित करता है। योजना के अन्तर्गत अनुसंधान के समस्त कार्यक्रम आते हैं। योजना सम्भावतः काफी व्यापक शब्द है जिसने उपकल्पनाओं के लेखन से लेकर तथ्यों के विश्लेषण तक की सभी बातें सम्मिलित होती हैं अनुसंधान संरचना अधिक विशिष्ट प्रकृति की होती है यह वह रूप रेखा होती है जिसके अन्तर्गत दो बाते आती हैं प्रथम योजना, – द्वितीय – पूवर्तियों का आचरण अनुसंधान व्यूह रचना योजना से बहुत अधिक विशिष्ट होती है इसके अन्तर्गत वह विधियां आती हैं जिनके उपयोग से तथ्यों का संकलन व विश्लेषण किया जाता है इस प्रकार अनुसंधान अभिकल्प में निम्न तथ्य मुख्य रूप से सम्मिलित होते हैं।

1. ऐसी योजना प्रस्तुत करना जिससे कि अनुसंधान प्रक्रिया में उठाये गये प्रश्नों का समाधान हो सके।
2. परवर्तियों (Variables) पर नियन्त्रण करने की योजना।
3. निर्मित उपकल्पनाओं के परीक्षण के लिये उपर्युक्त विधियों का चयन।
4. विधियों का चयन इस प्रकार होना चाहिये कि तथ्यों का संकलन व विश्लेषण दोनों सम्भव हो।

अनुसंधान अभिकल्प के दो मूल उद्देश्य होते हैं।

1. अनुसंधान में उठाये गये प्रश्नों के उत्तर को जुटाना।

2. प्रशरण का नियन्त्रण करना (To Cant Rol Variance)

यहाँ यह स्वभाविक है कि अनुसंधान अभिकल्प स्वयं इन उद्देश्यों की परिपूर्ति नहीं करती बल्कि खोजकर्ता को स्वयं इन उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। अभिकल्प एक तरफ खोजकर्ता को अनुसंधान के प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में सहायता प्रदान करती है तो दूसरी तरफ अध्ययन के दौरान एक विशेष समस्या से सम्बन्धित प्रयोगात्मक वाह्य एवं त्रुटि प्रशरण के नियन्त्रण में सहायता भी पहुंचाती है। इस प्रकार अनुसंधान अभिकल्प का मुख्य उद्देश्य प्रसरणों का नियन्त्रण करना है प्रसरणों का नियन्त्रण तीन प्रकार से होता है।

**a-** प्रयोगात्मक प्रसरण का अतिशयन

**b-**वाह्य प्रसरणों का नियन्त्रण

**c-**त्रुटि प्रसरण का न्यनीकरण

अनुसंधान अभिकल्प शोधकर्ता को अनुसंधान प्रश्नों के उत्तरों को यथा संभव वैद्य, वस्तुगता, शुद्ध व मितव्ययी बनाने में सहायता प्रदान करता है। शोध के अन्तर्गत ही यह क्षमता निहित रहती कि अनुसंधान प्रश्नों के लिये तथ्यात्मक प्रमाण एकत्रित करे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अनुसंधान समस्या को एक उपकल्पना के रूप में व्यक्त किया जाता है। कभी–2 अनुसंधान समस्या को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि उसका यथार्थ परीक्षण (Empirical Testing) सम्भव है। तथ्यात्मक प्रमाण जो कि स्वभावतः उपकाल्पनिक या सम्भावनामूलक रूप मे व्यक्त होते हैं। इनमें ही परिवर्ती के पारस्परिक सम्बन्ध निहित होते हैं तथा अभिकल्प वास्तव में इन्ही परवर्तियो के सम्बन्धी के उचित परीक्षण (Adequate

Testing) के लिये उचित भूमिका तैयार करती है। एक अर्थ में अभिकल्प यह बताती है कि कौन से निरीक्षण करने हैं, कैसे उन्हें करें तथा निरीक्षणों का किस प्रकार विश्लेषण करे कि वे मात्रात्मक रूप में अभिकल्प संक्षिप्त रूप में यह नहीं कहती कि हमें क्या करना है बल्कि निरीक्षण करने एवं विश्लेषण करने की दिशा में निर्देशों को सलाह के रूप में प्रस्तुत करती है। एक समृद्ध अभिकल्प में निम्न प्रश्नों पर विचार किया जाता है।

1. कितनी संख्या में अवलोकन करने होंगे?
2. कौन–2 से परिवर्ती सक्रिय होंगे और कौन–2 से नियोजित होंगे?
3. कौन से प्रकार की सम्बन्धीय विश्लेषण का प्रयोग किया जायेगा?
4. सांख्यकीय विश्लेषण से सम्भावित निष्कर्ष कौन से निकलेंगे?

किसी भी अनुसंधान हेतु जब समस्या का चयन उचित रूप से कर लिया जाता है तो उस समस्या के समाधान के लिये अनुसंधानकर्ता प्रयास प्रारम्भ कर देता है वह समस्या समाधान के लिये उचित मार्ग की खोज करता है तथा इसके लिये उसे एक आदर्श अभिकल्प का निर्माण करना होता है। आदर्श अभिकल्प से आशय चयनित समस्या का उचित रूप से समाधान करना होता है। आदर्श अभिकल्प ही अनुसंधान प्रक्रिया का गुणात्मक मापदण्ड तथा इसी को आधार मानकर अनुसंधान की व्यवहारिक प्रक्रिया का मूल्यांकन करना सम्भव होता है। इस प्रकार आदर्श अनुसंधान प्रक्रिया की नींव होता है। जितने प्रभावकारी परिस्थितियों, प्रविधियों व्यक्ति तथा व्यवहार को लिया जाता है इसके अन्तर्गत निम्नलिखित चार बातों पर मुख्य रूप से बल दिया जाता है।

1. किस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का अवलोकन करना है।

2. अवलोकनी पर परिस्थितिया कौन सी हैं।

3. कौन से अवलोकन उद्दीपरक हैं।

4. कौन–2 सी अवलोकन प्रक्रियायें हैं।

उपर्युक्त चारों तथ्यों में से प्रथम तीन स्वतंत्र परवर्ती तत्व हैं परन्तु अवलोकनीय प्रक्रियायें आश्रित परवर्ती तत्व होते हैं। अभिकल्प को अनुसंधान की प्रतीकात्मक संरचना कहा गया है क्योंकि इसके द्वारा अनुसंधान के सैद्धान्तिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है तथा व्यवहारिक उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा निर्धारित होती है। अभिकल्प का मुख्य आधार उपरोक्त चार तत्वों पर ही आधारित होता है जिन्हें अभिकल्प प्रत्यय की संज्ञा दी जाती है। इन प्रत्ययों को निश्चित करने के लिये उनकी उचित रूप से परिभाषित करना पड़ता है जिसमें दो बातें विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती हैं।

प्रथम– अवलोकनीय व्यक्ति, परिस्थिति, उद्दीयपरक एवं प्रक्रिया के चयन के लिये उचित कसौटी का निर्धारण

द्वितीय– ऐसे सिद्धान्त को ढूंढना जो प्रत्ययों को उचित रूप से परिभाषित करने पर सहायता प्रदान कर सके।

अनुसंधानकर्ता को इस दिशा में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। प्रत्यय चयन के लिये अनुसंधानकर्ता ऐसे तत्वों या प्रभाव को ढूंढता है जो प्रत्यक्ष रूप से मूल अनुसंधान समस्या के समाधान में सहायक हो इसके लिये अनुसंधानकर्ता सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण, गत अनुसंधान का अनुभव, शोधरत व्यक्तियों से विचार–विमर्श आदि पर्याप्त सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार प्रत्यय चयन की समस्या को अनुसंधानकर्ता काफी सीमा तक समाधान कर लेते हैं।

## 2.1 शोध अध्ययन विधि

किसी भी विषय के शोध का उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति व ज्ञान की वृद्धि होता है लेकिन किसी भी विषय के ज्ञान की प्राप्ति मनमाने ढंग से सम्भव नहीं होती। ज्ञान की प्राप्ति वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा ही सम्भव होती है। ये पद्धतियां तर्क पर आधारित हो सकती और प्रयोग पर भी **परन्तु इनका चुनाव शोध के उद्देश्य, शोध अध्ययन विषय की प्रकृति तथा शोध अध्ययन केन्द्र पर निर्भर करता है।** प्रायः एकाधिक पद्धतियों का उपयोग एक साथ किया जाता है मोटे तौर पर इन पद्धतियों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं।

### 1.गुणात्मक पद्धतियां–

सामाजिक घटनायें अधिकतर अमूर्त एवं गुणात्मक होती हैं। अतः इनके अध्ययन के लिये प्रचीनकाल से ही गुणात्मक पद्धतियों का प्रयोग होता रहा है गुणात्मक पद्धतियों का आधार तर्कशास्त्र होता है तर्कशास्त्र पद्धति के आधार पर अमूर्त तथा गुणात्मक घटनाओं का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जिसमें विवरणात्मक साक्षात्कार, व्यक्तिगत जीवन का अध्ययन और निरीक्षण जैसे तत्व सम्मिलित होते हैं। **विवरणात्मक** सक्षात्कार पद्धति में अनुसंधानतो अध्ययन से सम्बन्धित व्यक्तियों (इकाईयों) से भेट करके उनसे उस विषय अपने अनुभव, भावनाओं, विचारों, क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं के सन्दर्भ में एक विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया जाता है। विवरणों में पायी जाने वाली सम्भावनाओं एवं असमानताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। **व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति से शोध विषय से सम्बन्धित कुछ विशिष्ट इकाईयों का चयन कर लिया जाता है** जिनका विस्तृत अध्ययन करके तथ्यों का संकलन किया जाता है और फिर उन तथ्यों में पायी जाने वाली समानताओं तथा असमानताओं के अधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निरीक्षण

पद्धति में शोध विषय के सम्बन्ध में कानों से सुनकर तथा आंखों से देखकर विभिन्न तथ्यों का गुणात्मक विवरण जानने का प्रत्यत्न किया जाता है। अनुसंधान में इन तीनों पद्धतियों का व्यापक प्रयोग होता है।

### 2.परिमाणत्मक पद्धतियां–

इन पद्धतियों का प्रयोग उन समस्याओं का अध्ययन करने में किया जाता है जिनको संख्यात्मक रूप में व्यक्त करना या मापना सम्भव होता है। समस्याओं की माप दो प्रकार से की जाती है। प्रथम–प्रत्यक्ष माप सांख्यकीय पद्धति द्वारा की जाती है। द्वितीय– जिन समस्याओं की प्रत्यक्ष माप सम्भव नहीं होती है उनकी अप्रत्यक्ष माप की जाती है।

### 3. पुस्तकालय पद्धति–

इस पद्धति मे पुस्तकालयों में विद्यमान पुस्तकों, ग्रन्थों, पत्र–पत्रिकाओं तथा अन्य प्रकाशित व अप्रकाशित सामग्री की सहायता से अनुसंधान कार्य किया जाता है। जिसे ऐतिहासिक पद्धति कहते हैं विभिन्न ग्रन्थों की सहायता से यह पता चलता है कि एक विशेष प्रकार की सामाजिक/आर्थिक घटना किस समय और किन परिस्थितियों में सम्भव हो सकी है और उस समय या उन परिस्थितियों में परिवर्तन होने के फल स्वरूप उस विशिष्ट समाजिक आर्थिक घटना में किस प्रकार के परिवर्तन होते गये इस प्रकार ग्रन्थों में संकलित सात श्रृंखला नवीन शोधकार्यो के लिये एक ठोस अधार प्रदान करते हुये ज्ञान क्रम विकास में अत्यन्त आवश्यक सिद्ध होती हैं।

### 4. अध्ययन स्थल में जाकर अध्ययन करने की पद्धति–

पुस्तकालय पद्धति पर पूर्ण निर्भर रहकर उसकी सहायता से विषय के सम्बन्ध में आवश्यक ज्ञान प्राप्त कर अपने के सैद्धान्तिक तौर पर प्रस्तुत कर शोधकर्ता शोध

स्थल पर स्वयं जाकर वास्तविक निरीक्षण/साक्षात्कार आदि के द्वारा तथ्यों का संकलन करता है और उसी के अधार पर निष्कर्ष निकालता है सामाजिक/आर्थिक समस्याओं के अध्ययन हेतु इस पद्धति की लोकप्रियता दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

## 5. प्रयोगात्मक पद्धति–

इस पद्धति के किन्हीं निश्चित सिद्धान्तों अथवा दशाओं के अन्तर्गत अध्ययन विषय को रखकर उसका अध्ययन करना पड़ता है। अध्ययन के दौरान विषय पर किसी प्रकार का वाह्‌य प्रभाव पड़ने नहीं दिया जाता और जैसा वह है उसी रूप में उसका अध्ययन कर लिया जाता है। इसके अन्तर्गत दो समान्य तरह के समूहों को चुन लिया जाता है और उनमें से एक पर नियन्त्रण रखकर, दूसरे में एक कारक उत्पन्न करके उसके परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों को देखा जाता है। अब यदि प्रथम समूह से दूसरा समूह भिन्न सिद्ध होता है तो उसका कारण वह कारक है यह मान लिया जाता है।

## 6. तुलानात्मक पद्धति–

इस पद्धति के अन्तर्गत सर्वप्रथम विभिन्न सम्प्रदायों, वर्ग व्यवस्थाओं, रीति रिवाजों आदि के विषय पर अलग–2 अध्ययन किया जाता है और फिर उनमें पाये जाने वाले समान्य तथ्यों को छांट कर उनके आधार पर सामान्य निष्कर्ष निकाल जाते हैं। यदि विभिन्न सामाजिक/आर्थिक घटनाओं से सम्बन्धित तथ्यों को सावधानी से संकलित किया जाये उनका उचित ढंग से वर्गीकरण किया जाये और उनमें पायी जाने वाली समानताओं और असमानताओं वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषित किया जाये तो सामाजिक/आर्थिक घटनाओं के कार्यकरण सम्बन्धों को तथा उनसे सम्बन्ध समान्यता नियमों को ढूंढा (खोजा) जा सकता है।

प्रयुक्त शोध अध्ययन – **"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन" (तुलसी ग्रामीण बैंक के विशेष संदर्भ में)** में उपर्युक्त पद्धतियों में से गुणात्मक पद्धति, परिमाणात्मक पद्धति, पुस्तकालय पद्धति तथा अध्ययन स्थल में जाकर अध्ययन करने की पद्धति का प्रयोग किया गया है। जिसमें प्राथमिक एवं द्वितीयक संमकों के आधार पर समस्या से सम्बन्धित निष्कर्ष निकाले गये हैं। प्राथमिक संमको के लिये व्यक्तिगत सर्वेक्षण, पद्धति का प्रयोग करते हुये सामग्री एवं सूचनाओं का संकलन किया गया है।

## (अ) प्राथमिक संमकों का संकलन

प्रस्तुत शोध अध्ययन मे प्राथमिक संमको का संकलन प्रश्नावली एवं अनुसूची के आधार पर किया गया है। अनुसंधान से सम्बन्धित सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु एक प्रश्नावली एवं अनुसूची सावधानी पूर्वक तैयार की गई है जिसको चयनित इकाईयों से व्यक्तिगत सम्पर्क करते हुये सूचनाऐं प्राप्त की गई हैं।

सामाजिक/आर्थिक सर्वेक्षण एक गम्भीर उत्तरदायी पूर्ण कार्य होता है। इस कर्तव्य का पालन मनमाने ढंग से सर्वेक्षण कार्य करके नहीं किया जा सकता है। इसके लिये सुनियोजित आयोजन की आवश्यकता होती है। **श्री पार्टन** ने सच ही लिखा है "कि किसी सर्वेक्षण कि योजना संगठन तथा संचालन किसी व्यापार को चलाने के अनुसार है। इसके लिये विशेष लगन, चतुराई, प्रबन्धकीय योजना विशेष अनुभव अथवा उसी प्रकार के कार्य का प्रशिक्षण आवश्यक होता है। आरम्भ से अन्त तक सर्वेक्षण की सावधानी के साथ योजना बनाने पर ही उससे प्राप्त फलों पर विश्वास किया जा सकता है। और ऐसी दशा में ही निष्कर्ष प्रकाशन के योग्य स्थिति तक पहुंच सकते हैं।" सामाजिक/आर्थिक घटनायें अत्याधिक बिखरी हुयी होती हैं और इसीलिये एक सर्वेक्षण के द्वारा उन्हें किसी एक समान्य सूत्र में बांधना अत्यन्त

कठिन कार्य होता है। साधनहीन सर्वेक्षणकर्ता के पास समय तथा धन असीमित नहीं होता है। सीमित साधनों से ही उसे अपने सर्वेक्षण कार्यो में अधिकतम यथार्थता व विश्वनीयता लाने का प्रयत्न करना होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति सर्वेक्षण का आयोजन किये बिना नही हो सकती। विशेषतः इसलिये आज हमारा सामाजिक/आर्थिक जीवन दिन–प्रतिदिन अत्यन्त विस्तृत व जटिल होता जा रहा है और जटिल समाजिक/आर्थिक ढांचे में जन जीवन के प्रतिमानी तथा समस्याओं को मनमाने ढंग से समझा नहीं जा सकता है। इसके लिये सुव्यवस्थित व सुनिश्चित अयोजन की आवश्यकता होती है।

## 2.3 सर्वेक्षण के चरण

1. **प्रथम चरण**–प्रस्तुत शोध अध्ययन के सर्वेक्षण हेतु सर्वप्रथम अध्ययन क्षेत्र में स्थिति क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 78 शाखाओं में से दैव निर्देशन पद्धति के आधार पर 20 शाखाओं का चयन किया गया है। जो कुल शाखाओं के लगभग 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। चयनित 20 शाखाओं में कार्यरत शाखा प्रबन्धकों एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियों से पूर्व निर्धारित प्रश्नावली एवं अनुसूचियों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया गया है। संकलित सूचनाओं को सावधानी पूर्वक सम्पादन करते हुये विश्वनीय निष्कर्ष निकालते हुये प्रस्तुत किया गया है।

**द्वितीय चरण**– निर्देशन पद्धति के अधार पर चयनित शाखाओं से उनके द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु वितरित ऋणों के अधार पर ऋण प्राप्तकर्ताओं की सूची प्राप्त की गई है **जो वित्तीय वर्ष 2002–03, 03–04, 04–05 में वितरित ऋण प्राप्तकर्ताओं से सम्बन्धित है।** ऋण प्राप्तकर्ताओं की प्राप्त सूची को किसी भी क्रम में रखकर चयनित प्रत्येक शाखा में से 10–10 ऋण प्राप्तकर्ताओं का दैव निर्देशन पद्धति पर चयन किया गया है। चयनित ऋण प्राप्तकर्ताओं से पूर्व में तैयार

प्रश्नावली व अनुसूची को व्यक्तिगत सम्पर्क पद्धति से पूर्ण किया गया है। तत्पश्चात प्राप्त सूचनाओं को सावधानीपूर्वक सम्पादित करते हुये निष्कर्ष निकाले गये हैं। इस प्रकार 200 ऋण प्राप्तकर्ताओं का चयन करते हुये प्रश्नावली अनुसूची के माध्यम से व्यक्तिगत सम्पर्क पद्धति द्वारा विस्तृत व गहन सर्वेक्षण किया गया है।

## प्रश्नावली / अनुसूची

प्रश्नावली / अनुसूची में कोई मौलिक भेद नहीं है प्रश्नावली प्रणाली के अनुसंधानकर्ता द्वारा डाक द्वारा अथवा अन्य किसी माध्यम से अपने प्रश्नों का उत्तरदाताओं से उत्तर प्राप्त करने का अनुरोध करता है तथा अनुसूची प्रणाली में अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से सम्पर्क पर प्रश्नों के उत्तर को भरता है। इस प्रकार प्रश्नावली एवं अनुसूची एक ही सिद्धान्त पर आधारित है। अन्तर केवल सूचना प्राप्त प्रक्रिया में होता है। प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में प्रश्नावली एंव अनुसूची को व्यक्तिगत सम्पर्क पद्धति द्वारा सूचनादाताओं से सम्बन्धित सूचनायें प्राप्त करते हुये अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं भरा गया है। अनुसूची में पूंछे गये प्रश्न अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुभवी विधानों से विचार–विमर्श करते हुये अत्यन्त सावधानी पूर्वक तैयार किया गया है। अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में सम्पन्न की गई है।

**प्रथम** चरण–प्रथम चरण में अनुसूची निर्माण समस्या से सम्बन्धित पूर्ववर्ती ध ारणाओं के आधार पर निर्मित की गई है जिसमें दो पक्ष सम्मिलित किये गये हैं प्रथम पक्ष में विभिन्न बैंक शाखाओं से चयनित बीस शाखाओं के शाखा प्रबन्धक एवं कर्मचारियों से समस्या से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया है। द्वितीय पक्ष में बीस शाखाओं से सम्बन्धित ऋण प्राप्तकर्ताओं से समस्या से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया है।

**द्वितीय चरण–** अनुसंधान विषय को दो पक्षों में विभाजित कर लेने के पश्चात प्रत्येक पक्ष को विभिन्न उप विभागों में विभाजित किया गया है। जिनमें प्रथम पक्ष हेतु बैंक कर्मचारियों को ऋण वितरण में आने वाली कठिनाईयों से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया है और इसमें प्रशासनिक, वित्तीय तथा ऋण प्राप्तकर्ताओं की ओर से उत्पन्न कठिनाईयों से सम्बन्धित प्रश्न रखे गये हैं। ऋण प्राप्तकर्ताओं से सम्बन्धित पक्ष को भी इसी प्रकार उपविभागों में बांटते हुये ऋण प्राप्त करने में आने वाली प्रशासनिक, वित्तीय, ऋण वितरण प्रक्रिया, समय मात्रा आदि से सम्बन्धित प्रश्नों का समावेश किया गया है।

**तृतीय चरण–** तृतीय चरण में प्रश्नों की निर्माण प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा गया है। कि उत्तरदाता उनसे पूंछे गये प्रश्नों को सही अर्थ में समझ कर उसका सही उत्तर दे सकेगा या नहीं जिसके लिये यह ध्यान रखा गया है। कि प्रश्न सरल स्पष्ट एवं ठीक ढंग से पूंछे जा सके उत्तरप्राप्तकर्ताओं से अनुसंधानकर्ता ने अत्यन्त विनम्र भाव का प्रयोग करते हुये उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

**चतुर्थ चरण–** चतुर्थ चरण में सभी प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से लगाया गया है। क्योंकि ऐसा करने से प्रश्नों के उत्तर लेने में तथ्य भी क्रमबद्ध प्राप्त होते हैं। जिनका विश्लेषण करने में सरलता रहती है। साथ ही क्रमबद्ध प्रश्नों से सूचना दाताओं से उत्तर मिलने में भी आसानी रहती है। क्योंकि पूंछे गये प्रश्नों का उत्तर देने में उत्तरदाता को भी मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है। इसलिये प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में इस चरण में बहुत ही सरल, शीघ्र व संक्षिप्त प्रश्नों से प्रारम्भ करके गम्भीर प्रश्नों की ओर बढ़ा गया है। जिससे गम्भीर प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

**अन्तिम चरण**— इस चरण में अनुसूची की वैद्यता की जांच की गई जिससे सह देखा गया कि जिस उद्देश्य से प्रश्नों का निर्माण किया गया है। उन प्रश्नों से वास्तव में उन उद्देश्यों की पूर्ति होगी अथवा नहीं इसी उद्देश्य से अनुसूची को अन्तिम रूप देने से पूर्व कुछ शिक्षित कुछ अशिक्षित व्यक्तियों से अनुसूची के प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करके यह जांच की गई कि लोग प्रश्नों के वास्तविक अर्थ को समझ कर सही उत्तर देने में समर्थ है या नहीं जिसके लिये कुछ प्रश्नों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करके कुछ प्रश्नों की मात्रा में संशोधन करके प्रश्नों को बिल्कुल हटाकर तथा कुछ आवश्यक नये प्रश्नों को जोड़कर प्रश्नावली/अनुसूची को तैयार किया गया है।

## 5. व्यक्तिगत सर्वेक्षण

सर्वेक्षण इकाईयों के चयन के उपरान्त अनुसंधानकर्ता ने प्रस्तुत शोध विषय से सम्बन्धित अन्य उपलब्ध पुस्तकों/सामग्री का गहन अध्ययन किया है। जिससे समस्या से सम्बन्धित स्पष्ट ज्ञान करके ही सर्वेक्षण कार्य का अयोजन किया है। प्रारम्भिक तैयारियों में सर्वेक्षणकर्ता ने अपने शोध प्रवध से सम्बन्धित अन्य विशेषज्ञों से मिलकर उनके विचारों तथा दृष्टिकोणों से भी परिचय प्राप्त किया है। जिससे अध्ययन इकाईयों से मिलकर विषय से सम्बन्धित पर्याप्त अन्तरदृष्टि प्राप्त करने का प्रयास किया इसके साथ विषय विशेषज्ञों से सर्वेक्षण प्रक्रिया में आने वाली कठिनाईयों का ज्ञान प्राप्त किया है। फिर भी सूचना स्रोतों से आवश्यक सूचनायें प्राप्त करने में अनुसंधानकर्ता ने अपनी पहुंच बनाने का प्रयास किया है।

### (अ) समय सूची का निर्धारण

सर्वेक्षण अजीवन के प्रारम्भिक ज्ञान के अधार पर सूचना स्रोतों से आवश्यक सूचनाऐं प्राप्त करने हेतु 130 दिवसों का निर्धारण किया गया जिसमें से 12 दिवस बैंक कर्मचारियों से सूचनायें प्राप्त करने हेतु तथा 118 दिवस ऋण प्राप्तकर्ताओं से

सूचनाऐं प्राप्त करने हेतु आवंटित किया गया है। यह समय सीमा कुछ अनुसंध ानकर्ताओं से सम्पर्क करने के पश्चात निर्धारित किया गया परन्तु सर्वेक्षण अवधि मे अनेक कठिनाईयों का सामना करते हुये सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने में लगभग 6 माह का समय व्यय हुआ सर्वेक्षण कार्य 1 मई से 31 अक्टूबर 2006 के मध्य समापन किया गया।

सूचनाओं का सम्पादन सर्वेक्षण द्वारा संकलित सूचनाओं का निरीक्षण करके उसमें पायी जाने वाली कमियों को गलतियों को सुधारते हुये सूचनाओं को क्रमबद्ध किया गया यह देखा गया कि अनुसूची मे कुछ सूचनायें अधूरी हैं अथवा कुछ उत्तरदाताओं द्वारा कुछ प्रश्नों के उत्तर न दे पाने के कारण बिना भरी रह गई है। जिन्हें स्वयं सूझबूझ व अनुभव के अधार पर अथवा अन्य लोगों से मिलकर विचार–विमर्श द्वारा ठीक कर लिया।

## 2.3 सूचनाओं का वर्गीकरण व सारणीयन

अनुसंधानकर्ता द्वारा सूचनाओं के सम्पादन कार्य को करने के पश्चात संकलित सूचनाओं का वर्गीकरण किया गया संकलित सामग्री को समानाओं व असमानताओं के अधार पर निश्चित श्रेणियों के अन्तर्गत रखकर सम्पूर्ण सामग्री को संक्षिप्त स्वरूप प्रदान किया गया है। वर्गीकरण किये गये तथ्यों को और भी अधिक स्पष्ट स्वरूप प्रदान करने तथा और अधिक बोधगम्य बनाने वर्गीकरण के परिणामों को संख्यात्मक तालिकाओं में प्रस्तुत किया गया है। जिससे संकलित तथ्यों तथ्यों की तुलना तथा सम्बन्ध का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। सारणीयों के अधार पर आवश्यकतानुसार चित्रमय प्रदर्शन भी प्रस्तुत किया गया है। शोध अध्ययन की आवश्यकतानुसार विभिन्न सांख्कीय विधियों का यथा स्थान प्रयोग किया गया है। जिनमे औसत प्रतिशत, सह–सम्बन्ध आदि सांख्कीय विधियों का प्रयोग किया गया है।

# अध्याय – 3

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विकास

# अध्याय–3

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विकास

भारत का विकास गांवों के विकास के बिना सम्भव नहीं है, इस बात की पहचान सबसे पहले गाँधी जी ने की और उन्होंने तत्कालीन सरकार को सुझाव दिया कि गांवों का विकास कृषि आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है। क्योंकि देश की कुल जनसंख्या का लगभग 80 प्रतिशत भाग गांवों में निवास करती है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता भारतीय अर्थव्यवस्था के लिये सदैव एक चिन्तन का विषय रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी की ऋणग्रस्तता एवं अपर्याप्त वित्तीय सुविधायें होने के कारण किसान, महाजन एवं साहूकार के जाल से मुक्त नहीं हो पाता और न ही उसे अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त होता है शायद इसी आधार पर **शाही कृषि आयोग 1930 ने कहा है कि** "भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है, ऋण में ही पल–पोस कर बड़ा होता है और अपने आश्रितों के लिये भी ऋण छोड़कर चला जाता है।"

## 3.1 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का क्रमिक विकास

1950 में भारतीय रिजर्व बैंक की पहल पर सरकार की **ग्रामीण बैंकिंग जांच समिति** ने ग्रामीण क्षेत्रों के ऋण सुविधाओं के विस्तार का सुझाव दिया। सन् 1951–52 में रिजर्व बैंक द्वारा कराये गये अखिल भारतीय सर्वेक्षण से किसानों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुयी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लिये विशेषकर वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता महसूस की गयी इसी बात को ध्यान में रखकर ठेके भी बनाये गये लेकिन सहकारी बैंक खेतिहर मजदूरों,

शिल्पकारों तथा सीमान्त किसानों को सन्तोषजनक सुविधायें उपलब्ध कराने मे असमर्थ रहे तथा इसका फायदा बड़े किसानों को ही मिल पाता था। आँकड़ों को देखने से पता चलता है कि खेतिहर मजदूर, कास्तकारों एवं बढ़ईदारों को केवल 4 प्रतिशत ही ऋण मिल पाया जबकि 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों 35 प्रतिशत ऋण मिला। 2 हेक्टेयर से अधिक जोत वालों किसानों को 51 प्रतिशत हिस्सा प्राथमिक कृषि सहकारी के माध्यम से प्राप्त हुआ।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण सामाजिक बैंकिंग की दिशा मे एक महत्वपूर्ण पहल थी लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंको को भी ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने में कोई खास सफलता नहीं मिली क्योंकि भारत में करीब 7 लाख गांवों मे राष्ट्रीयकृत बैंको की सुविधा उपलब्ध कराना कोई आसान काम नहीं था, फिर भी व्यवासयिक बैंको का काम करने का एक अलग तरीका होता है। वह लाभ को ध्यान में रखें बिना कोई भी कार्य नहीं कर सकते। इसके साथ इन बैंकों के सामने सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि ग्रामीण जनता इनमें जाने से हिचकते हैं दूसरी ओर यह बैंक भी कृषि जैसे मौसमी और अनिश्चित परिणाम वाले कार्यो के लिये किसानों को कर्ज देने में संकोच करते थे। छोटे किसानों और दस्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने में तो वाणिज्यिक बैंक काफी पीछे रहे। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिये निर्धारित ऋण सुविधाओं का सिर्फ 10 प्रतिशत ऋण ही इन लोगों को मिल पाता था।

अतः इन समस्त परिणामों को देखते हुये तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने 1973–74 में प्रत्येक 17000 की आबादी पर एक बैंकिंग शाखा खोलने का निर्णय लिया जो स्थानीय लोगों को साख एवं ऋण सुविधा प्रदान कर सके जिससे लोगों की आय एवं क्रयशक्ति में वृद्धि हो सके किन्तु बैंको ने सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों मे अपनी शाखायें खोलने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि उनकी

शाखायें खोलने की लागत अधिक थी साथ ही कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने में अभ्यस्त नहीं थे।

**सन् 1975 में भारत में आपातकाल के पश्चात् बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विचार सरकार के समक्ष आया** ओर तत्कालीन सरकार ने कम लागत अवधारणा के आधार पर बैंकिंग शाखायें खोलने का निर्णय किया जिससे यह परिकल्पना की गयी थी कि निश्चित क्षेत्रों में खुलने वाली शाखायें केवल ऋण वितरण का कार्य करेगी इस सन्दर्भ में **भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश** द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की। जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों कारीगरों तथा छोटे उद्यमीकर्ताओं को उधार पूंजी तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना है ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार, वाणिज्य उद्योग तथा अन्य उत्पादक क्रियाओं को विकसित कर सके।

**26 सितम्बर 1975 के अध्यादेश के परिपालन मे राष्ट्रपिता महात्मागाँधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1976 को सर्वप्रथम पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी जिसमें उ0प्र0 के मुरादाबाद एवं गोरखपुर, पश्चिम बंगाल के मालदा, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के भिवानी थे जो क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया एवं सिण्डीकेट बैंक के द्वारा** चालू किये गये प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये तथा निर्गमित एवं चुकता पूंजी 25 लाख रूपये थी जिसमें संचालित बैंक को 35 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार का 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार ने 15 प्रतिशत का योगदान दिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम व गोवा को छोड़कर वर्तमान समय में सभी राज्यों मे कार्यरत हैं। **केलकर समिति** की सिफारिश को ध्यान में रखकर 1987 के बाद कोई

नया बैंक नहीं खोला गया।

पिछले 29 वर्षो में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको ने काफी प्रगति की है। 30 जून 2003 तक 45 जिलों में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य कर रहे थे जिनकी कुल संख्या 14486 थी। यह उत्तर प्रदेश में 3035 बिहार में 1885 एवं मध्यप्रदेश में 1593 थी।[1]

मार्च 2003 के अन्त में 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की जमाराशि 48396 करोड़ रूपये थी तथा इनके द्वारा लिये गये ऋण की राशि 21773 करोड़ रूपये थी मार्च 2002 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा दिये गये ऋण तथा अग्रिमों की प्रयोजन वार स्थिति निम्न प्रकार थी। कृषि ऋण 4594 करोड़ रूपये जिसको अल्पावधि फसल ऋण 3812 करोड़ रूपये ग्रामीण शिल्पी और ग्रामीण कुटीर उद्योग 198 करोड़, अन्य उद्योग 107 करोड़, फुटकर व्यापार एवं स्वनियोजित व्यक्ति आदि 1279 करोड़ अन्य प्रयोजन 4393 करोड़ रूपये। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की गैर निष्पादक सम्पत्तियां (N P Assets) का अनुपात मार्च 1996 में 43.1 प्रतिशत से गिरकर मार्च 1997 में 36. 8% मार्च 1998 में 32.8 प्रतिशत एवं मार्च 1999 में 27.9 प्रतिशत हो गया जो मार्च 2002 में गिरकर 16.1 प्रतिशत ही बचा।[2]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने कृषि क्षेत्रों में ऋण प्रवाह के क्षेत्र में अत्यन्त उल्लेखनीय कार्य किया, जिसे निम्न सारणी से स्पष्ट किया जा सकता है–[3]

**तालिका ३.१** (करोड़ रूपये में)

| वर्ष | 1991–92 | 1995–96 | 1999–2000 | 2000–01 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| प्राप्त ऋण | 596 | 1500 | 3172 | 4219 | 5461 | 7581 | 10500 |

स्रोतः– 1. मुद्रा, बैंकिंग एवं लोक वित्त – Dr. T.T. Sethi पृष्ठ संख्या –198

2. T.T. Sethi पेज 199

3. भारतीय बैंकिंग प्रणाली Dr. VC Sinha पेज नं. 72

उपर्युक्त सारणी के अंकों से स्पष्ट है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा जहां 1991–92 में मात्र 596 करोड़ रूप्ये का ऋण उपलब्ध कराया गया वहीं वर्ष 2004–05 में बढ़कर यह 10500 करोड़ रूप्ये हो गया अर्थात लगभग 18 गुना की वृद्धि हुयी।

## 3.2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संविधान

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना **"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976"** के अन्तर्गत किये गये जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रवर्तक बैंक की प्रार्थना पर सरकारी गजट में प्रकाशन कर किसी भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में एक या एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नोटिफिकेशन में वर्णित नाम से स्थापित कर सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि किस स्थानीय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य करेगा।

**प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मदद करना एवं सहायता देना प्रवर्तक बैंक का कर्तव्य होगा। प्रर्वतक बैंक अंशपूंजी में अंशदान देगा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा तथा स्थापना के प्रथम पांच वर्ष तक प्रबन्धकीय एंव आर्थिक सहायता देगा।**

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक नाम होगा जिस नाम से वह सम्पत्ति अर्जित कर सकता है तथा विक्रय करेगा। इसी नाम से किसी से अनुबन्ध कर सकता है तथा उस पर कोई भी मुकदमा या बाद चला सकता है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अपना एक मुख्य कार्यालय प्रकाशित क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार एंव प्रवर्तक बैंक की सहमति से बनाया जायेगा यह आवश्यकतानुसार निर्धारित क्षेत्रों मे अपनी शाखायें खोलेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987 के अनुसार 5 करोड़ रूप्ये होगी जिसका प्रतयेक अंश 100/– रूपये का होगा। जिसकी चुकता पूंजी एक करोड़ होगी।

जिसमें 50 : 35 : 15 के अनुपात में क्रमश केन्द्रीय सरकार प्रयोजक बैंक एवं राज्य सरकार से एकत्रित की जायेगी।

### 3.3 बैंक का प्रबंधन

बैंक का प्रबंधन एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें 9 सदस्य संचालक होते हैं जिनमें से 6 केन्द्रीय सरकार 1 राज्य सरकार तथा 2 प्रयोजक बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संचालक मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है लेकिन किसी भी दशा में यह 15 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। इस संचालक मण्डल को समय–2 पर निर्गमित सरकारी आदेशों का पालन करना होगा। प्रत्येक संचालक (अध्यक्ष को छोड़कर) का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होगा और वह अपने उत्तराधिकारी के पद में आने तक बना रहेगा।

प्रवर्तक बैंक किसी व्यक्ति (जो प्रवर्तक बैंक का अधिकारी न हो) को अध्यक्ष एक निश्चित समय के लिये नियुक्त करेगा जो पांच वर्ष से अधिक न होगा।

प्रवर्तक बैंक अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन महीने का नोटिस या तीन माह का वेतन व भत्ता देकर निश्चित समय से पूर्व उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित बैंक मानकर अपनी द्वितीय सारणी में सम्मिलित कर लिया है। रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की की उपधारा–1(क) के उपबन्धों से छूट प्रदान की है। जिसके अनुसार इन बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 25 प्रतिशत तरल रूप में रखना पड़ता है और कुल मांग एवं समग्र दायित्वों का 3 प्रतिशत ही रखना होता है।

**अंश पूंजी के सम्बन्ध में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित कार्यदल की सिफारिशें[1]**

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सम्बन्धित कार्यदल की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 1989–90 के दौरान 48 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का हिस्सा अंश पूंजी में 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया इससे 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 194 की चुकता अंश पूंजी बढ़कर 50 लाख रूपये हो गयी है।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये गठित कार्यदल की सिफारिशों पर भारत सरकार ने 1991–92 के दौरान 80 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूंजी को 50 लाख रूपये से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने वर्ष 1991–92 के दौरान 83 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का निर्गमित पूंजी 50 लाख से बढ़ाकर 75 लाख कर दिया।

(4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सम्बन्धी कार्यकारी दल द्वारा की गयी सिफारिश के अनुसार भारत सरकार 1992–93 के दौरान 73 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 50 लाख रूपये की निर्गमित पूंजी को 75 लाख रूप्ये में कर दिया तथा अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से प्रत्येक के लिये 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रूपये कर दिया।

स्रोत. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति सम्बन्धी रिपोर्ट 1999–2000

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987

श्री एस. एम. केलकर की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की सिफारिशों के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 को केन्द्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987 द्वारा संशोधन किया गया। यह संशोधन 28 सितम्बर 1988 से लागू हुआ।

**उक्त संशोधन में शामिल कुछ महत्वपूर्ण मदें निम्नलिखित हैं–**

(1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रूपये तथा चुकता अंश पूंजी 25 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ रूपये कर दी गयी है।

(2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समामेलन के सम्बन्ध में भी संशोधन किया गया है। राष्ट्रीय बैंक द्वारा संबन्धित राज्य सरकार तथा प्रायोजक बैंक से विचार विमर्श करके दो या अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का सम्मिलत किया जा सकता है। इस तरह का समामेलन करते समय लोकहित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा सिविल क्षेत्र के विकास तथा स्वयं ग्रामीण बैंकों के हित की भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

(3) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रयोजक बैंक द्वारा राष्ट्रीय बैंक से परामर्श कर के की जायेगी।

(4) प्रायोजक बैंक को यह अधिकार दिया गया कि वे समय–समय पर अपने द्वारा प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रगति की निगरानी करें, उनका निरीक्षण तथा सुरक्षा की जांच करें तथा जहां कहीं आवश्यक हो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सुधारात्मक उपाय सुझायें।[1]

स्रोतः– भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 1997–98, पृष्ठ 89

(5) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्यो के बारे में प्रायोजक बैंकों को और बड़े उत्तरदायित्व सौंपे गये हैं अंश पूंजी में अंशदान करने के साथ–साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रथम पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्हें प्रबन्धात्मक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करके तथा उनके कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में उनकी सहायता करेंगे।

## क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सम्बन्धित विभिन्न समितियों तथा उनकी सिफारिशें

### (1) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको से सम्बन्धित कार्यकारी दल (नरसिम्हन कमेटी 1975)

इस समिति की तीन महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं–

(i) प्रायोजक बैंक प्रतिनियुक्त स्टाफ का खर्च स्वयं वहन करे।

(ii) ग्रामीण बैंक ग्रामीण क्षेत्रों को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाकर कृषि व सहायक गतिविधियों का विकास करने में योगदान दे।

(iii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के स्टाफ प्रशिक्षण की मुफ्त व्यवस्था करे।

(iv) पुर्नवित्त सुविधा सस्ते दर पर उपलब्ध कराये।[1]

1. स्रोतः कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 15

## (2) दाँतवाला समिति (1977)

1977 में केन्द्र मे सत्ता परिवर्तन के बाद प्रथम बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की उपयोगिता की जांच हेतु दाँतवाला समिति गठित की गयी। इस समिति मे इन बैंकों के प्रयासों तथा क्षमताओं की प्रशंसा की तथा यह विश्वास व्यक्त किया कि व्यवसाय का स्तर बढ़ने के साथ ही इनकी लाभ प्रदत्ता का संकट भी समाप्त हो जायेगा। समिति ने यह भी कहा कि बैंको का प्रसार विशेष रूप से दूर–दराज अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाय तथा कुल ऋण का 60 प्रतिशत ऋण ग्रामीण लघु कृषकों, दस्तकारों, फुटकर व्यापारियों , कृषक मजदूरों और अन्य निर्धन ग्रामीणों को दिया जाय।[1]

1. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट 1997–98, पृष्ठ 89

## (3) केलकर समिति (1986)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के स्थापना के 10 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार ने केलकर समिति का गठन किया जिसने इन बैंकों की कार्य प्रणाली की कड़ी समीक्षा की तथा इनके प्रबन्ध व व्यवहार्यता के अनेक पहलुओं पर अपने सुझाव दिये। यह रिपोर्ट सरकार को 10 मार्च 1986 को प्राप्त हुई। इसमें प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित थीं–

(1) सक्षमता को सुदृढ़ करने के लिये अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये से बढ़ाकर 5 करोड़ कर दी जाय तथा चुकता पूंजी 25 लाख रूपये से बढ़ाकर एक करोड़ कर दी जाये।

(2) प्रायोजक बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उनके पास चालू खाते में जमा रकम को सरकारी प्रतिभूतियों में लगायें ताकि उन्हें उच्चतर दर पर लाभ मिल सके।

(3) ऋण जमा अनुपात जो ग्रामीण बैंकों के लिये 100 निर्धारित है नाबार्ड द्वारा इसके घटाने पर विचार किया जाये ताकि यह प्रतिबंधात्मक आदेश कमजोर तबके के लोगों की सरल ऋण उपलब्धि में बाधक न बने।

(4) प्रायोजक बैंक द्वारा सरल व उदार शर्तो पर कम लागत पर ग्रामीण बैंकों को पुर्नवित्त उपलब्ध कराया जाय।

(5) कुछ चुनी हुयी संस्थाओं, निगमों, निकायों, बोर्डो इत्यादि को नाबार्ड द्वारा ऋण प्रदान करने की छूट प्रदान की जाय।

(6) छोटे तथा अलाभकारी बैंकों का विलय किया जाय तथा इन बैंकों का कार्यक्षेत्र सामान्यतः 2 जिलों तक ही सीमित रखा जाये।

इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) एक्ट 1987 को मंजूरी दी। तब तक 196 ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे। इसके बाद देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की श्रृखंला को विराम लग गया, जो कि अभी तक बरकरार है।

## (4) खुशरो समिति (1989)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संगठनात्मक समस्याओं पर विचार करने के 1989 में डा0 ए. एम. खुसरो की अध्यक्षता में कृषि साख सर्वेक्षण समिति (1989) बनायी गयी। समिति ने विभिन्न पहलुओं, जैसे खराब वसूली , प्रबंधकीय तथा स्टाफ की समस्यायें, हासिल लाभ प्रदता आदि का अध्ययन करने के पश्चात इन बैंकों को प्रायोजक बैंकों में विलय का सुझाव दिया।[1]

1. स्रोतः कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 24

## (5) नरसिम्हन समिति (1991)

नरसिम्हन समिति की सिफारिशें थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको की ग्रामीण सह–इकाईयों की स्थापना की जाये जो बैंकों की ग्रामीण शाखाओं को अपने अधिकार में ले लें। समिति ने इस बात का विकल्प क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और उनके प्रायोजक बैंकों पर छोड़ दिया कि क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपनी पहचान बनाये रखें अथवा वे प्रायोजक बैंकों की ग्रामीण बैंकिंग सह–इकाईयों के साथ स्वैच्छिक आधार पर मिल जायें।[1]

1. स्रोतः कुरूक्षेत्र (अंग्रेजी संस्करण) जुलाई 1996, पृष्ठ 25

## (6) भण्डारी समिति (1994)

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994–95 के बजट में की गयी इस आशय की घोषणा कि 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में से 50 का पुनरूद्धार और पुर्नगठन किया जायेगा, के अनुरण में पुर्नगठन हेतु क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अभिनिर्धारण करने के लिये डॉ0 एम. सी. भंडारी, मुख्य महाप्रबन्धक नाबार्ड की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गयी। यह देखते हुये कि उक्त समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्तीय सुदृढ़ता और क्षेत्रीय प्रतिनिधत्व के आधार पर 50 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का अभिनिर्धारण किया है। भारत सरकार ने 50 में से 49 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुर्नगठन करने के लिये समिति की संस्तुति को स्वीकार कर लिया है।[1]

1. स्रोतः क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण शोधग्रन्थ 1998, डॉ0 श्याम कृष्ण पाण्डेय

## (7) सहकारी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिये पूंजी पर्याप्तता की शर्मा समिति की संस्तुति (जनवरी 1998)

सहकारी बैंकों व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रति नाबार्ड की देख रेख सम्बन्धी भूमिका की समीक्षा के लिये गठित शर्मा समिति ने इन बैंकों के लिये भी पूंजी पर्याप्तता मानक लागू करने की संस्तुति की है। रिजर्व बैंक के भूतपूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यू.के. शर्मा की अध्यक्षता में इस का गठन जनवरी 1998 में किया गया। 27 अप्रैल 1998 को सौंपे गये अपने प्रतिवेदन मे समिति ने कहा कि ग्रामीण साख का 60 प्रतिशत से अधिक भाग का वितरण इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जाता है। किन्तु परिसम्पत्तियों के ह्रास के कारण वर्तमान मे अधिकांश सहकारी बैंकों के पास एक लाख व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास पांच लाख रूपये की न्यूनतम पूंजी भी नहीं है। समिति ने केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/प्रवर्तक बैंक के माध्यम से इन बैंकों के पुनः पूंजीकरण की एक योजना भी प्रस्तुत की है। समिति ने सहकारी बैंकों के लिये केन्द्र की 6600 करोड़ रूपये की प्रस्तावित सहायता से विवरण में तेजी लाने की संस्तुति की है ताकि मार्च 1999 तक यह बैंक 4 प्रतिशत पूंजी पर्याप्तता के स्तर को प्राप्त कर सके।

इन बैंकों के कार्यकलापों पर निगरानी के लिये शर्मा समिति ने नाबार्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता मे एक स्वायत्त बोर्ड ऑफ सुपरविजन गठित करने की संस्तुति की है। सहकारी बैंकों की भूमि भवनों व अन्य भू–सम्पत्तियों के लेखे–जोखों का नियमित निरीक्षण करने की भी संस्तुति की है तथा यह भी कहा है कि प्राथमिक ऋण समितियां की निगरानी का जिम्मा केवल नाबार्ड पर न छोड़ा जाये।

## 3.3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य

भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का उद्देश्य एक मात्र ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के लिये साख उपलब्ध कराना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अनुसार इसकी स्थापना का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार वाणिज्य, उद्योग तथा अन्य उत्पादक गतिविधियों विशेष रूप से लघु एवं सीमान्त कृषक , खेतिहर मजदूर, दस्तकार एवं लघु व्यवसायी एवं इनसे सम्बन्धित अन्य व्यवसायों को साख व सुविधायें प्रदान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग अधिनियम 1976 में वर्णित कार्य एवं उद्देश्य निम्नवत हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा इस क्षेत्र के पिछड़े हुये वर्गो को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना।

2. ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाओं की कमी को दूर करना।

3. ग्रामीण बैंकों के कार्य क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं के अनरूप कर्मचारियों की नियुक्ति, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं साख आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात साख की व्यवस्था करना।

4. ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करने का प्रयत्न करना।

5. सहकारी समितियों विपणन समितियों, कृषि सम्बन्धी परिष्करण समितियों , प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अथवा कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये किसानों की सेवा समितियां बनाना।

6. जमा राशि स्वीकार कर ग्रामीण बचत को बढ़ावा देना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक कार्यो में उपयोग करना।

7. शहरी मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में पुनः वित्त के माध्यम से ऋण के प्रवाह का अनुपूरक चैनल तैयार करना।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

## (a) प्रमुख कार्य

### (i) जमा स्वीकार करना

अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जनता से धन मुख्यतः दो प्रकार से प्राप्त किया जाता है। प्रथम अपने अंश बेंचकर द्वितीय जनता से जमा स्वीकार करके अंशों के विक्रय से प्राप्त पूंजी बैंक के व्यवसाय के लिये पर्याप्त नहीं होती इसलिये बैंकों को जनता से उनकी जमा राशियों के रूप में ऋण लेना पड़ता है। लोग अपनी बचत बैंक में जमा कर देते हैं जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होती है साथ ही उनका धन भी सुरक्षित रहता है।

वाणिज्यिक बैंकों की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी विभिन्न प्रकार के खातों को संचालित कर जनता से जमा स्वीकार करती है, जिनमें प्रमुख निम्नवत हैं–

### (क) सावधि जमा खाता

इस प्रकार के खाते में एक निश्चित अवधि के लिये धन जमा किया जाता है जो प्रायः 3 माह से पांच वर्ष तक के लिये होता है। जमाकर्ता को जमा की रसीद दे दी जाती है जिसमे जमाकर्ता का नाम, धनराशि ब्याज की दर, जमा की अवधि लिखी रहती है यह रसीद हस्तान्तरणीय नहीं होती है यदि जमाकर्ता को किन्हीं कारणों से जमा धन की आवश्यकता अवधि पूर्ण होने के पहले पड़ जाती है तो बैंक कुछ कटौती काटकर धन वापस कर देता है। इस प्रकार की जमा को काल देनदारी कहा जाता है।

### (ख) चालू खाता

इस प्रकार के खाते में जमाकर्ता एक दिन में चाहे जितनी बार रूपया जमा करा सकता है और निकाल सकता है। इसकी जमाराशि प्रायः चैक द्वारा निकाली जाती

है, चालू खाता खोलने पर बैंक द्वारा जमाकर्ता को एक पास बुक, एक चैक बुक तथा रकम जमा करने के फार्म दिये जाते हैं। चालू खाते की जमा पर बैंक ब्याज नहीं देती बल्कि कुछ बैंक तो सेवा व्यय भी वसूल करते हैं। चालू खाते की जमा राशि को बैंक की मांग देनदारी कहा जाता है। अमेरिका में चालू खाता को चैक खाता कहा जाता है।

### (ग) बचत खाता

छोटी–2 बचत करने वाले लोगों के लिये बचत खाते अधिक उपयुक्त होते हैं। इस प्रकार के खाते में सप्ताह में कई बार रकम जमा की जा सकती है, किन्तु एक या दो बार से अधिक निकाली नहीं जा सकती। लेकिन एक वर्ष मे अधिकतम सौ बार तक ही रूपया निकाला जा सकता है। इस निर्धारित सीमा से अधिक रूपया निकालने के लिये पहले बैंक को सूचना दी जाती है।

## (ii) ऋण देना

अन्य वाणिज्यिक बैंकों की तरह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी कुछ नकद कोष रखने के पश्चात् जरूरतमंद ग्रामीण किसान, व्यवसायी, श्रमिक आदि को ऋण प्रदान करते हैं। वह जमा की अपेक्षा ऋण पर कुछ अधिक ब्याज लेते हैं और इन दोनों दरों के अन्तर से बैंक को लाभ होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मुख्यतः निम्नवत् ऋण प्रदान करते हैं–

### (क) ऋण तथा अग्रिम धन

एक निश्चित रकम के एक निश्चित समय के लिये दिये गये ऋण जिनका भुगतान पूर्णतया हो जाने पर ही ऋण का अन्त होता है, ऋण अथवा अग्रिम धन कहलाते

हैं अर्थात यदि ऋण प्राप्तकर्ता ऋण की कुछ राशि का भुगतान कर दे और पुनः ऋण चाहे तो बैंक उसे तब तक ऋण नहीं देगी जब तक कि वह ऋण का पूर्ण भुगतान न कर दे। इस प्रकार के ऋण में बैंक ऋणप्राप्तकर्ता के नाम एक खाता खोलकर ऋण की राशि उस खाते मे हस्तान्तिरत कर देता है और हस्तान्तरण के दिन से ही ब्याज लगने लगता है चाहे ऋणप्राप्तकर्ता उसे निकाले अथवा न निकाले। इस तरह के ऋणों मे ब्याज की दर का निर्धारण ग्राहक की साख ऋण के उद्देश्य , अवधि तथा धरोहर की किस्म आदि पर निर्भर करता है।

## (ख) नकद साख

इस व्यवस्था के अन्तर्गत बैंक एक निश्चित सीमा तक ऋण प्राप्त करने का अधिकार दे देता है। इस सीमा के अन्दर ऋणी अपनी आवश्यकतानुसार बैंक से रकम लेता रहता है और जमा भी करता रहता है। ब्याज उसी रकम पर वसूल किया जाता है जो वास्तव में ऋणी के पास रहती है, परन्तु कभी–2 बैंक नकद साख की कुल रकम पर ब्याज वसूल करता है ऋण के लिये व्यापारिक माल, बाण्ड अथवा स्वीकृत प्रतिभूतियों की जमानत पर ली जाती है।

## (ग) अधिविकर्ष

बैंक में चालू खाता रखने वाले ग्राहक बैंक से एक अनुबन्ध के अन्तर्गत अपनी जमा राशि से अधिक धनराशि निकालने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। निकाली गयी अतिरिक्त रकम को अधिविकर्ष कहा जाता है। इस प्रकार की सुविधा बैंक द्वारा अल्प समय के लिये दी जाती है। यह कुछ विश्वसनीय ग्राहकों को ही मिलती है।

## (iii) साख निर्माण

अधिकांश मुद्राशास्त्री हार्टले विदर्स, केन्स सेयर्स हॉम आदि यह स्वीकार करते है। कि बैंक का महत्वपूर्ण कार्य साख का निर्माण करना है।

**सेयर्स के अनुसार–** ''बैंक केवल मुद्रा जुटाने वाली संस्थायें नहीं है अपितु एक महत्वपूर्ण अर्थ मे वह मुद्रा के निर्माता भी हैं।''

''बैंक अपनी कुल जमाराशि से कई गुना अधिक राशि उधार देकर साख मुद्रा का निर्माण करते हैं।''

अर्थात एक बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतना ही अधिक साख जमा उत्पन्न होती है तथा ऋण का निर्माण होता है इसलिये कहा जाता है कि **''जमा राशियां साख को जन्म देती हैं और साख जमा राशियों को जन्म देती हैं।''**

## (b) सहायक कार्य

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास था न कि गांवों मे बैंकिंग प्रणाली (जमा एवं ऋण वितरण) का विकास। अतः जमा एवं ऋण वितरण के साथ–2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कुछ सहायक कार्य भी हैं जो निम्नवत हैं–

1. ग्रामीण एवं लघु उद्योगों का विकास करना।
2. ग्रामीणों मे बचत की भावना को प्रोत्साहित करना।
3. ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के दस्तकारों, कृषि मजदूरों, लघु सीमान्त किसानों, कृषक आदि को साख की आवश्यकता की पूर्ति कर गरीबी दूर करने में सहायक।
4. कृषिगत उत्पादक कार्यो मे विनियोग बढ़ाना।

5. संस्थागत साख विस्तार द्वारा ग्रामीण साख की खाई को पाटना।

6. ग्रामीणों को महाजनों एवं फुटकर व्यापारियों के शोषण से मुक्ति दिलाना।

7. ग्रामीण अर्थव्यवस्था का चहुंमुंखी विकास करना।

8. ग्राहकों की सुविधानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर रकम भेजने की सुविधा प्रदान करना।

9. आवश्यकता पर ग्राहकों की सम्पत्ति के प्रबंधक, ट्रस्टी अथवा व्यवस्थापक का कार्य करना।

10. ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं जैसे–जेवर, कानूनी पत्र, दस्तावेज आदि का सुरक्षित रखने के लिये लॉकर सुविधा प्रदान करना।

11. ग्राहकों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना।

12. बाढ़, सूखा आदि पर सरकार द्वार प्रदान वित्तीय सहायता का समाशोधन करना।

13. एक विशेषज्ञ की तरह अपने ग्राहकों को निवेश आदि की सलाह देना।

## c. सामान्य उपयोगी सेवायें

### (1) ग्रामीणों के लिये विशेष बैंक

व्यवसायिक बैंकों द्वार पर्याप्त सुविधायें उपलब्ध कराने के बावजूद भी सरकार ने यह माना कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था विशेषकर भारतीय कृषि तथा ग्रामीण कुटीर और लघु उद्योग के तीव्र विकास के लिये तथा निर्धन वर्गो के ऋण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के लिये विशेष बैंक खोले जायें क्योंकि यदि जरूरतमन्द सीमान्त कृषकों, दस्तकारों आदि को संस्थागत ऋण सुविधाओं का लाभ पहुंचाना है तो ऋण देने के नियमों व शर्तो मे बदलाव लाना होगा क्योंकि वाणिज्यिक बैंकों के तौर–तरीकों को

अपनाकर यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता इसी दृष्टिकोण को ध्यान मे रखकर 26 सितम्बर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण अध्यादेश जारी किया गया जो 2 अक्टूबर 1976 से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद एंव गोरखपुर, हरियाणा, राजस्थान व बंगाल के मालदा जिले में खोले गये जिन्होंने मात्र करीब 30 साल मे अपनी उपयोगिता को दर्शातें हुये वर्तमान मे 14486 शाखाओं मे कार्यरत हैं। जो न सिर्फ जमा एवं ऋण का कार्य करते हैं बल्कि ग्रामीणों को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करते हैं जो किसी वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा नहीं दी जाती–

1. **ग्रामीणों में साक्षरता की भावना प्रेरित करना।**
2. **ग्रामीण अंचलों मे व्याप्त रूढ़िवादिता को मिटाने में सहायक।**
3. **परिवार नियोजन कार्यक्रमों के प्रति जागरूक करना।**
4. **ग्रामवासियों को महाजनों व सूदखोरों से मुक्ति दिलाना।**
5. **एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी रेखा के नीचे जीवन – यापन करने वाले व्यक्तियों को अनुदान प्रदान करना।**
6. **टाइसेम कार्यक्रम के संचालन में सहायक**

सरकार में चल रही ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं का वित्त पोषण करने के लिये 1995–96 में आर आई डी एफ की स्थापना की थी। निधि का रखरखाव नाबार्ड बैंक द्वारा किया जाता है। घरेलू वाणिज्यिक बैंक कृषि के लिये प्राथमिकता वाले क्षेत्र को उधार देने के लिये कमी को पूरा करने हेतु निधि मुहैया कराने में योगदान देते हैं। निधि का मुख्य उद्‌देश्य राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराना और राज्य स्वीकृत निगमों की चल रही ग्रामीण आधारभूत परियोजनाओं को पूरा करने में समर्थ बनाते हैं। वर्ष 2003–04 के अन्त तक आर आई डी एफ के नौ ह्राशों

स्रोत 1:– भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा वर्ष 2004–05 पेज नं0 69

(I से IX) को पूरा किया गया है। वर्ष 2004–05 के अन्तरिम बजट में कृषि के आधारभूत तथा ऋण निधि और आर आई डी एफ तंत्र के समापन की घोषणा की थी। इस निर्णय पर विचार किया गया था और 8 जुलाई 2004 को प्रस्तुत यथाक्रम बजट में वर्ष 2004–05 के दौरान 8000 करोड़ रू० से आर आई डी एफ के पुनरूद्धार का प्रस्ताव किया गया। अतः आर आई डी एफ (X) इस समय कार्यान्वयनाधीन है।[1]

**(7) ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास कार्यक्रम में सहायक**

ग्रामीण गरीबों के स्वयं सहायता समूहों (एस एच जी) कार्यक्रम को बैंकिंग प्रणाली के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को 1992 में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। गत वर्षो में एस एच जी बैंक से जोड़ने का कार्यक्रम देश में मुख्य लघु वित्त कार्यक्रम के रूप में उभर कर आया है। 560 बैंकों अर्थात् 48 वाणिज्यिक बैंकों, 196 आर आर बी और 316 सहकारी बैंक इस कार्यक्रम के संचालन में सक्रिय रूप से लगे हुये है।। यह कार्यक्रम, फोर्मल बैंकिंग सिस्टम के लिये ग्रामीण गरीबों की पहुंच मुहैया करा रहा है और इसने लिंग समानता अधिकारिता और गरीबी उन्मूलन के सम्बन्ध में कार्यक्रम एस एच जी के सदस्यों के लिये ऋण सहायता के रूप में कम खर्चीलापन मुहैया कराता है और यह उनके लेन–देनों को कम करने के साथ छोटे ऋणों की सुपुर्दगी में जोखिम लागत करने में लाभर्थियों को सीधे ही लाभ पहुंचाता है। वर्ष 2004–05 का बजट कार्यक्रम को ज्यादा सुदृढ़ बनाने और उपभोग से एस एच जी क्रमिक वृद्धि में रखने या लघु–उद्यमों को आरम्भ करने के लिये उत्पादन ऋण जुटाने को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता पर बल देता है। बजट मार्च 2005 के अन्त तक 585 लाख एस एच जी

स्रोत–1 – भारत सरकार आर्थिक समीक्षा वर्ष 2004–05 पेज नं0 71

के सम्पर्क लक्ष्य का निर्धारण किया है।

31 मार्च 2004 तक एस एच जी की बैंकों से सम्पर्क की संख्या 10.79 लाख पहुंच गयी है और इसमें 167 लाख गरीब परिवारों को कवर करने का अनुमान लगाया गया है। कार्यक्रम में हल्की सी कमी यह है कि इसमें बैंकों से जोड़े गये 90 प्रतिशत समूहों में केवल महिला समूह हैं। मार्च 2004 के अब तक एस एच जी के लिये बैंक ऋणों के संचित संवितरण की राशि 36179 रूपये प्रति एस एच जी तथा 2412 रूपये प्रति परिवार का औसत ऋण बनता है। नाबार्ड द्वारा पुनः 2550 करोड़ रूपये की वित्त सहायता बढ़ायी गयी है। चालू वित्त वर्ष (31.12.2004 तक) के दौरान 1134 करोड़ रूपये की बैंक राशि के ऋण 1.97 लाख नये एच सी जी को मुहैया कराई है।[1]

**(8) किसान क्रेडिट कार्ड**

किसान क्रेडिट कार्ड्स (KCC) स्कीम एक लचीली और प्रभावी रूप में किसानों के लिये फसल ऋण मुहैया कराने के उद्देश्य से 1998–99 में आरम्भ की गयी थी। योजना का कार्यान्वन सभी वाणिज्यिक बैंकों आर आर बी, राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा प्राथमिक कृषि सहकारी सोसाइटियों द्वारा सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में किया जा रहा है। के सी सी के तहत शामिल लाभार्थियों को एक क्रेडिट कार्ड और एक पास बुक जारी की जाती है जिसमे लाभार्थी का नाम , पता, जमीन का विवरण, उधार की सीमा ओर वैद्यता की अवधि लिखी होती है। उत्पादन की ऋण सीमा पूरे वर्ष के समस्त ऋण आवश्यकता का लेखा जोखा निर्धारित होता है और इसमे फसल की पैदावार से सम्बन्धित सहायक कार्यकलाप भी जोड़े हुये होते है।। बैंकों के विवेक पर उधार की उपसीमा भी निर्धारित की हुयी होती है। कृषि ऋण, अल्पावधि ऋण, परिक्रमी ऋण की

स्रोत 1:– भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा वर्ष 2004–05 पेज नं. 70–71

सुविधा में संचलानात्मक भूमि चकबन्दी, फसल पद्धति और वित्त के पैमाने पर आधारित निर्धारित नकद ऋण की सुविधा शामिल है। अभी तक किसानों की ऋण अपेक्षाओं का निवेश के सी सी के कार्य क्षेत्र से बाहर रहा है और इससे किसानों के लिये अतिरिक्त लागत और प्रक्रिया सम्बन्धी असुविधा बढ़ गयी। के सी सी योजनाओं में इन कठिनाइयों को देखते हुये कृषि और सम्बन्ध कार्यकलापों के लिये सवधि ऋणों को कवर करते हुये, नाबार्ड ने अगस्त 2004 मे योजना को संशोधित किया था। के सी सी के तहत जबकि अल्पावधि और कार्यशील पूंजी ऋण का पुर्नभुगतान 12 महीनों में करना होता है और सावधि ऋण की वापसी की अवधि अधिकतम 5 वर्ष है। ऋणों का परिवर्तन पुनः भुगतान खासकर प्राकृतिक आपदा से फसल के खराब होने के मामले में अनुमति दी जाती है। 1 मार्च 2004 के अन्त तक जारी किये गये के के0सी0सी0 की संख्या 414 लाख है। 30.9.2004 तक 435.61 लाख कार्ड जारी किये गये हैं। सबसे अधिक कार्ड सहकारी बैंकों ने (258.56 लाख) और वाणिज्यक बैंकों ने (132.43 लाख) तथा आर आर बी ने (44.63 लाख) कार्ड जारी किये हैं।[1]

आर बी आई के कहने पर राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) ने के सी सी योजना के प्रभाव का मूल्याकंन करने के लिये एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में कृषि क्षेत्र के लिये ऋण प्रवाह, इन्फार्मल क्षेत्र से उधारों , ऋण प्राप्त करने सम्बन्धी लगे समय से महत्वपूर्ण बचतों और ऋण सुपुर्दगी की लागत मे समग्र रूप से कमी करने के सम्बन्ध में के सी सी योजना के अनेक लाभ उजागर किये गये हैं।

सर्वेक्षण में योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये नीति पहलों के क्षेत्रों का पता लगाया था। इनमें बैंक द्वारा के सी सी के जारी करने पर लगाये गये

स्रोत 1:– भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा वर्ष 2004–05 पेज नं. 70–71

प्रतिबंधों , के0 सी0 सी0 का प्रयोग केवल कार्ड जारी करने वाली शाखाओं तक ही सीमित है, समय पर पुर्नभुगतानों के लिये प्रोत्साहनों की अनुपलब्धता, ऋण की कम सीमा और वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना की जनजागरूकता के बारे में कम जानकारी होने से सम्बन्धित है। आर बी आई ने सुझाव दिया है कि इण्डियन बैंक एसोशियन इन सुझावों की समीक्षा करें और उपचारात्मक उपाय सुझायें।

9. **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कार्यक्रम संचालन में सहायक।**
10. **जवाहर रोजगार योजना में सहायक,**
11. **जवाहर समृद्धि योजना में सहायक,**
12. **प्रधानमन्त्री रोजगार योजना में सहायक,**
13. **स्पेशल कम्पोनेंट प्लान,**
14. **इन्दिरा आवास योजना,**
15. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना,**
16. **ग्रामीण पेयजल योजना।**

## d. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं वाणिज्यिक बैंक में अन्तर

एक ग्रामीण बैंक की अपनी विशेषता यह है कि वह शाश्वत उत्तराधिकार तथा सामान्य मुद्रा वाला पृथक निर्गमित निकाय होते हैं। वाणिज्यिक बैंक के आवेदन पर जब केन्द्र सरकार कोई ग्रामीण बैंक स्थापित करती है, तो वह उन स्थानीय सीमाओं का भी उल्लेख करती है, जिसके भीतर ग्रामीण बैंक को कार्य करना होता है। अतः यह कुछ तथ्यों में वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न हो जाते हैं। जिनमें अन्तर का मुख्य कारण निम्न हैं–

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य क्षेत्र सीमित होता है इसके अन्तर्गत किसी एक राज्य में एक से अधिक जिलो के एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है, जबकि

वाणिज्यिक बैंकों का कार्यक्षेत्र विस्तृत है, तथा किसी भी प्रतिबन्धात्मक शर्तो से भिन्न होता है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से छोटे सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों तथा अन्य उत्पादकों को ऋण और अग्रिम धन प्रदान करते है। जबकि वाणिज्यिक बैंक इनकी अपेक्षा बड़े उद्यमियों की ऋण प्रदान करते हैं।

3. ग्रामीण बैंकों की ब्याज दर सहकारी समितियों की ब्याज दरों से अधिक नहीं होती जबकि वाणिज्यिक बैंकों में अपेक्षाकृत अधिक होती है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीाण बैंकों के कर्मचारियों का वेतनमान एवं भत्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही वेतनमान इनको दिया जाता है। जबकि वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक वेतनमान दिया जाता है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा 1(क) के उपबंधो से छूट प्रदान की है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी जाने वाली आन्तरिक निधि नकदी उनके निवल मांग और मियादी देयताओं के तीन प्रतिशत ही बनी रहेगी, जबकि व्यापारिक बैंकों के सन्दर्भ में निरन्तर परिवर्तित होता रहता है।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामाजिक बैंकिंग की तरह कार्य करते हैं तथा इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करना है जबकि वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लार्भाजन करना है।

7. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 9 सदस्यों का एक संचालक मण्डल होता है,

जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है।

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों कार्यप्रणाली वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न है।

9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी 50:35:15 के अनुपात में क्रमशः केन्द्र सरकार प्रवर्तक बैंक एंव राज्य सरकार विनियोजित करती हैं जबकि वाणिज्यिक बैंक अपनी पूंजी स्वयं के स्रोतों से (अंश विक्रय) एकत्र करती है।

## e. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के उद्देश्य

**1975–76 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने प्रत्येक 17000 की आबादी पर एक बैंकिंग शाखा खोलने का जो निर्णय लिया उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य स्थानीय लोगों की साख एंव ऋण की सुविधा प्रदान करना था कि जिनसे लोगों की आय में वृद्धि हो एवं उनका आर्थिक स्तर ऊँचा हो सके। इसके साथ ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने के निम्नवत् उद्देश्य थे–**

1. बैंक शाखाओं में वृद्धि विशेषकर ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों मे करना।
2. छोटे तथा सीमान्त किसानों , कृषि मजदूरों, कारीगरों तथा छोटे उद्यमकर्ताओं को उधार तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना,
3. बैंकों के माध्यम से अधिक बचत राशियां जुटाना,
4. ऋण की दिशा निर्धारित करना ताकि कृषि, लघु उद्योग तथा छोटे कर्जदारों को लाभ प्राप्त हो सके,
5. ग्रामीण क्षेत्रों में साख–सुविधाओं की कमी को दूर करना,
6. देशी साहूकारों एवं महाजनों के चंगुल से ग्रामीणों को मुक्त कराना,
7. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा नियोजित ग्रामीण योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के उद्देश्य से,

8. बैंकिंग लागत को कम करने के उद्देश्य से,

9. ग्रामीण क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के उद्देश्य से,

10. वाणिज्यिक बैंकों की कमी को समाप्त करने के उद्देश्य से,

11. कृषि उत्पादन में वृद्धि,

## f. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रबन्ध

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना **क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग अधिनियम 1976** के अन्तर्गत होती है अतः इसका प्रबन्ध भी इसी अध्यादेश के अन्तर्गत किया जाता है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का प्रबन्धन एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है, जिसमें 9 सदस्य होते हैं। इनमें 6 सदस्य भारत सरकार द्वारा 1 सदस्य राज्य सरकार तथा 2 सदस्य प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। साथ ही भारत सरकार यदि चाहे तो इन सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है किन्तु यह अधिकतम संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। इस संचालक मण्डल को साथ–2 पर भारत सरकार एक अन्य सरकारी अध्यादेशों के द्वारा जारी आदेशों का पालन करना होता है।

प्रवर्तक बैंक अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन माह की सूचना अथवा तीन माह के वेतन एवं भत्ते का भुगतान कर निश्चित समय से पूर्व इसकी सेवायें समाप्त कर सकता है।

प्रवर्तक बैंक किसी भी व्यक्ति को जो बैंक का अधिकारी न हो एक निश्चित समय के लिये अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है किन्तु यह समय अधिकतम पांच वर्ष से अधिक नहीं होगा।

## ढ. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पूंजी ढाँचा

प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की पूंजी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अध्यादेश अधिनियम 1975 के अन्तर्गत वर्णित स्रोतों से एकत्र की जाती है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987 के अनुसार 5 करोड़ रूपये होगी और प्रत्येक अंश 100 रूपये का होगा जिनकी चुकाता अंश पूंजी 1 करोड़ रूपये रखी गयी है। जिनमें केन्द्रीय सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अर्थात 50 लाख रूपये प्रायोजक बैंक द्वारा 35 प्रतिशत अर्थात 35 लाख एवं राज्य सरकार द्वाा 15 प्रतिशत अर्थात 15 लाख होगी।

# अध्याय – 4

## बाँदा जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विकास

# अध्याय–4

## बाँदा जनपद में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का विकास

**क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के अन्तर्गत तुलसी ग्रामीण बैंक (प्रर्वतक इलाहाबाद बैंक) की स्थापना 26 मार्च 1981 को की गयी।** क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 की धारा 18(1) के अनुसार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 5 उपधारा 'बी' में वर्णित बैंकिंग व्यवसाय के व्यापार को करती और धारा 6 की उपधारा–1 के अन्तर्गत एक या अधिक कार्य को कर सकती है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की धारा 18(2) के नियमों के अनुसार बैंक निम्नप्रकार के व्यवसाय को कर सकती है–

(क) लघु एवं सीमान्त कृषकों एवं खेतिहर मजदूरों को व्यक्तिगत रूप से समूह रूप में सहकारी समितियों (कृषि मार्केटिंग समिति, सहकारी कृषि समिति एवं अन्य सम्बन्धित समितियों) को ऋण देना, एवं छोटे लोगों को उनके व्यवसाय में प्रोत्साहन देने एंव ग्रामीण दस्तकारों को उनके कार्यो में बढ़ावा देने तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य क्षेत्र में आने वाले व्यापार एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये ऋण देना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य क्षेत्र मे जनता से जमा अर्जन करना तथा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत पूर्व बांदा जनपद (वर्तमान चित्रकूट एवं बांदा जनपद) मे अपने कार्यक्रमों को गति देता है।

### 4.1 तुलसी ग्रामीण बैंक का ढाँचा–

31 मार्च 2005 तक एक नजर में –

**अ- मुख्य उपलब्धियाँ**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | अधिग्रहीत जनपद | 2 |
| 2. | शाखाओं की संख्या | 78 |
| | अ. ग्रामीण | 70 |
| | ब. अर्द्धशहरी | 8 |
| | स. शहरी | — |
| 3. | कर्मचारी | 377 |
| | (प्रर्वतक बैंक कर्मचारी छोड़कर) | |
| | जिनमें से अधिकारी | 200 |
| 4. | जमा | 3623804 |
| | प्रतिशत वृद्धि | 14.63 |
| 5. | उधार अवशेष | 325351 |
| | प्रतिशत वृद्धि | −39.97 |
| 6. | उधार एवं ऋण अवशेष | 2208350 |
| | प्रतिशत वृद्धि | 26.72 |
| | उपरोक्त 6 में से प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण | 1781911 |
| | उपरोक्त 6 मे से गैर लक्ष्य समूह को ऋण | 1192376 |
| | उपरोक्त 6 में से अनु0जाति0/जन0जाति0 को ऋण | 265002 |
| | उपरोक्त 6 में से एस0एफ0/एम0एल0/ए0एल0 को ऋण | 839173 |
| | उपरोक्त 6 में से अल्पसंख्यक को ऋण | 44167 |
| 7. | जमा ऋण अनुपात | 60.94 |
| 8. | निवेश अवशेष | 1531509 |
| | प्रतिशत वृद्धि | −13.58 |

| | | |
|---|---|---|
| | एस0एल0आर0 निवेश अवशेष | 1018327 |
| | गैर एस0एल0आर0 निवेश अवशेष | 513182 |
| **ब– औसत** | | |
| 9. | औसत जमा | 3147569 |
| | प्रतिशत वृद्धि | 19.08 |
| 10. | औसत उधार | 447171 |
| | प्रतिशत वृद्धि | 6.32 |
| 11. | औसत उधार एवं ऋण | 1869606 |
| | प्रतिशत वृद्धि | 32041 |
| 12. | औसत निवेश | 1730089 |
| | प्रतिशत वृद्धि | 21.62 |
| | औसत जमा के सापेक्ष औसत एस0एल0आर0 निवेश प्रतिशत | 31.23 |
| | औसत जमा के सापेक्ष औसत गैर एस0एल0आर0 प्रतिशत | 23.74 |
| 13. | औसत कार्यशील निधि | 3859907 |
| **स– वितरित ऋण** | | |
| 14. | वर्ष में वितरित ऋण | 694020 |
| | प्रतिशत वृद्धि | 32.11 |
| | उपरोक्त 14 में से प्राथमिकता क्षेत्र मे ऋण | 583309 |
| | उपरोक्त 14 मे से गैर लक्ष्य समूह को ऋण | 321276 |
| | उपरोक्त 14 में से अनु0जाति0/जनजाति को ऋण | 166565 |

उपरोक्त 14 में से लघु/सीमान्त/मजदूर को ऋण

281293

उपरोक्त 14 में से अल्पसंख्यकों को ऋण 10410

**द– उत्पादकता**

| | | |
|---|---|---|
| 15. | प्रतिशाखा | 74771 |
| | प्रतिकर्मचारी (अधीनस्थ कर्मचारी को छोड़कर) | 20464 |

**य– वसूली**

| | | |
|---|---|---|
| 16. | मांग | 1077955 |
| | वसूली | 701161 |
| | बकाया | 376794 |
| | वसूली प्रतिशत (जून 2004 की स्थिति) | 65.05 |
| 17. | कृषि क्षेत्र | |
| | मांग | 838266 |
| | वसूली | 607178 |
| | बकाया | 231088 |
| | वसूली प्रतिशत (जून 2004 की स्थिति) | 72.43 |
| 18. | गैर कृषि क्षेत्र | |
| | मांग | 239689 |
| | वसूली | 93983 |
| | बकाया | 145706 |
| | वसूली प्रतिशत (जून 2004 की स्थिति) | 39.21 |

**र– आस्तियों का वर्गीकरण**

| | | |
|---|---|---|
| 19. | मानक | 1774363 |
| | उपमानक | 135998 |
| | संदिग्ध | 297989 |
| | हानि आस्तियां | — |
| | **योग** | **2208350** |
| 20. | मानक आस्तियों का उधार एवं ऋण अवशेष के सापेक्ष प्रतिशत | 80.35 |

**ल— लाभप्रदाता विश्लेषण**

| | | |
|---|---|---|
| 21. | ब्याज भुगतान | 157671 |
| | जमा | 128892 |
| | उधार | 28779 |
| 22. | वेतन | 86717 |
| 23. | अन्य परिचालन व्यय | 21159 |
| 24. | वर्ष में किया गया प्रावधान | |
| | गैर निष्पादन आस्तियों के विरूद्ध | 72930 |
| | अन्य प्रावधान | 866 |
| 25. | ब्याज प्राप्त | 279227 |
| | उधार एवं ऋण | 161731 |
| | अन्य बैंकों के पास चालू खाते पर | 2604 |
| | एस0एल0आर0 निवेश/अल्पावधि जमा अन्य बैंकों के पास | 64253 |
| | गैर एस0एल0आर0 निवेश | 45339 |
| 26. | विविध आय | 24782 |
| 27. | लाभ/हानि | —(35334) |

उपरोक्त सारणी का अध्ययन करने के पश्चात तुलसी ग्रामीण बैंक के ढाँचे का अध्ययन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं।

**1. पूँजी**– तुलसी ग्रामीण बैंक की कुल अंशपूंजी 110000 रूपये हैं। जिसमें 50 प्रतिशत भाग भारत सरकार 35 प्रतिशत भाग इलाहाबाद बैंक (प्रवर्तक बैंक) तथा 15 प्रतिशत भाग राज्य सरकार का हैं।

**अधिग्रहीत जनपद** – तुलसी ग्रामीण बैंक के द्वारा दो जनपद चित्रकूट व बांदा को अपना कार्यक्षेत्र बनाया है।

**2. शाखाओं की संख्या**– तुलसी ग्रामीण बैंक की 31 मार्च 2005 तक कुल 78 शाखायें कार्यरत थीं जिनमें 70 शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों मे एवं 8 शाखायें अर्द्धशहरी क्षेत्रों में थीं।

| **जिला** | **शहरी** | **अर्द्धशहरी** | **ग्रामीण** |
|---|---|---|---|
| बांदा | – | 7 | 42 |
| चित्रकूट | – | 1 | 28 |
| **योग** | – | **8** | **70** |

**3. कर्मचारी**– तुलसी ग्रामीण बैंक मे कुल 377 कर्मचारी अपनी सेवायें दे रहे हैं जिनमें से 53 कर्मचारी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के है। तथा इनमें से 150 कर्मचारी अधिकारी श्रेणी I, 50 कर्मचारी अधिकारी श्रेणी II, 85 कर्मचारी लिपिक एवं सह रोकड़िया तथा 92 कर्मचारी अधीनस्थ श्रेणी के हैं।

**4. जमा**– 31 मार्च 2005 तक तुलसी ग्रामीण बैंक के द्वारा कुल 36,23,804 हजार रूपये का जमा स्वीकार किया गया।

**5. उधार अवशेष–** तुलसी ग्रामीण बैंक के द्वारा 31 मार्च 2005 तक कुल 32535/– हजार रूपये का उधार अवशेष था।

**6. उधार एवं ऋण अवशेष–** बैंक के द्वारा कुल 2208350 हजार रूपये का ऋण अवशेष वितरित किया गया जो और इस तरह से यदि जमा ऋण का अनुपात ज्ञात किया जाता है तो 60.94 को होता है एवं 1531500 का निवेश अवशेष बचता है।

## 4.2 तुलसी ग्रामीण बैंक के उद्‌देश्य एवं कार्य–

जनपद में विकास योजनाओं की असफलता का एक प्रधान कारण यह है कि इस जनपद में बैंकिंग संस्थाओं ने विशेषकर राष्ट्रीयकृत बैंकों ने विकास कार्यक्रमों में पर्याप्त एवं उचित तथा द्रुति भूमिका नही निभाई। **आज का समग्र विकास या समन्वित विकास वित्तीय व्यवस्था एवं तकनीकी कारण पर निर्भर है** वस्तुतः वित्तीयन का केन्द्रीय भाग बैंकिंग संस्थाओं द्वारा ऋण एवं अग्रिम जैसे क्रियाकलापों पर निर्भर है एवं बांदा व चित्रकूट जनपद ग्रामीण सात्व अन्तराल विद्यामान है जिनके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की ग्राम्य संरचना अर्थभावी नहीं हो पा रही है। राष्ट्रीयकरण के पश्चात यहां की बैंकिंग व्यवस्था काफी निम्नवत हो गयी है फिर तुलसी ग्रामीण बैंक की स्थापना (1981) के पूर्व यहां की विद्यमान बैंकिंग व्यवस्था न तो ग्रामीण एवं निर्बल वर्ग की आर्थिक, गतिविधियों के अनुरूप साख मांग का अनुमान लगा सकी और न ही विकास कार्यक्रमों के समान ढांचे में जनपदीय वित्तीय आवश्यकताओं को समायोजित कर सकी यद्यपि व्यावसायिक बैंकों की लार्भाजन प्रवृत्ति पर सुधार के रूप में राष्ट्रीयकरण के बाद अग्रणी बैंक योजना भी शुरू की गयी जिसका उद्‌देश्य बैंकिंग एवं विकास व्यवस्था से सह सम्बन्ध को क्षेत्रीय स्तर क्रियात्मक एवं व्यवहारिक रूप देना है।

उपरोक्त क्रम में 1981 के बाद तुलसी ग्रामीण बैंक की स्थापना होने के पश्चात जनपद के विकास मे इस बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया जहाँ इसके कारण ग्रामीणों को ऋण उपलब्ध कराने मे एक विशेष तेजी आयी, वहीं यह बैंक आज जनपद का प्रमुख वित्तीय पोषण संस्था बन गया। राष्ट्रीयकृत बैंक जहाँ जनपद से प्राप्त निवेश को बड़े जगहों पर प्रयोग करते हैं वही तुलसी ग्रामीण बैंक अपनी लाभदायकता को ध्यान मे दिये बगैर जनपद से प्राप्त जमा को जनपद पर ही छोटे–2 ऋणों में उपलब्ध कराके निवेश करता है। इस तरह तुलसी ग्रामीण बैंक की स्थापना के **प्रमुख उद्देश्य** निम्न थे–

## अ– उद्देश्य

1. जनपद के ग्रामीण अंचलों का विकास करना।
2. ग्रामीण अंचलों मे बैंकिंग सुविधा का विकास करना।
3. ग्रामीणों के पास पड़ी जमा धनराशि को एकत्र कर जनपद के विकास कार्यो मे लगाना।
4. ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को सस्ता एवं सुगम ऋण उपलब्ध कराना।
5. उन्हे देशी बैंकर एवं साहूकारों से मुक्त कराना।
6. कृषि उत्पादकता में वृद्धि हेतु कृषि ऋण उपलब्ध कराना।
7. लघु एवं सीमान्त कृषकों, दस्तकारों, श्रमिकों को ऋण उपलब्ध कराना।
8. ग्रामीण लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन हेतु उन्हें सुगम ऋण उपलब्ध कराना।
9. ग्रामीणों में व्यवसाय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।
10. लघु एवं खुदरा व्यवसायी को सामान्य ऋण सुविधा उपलब्ध कराना।

## ब– तुलसी ग्रामीण बैंक के कार्य–

अन्य वाणिज्यिक एवं क्षेत्रीय बैंकों की तरह तुलसी ग्रामीण बैंकों के कार्य भी वही हैं जो बैंकिंग अधिनियम 1938 तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 मे वर्णित हैं जो निम्न हैं–

1. **जमा स्वीकार करना–** तुलसी ग्रामीण बैंक ने 31 मार्च 2005 तक कुल 3161240 रूपये ग्रामीण जनता से जमा के रूप में स्वीकार किया, जो चालू खातों 387055 हजार रूपये तथा 2432 खाते 1986762 हजार रूपये बचत खाते जो 290311 खाते तथा 1249982 हजार रूपये सावधि खाते जो 92628 खातों के माध्यम से जमा हुआ।

2. **ऋण वितरण–** अन्य बैंकों की तरह तुलसी ग्रामीण बैंकों का कार्य ऋण वितरण भी शामिल है किन्तु यह ऋण वितरण ग्रामीण क्षेत्रों मे किया जायेगा जिसको ध्यान में रखते हुये 31 मार्च 2005 तक कुल 2208350 हजार करोड़ का किया गया। जिसमे यदि इसका योजनावार अध्ययन करते हैं तो एकीकरण ग्राम विकास योजना तथा स्वर्ण जयन्ती रोजगार योजना में 302800 हजार रूपये स्पेशल कम्पोनेन्ट योजना में 117089 हजार रूपये सामान्य ऋण 1362082 तथा अन्य ऋण पर 6439 हजार रूपये थी।

3. **फसल बीमा योजना को कार्यान्वित करना–** बैंक ने दोनों जनपदों में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे फसल बीमा योजना में बैंक सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

4. **गैर निधि व्यवसाय–** बैंक ने अपनी 7 शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी प्रदान की है, जिसमें उसने 31 मार्च 2005 तक 24742 हजार रूपये विनिमय एवं दलाली के रूप अर्जित किया।

## 4.3 तुलसी ग्रामीण बैंक का पूंजी ढाँचा

**(a) पूंजी ढांचा–** पूंजी ढाँचे से अभिप्राय पूंजी के दीर्घकालीन साधनों पारस्परिक अनुपात से है। इसमे स्वामी पूंजी अधिमान एवं पूर्वाधिकार अंश पूंजी तथा दीर्घ कालीन ऋण सम्मिलित किये जाते हैं।

**आई0 एम0 पाण्डे के अनुसार** "पूंजी ढाँचे से आशय दीर्घकालीन वित्तीय साधनों जैसे ऋणपत्रों दीर्घकालीन ऋण, पूर्वाधिकार अंश पूंजी आरक्षित राशि, अधिशेष, आदि के सम्मिश्रण से है।

उपरोक्त परिभाषा के आधार पर सर्वप्रथम हम तुलसी ग्रामीण बैंक के चिठ्ठे का अध्ययन करते हैं।

### तुलन पत्र 31.03.2005

**(धनराशि हजार में)**

| | अनुसूची | 31.3.2005 |
|---|---|---|
| **पूंजी एवं दायित्व** | | |
| पूंजी एवं शेयर पूंजी जमा | 1 | 110000 |
| प्रशिक्षित विधि एवं अवशेष | 2 | 7947 |
| जमा राशियां | 3 | 3623804 |
| उधार | 4 | 325351 |
| अन्य दायित्व एवं प्रावधान | 5 | 263889 |
| **योग** | | **4330991** |

अस्तियां

| | | |
|---|---|---|
| नकद तथा अवशेष | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास | 6 | 266546 |
| अन्य बैंकों में अवशेष एवं मांग | | |
| तथा अल्प सूचना पर जमा राशि | 7 | 706396 |
| निवेश | 8 | 1058827 |
| अग्रिम | 9 | 2208350 |
| अचल सआस्तियां | 10 | 10855 |
| अन्य आस्तियां | 11 | 80017 |
| **योग** | | **43,3,0991** |
| **समाश्रित दायित्व** | **12** | **2422** |

बैंक की अधिकृत पूंजी 500 लाख है, जिसमें निर्गमित एवं प्रदत्त पूंजी 100 लाख है। इस पूंजी में केन्द्र सरकार, प्रवर्तक बैंक, (इलाहाबाद बैंक) एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने क्रमशः 50:35:15 प्रतिशत का आनुपातिक अंशदान किया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनः संरचना योजना के अन्तर्गत रूपये 100 लाख क्षमता सहायता के रूप में 50:35:15 के अनुपात में केन्द्र सरकार, प्रवर्तक बैंक एवं उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की गयी।

उपरोक्त आर्थिक चिठ्ठे का विश्लेषण करने से पूर्व हम निम्न अनुपात का विश्लेषण करते हैं।

## अनुपात विश्लेषण

अनुपात दो या दो से अधिक परिवर्तियो के बीच का संबंध दर्शाता है। विक्रय,

लाभ, निवल लाभ, ऋण, ईक्विटी, चालू आस्तियां, चालू देयताएं आदि जैसी प्रत्येक महत्वपूर्ण मद के आंकड़ों के पृथक अध्ययन से पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहीं होती है। दो संबद्ध मदों के अनुपात की गणना के आधार पर बैंकर को उधारकर्ता यूनिट के विषय में अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न यूनिटों के तुलनात्मक अध्ययन और एक ही यूनिट के विविध वर्षो के तुलनात्मक अध्ययन मे अनुपात उपयोगी होते हैं।

अनुपात विगत एवं भावी दोनों रिकार्डो के लिए परिकलित किए जा सकते हैं। केवल विद्यमान उपक्रमों के लिए ही उनके तुलनपत्रों के विश्लेषण द्वारा विगत अर्थात् भूतपूर्व रिकार्ड का अध्ययन किया जा सकता है। वित्तीय पूर्वानुमानों के विश्लेषण द्वारा वर्तमान उपक्रमों एवं नये उपक्रमों के भावी रिकार्ड का अध्ययन किया जा सकता है। भूतपूर्व रिकार्डो के अध्ययन हेतु तुलनपत्रों के आंकड़ों के आधार पर और भावी निष्पादन के अध्ययन हेतु पूर्वानुमानित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर अनुपातों की गणना की जा सकती है।

किसी यूनिट की वित्तीय स्थिति और कार्य के अध्ययन के लिए विभिन्न सूत्रों के प्रयोग से बहुत से अनुपातों की गणना की जा सकती है। कतिपय यूनिटों के तुलनात्मक अध्ययन और एक ही यूनिट के विभिन्न वर्षो के तुलनात्मक निष्पादन के अध्ययन के लिए किसी अनुपात विशेष की गणना हेतु एकसमान सूत्र का अनुसरण आवश्यक है। अनुपात विश्लेषण परियोजनाओं के मूल्यांकन और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए अनुवर्ती कार्यवाही मे सहायक होता है। बैंक द्वारा परिकलत विभिन्न महत्वपूर्ण अनुपात नीचे दिए गए हैं।

## I.. ऋण सुरक्षा अनुपात या मूल्यांकन अनुपात

(i) ऋण ईक्विटी अनुपात (सावधि देयताओं का स्वयं की निधियों से अनुपात)

(ii) चालू अनुपात (चालू आस्तियों का चालू देयताओं से अनुपात)

(iii) ऋण सेवा कवरेज अनुपात (debt service coverage ratio)

(iv) अचल आस्ति कवरेज अनुपात

(v) लाभ–अलाभ बिंदू (एक अलग अध्याय में चर्चा की गई है)

(vi) आंतरिक प्रतिलाभ दर (एक अलग अध्याय मे चर्चा की गई है)

## II.. लाभप्रदता अनुपात

(i) ब्याज पट्‌टा किराया और मूल्यह्रास पूर्व लाभ **(PBILD)** से कुल आय

(ii) परिचालन लाभ का कुल आय से अनुपात

(iii) निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ

(iv) प्रति शेयर अर्जन **(EPS)**

(v) ब्याज कवरेज अनुपात

## III.. टर्नओवर अनुपात

(i) चालू आस्ति धारण अनुपात

(ii) वसूली अनुपात

(iii) कुल आय का निवल अचल आस्ति में अनुपात

(iv) पूंजी टर्नओवर

यूनिट की वित्तीय स्थिति और उसके कार्य के अध्ययन हेतु अब हम प्रत्येक अनुपात के विभिन्न घटकों और प्रत्येक अनुपात की उपयोगिता की चर्चा करेंगे।

## I.. ऋण ईक्विटी अनुपात

(सावधि देयताओं का स्वयं की निधियों से)

यह अनुपात सावधि देयताओं और स्वयं की निधियों के बीच का संबंध दर्शाता है और पूंजी अनुकूलन (capital gearing) के मूल्यांकन में सहायक होता है। ऋण हेतु सुरक्षार्थ पूंजी की कतिपय राशि होना आवश्यक है। ऋण ईक्विटी अनुपात जितना अधिक होगा उतना कम मार्जिन बैंकर को अपने सावधि ऋणों के लिए उपलब्ध होगा।

देयताओं की चुकौती योग्य अवधि के आधार पर पूंजी और देयताओं की सभी मदें (क) चालू आस्तियों, (ख) सावधि देयताओं और (ग) ईक्विटी मे विभाजित की जा सकती हैं। एक वर्ष के अंतर्गत चुकौती योग्य सावधि ऋण की किस्तों और एक वर्ष के अंतर्गत प्रतिदेय अधिमान पूंजी को चालू देयता माना जाना चाहिए। इसी प्रकार एक वर्ष बाद प्रतिदेय सावधि जमाराशियों को दीर्घावधि ऋण माना जाना चाहिए और इसे चालू देयताओं के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। अधिमान शेयर पूंजी, विक्रय कर ऋण और अन्य प्रोत्साहन ऋण क्वासी ईक्विटी माने जाने चाहिए और उन्हें केवल तब तक ईक्विटी में शामिल किया जाना चाहिए जब तक उनकी प्रतिदेयता/पुनर्भुगतान तीन वर्ष बाद देय हो। इसके बाद अधिमान शेयर/विक्रय-कर ऋण और अन्य प्रोत्साहन ऋण देयताओं के अंश माने जाने चाहिए।

**निम्नलिखित मदों को ऋण में शामिल किया जाना चाहिए :**

(i) दीर्घावधि ऋण/जमाराशियां

(ii) डिबेंचरों – परिवर्तन होने तक परिवर्तनीय डिबेंचरों को ऋण (सिवाय डिबेंचरों का वह भाग जो अनिवार्य रूप से ईक्विटी में परिवर्तनीय है) माना

जाना चाहिए।

(iii) तीन वर्षो के अंतर्गत अधिमान शेयर पूंजी।

(iv) तीन वर्षो के अंतर्गत चुकौती योग्य विक्रय कर ऋण।

(v) तीन वर्षो के अंतर्गत चुकौती योग्य अन्य प्रोत्साहन ऋण।

(vi) देय भावी पट्टा किराया।

(vii) कार्यशील पूंजी सावधि ऋण

(viii) वाह्म वाणिज्यिक उधार।

(ix) विदेशी आपूर्तिकार के ऋण।

(x) आस्थगित ऋण।

(xi) आस्थगित ब्याज।

(xii) अप्रतिभूत ऋण और जमाराशियां।

जो भी देयताएं एक वर्ष के अंतर्गत पुनर्देय हों उन्हें चालू देयता और एक वर्ष के बाद देय हों उन्हें सावधि ऋण माना जाता है। उपरोक्त देयों की एक वर्ष के अंतर्गत देय किस्तें कुल योग से घटाकर दीर्घावधि ऋण का आंकड़ा प्राप्त किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित मदों को ईक्विटी में शामिल किया जाना चाहिए :

(i) ईक्विटी शेयर पूंजी

(ii) तीन वर्ष बाद प्रतिदेय अधिमान शेयर पूंजी

(iii) किसी भी अन्य प्रकार की शेयर पूंजी

(iv) मुक्त आरक्षित निधियां एवं अधिशेष तथापि आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा रक्षित , आरक्षित निधियों को शामिल नहीं किया जा सकता है।

(v) सहायकी।

(vi) तीन वर्ष बाद चुकौती योग्य विक्रय कर ऋण।

(vii) तीन वर्ष बाद चुकौती योग्य अन्य प्रोत्साहन ऋण।

(viii) प्रवर्तकों से प्राप्त गौण ऋण जो वित्तपोषणकर्ता बैंक की अनुमति के बिना चुकौती योग्य नहीं है।

(ix) डिबेंचरों का अंश जिसका अनिवार्यतः ईक्विटी शेयर में परिवर्तन किया जाना है।

संचित हानियां, बकाया मूल्यह्रास, प्रारंभिक व्यय जो बट्टे खाते में नहीं डाला गया है और ख्याति, ये सब उपरोक्त मदों के योग से ईक्विटी का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए घटाये जाते हैं।

यूनिट की समग्र ऋण स्थिति और पूंजी अनुकूलन का पता लगाने के लिए बैंकों ने हाल ही में ऋण ईक्विटी अनुपात की गणना शुरू कर दिया है। इसमें कुल देयताओं, अल्पावधि और दीर्घावधि दोनों की तुलना ईक्विटी से की जाती है। हालंकि, इस अनुपात के विषय में कोई मानदंड नहीं सुझाए गए हैं।

## II.. चालू अनुपात

(चालू आस्तियों का चालू देयताओं से)

इस अनुपात से बैंक की नकदी (liquuidity) स्थिति का पता चलता है।

चालू आस्तियों मे निम्नलिखित मदें शामिल की जानी चाहिए :

(i) नकदी एवं बैंक शेष

(ii) निवेश

(क) सरकारी एवं अन्य न्यासी प्रतिभूतियां (दीर्घावधि प्रयोजनार्थ को छोड़कर

अन्य उदाहरणार्थ–निक्षेप निधि, उपदान निधि आदि)

(ख) बैंकों के पास सावधि जमाराशियां

(iii) आस्थगित प्राप्य राशियों को छोड़कर विक्रय के परिणामस्वरूप अन्य प्राप्य राशियां (बैंकों द्वारा खरीदे गए और डिस्काउंट किए गए बिलों सहित)

(iv) एक वर्ष के अंतर्गत देय आस्थगित प्राप्य राशियो की किस्तें।

(v) कर हेतु अग्रिम भुगतान

(vi) पूर्व–प्रदत्त व्यय

(vii) अगले 12 महीनों के दौरान अचल आस्तियों के संविदागत विक्रय से प्राप्त होने वाला भुगतान।

**चालू देयताओ मे निम्नलिखित मदें शामिल की जानी चाहिए :**

(i) (क) बैंक एवं (ख) अन्यों से अल्पावधि ऋण (खरीदें और डिस्काउंटेड बिलों को शामिल करते हुए)

(ii) अप्रतिभूत ऋण

(iii) एक वर्ष के अंदर परिपक्व होने वाली जनता से प्राप्त जमाराशियां

(iv) विविध लेनदार

(v) उपचित किंतु भुगतान हेतु देय नहीं, ऐसे ब्याज एवं प्रभार

(vi) ग्राहकों से अग्रिम/प्रोग्रेस भुगतान

(vii) एक वर्ष के अंतर्गत देय सावधि ऋण किस्तें, आस्थगित भुगतान ऋण, डिबेंचर, प्रतिदेय अधिमान शेयर और दीर्घावधि जमाराशियां

(viii) सांविधिक देयताएं

(क) देय भविष्य निधि राशि

(ख) कराधान प्रावधान

(ग) विक्रय कर, एक्साइज

(घ) कर्मकारों के प्रति दायित्व जिसे सांविधिक माना जाता है।

(ड़) अन्य कोई सांविधिक देयता जिसका भुगतान एक वर्ष के अंतर्गत होना है।

(x) विविध चालू देयताएं।

(क) लाभांश

(ख) व्ययों के लिए देयताएं

(ग) एक वर्ष के अंतर्गत देय उपदान राशि

(घ) अन्य प्रावधान

(ड़) एक वर्ष के अंतर्गत देय अन्य कोई भुगतान

बैंकों को कार्यशील पूंजी वित्त हेतु आवश्यक मार्जिन उपलब्ध कराने के लिए चालू आस्तियां, चालू देयताओं से अधिक होनी चाहिए। लगभग 25 प्रतिशत चालू आस्तियों का वित्तीयन दीर्घावधि निधियों (स्वयं की निधियों और सावधि ऋणों) से होना चाहिए। इससे चालू अनुपात 1.33 प्रतिशत होता है। अतः नयी परियोजनाओं के लिए दीर्घावधि निधियों की आवश्यकताओं का अनुपात करते समय कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन धन की गणना कुल चालू आस्तियों के 25 प्रतिशत के समान करनी चाहिए। कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन धन की आवश्यकता परियोजना की पूजीगत लागत में शामिल की जानी चाहिए और अन्य अचल आस्तियों की तरह इसके वित्तीय हेतु दीर्घावधि संसाधनों का प्रावधान किया जाना चाहिए।

यदि किसी यूनिट का चालू अनुपात 1.33 से कम है तो कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु बैंकर को पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध कराने के लिए दीर्घावधि स्रोत (स्वयं की निधियां और सावधि ऋण) जुटाने के प्रयास किए जाने चाहिए।

## III.. ऋण सेवा कवरेज अनुपात

यह अनुपात ऋण चुकाने और उसका ब्याज अदा करने की बैंक की क्षमता दर्शाता है। इस अनुपात की गणना करने का सूत्र निम्नानुसार है :

कर पश्चात् लाभ + मूल्यह्रास + सावधि ऋण पर ब्याज + पट्टा किराया (lease rentals) यदि हो कोई हो

उपरोक्त अनुपात की गणना समग्र चुकौती अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष के लिए अलग–अलग की जानी चाहिए और समग्र चुकौती अवधि के लिए औसत के रूप मे भी की जानी चाहिए। औसत ऋण सेवा कवरेज अनुपात (DSCR) की गणना समग्र चुकौती अवधि के लिए अंश (Numerrator) और हर (Denominator) के सभी मूल्यों का योग लेकर की जानी चाहिए न कि प्रत्येक वर्ष DSCRs के का औसत लेकर। सामान्यतः यह अनुपात लगभग दो होना चाहिए। यह अनुपात सावधि ऋण की चुकौती की क्षमता दर्शाता है अतः सावधि ऋण देने वाली संस्था के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण अनुपात है। यदि संबद्ध यूनिट लाभार्जन नहीं करता है तो सावधि ऋण की अदायगी नहीं हो सकती है। बिना लाभार्जन सावधि ऋण की चुकौती का परिणाम होगा कार्यशील पूंजी मे कमी, नकदी का अभाव और यूनिट के कार्य में अधिक गिरावट। अतः चुकौती अनुसूची लाभप्रदता अनुमानों के आधार पर तैयार की जानी चाहिए।

## IV. अचल आस्ति कवरेज अनुपात

सावधि ऋण सामान्यतः अचल आस्तियों की प्रतिभूति पर मंजूर किए जाते हैं। अचल आस्तियों की प्रतिभूति पर दिए गए सावधि ऋण से अचल आस्तियों का आधिक्य प्रतिभूति पर मार्जिन उपलब्ध कराता है। उपलब्ध प्रतिभूति कवर का पता लगाने के लिए अचल आस्ति कवरेज अनुपात की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है।

**निवल अचल आस्तियां + प्रक्रियारत पूंजीगत कार्य (capital work-in-process)**

**आस्थिगित ऋण (deferred credits) सावधि ऋण + अचल आस्तियों पर प्रथम भार द्वारा प्रतिभूत डिबेंचर + अचल आस्तियों पर समरूप (jpari passu) भार वाले ऋण**

विद्यमान यूनिटों के मामले में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सर्जित की जाने वाली अचल आस्तियां वर्तमान निवल आस्तियों (मूल्यह्रास घटाने के बाद की सकल आस्तियां) मे ंजोड़ी जाती हैं। यदि दोनो ऋणों की अचल आस्तियों पर समरूप भार प्राप्त है तो इसी प्रकार प्रस्तावित सावधि ऋण वर्तमान साविध ऋणों मे जोड़े जाते हैं। यदि किसी अचल आस्ति पर किसी विशेष ऋण हेतु विनिर्दिष्ट भार है तो ऐसी अचल आस्ति की राशि शामिल नहीं की जानी चाहिए। यदि वर्तमान चालू आस्तियों मे पुनर्मूल्यांकन द्वारा कुछ परिवर्धन शामिल किया गया है तो वर्तमान निवल आस्तियों का पता लगाने के लिए उसे घटा दिया जाना चाहिए।

नये यूनिटों के मामले में प्रस्तावित अचल आस्तियां प्रस्तावित सावधि ऋणों को सुरक्षा (cover) प्रदान करेंगी। प्रस्तावित अचल आस्तियां परियोजना की सकल पूंजी लागत के समान होंगी। सिवाय वे प्रारंभिक व्यय जिन्हें पूंजीकृत (capitalized) नहीं किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि परियोजना की पूंजीगत लागत का अनुमान लगाते समय आकस्मिकताओं हेतु किया गया प्रावधान अचल आस्तियों का एक भाग होता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इस प्रावधान का उपयोग अचल आस्तियों के सर्जन के लिए किया जायेगा।

अचल आस्ति कवरेज अनुपात ऋण अनुपात पर निर्भर करता है। ऋण ईक्विटी अनुपात अधिक होने पर उपलब्ध मार्जिन कम होगा। क्योंकि अचल आस्तियो के अर्जन हेतु सावधि ऋणों की राशि अधिक होगी। आजकल प्रयोजन

उन्मुख अग्रिमों पर प्रतिभूति उन्मुख अग्रिमों से अधिक जोर दिया जाता है। अतः सावधि ऋण की चुकौती सुनिश्चित करने के लिए ऋण सेवा कवरेज अनुपात पर अधिक जोर दिया जाता है। यदि बैंकों को परियोजना मे अत्याधिक जोखिम प्रतीत होता है तो वे संपार्श्विक प्रतिभूति या प्रवर्तकों की वैयक्तिक गारंटी मांगते हैं।

| | अनुपात | गणना–सूत्र |
|---|---|---|
| 1. | लाभप्रदता अनुपात<br>i) PBILD का<br>कुल आय स<br>(%) | ब्याज, पट्टा किराया औ मूल्यह्रास<br>पूर्व लाभ x 100<br>— — — — — — — — — —<br>निवल विक्रय + परिचालनगत आय<br>परिचालनगत आय मे रद्दी विक्रय, जॉब / प्रोससिंग प्रभार, तकनीकी सेवा प्रभार, शुल्क वापसी , रॉयल्टी आदि से आय शामिल है। ऐसी आय यूनिट के परिचालन से प्राप्त होती है। किन्तु विक्रय का भाग नहीं होती है। |
| | (ii) परिचालन लाभ का कुल आय से<br>(%) | परिचालन लाभ (ब्याज, पट्टा किराया और मूल्याह्रास के प्रावधान के बाद किंतु कराधान से पूर्व का लाभ ) x 100 |
| | (iii) निवेशित पूंजी पर प्रतिलाभ<br>(%) | परिचालन लाभ + गैर – परिचालनगत आय + ब्याज + पट्टा किराया x 100<br>— — — — — — — — — — —<br>निवल अचल आस्तियां + देय पट्टा किराया + निवेश + चालू आस्तियां प्रावधान – लेनदान<br>नियोजित पूंजी की गणना देयताओ के बजाय नियोजित आस्तियो के आधार पर की जानी चाहिए। चालू देयताएं जिन पर ब्याज अदा नहीं करना पड़ता है अर्थात प्रावधान और लेनदार चालू आस्तियों मे शामिल नहीं किए जाते हैं। |

|  | अनुपात | गणना–सूत्र |
|---|---|---|
|  | iv) प्रतिशेयर अर्जन (EPS) (रूपये में) | निवल लाभ–अधिमान लाभांश– अन्य लाभांश x 100<br>— — — — — — — — — — —<br>वर्षान्त मे ईक्विटी शेयरों की संख्या |
|  | v) ब्याज कवरेज अनुपात गुना (times) | PBILD – कर<br>— — — — — — — — — — — — —<br>ब्याज + पट्टा किराया |
| 2 | xi) वसूली अनुपात (महीने) | प्राप्य राशियां (डिस्काउंट किए गए बिलों की आकस्मिक देयता सहित<br>— — — — — — — — — — —<br>सकल विक्रय / 12 |
|  | xii) कुल आय का निवल अचल आस्ति से अनुपात (गुना) | निवल विक्रय+अन्य आय (परिचालनगत)<br>— — — — — — — — — — —<br>निवल अचल आस्तियां+देय भावी पट्टा किराया |
|  | xiii) पूंजी टर्नओवर अनुपात (गुना) | निवल विक्रय+अन्य आय (परिचालनगत) अन्य आय (गैर–परिचालनगत)<br>— — — — — — — — — — —<br>निवल अचल आस्तियां + देय भावी पट्टा किराया + निवेश + चालू आस्तियां–प्रावधान–लेनदार |

## 4.4 ग्रामीण विकास कार्यक्रम में तुलसी ग्रामीण बैंक का योगदान

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार भारत गांवों में बसता है। ग्रामीण विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है क्योंकि तीन–चौथाई जनसंख्या गांवों में निवास करती है तथा राष्ट्रीय आय का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था से प्राप्त होता है। विगत दो दशकों से केन्द्रीय सरकार से ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने हेतु अपने बजट का अधिक से अधिक हिस्सा आवंटित किया है। राज्य सरकार भी पर्याप्त व्यय राशि ग्रामीण विकास पर आवंटित कर रही है। ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विकास के लिये जो सबसे पहले प्रयास किया गया वह था सामुदायिक विकास को योजना निर्माताओं ने एक पद्धति के रूप में स्वीकार किया जबकि राष्ट्रीय विस्तार सेवा को एक ऐसी संस्था के रूप में स्वीकार किया जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में मदद करें साथ ही जहाँ सामुदायिक विकास को विकास का एक आधारभूत प्रखण्ड माना गया जो कि तीन वर्ष के अन्दर प्रखण्डपूर्ण जीवन में परिवर्तन ला सके। वही राष्ट्रीय विस्तार सेवा को एक स्थायी बहुउद्देशीय विस्तार संस्था के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अतिरिक्त जन–मानस में स्वयं उत्थान की भावना को जगाना था।

गांधी जी ग्राम विकास के सम्बन्ध में एक कल्पना थी। इस कल्पना को उन्होंने सर्वप्रथम 1909 में छपी अपनी पुस्तक **'हिन्द स्वराज'** में स्पष्ट किया था। वे **भारत की प्राचीन ग्राम व्यवस्था को बनाये रखना चाहते थे जिसमें पंचायतों का महत्पपूर्ण योगदान होता था और गांव अपनी जरूरतों के मामलों में आत्मनिर्भर होते थे जो कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है "आजादी नीचे से शुरू होनी चाहिये।**

स्रोत–1 कुरूक्षेत्र फरवरी 2000–पृष्ठ–42

**हर एक गांव में जम्हूरी सल्तनत या पंचायत का राज होगा। उसके पास पूरी सत्ता और ताकत होगी। इसका मतलब कि हर गांव को अपने पांव पर खड़ा होना होगा। अपनी जरूरतों खुद पूरी करनी होगी ताकि वह सारा कारोबार खुद चल सके।** जिस समाज का हर एक आदमी और औरत यह जानता है कि उसे क्या चाहिए और उससे भी बढ़कर जिसमें यह माना जाता है कि बराबर की महेनत करके भी दूसरों को जो चीज नहीं मिलती है वह खुद भी किसी को नहीं लेनी चाहिए। वह समाज जरूर ही बहुत ऊँचे दर्जे की सभ्यता वाला होना चाहिए। ऐसा समाज अनगिनत गांवो का बना होना उसका फैलाव एक के ऊपर एक ढंग पर नहीं बल्कि लहरों की तरह एक के बाद एक ही शक्ल में होगा। जिन्दगी मीनार की शक्ल मे नहीं होगी जहां ऊपर की तंग चोटी के नीचे के चौठ पाये पर खड़ा होना पड़ता है। ''इस उद्धरण में गांधी जी कल्पना को साकार करने के लिए जिस ढंग से आवश्यकता थी, उसके स्थान पर नेहरू जी ने पश्चिमी ढंग के विकास के ढांचे को अपनाया। तभी तो गांधी जी कहा करते थे, ''भारत का हृदय गांवो मे बसता है गांवों की उन्नति से ही भारत की उन्नति हो सकती है।

पिछले पचास वर्षो में ग्राम विकास के जो काम हुए हैं उन पर संतोष व्यक्त कर सकते हैं जिसमें गांवों मे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक चिकित्सा आदि उपलब्ध कराया गया है भूमिहीनों, खेतिहर मजदूरों और अन्य असहाय तथा निर्धन वर्गो के लिए गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम जैसे– जवाहर रोजगार योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ट्राइसेम, स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार योजना आदि इन योजनाओं के माध्यम से गांवों के निर्धन वर्गो को राहत मिल रही है।

योजना के प्रारम्भ में ग्रामीण विकास के लिये सरकार ने अलग से इस

समस्या के समाधान पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, किन्तु चौथी योजना के समय से इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। ग्रामीण विकास के लिये आठंवी पंचवर्षीय योजना में आवंटित राशि तीस हजार करोड़ (30000) रूपये थी, जो कि नौंवीं पंचवर्षीय योजना में 42,874 करोड़ रूपये कर दी गयी, वर्ष 2000–01 के लिये विभिन्न योजनाओं हेतु 9760 करोड़ रूपये रखे गये।

तुलसी ग्रामीण बैंक द्वारा वर्तमान समय में चल रहे कुछ महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास हेतु किये गये कार्यक्रमों का विवरण निम्न है।

## 1. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम :–

बहुत से अर्थ विशेषज्ञों में अपने अध्ययन में यह बात साफ कर दी है कि जहाँ आर्थिक सम्वृद्धि द्वारा विकासशील देशों में प्रतिव्यक्ति आय को उन्नति किया जा सकता है उसके साथ यह जरूरी नहीं है कि निर्धनता कम हो जाये और बेराजगारी और अल्प रोजगार को समाप्त किया जाये इसके विरूद्ध तृतीय विश्व के देशों में विकास प्रक्रिया में संप्रेक्षतः विकसित क्षेत्रों और आर्थिक दृष्टि से उन्नत लोगों को लाभ पहुंचाया है इस परिस्थिति के लिये यह जरूरी है कि ग्राम निर्धनता को कम करने के लिये ऐसे कार्यक्रम चलाये जायें जिससे निर्धनता रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों का स्तर निर्धनता स्तर के ऊपर लाया जा सके। **इस उद्‌देश्य को प्राप्त करने के लिये छठी योजना में ग्राम विकास के 'सम्वन्वित' कार्यक्रम की कल्पना की गयी।** **'सम्वन्वित'** यहां चार आयामों को सम्मिलित करता है। **क्षेत्रीय कार्यक्रमों का समन्वय, भौगोलिक समन्वय, सामाजिक और आर्थिक प्रक्रियाओं का समन्वय और इन सबसे ऊपर इन सभी नीतियों का समन्वय करना होगा** जो विकास निर्धनता की समाप्ति और रोजगार जनन के बीच बेहतर ताल–मेल बैठाना चाहती है।[2]

स्रोत 2:– भारतीय अर्थव्यवस्था रूद्रदत्त एवं के.पी.एम. सुन्दरम, पृष्ठ सं. 285

सम्वन्वित विकास कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर 1980 को पूरे देश में 5011 विकास खण्डों में एकसाथ चालू किया गया। इसे ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में जारी किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने के लिये समृद्ध बनाना है यह कार्यक्रम केन्द्र और राज्यों द्वारा 50–50 के अनुपात में वित्त पोषित है इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सीधे ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी0आर0डी0ए0) को उपलब्ध करायी जाती है।

यह प्रोग्राम सहाययों की एक क्रमिक योजना पर आधारित है जिसके आधीन एक पूंजी लागत का 25 प्रतिशत छोटे किसानों को 33.3 प्रतिशत सीमान्त किसानों को कृषि मजदूरों, और ग्रामीण कारीगरो को 50 प्रतिशत, जनजाति लाभ प्राप्तकर्ताओं को सहाय के रूप में प्रदान किया जायेगा।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम **बांदा जनपद** में भी प्रारम्भ किया गया यह योजना जनपद में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से अनुदान प्रदान कर रही है। एकीकृत ग्राम विकास के अन्तर्गत तुलसी ग्रामीण बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2003–04 में कुल रूपये 400 लाख का लक्ष्य रखा गया है जिसे 589 खाताधारकों के माध्यम से 283.63 लाख रूपये का ही वितरण किया जा सका तथा अवशेष राशि 27976 खाताधारकों के माध्यम से 2775.92 लाख रूपये थी जो वित्तीय वर्ष 2004–05 में बढ़ाकर 500 लाख को लक्ष्य रखा गया किन्तु इसे 1233 खाताधारकों के माध्यम से 554.24 लाख रूपये का वितरण किया जा सका तथा अवशेष राशि 27,632 खाताधारकों के माध्यम से 2838.75 लाख थी।[3]

इस प्रकार जनपद के ग्रामीण विकास मे तुलसी ग्रामीण बैंक की भूमिका सराहनीय कार्य कर रही है।

स्रोत 3:– वार्षिक प्रतिवेदन तुलसी ग्रामीण बैंक 2004–05

## 2. ट्राइसेमः—

ग्रामीण युवकों की बेरोजगारी जैसी समस्या हल करने के लिए 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम योजना शुरू की गयी, इसका उद्देश्य उन ग्रामीण युवाओं की तकनीकी तथा उद्यमशीलता की कुशलनता प्रदान करना है, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के हैं, ताकि कमाई करने वाले कार्य शुरू कर सकें। इस योजना की विशेषतायें इस प्रकार हैं।[4]

A- प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, नेहरू युवक केन्द्रों, कृषि विज्ञान केन्द्र, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों द्वारा संचालित संस्थानों में दिया जाता है।

B- प्रशिक्षण की अवधि छः माह से या इससे अधिक जिसे घटाया—बढ़ाया जा सकता है।

C- प्रशिक्षण पाने वाला युवा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का संभावित लाभार्थी होता है।

D- प्रशिक्षण पाने वालों में अनुसूचित जाति एवं जनजातीय युवाओं की संख्या कम से कम 50 प्रतिशत एवं युवतियों की संख्या कम से कम 40 प्रतिशत होती है।

E- प्रशिक्षण के बाद स्वरोजगार या नौकरी में समर्थ विकलांगों के लिये कम से कम 3 प्रतिशत लाभ निर्धारित होता है।

F- इस कार्यक्रम के लिये अधिकतम आयु सीमा 18 से 35 के बीच होनी चाहिये।

स्रोत 4:—कुरूक्षेत्र माच 1998 पृष्ठ 34

स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण योजना छठीं योजना में 10.05 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य था, लेकिन वास्तव में 9.4 लाख युवाओं को ही प्रशिक्षण दिया जा सका। प्रशिक्षण पाने वालों में 34.85 प्रतिशत महिलायें और 31 प्रतिशत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के थे। सातवीं योजना में 8.73 लाख और 90–91 से 98–99 तक नौ वर्षो में 23.28 लाख ग्रामीण युवकों को इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया गया। अप्रैल 1999 में इस योजना को स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया।[5]

स्वरोजगार के लिये ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण योजना जनपद बांदा में 1979 में ही शुरू की गयी यह योजना जनपद बांदा में प्रत्येक विकास खण्ड से कम से कम 40 व्यक्तियों को प्रतिवर्ष अवश्य प्रशिक्षित करती है, इसमें लघु एवं सीमान्त कृषक, कृषि श्रमिक तथा ग्रामीण कारीगर तथा अन्य निर्धनता रेखा के नीचे वाले व्यक्तियों को बढ़ईगिरी, माचिस बनाने, दरी–कालीन बनाना, वस्त्र बुनना, सिलाई मशीन आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षणार्थी की वित्तीय सहायता प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। जनपद बांदा में इस कार्यक्रम के संचालन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के साथ–साथ व्यापारिक बैंक, सहकारी बैंक तथा अन्य बैंक भी सहयोग दे रही हैं।

### 3. स्पेशल कम्पोनेंट प्लान

स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों को गरीबी रेखा के ऊपर उठाने के लिये आर्थिक सहायता के रूप में विभिन्न आर्थिक रूपों में बैंकों के माध्यम से उक्त –ऋण के माध्यम से अधि ाकतम रूपये तक अनुदान तथा अधिकतम 5000 रूपये तक मार्जन मनी ऋण 4 प्रतिशत ब्याज की दर पर दिया जाता है।

स्रोत 5:–भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्र एस के एवं पुरी वी0 के0 पृष्ठ– 129

इस योजना के अन्तर्गत केवल अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को ही लाभान्वित किया जाता है। इसके कार्यान्वन का क्षेत्र ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में है। शासन द्वारा सभी विभागों के बजट में स्पेशल कम्पोनेंट योजना के लिये 20–30 प्रतिशत धनराशि का आवंटन किया जाता है।

अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 11800/– रूपये तथा ग्रामीण क्षेत्र में 11000 रूपये से अधिक न हो उन्हीं परिवारों को लाभान्वित किया जायेगा।

तुलसी ग्रामीण बैंक ने वर्ष 2003–04 में 220000000 रूपये का लक्ष्य निध ारित किया जबकि वास्तव में 30518000 रूपये 1891 खातों के माध्यम से वितरित किये, जो वर्ष 2004–05 में घटाकर 20000000 करोड़ का ही लक्ष्य निर्धारित किया गया, किन्तु वास्तव में 25570000 की राशि 1598 खातों के माध्यम से ऋण के रूप में वितरित की गयी।

## 4. किसान क्रेडिट कार्ड योजना

किसानों को उनके उत्पादन आवश्यकता की पूर्ति के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण प्राप्त करने हेतु सन् 1998–99 में माननीय वित्त मंत्री भारत सरकार के द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (K.C.C.) जारी किये जाने की इच्छा बजट भाषण में प्रकट की तत्पश्चात अगस्त 1998 में नाबार्ड ने एक मॉडल योजना तैयार कर वाणिज्यिक बैंकों , क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सहकारी बैंकों में परिचालित किया, अनुभवों के आधार पर इस योजना में समय–2 पर सुधार किये गये, जो वर्तमान में फसल ऋण योजना का स्थान ले लिया है। इस योजना की प्रमुख विशेषतायें निम्न हैं।

- ऋण प्रक्रिया को सरल व लचीली बनाना, जिससे ''सम्पूर्ण फार्म एप्रोच'' को अपनाते हुये सिंगल विन्डो प्रणाली के अन्तर्गत किसानों को ऋण आवश्यकता हेतु

ऋण प्रदान करना।

- 5000 रूपये या अधिक उत्पादन ऋण के लिये पात्र किसान, किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- पात्र किसानों को किसान कार्ड और पासबुक उपलब्ध करवायी जायेगी।
- सीमा के भीतर कितनी बार आहरण और भुगतान सहित परक्रामी नकद उधार सुविधा का प्रावधान होगा।
- प्रचलनात्मक जो, फसल पैटर्न और वित्त श्रेणी के आधार पर वित्त सीमा निर्धारित की जायेगी।
- बैंकों के विवेक पर उपसीमायें निर्धारित की जायेंगी।
- वार्षिक समीक्षा के शर्त पर कार्ड 3 वर्ष के लिये वैद्य होगी।
- प्रत्येक आहरण का भुगतान 12 माह मे करना होगा।
- कार्ड और पासबुक साथ होने पर स्लिप/चेक के माध्यम से आहरण किया जायेगा।

इस योजना का कार्यान्वयन 27 वाणिज्यिक बैंकों 334 केन्द्रीय सहकारी बैंकों 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से किया जा रहा है।

तुलसी ग्रामीण बैंक ने किसानों की उत्पादकता गति विधियों के साथ–साथ घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति मार्च 2004 तक 14048 किसानों को क्रेडिट कार्ड जारी किये, जिसमें रूपये 275120 हजार की ऋण सीमा सम्बद्ध थी। जो मार्च 2005 की समाप्ति पर बढ़ाकर 21317 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये, जिसमें रूपये 435709 हजार की ऋण सीमा सम्बद्ध थी।[6]

स्रोत 6:–वार्षिक प्रतिवेदन तुलसी ग्रामीण बैंक 2004–05

## 5. खादी एवं ग्रामोद्योग

खादी केवल एक कपड़ा ही नही बल्कि यह एक जीवन दर्शन है। खादी से भारत का दर्शन होता है–खादी से पावन धरती की सुगन्ध आती है। अपने हाथो द्वारा काती हुई, अपने हाथो द्वारा बुनी हुई यह भारत की शक्ति, गौर इतिहास, महान व्यक्तियों की दूरदर्शिता तथा स्वदेशी की नींव का प्रतीक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि **''खादी वस्त्र ही नही विचार है।''** स्वतन्त्रता के पूर्व यदि खादी आजादी की वर्दी थी तो आज उसे आजादी की रक्षा की वर्दी कहना उपयुक्त होगा।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दिशा में खादी और ग्रामोद्योग विशेष भूमिका निभा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग (के0बी0आई0सी0) आयोग ग्रामीण विकास में कार्यरत एक विधि विहित संगठन है। इसकी स्थापना संसद में पारित एक अधिनियम के द्वारा 1956 मे की गई थी। खादी से हम हर किस्म का कपड़ा बना सकते है। तथा ग्रामोद्योग में स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और बेरोजगार और साधनहीन ग्रामीण लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना से लेकर आज तक उल्लेखनीय प्रगति की है। आयोग ने विभिन्न इकाईयों के अन्तर्गत 60 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार दिया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग की ''मार्जिन मनी योजना'' ग्रामीण उद्यानों की स्थापना के लिये 10 लाख तक के लिये के0वी0 आई0 सी0 द्वारा 25 प्रतिशत मार्जिन मनी के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। 10 लाख रूपये से अधि क और 25 लाख रूपये से कम की योजनाओं के लिये 10 लाख रूपये तक की 25 प्रतिशत मार्जिन मनी दी जाती है। तथा 10 प्रतिशत योजना बकाया राशि पर दी जाती है।[7]

स्रोत 7–कुरूक्षेत्र मार्च 2002 पृष्ठ 4

# खादी और ग्रामोद्योग आयोग की उपलब्धियाँ

| क्रमांक | वर्ष | उत्पादन (करोड़ रू0 में) | बिक्री (करोड़ रू0 में) | रोजगार (लाख में) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957–58 | 25.98 | 13.17 | 17.00 |
| 2 | 1967–68 | 98.85 | 86.72 | 21.05 |
| 3 | 1977–78 | 257.45 | 256.81 | 24.16 |
| 4 | 1987–88 | 1488.40 | 1611.74 | 41.80 |
| 5 | 1997–98 | 4519.30 | 5065.27 | 56.50 |
| 6 | 1998–99 | 5122.37 | 5601.01 | 58.29 |
| 7 | 1999–00 | 6165.35 | 6769.20 | 59.23 |
| 8 | 2000–01 | 7212.00 | 8000.00 | 62.73 |

उपरोक्त तथ्यो के विश्लेषण से स्पष्ट है कि तुलसी ग्रामीण बैंक ग्रामीण विकास कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी निभा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामों की अशिक्षा, रूढ़िवादिता में काफी कमी आयी है।

स्रोत 8–कुरूक्षेत्र मार्च 2002 पृष्ठ 5

# अध्याय – 5

## तुलसी ग्रामीण बैंक की वित्तीय उपलब्धियाँ

# अध्याय–5

## तुलसी ग्रामीण बैंक के वित्तीय उपलब्धियां

हर व्यावसायिक इकाई चाहे वह बड़ी हो या छोटी अथवा बैंकिंग कम्पनी, बीमा कम्पनी या अन्य व्यापारिक संस्था हो वह कुछ न कुछ वित्त सम्बन्धी लेखे अवश्य रखती है। इस प्रकार के वित्तीय लेखों को दो वर्गो में विभाजित किया जा सकता है। क– खाते (Accounts) जिनमें समस्त प्रकार के खाते सम्बन्धी लेखे सम्मिलित होते हैं। ख– विवरण (Statement) अर्थात खातों के अतिरिक्त अन्य वित्तीय लेखे। यहां खातों से आशय अ. आर्थिक चिठ्ठा ब. व्यापार खाता स. लाभ–हानि खातों से है।

## अ. आर्थिक चिठ्ठे (स्थिति विवरण) का विश्लेषणात्मक अध्ययन

चिठ्ठा किसी संस्था की किसी खास तिथि को विद्यमान सम्पत्तियों तथा देनदारियों का सावधान अध्ययन, व्याख्या तथा आलोच्चनात्मक परीक्षण उसकी वित्तीय अवस्था का अनुमान प्रदान करते हैं। यह एक स्थिर प्रलेख होता है क्योंकि इसका सम्बन्ध किसी एक विशेष तिथि से होता है। बनाये जाने वाले तारीख से पूर्व संस्था की वित्तीय अवस्था काफी भिन्न हो सकती है और चिठ्ठे के तारीख के बाद तुरन्त बदल भी सकती है। किन्तु जिस तारीख को यह बनाया जाता है उस तारीख को यह बैंक के वित्तीय अवस्था के अध्ययन के लिये बहुत उपयोग और आवश्यक सूचना देता है। **फांसिस आर** ने ठीक ही कहा है कि चिठ्ठा ''किसी चालू व्यवसाय के किसी विशेष समय के वित्तीय अवस्था का चित्र है।''

## आर्थिक चिठ्ठे की सीमायें

यह बात ध्यान रखने की है यद्यपि सम्पत्तियों के वास्तविक मूल्य में कोई

परिवर्तन न हो तो फिर भी चिठ्ठे में परिवर्तन हो सकता है। उदाहरणार्थ यदि लाभ हानि खाते का जमा शेष ख्याति के अपलेखन के लिये प्रयुक्त किया जाय तो सम्पत्तियों के वास्तविक मूल्य में परिवर्तन नहीं होगा पर चिठ्ठे में परिवर्तन हो जायेगा।

साथ ही यह भी समझना गलत होगा कि चिठ्ठे में समस्त सम्पत्तियां अपनी यथार्थ मूल्य में दिखाई जाती हैं क्योंकि यह यथार्थ मूल्य क्या है इस पर सदैव मतभेद हो सकता है। अवास्तविक सम्पत्तियां (Floating Assets) रोककरण (Realisation) या बाजार मूल्य (Market Value) पर दिखाई जाती हैं पर स्थिर सम्पत्तियों को आवश्यक रूप से इस आधार पर मूल्यांकन नहीं होता यदि संस्था चालू है तो उनका मूल्यांकन उनकी उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है और यदि संस्था का समापन होने वाला है तो उनका मूल्यांकन उनके बाजार मूल्य पर करना चाहिये। **लार्ड प्लैन्डर** के अनुसार ''कि चिठ्ठा प्रधानता तथ्य की बातें न कि मत की बातें प्रतिबिम्बत करता है यद्यपि दोनों तथ्य उपस्थित रहते हैं।

## कानून द्वारा चिठ्ठे के स्वरूप का निर्णय

सामान्यतः विद्वानों का यह मत है कि कानून में चिठ्ठे को प्रस्तुत करने का स्वरूप तथा उसमें न्यूनतम सूचना व्यक्त करने का आदेश सम्मिलित होना चाहिये शासन को इस दिशा में किसी सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिये यह विषय स्वभाव से ही विवाद ग्रस्त है किन्तु विस्तृत प्रमापीकरण के विरूद्ध कई तर्क हैं।

1. प्रत्येक व्यवसायों में अन्तर होता है। अतः एक स्वरूप एक व्यवसाय के लिये उपयुक्त हो सकता है और दूसरे के लिये अनापयुक्त।
2. व्यापारियों में ऐसे अधिनियम के विरूद्ध तीव्र भावना होती है जो उन्हें यह

सिखाने का प्रयत्न करती है कि वह व्यापार का प्रबन्ध किस प्रकार करे।

3. बहुत विस्तृत या कड़ा कानून व्यक्तिगत उत्तरदायित्व उपक्रम तथा आत्मनिर्भरता को असक्त करता है।

इस तरह यह विषय बहुत विचार और सूक्ष्मता का है इस अवस्था को लार्ड प्लैन्डर ने ठीक ही कहा है कि **"चिठ्ठे तथा लाभ–हानि के खातों का प्रमापीकरण करने में मुझे बड़ी कठिनाईयां दिखाई पड़ती हैं और मैं यह कहने को तैयार नही हूं कि कितनी न्यूनतम सूचना हर लाभ–हानि खाते को व्यक्त करनी चाहिये अवस्थायें एक–दूसरे से बहुत भिन्न होती है हर अवस्था एक दूसरे से कुछ दशाओं में अलग दिखाई पड़ती है। हजारों संस्थायें ऐसी हैं जो स्वभाव में सामान्य नहीं होती ऐसी बहुत सी समस्यायें विशेष ग्रुप की न की साधारण ग्रुप की होती हैं जो कि एक कम्पनी या कम्पनियों के समुदायों पर बहुत प्रभाव डालती हैं किन्तु अन्य कम्पनियों को छूती तक नहीं है इस अवस्था में खातों को प्रस्तुत करने में यह न्यूनतम सूचना के विषय में कानून द्वारा सामान्य नीति निर्धारित करना आसान नहीं है.......................अधिक सूचना देने की दिशा में प्रगति करने के विषय में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कोई भी आलोचक जो मनोनीत अधिकारी चिंतक है अस्पष्ट सामान्यीकरण के स्तर से ऊपर नहीं उठा है यह धारणा सृजित करना कि कुछ और होना तो आसान है पर यह है क्या ? किसी भी व्यक्ति को जो वर्तमान अवस्था पर छींटे डाल सकता है सुनने वाले मिल जाते हैं किन्तु इससे अधिक उपयोगी कि ........................रचनात्मक यह होगा कि आलोचक यह बताये कि कम से कम वैद्यानिक आवश्यकता जिसे उद्देश्य माना जा सके"**

सारांश में यह कहना कि कानून वह स्वरूप निश्चित कर सकता है जिसमें

चिठ्ठा बनाया जाना चाहिये और वह न्यूनतम सूचना जो हर चिठ्ठे में व्यक्त होना चाहिये पर जिसे इसके आगे कम्पनियों को यह स्वतन्त्रता होनी चाहिये और इन्हें इसके लिये प्रोत्साहित भी करना चाहिये कि उससे भी अधिक विस्तृत स्वरूप अपनायें जिससे जनसामान्य को अधिक से अधिक सूचना प्राप्त हो सके।

## बैंकिंग नियमन अधिनियम में निर्धारित स्वरूप

बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 की धारा 2 के अनुसार प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी को वर्ष के अन्त में अधिनियम में उल्लिखित तृतीय अनुसूची में दिये गये फार्म A व फार्म B के अनुरूप (क)– आर्थिक चिठ्ठा (ख) लाभ हानि खाता बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। 31.3.1992 से बैंको को लाभ हानि खाते और चिठ्ठे को नये प्रारूप बनाना अनिवार्य कर दिया गया है यह नये प्रारूप बैंकों के खातों का अधिक से अधिक उचित प्रकटीकरण सुनिश्चित करते हैं। नये प्रारूप लम्बवत प्रारूप में दिये गये हैं जिसमे सभी सूचनाओं को अनुसूचियों की मदद से प्रदर्शित किया जाता है। इनमें 12 अनुसूचियां चिठ्ठे से सम्बन्धित हैं जबकि 4 अनुसूचियां लाभ हानि खातों से तथा 2 अनुसूचियां लेखांकन नीतियों से सम्बन्धित है इस प्रकार बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के अनुसार एक बैंकिंग कम्पनी द्वारा कुल 18 अनुसूचियों का प्रयोग किया जाता है।

एक बैंकिंग कम्पनी अपना चिठ्ठा फार्म A के अनुसार बनाती है जिनमें प्रथम पांच अनुसूचियां दायित्वों से सम्बन्धित तथा 6 से 11 तक की अनुसूचियां सम्पत्ति से सम्बन्धित हैं

## चिठ्ठे का विश्लेषण

तुलसी ग्रामीण बैंक के चिठ्ठे का विश्लेषण करने के लिये **हमें पूर्व के कुछ वर्षो के चिठ्ठे का अध्ययन करना आवश्यक है। जिसके लिये यहां पर 31 मार्च**

# तुलसी ग्रामीण बैंक
# आर्थिक चिठ्ठा
# यथा 31 मार्च

(धनराशि रूपये हजार में)

| | अनुसूची | 1991 | 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **पूंजी एवं दायित्व** | | | | | | | | | | |
| पूंजी एवं अंश पूंजी जमा | 01 | 5000 | 5000 | 10000 | 95000 | 103652 | 103652 | 103652 | 110000 | 110000 |
| निधि एवं कोष | 02 | — | — | — | — | — | — | — | 43281 | 7947 |
| जमा राशि | 03 | 258435 | 298805 | 1506455 | 1793839 | 2039292 | 2314926 | 2735435 | 3161240 | 3623804 |
| उधार | 04 | 72440 | 84881 | 454830 | 165411 | 232869 | 262129 | 459874 | 541966 | 325351 |
| अन्य दायित्व एवं प्रावधान | 05 | 1786 | 9509 | 315803 | 352631 | 386435 | 323029 | 134105 | 167114 | 263889 |
| योग | | 337661 | 398195 | 1987088 | 2406841 | 2762248 | 3003736 | 3433066 | 4023601 | 4330991 |
| **आस्तियां** | | | | | | | | | | |
| नगद एवं अवशेष | 06 | 10864 | 12789 | 70022 | 99330 | 106461 | 175252 | 181637 | 189568 | 266546 |
| भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा | | | | | | | | | | |
| अन्य बैंकों में जमा | 07 | 86697 | 120036 | 658507 | 938847 | 1097648 | 1202266 | 913541 | 1015194 | 706396 |
| निवेश | 08 | — | — | 230080 | 192580 | 127600 | 87600 | 676894 | 944833 | 1058827 |
| अग्रिम | 09 | 107575 | 184871 | 578821 | 666581 | 883958 | 1082247 | 139747 | 1742696 | 2208350 |
| अचल आस्तियां | 10 | 1611 | 1471 | 3813 | 4759 | 5282 | 8145 | 11513 | 11974 | 10855 |
| अन्य आस्तियां | 11 | 77913 | 79028 | 445845 | 504784 | 541299 | 448226 | 252021 | 119286 | 80017 |
| योग | | 337661 | 398195 | 1987088 | 2406841 | 2762248 | 3003736 | 3433066 | 4023601 | 4330991 |
| सम्मिश्रित दायित्व | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2422 |
| एवं संग्रहण हेतु बिल | | 80 | 275 | — | — | — | — | — | — | |

**1991 से लेकर 31 मार्च 2005 तक** के चिठ्ठे को शामिल किया गया है। जो निम्नवत है।

किसी भी बैंकिंग कम्पनी के आर्थिक चिठ्ठे का परीक्षण निम्न दृष्टिकोणों से किया जाना चाहिये।

1. पूंजी सम्बन्धी परिस्थिति
2. कार्यशील पूंजी की प्रवृत्ति
3. ऋण सम्बन्धी परिस्थिति
4. अमूर्त सम्पत्तियों सम्बन्धी परिस्थिति
5. स्थिर सम्पत्तियों सम्बन्धी परिस्थिति
6. तरल परिस्थिति

## 1. पूंजी सम्बन्धी परिस्थिति

किसी भी बैंकिंग संस्था में सबसे पहले इस बात का आश्वासन होना चाहिये कि बैंक की पूंजी पर्याप्त है बैंक का अधिपूंजीकरण या अल्प पूंजीकरण नहीं है साथ ही बैंक की पूंजीरचना तथा प्रति अंश दी गयी राशि प्रांसागिक है।

अतः उपरोक्त तथ्यो को ध्यान में रखकर यदि हम देखते हैं कि यह पाते हैं कि तुलसी ग्रामीण बैंक की 31 मार्च 1991 को निर्गमित पूंजी 5000 रू0 है वहीं यह मार्च 1999 में बढ़कर 10000 तथा मार्च 2000 में 95000 व मार्च 2005 में 110000 हजार रू0 हो गयी है जो प्रतिशत की दृष्टि से 1991 की अपेक्षा 2200 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

## 2. कार्यशील पूंजी की प्रवृत्ति

प्रगतिशील व्यापार की कार्यशील पूंजी सामान्यतः वृद्धिशील होती है यदि यह पिछले वर्षो में धनात्मक प्रवृत्ति दिखाये तो व्यापार का लाभ होता है और ऋणात्मक

प्रवृत्ति दिखाये तो हानि का सूचक है।

कार्यशील पूंजी में परिवर्तन को ज्ञात करने के लिये **चालू सम्पत्ति–चालू दायित्व** को आधार बनाकर निकाला जाता है। मार्च 1991 में कार्यशील पूंजी जहां 3388 रूपये थी वहीं यह मार्च 2005 में बढ़कर 99145 हजार रूपये हो गयी जो प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से 2926 प्रतिशत के लगभग था जो लाभ को प्रदर्शित कर रहा है।

## 3. ऋण सम्बन्धी परिस्थिति

कोई भी बैंकिंग कम्पनी वित्त या तो अंशधारियों से प्राप्त करती है या फिर लेनदारों से। लेनदारों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है

**(क)**

1. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया
2. प्रवर्तक बैंक

**(ख)**

1. रक्षित या निश्चित लेनदार
2. आरक्षित लेनदार

**(ग)** अल्पकालीन लेनदार

चिठ्ठे का विश्लेषण करते समय यह आवश्यक है कि पूंजी की तुलना बाहर के व्यक्तियों की देनदारियों से किया जाय यदि सकल बाहरी देनदारियों से पूंजी का प्रतिशत नीचा है तो बैंक की अवस्था अच्छी नहीं कही जा सकती। अर्थात् इसका सिद्धान्त यह है कि ऋण राशि का व्यवसाय में विनियोजन किये जाने का उस पर दी जाने वाली ब्याज से अधिक हो **इसकी गणना करते समय निर्गमित पूंजी, सामान्य संचय कोष तथा लाभ–हानि जमा–शेष को जोड़कर इसमें अवास्तविक**

**सम्पत्तियां घटा देनी चाहियें।** शेष राशियां कम्पनी की पूंजी कहलायेगी।

उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर यदि 31 मार्च 1991 से 31 मार्च 2005 की तुलना करते हैं तो यह परिणाम प्राप्त होता है कि जहां मार्च 1991 में बैंक की ऋण सम्बन्धी परिस्थिति (–) 64519 हजार रूपये थी वहीं मार्च 2000 में यह 301819 हजार रूपये हो गयी। जो वर्तमान में एक सन्तोषजनक परिणाम दिखा रहा है।

## 4. अमूर्त सम्पत्तियों सम्बन्धी परिस्थिति

सुदृढ़ एवं संगठित संस्थायें अमूर्त सम्पत्तियों को कुछ वर्षो में अपलेखन (Written off) कर देती हैं अतः यह सावधानी से देखना चाहिये कि उसने इस नीति का अनुगमन किया है अथवा नहीं यह विगत वर्षो के चिठ्ठे को देखने से ज्ञात हो सकता है। अमूर्त सम्पत्तियों को पुराने मूल्यो पर दिखाये जाते रहना और उसके साथ साथ लाभ घटते जाना संकटकालीन अवस्था का द्योतक है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर यदि हम आर्थिक चिठ्ठे का विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि अमूर्त सम्पत्तियां जहां मार्च 1991 में यह 77913 हजार रूपये था वहीं मार्च 2005 में यह बढ़कर 80017 हजार रूपये हो गया जो 15 वर्षो के लम्बे समय के बावजूद मात्र 2104 हजार रूपये की वृद्धि हुयी साथ ही साथ लाभों में भी वृद्धि हुयी जो सन्तोषजनक स्थिति प्रदर्शित कर रही है।

## 5. स्थिर सम्पत्तियों सम्बन्धी परिस्थिति

प्रत्येक संस्था को स्थिर सम्पत्तियों पर उचित प्रकार से ह्रास लगाना चाहिये उचित ह्रास नीति क्या होगी यह संस्था की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है फिर भी इससे यह स्पष्ट होना चाहिये कि यदि उस सम्पत्ति का विक्रय किया जाये तो उचित बाजार मूल्य प्राप्त किया जा सके।

## 6. तरल परिस्थिति

किसी भी बैंकिंग कम्पनी वित्तीय परिस्थिति सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथ्य **चालू सम्पत्तियों का चालू देनदारों से अनुपात है।** जिसको बैंक की तरल अवस्था कहा जाता है। चालू देनदारियां वह होती हैं जो चिठ्ठे की तारीख से एक वर्ष के अन्दर देय होंगी। चालू सम्पत्तियों से आशय एक वर्ष के अन्दर रोकड़ में परिवर्तित हो जाने वाली सम्पत्तियों से है यह सामान्यतः 2:1 के अनुपात में होना चाहिये।

**तालिका ५.१**
**तुलसी ग्रामीण बैंक की सम्पत्ति दायित्व संवृद्धि तालिका**
**यथा 31 मार्च**

| वर्ष | सम्पत्ति दायित्व धनराशि | विगत वर्षो मे वृद्धि | |
|---|---|---|---|
| | | धनराशि (रू0) | प्रतिशत में |
| 1991 | 337661 | – | – |
| 1992 | 398195 | 60534 | 17.93 |
| 1999 | 1987088 | 1588893 | 399.00 |
| 2000 | 2406841 | 419793 | 21.12 |
| 2001 | 2762248 | 353361 | 14.77 |
| 2002 | 3003736 | 241488 | 8.74 |
| 2003 | 3433068 | 429330 | 14.29 |
| 2004 | 4023601 | 590535 | 19.66 |
| 2005 | 4330991 | 307390 | 7.64 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बैंक की सम्पत्ति एवं दायित्वों में निरन्तर वृद्धि हुयी है वर्ष 1990–91 की अपेक्षा वर्ष 1991–92 में जहां 17.93 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है वहीं वर्ष 1998–99 की **6 वर्ष की अल्प अवधि** में यह वृद्धि बढ़कर 399 प्रतिशत हो गयी। तथा इसके बाद के वर्षो में बैंक के सम्पत्ति व दायित्वों में बराबर उतार–चढ़ाव आते रहे फिर भी यह वृद्धि जारी रही किन्तु वर्ष 2004 की अपेक्षा वर्ष 2005 में वृद्धि मात्र 7.64 प्रतिशत ही रह गयी जो पिछले 15 वर्षो मे सबसे कम है।

उपरोक्त तथ्यों का विश्लेषण के पश्चात हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तुलसी ग्रामीण बैंक की स्थापना जिन उद्देश्यो एवं लक्ष्यों को लेकर की गयी थी वह उसे प्राप्त करने के लिये लगातार प्रयत्नशील है।

## (ब) दायित्व

उपरोक्त चिठ्ठे के अध्ययन के पश्चात हम उसके सूक्ष्म विश्लेषण के लिये दायित्व एवं सम्पत्ति पक्ष का अलग–अलग विश्लेषण करते हैं जिसमें सर्वप्रथम हम दायित्व पक्ष का विश्लेषण करेंगे। आर्थिक चिठ्ठे के दायित्व पक्ष को विश्लेषण करने की दृष्टि से इसप्रकार वर्गीकृत करते हैं–

1. अल्पकालीन या चालू दायित्व
2. दीर्घकालीन दायित्व
3. अंशधारकों के दायित्व

### 1. अल्पकालीन या चालू दायित्व

यह वह दायित्व होते हैं जिनका भुगतान अल्पकाल अथवा 12 माह के अन्दर ही करना है। बैंकों के पास अल्पकालीन दायित्व भी होते हैं जैसे चालू खातो का जमा अन्य व्यापारिक जमा आदि। इनका भुगतान ग्राहकों के मांगने पर समय समय पर चुकाया जाता है किन्तु समस्त लेनदार (खाताधारक) अपना भुगतान उसी वित्तीय वर्ष में वापस नहीं लेते हैं जिसे चिठ्ठे के दायित्व पक्ष में अल्पकालीन दायित्व में दिखाते हैं।

### 2. दीर्घकालीन दायित्व

यह वह वित्तीय दायित्व होते हैं जिनका भुगतान एक दीर्घ अवधि (कम से कम 12 माह ) के पश्चात किया जाता है। बैंकों के पास दीर्घकालीन (सावधि ऋण) दायित्व भी होते हैं जिसके भुगतान हेतु बैंक अपने पास एक निश्चित राशि बनाकर रखते हैं।

### 3. अंशधारकों के दायित्व

इसका आशय अंश पूंजी, संचय तथा कोषों से होता है सामान्यतः यह

दायित्व स्थायी माने जाते हैं क्योंकि इनका भुगतान संस्था के समापन के पश्चात ही किया जाता है।

सामान्यतः अल्पकालीन या चालू दायित्व तरल सम्पत्तियों से निपटानी पड़ती हैं दीर्घकालीन दायित्वों का भुगतान बचत से या रूपया उधार लेकर किया जाता है किन्तु अंशधारकों के दायित्व के भुगतान हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं है। किसी भी बैंकिंग संस्था में मुख्यतः दायित्व पक्ष में निम्न मदें दिखाई जाती हैं।

**(क) पूंजी–** पूंजी पक्ष में सर्वप्रथम अंशपूंजी दिखलाई जाती है जिसके सम्बन्ध में तीन बातें विचारनीय है।

अ– अधिकृत पूंजी ब– पूंजी ढांचा स–प्रतिअंश प्रदत्त पूंजी की राशि

**(ख) संचय एवं कोष–** वर्तमान समय में प्रत्येक बैंकिंग कम्पनी कुछ संचय एवं कोष रखती है जिसका उद्देश्य दायित्वों एवं हानियों का निपटान करने के लिये बैंक की वित्तीय अवस्था को सुदृढ़ करना है। जो दूरदर्शिता का प्रतीक है विशेष संचय जो सन्देह पूर्ण ऋण, बट्टा, मरम्मत आदि के सम्बन्ध में रखे जाते हैं उन्हें उसी सम्पत्ति के साथ देखना चाहिये जिससे कि वह सम्बन्धित होते हैं।

कोष उस लाभ का प्रतीक है जो अंशधारियों को नहीं बांटा जाता है और यदि वह व्यवसाय के बाहर अन्यत्र कहीं विनियोजित किया गया तो वह व्यवसाय बैंक की कार्यशील पूंजी में वृद्धि करता है और यदि बाहर विनियोजित करते हैं तो तरल अवस्था में वृद्धि करते हैं।

# दायित्व पक्ष
# यथा 31 मार्च

(धनराशि रूपये हजार म)

| | अनुसूची | 1991 | 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **पूंजी** | 01 | | | | | | | | | |
| अ– अधिकृत पूंजी | | 50000 | 5000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 |
| (रूपये 100 प्रति अंश 500000 समता अंश) | | | | | | | | | | |
| ब– प्रदत्त पूंजी | | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| (रूपये 100 प्रति अंश) | | | | | | | | | | |
| स– प्राप्त पूंजी | | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| (रूपये 100 प्रति अंश)0 | | | | | | | | | | |
| द– प्रदत्त अंश पूंजी जमा | | | | | 85000 | 93652 | 93652 | 93652 | 100000 | 100000 |
| **कुल पूंजी** | | **5000** | **5000** | **10000** | **95000** | **103652** | **103652** | **103652** | **110000** | **110000** |
| **निधि एवं अवशेष** | 02 | – | | – | – | – | – | – | 43281 | 7947 |
| **जमा** | 03 | | | | | | | | | |
| अ–मांग निक्षेप | | 38919 | 40373 | 134078 | 139323 | 136575 | 148218 | 275435 | 30161 | 387055 |
| ब–बचत निक्षेप | | 127277 | 145240 | 755858 | 896914 | 984548 | 1125302 | 1322753 | 1638362 | 1986762 |
| स–मियादी निक्षेप | | 92239 | 113192 | 616526 | 757602 | 918169 | 1041406 | 1137237 | 1221717 | 1249987 |
| **उधार** | 04 | | | | | | | | | |
| अ– आर.बी.आई. से | | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ब– अन्य बैंक से | | 72440 | 84881 | 154830 | 165411 | – | 26000 | 47000 | – | – |
| स– नाबार्ड से | | – | – | – | – | 262129 | 206879 | 412874 | 541966 | 325351 |
| द– भारत के बाहर से | | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| **अन्य दायित्व एवं प्रावधान** | 05 | | | | | – | – | | | |
| देय बिल | | 791 | 2995 | 7835 | 7166 | 13308 | 12828 | 14187 | 1362 | 4474 |
| अन्तर शाखा समायोजन | | – | 4415 | 13072 | 11113 | – | – | – | 18173 | 8037 |
| उपार्जित ब्याज (उधार पर) | | 646 | 1900 | 7063 | 1229 | 1627 | 1753 | 1753 | 4467 | 9177 |
| अन्य (प्रावधान सहित) | | 349 | 199 | 293133 | 333123 | 371500 | 308448 | 114878 | 143112 | 242201 |
| **योग** | | **337661** | **398195** | **1987088** | **2406841** | **2762248** | **3003736** | **3433066** | **4023601** | **4330991** |

## तालिका ५.२
## तुलसी ग्रामीण बैंक की अंश पूंजी विवरण

| क्रमांक | वर्ष | अधिकृत पूंजी | प्रदत्त पूंजी |
|---|---|---|---|
| 1 | 1981 | 25,00,000 | 21,25,000 |
| 2 | 1985 | 25,00,000 | 25,00,000 |
| 3 | 1990–91 | 50,00,0000 | 50,00,000 |
| 4 | 1991–92 | 50,00,0000 | 50,00,000 |
| 5 | 1998–1999 | 50,00,0000 | 1,00,00000 |
| 6 | 1999–2000 | 50,00,0000 | 1,00,00000 |
| 7 | 2000–01 | 50,00,0000 | 1,00,00000 |
| 8 | 2001–02 | 50,00,0000 | 1,00,00000 |
| 9 | 2002–03 | 50,00,0000 | 1,00,00000 |
| 10 | 2003–04 | 50,00,0000 | 1,00,00000 |
| 11 | 2004–05 | 50,00,0000 | 1,00,00000 |

तालिका से स्पष्ट है कि तुलसी ग्रामीण बैंक की स्थापना वर्ष 1981 में अधिकृत पूंजी 25 लाख रूपये थी जो वर्ष 1991 में बढ़कर 5 करोड़ रूपये हो गयी तथा प्रदत्त पूंजी 1981 में 21.25 लाख रूपये थी जो 1985 में बढ़कर 25 लाख रूपये तथा 1992 में बढ़कर 50 लाख व वर्ष 1999 में 1 करोड़ रूपये हो गयी। जिसमें सभी अंशधारकों में उनके अनुपात के अनुसार अतिरिक्त पूंजी प्राप्त हो गयी। जो विभिन्न वर्षो में बैंक के व्ययों को पूरा करने के लिये प्रदत्त पूंजी में परिवर्धन किया गया तथा वर्तमान समय में बैंक की प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ रूपये हो गयी है।

## तालिका ५.३
## तुलसी ग्रामीण बैंक जमा संबृद्धि

| क्रमांक | वर्ष | जमा धनराशि | वृद्धि | वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998–1999 | 1506462 | – | – |
| 2 | 1999–2000 | 1793839 | 287377 | 19.07 |
| 3 | 2000–01 | 2039292 | 245453 | 13.68 |
| 4 | 2001–02 | 2314926 | 275634 | 13.52 |
| 5 | 2002–03 | 2735425 | 420499 | 18.16 |
| 6 | 2003–04 | 3161240 | 425715 | 15.57 |
| 7 | 2004–05 | 3623804 | 462594 | 14.63 |

यदि हम उक्त तालिका के आधार पर बैंक जमा धनराशि पर नजर डालते हैं तो इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है वर्ष 1999 की अपेक्षा वर्ष 2000 में जमा संवृद्धि 19.07 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। किन्तु सबसे कम वृद्धि वर्ष 2002 में हुयी तथा सर्वाधिक वृद्धि वर्ष 2000 में हुयी है। इस प्रकार बैंक के जमा में तमाम उतार–चढ़ाव आते रहे इसके बावजूद भी बैंक जमा में वृद्धि होती गयी।

और यदि इसका गहन विश्लेषण योजनावार जमा पर करते हैं तो निम्न तालिकाओं का अध्ययन करना पड़ेगा।

**तालिका ५.४**
**बचत निक्षेप संबृद्धि**

| क्रमांक | वर्ष | जमा धनराशि | वृद्धि | वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998–1999 | 755858 | – | – |
| 2 | 1999–2000 | 896914 | 141056 | 18.66 |
| 3 | 2000–01 | 984548 | 87634 | 9.77 |
| 4 | 2001–02 | 1125302 | 140754 | 14.29 |
| 5 | 2002–03 | 1322753 | 197451 | 17.54 |
| 6 | 2003–04 | 1638362 | 315609 | 23.86 |
| 7 | 2004–05 | 1986762 | 348400 | 21.26 |

यदि उक्त तालिका में नजर डालते हैं तो सर्वाधिक बचत जमा वृद्धि गत 7 वर्षों में वर्ष 2004 में हुयी जो 23.87 प्रतिशत है तथा सबसे कम जमा वृद्धि वर्ष 2001 में हुयी जो मात्र 9.77 प्रतिशत है। इस प्रकार से बचत निक्षेप के जमा में उतार–चढ़ाव होते रहने के बावजूद बैंक की बचत जमा वृद्धि में कोई विशेष अन्तर नहीं आया।

## तालिका ५.५
## मांग निक्षेप संबृद्धि

| क्रमांक | वर्ष | जमा धनराशि | वृद्धि | वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998–1999 | 134078 | – | – |
| 2 | 1999–2000 | 139323 | 5245 | 3.91 |
| 3 | 2000–01 | 136575 | (–) 2748 | (–) 1.97 |
| 4 | 2001–02 | 148218 | 11643 | 8.53 |
| 5 | 2002–03 | 275435 | 127217 | 85.83 |
| 6 | 2003–04 | 301161 | 25726 | 9.34 |
| 7 | 2004–05 | 387055 | 85894 | 28.52 |

मांग निक्षेप तालिका का यदि विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि सर्वाधिक मांग जमा वृद्धि वर्ष 2003 में 85.83 प्रतिशत है। जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तथा सबसे कम जमा वृद्धि वर्ष 2001 में (–) 1.97 है। जो बैंक के मांग निक्षेप में विशेष उतार–चढ़ाव प्रदर्शित कर रहे हैं।

## तालिका ५.६
## मियादी निक्षेप संबृद्धि

| क्रमांक | वर्ष | जमा धनराशि | वृद्धि | वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998–1999 | 616526 | – | – |
| 2 | 1999–2000 | 757602 | 141076 | 22.88 |
| 3 | 2000–01 | 918169 | 160567 | 21.19 |
| 4 | 2001–02 | 1041406 | 123237 | 13.42 |
| 5 | 2002–03 | 1137237 | 95831 | 9.20 |
| 6 | 2003–04 | 1221717 | 84480 | 7.43 |
| 7 | 2004–05 | 1249987 | 28270 | 2.31 |

मियादी जमा निक्षेप तालिका का यदि विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि बैंक की स्थिति असन्तोषजनक है क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ष गिरावट हो रही है जहां वर्ष 1999 में यह 22.88 प्रतिशत की वृद्धि थी वहीं वर्ष 2005 में यह घटकर 2.31 प्रतिशत ही रह गयी। जो मियादी जमा की दृष्टि से ठीक नहीं है।

## (स) आस्तियां

आर्थिक चिठ्ठे का द्वितीय पक्ष सम्पत्ति पक्ष कहलाता है। इनका अध्ययन करने के लिये सर्वप्रथम समस्त सम्पत्तियों का एक मोटा वर्गीकरण इस प्रकार करना चाहिये क–अमूर्त सम्पत्तियां ख–स्थिर सम्पत्तियां ग–अस्थायी सम्पत्तियां अमूर्त सम्पत्तियां उन सम्पत्तियों को कहते हैं जो व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रयुक्त की जाती हैं किन्तु जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता है जैसे ख्याति (Goodwill) पेटेन्ट (Patent) का अधिकार। स्थिर सम्पत्तियां वह होती हैं जो लाभ कमाने के लिये प्रयुक्त होती हैं और जिनका भौतिक अस्तित्व होता है।

**क– अमूर्त सम्पत्तियां (Intangible Assets)** :– चिठ्ठे के सम्पत्ति पक्ष में सबसे पहले अमूर्त सम्पत्तियों का मद दिखाया जाता है ऐसी सम्पत्तियों को अमूर्त इसलिये कहा जाता है कि उनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता और इसलिये उनको देखा नहीं जा सकता किन्तु उनके व्यापार में स्थायी रूप से प्रयुक्त होते रहने तथा कम्पनी की आय बढ़ाने की शक्ति में वृद्धि करने के कारण वह अंशतः स्थिर सम्पत्तियों के स्वभाव की होती है। ख्याति एवं पेटेन्ट अमूर्त सम्पत्तियों का स्पष्ट उदाहरण है।

**ख– स्थिर सम्पत्तियां (Fixed Assets)** :– स्थिर सम्पत्तियों से तात्पर्य उन सम्पत्तियों से है जो व्यापार में लाभ कमाने के लिये बराबर प्रयुक्त होती हैं और जिनका भौतिक अस्तित्व होता है। जिनको चिठ्ठे में उनके वास्तविक मूल्य में दिखाया जाता है किन्तु इनका वास्तविक मूल्य क्या है? इस बारे में लेखाशास्त्रियों में मतभेद है कुछ लेखाशास्त्री इनके रोककरण मूल्य **(Realizable Value)** को ही वास्तविक मूल्य मानते हैं तो कुछ अन्य यह कहते हैं कि उनका वास्तविक मूल्य इनकी उपादेयता के आधार पर आंका जाना चाहिये और इसे वर्ष के प्रारम्भ में एक निश्चित प्रतिशत ह्रास काटकर प्राप्त किया जा सकता है।

स्थिर सम्पत्तियों के सम्बन्ध में तीन बातों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिये। पहले इस बात का आश्वासन कर लेना चाहिये कि स्थिर सम्पत्ति का सकल मूल्य **"संस्था"** की स्थायी पूंजी (अर्थात अंशपूंजी एवं ऋण पत्र) से अधिक हो ऐसा अधिक्य समान्यतः संस्था की दृढ़ वित्तीय स्थिति का द्योतक है। दूसरा इस बात का आश्वासन कर लेना चाहिये कि स्थिर सम्पत्तियों पर पर्याप्त ह्रास का आयोजन कर लिया गया है और अन्त में यह देखना चाहिये कि स्थिर सम्पत्तियों के पुर्नस्थापन **(Replacement)** के लिये प्रावधान कर लिया गया है इस बात की परीक्षा करना कि चिठ्ठे में दिखाया गया ह्रास पर्याप्त है "का निर्णय करना बहुत कठिन है किन्तु व्यवसाय के रीति रिवाजों से परिचित व्यक्ति इस विषय पर उपर्युक्त निर्णय कर सकता है। और यह सब सूचना चिठ्ठे से मिल सकती है।

**ग– अस्थायी सम्पत्तियां (Floating Assets)** :– अमूर्त तथा स्थिर सम्पत्तियों के अतिरिक्त अन्य समस्त सम्पत्तियां अस्थायी सम्पत्तियां कहलाती हैं। यह एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे रोकड़ का शेष घट जाना एवं देनदारों को शेष बढ़ जाना। या देनदारों का शेष घटजाना तथा रोकड़ का शेष बढ़ जाना।

**घ–तरल या चालू सम्पत्ति (Liquid Assets)** :– लेनदारों एवं व्ययों का भुगतान रोकड़ में से किया जाता है अतः इनके भुगतान के लिये पर्याप्त रोकड़ या बैंक शेष होना चाहिये जिसे तरल या चालू सम्पत्ति कहते हैं।

**ड़–आवास्तविक सम्पत्ति (Nominal Assets)** :– कभी–कभी व्यवसायिक संस्थायें कुछ ऐसा व्यय भी करती हैं जिसका लाभ व्यवसायिक हो कई वर्षो तक मिलता रहता है इन व्ययों को आर्थिक चिठ्ठे के सम्पत्ति पक्ष में दिखाते हैं तथा इनका एक निश्चित भाग प्रतिवर्ष लाभ–हानि खाते में अपलिखित कर दिया जाता है। ऐसे व्ययों को आवास्तवित सम्पत्ति कहा जाता है। जैसे प्रारम्भिक व्यय, अंशों एवं ऋण पत्रों में बट्टा इत्यादि।

# सम्पत्ति पक्ष
# यथा 31 मार्च

(धनराशि रूपये हजार में)

| | अनुसूची | 1991 | 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सम्पत्तियां | | | | | | | | | | |
| हाथ में नगद | 06 | 3164 | 4089 | 24387 | 45295 | 49426 | 56217 | 61791 | 60594 | 79799 |
| (विदेशी मुद्रा सहित) | | | | | | | | | | |
| भारतीय रिजर्व बैंक के | | | | | | | | | | |
| पास जमा राशि | | | | | | | | | | |
| 1. चालू खाते में | | 7700 | 8700 | 45635 | 54035 | 57035 | 119035 | 119846 | 128974 | 186747 |
| 2. अन्य खाते में | | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| अन्य बैंकों में जमा | 07 | | | | | | | | | |
| 1. चालू खाते में | | 45197 | 34536 | 102507 | 116847 | 125496 | 94114 | 237839 | 187885 | 233714 |
| 2. अन्य खाते में | | 41500 | 85500 | 556000 | 822000 | 972152 | 1108152 | 675702 | 827309 | 472682 |
| निवेश | 08 | — | — | | | | | | | |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में | | | | 50000 | 50000 | — | — | 627394 | 885383 | 1018327 |
| 2. अन्य प्रतिभूतियों में | | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 3. अंशों में | | | | — | — | — | — | — | — | — |
| 4. प्रतिज्ञा पत्र और बान्डो में | | | | 180080 | 142580 | 127600 | 87600 | 49500 | 59500 | 40500 |
| अग्रिम | 09 | | | | | | | | | |
| 1. सुरक्षित | | 160575 | 184871 | 570632 | 662285 | 881312 | 1080621 | 1396487 | 1739331 | 2207224 |
| 2. असुरक्षित | | — | — | 8189 | 4296 | 2646 | 1625 | 973 | 3365 | 1126 |
| अचल आस्तियां | 10 | | | | | | | | | |
| 1. फर्नीचर्स, फिक्चर्स | | 3330 | 3395 | 4361 | 5668 | 6204 | 9392 | 13602 | 15897 | 14318 |
| (-) ह्रास | | (1718) | (1934) | (548) | (909) | (932) | (1245) | (2089) | (3923) | (3463) |
| अन्य आस्तियां | 11 | 77913 | 79028 | 445845 | 504784 | 541299 | 448226 | 252021 | 119286 | 80017 |
| **योग** | | **337661** | **398195** | **1987088** | **2406881** | **2762248** | **3003736** | **3433066** | **4023601** | **4330991** |

## तालिका ५.७
## ऋण एवं अग्रिम विश्लेषण

| क्रमांक | वर्ष | ऋण एवं अग्रिम धनराशि | वृद्धि | वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998–1999 | 578821 | – | – |
| 2 | 1999–2000 | 666581 | 87760 | 15.16 |
| 3 | 2000–01 | 883958 | 217377 | 32.61 |
| 4 | 2001–02 | 1082246 | 198288 | 22.43 |
| 5 | 2002–03 | 1387460 | 315214 | 29.12 |
| 6 | 2003–04 | 1742696 | 345236 | 24.70 |
| 7 | 2004–05 | 2208350 | 465654 | 26.72 |

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि बैंक के अग्रिम एवं ऋण देने में उतार–चढ़ाव जारी है जहां सबसे कम अग्रिम एवं ऋण वृद्धि वर्ष 2000 में 15.16 प्रतिशत थी वहीं सर्वाधिक वृद्धि 32.61 प्रतिशत वर्ष 2001 में है।

## तालिका ५.८
## सुरक्षित ऋण एवं अग्रिम विश्लेषण

| क्रमांक | वर्ष | ऋण एवं अग्रिम धनराशि | वृद्धि | वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998–1999 | 570632 | – | – |
| 2 | 1999–2000 | 662285 | 51653 | 16.06 |
| 3 | 2000–01 | 881312 | 219027 | 33.07 |
| 4 | 2001–02 | 1080621 | 199309 | 22.61 |
| 5 | 2002–03 | 1396487 | 315866 | 29.23 |
| 6 | 2003–04 | 1739331 | 342844 | 24.55 |
| 7 | 2004–05 | 2207224 | 467893 | 26.90 |

## तालिका ५.९
## असुरक्षित ऋण एवं अग्रिम विश्लेषण

| क्रमांक | वर्ष | ऋण एवं अग्रिम धनराशि | वृद्धि | वृद्धि प्रतिशत में |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998–1999 | 8189 | – | – |
| 2 | 1999–2000 | 4296 | (–) 3893 | 15.16 |
| 3 | 2000–01 | 2646 | (–) 1650 | 32.61 |
| 4 | 2001–02 | 1625 | (–) 1021 | 22.43 |
| 5 | 2002–03 | 973 | (–) 652 | 29.12 |
| 6 | 2003–04 | 3365 | 2392 | 24.70 |
| 7 | 2004–05 | 1126 | (–) 2239 | 26.72 |

उपरोक्त तालिका 5.8 व 5.9 का यदि हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो हम यह पाते हैं बैंक जहां अपने असुरक्षित ऋण एवं अग्रिमों को देने में दिनो–दिन कमी कर रहा है वहीं सुरक्षित ऋण देने में वृद्धि कर रहा है। जिसके परिणाम स्वरूप भविष्य में ऋण वापसी की संभावना अधिक है। जिससे बैंक की आर्थिक स्थिति अधिक सुदृढ़ एवं मजबूत होगी तथा ऋण एवं अग्रिम डूबने का भय समाप्त हो जायेगा।

## (द) लाभ हानि खाता

किसी निश्चित अवधि में (सामान्यतः 31 मार्च) कमाये गये निवल लाभ या हानि का पता लगाने के लिये लाभ हानि खाता तैयार किया जाता है इसमें प्रतिभूतियों में प्राप्त ब्याज, बट्टा एवं अन्य आय जमा (Cr.) पक्ष में लिखे जाते हैं। एवं फुटकर व्यय स्टेशनरी , डाकतार, टेलीफोन, देय ब्याज , कमीशन आदि नाम (Dr.) पक्ष में लिखा जाता है। साथ ही वर्ष के अन्त में किये गये व्ययों का भुगतान शेष है तो उसे अदत्त व्यय के नाम से ऋणी कहते हैं। साथ ही एक वर्ष से अधिक समय तक के लिये किया गया व्यय धनी करते हैं। इसके पश्चात लाभ हानि खाते को सन्तुलित करना होता है। इसके लिये जमा (Cr.) पक्ष का योग नाम (Dr.) पक्ष से अधिक है। तो यह अन्तर निवल लाभ प्रदर्शित करता है और यदि नाम पक्ष का योग जमा पक्ष से अधिक है तो निवल हानि प्रदर्शित करता है।

लाभ हानि खाते का स्वरूप व्यवसाय के स्वभाव के अनुसार कुछ मामलों में भिन्न होता है। किन्तु बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 में बैंकों के लिये लाभ हानि खातों का स्वरूप निश्चित किया गया है। जिसे **फार्म बी** कहते हैं जो उसकी तीसरी अनुसूची में दिया गया है समान्तर लाभ–हानि खाते के नाम एवं जमा पक्ष में लिखे जाने वाले मदों का विवरण निम्न है।

**अ– नाम पक्ष**

**1.प्रबन्ध व्ययः–** प्रबन्ध व्यय के अन्तर्गत कार्यालय वेतन, कार्यालय किराया, प्रकाश, मुद्रण एवं स्टेशनरी, टेलीफोन व्यय लेखा परीक्षकों की फीस, कानूनी व्यय, डाकतार व्यय आदि शामिल किये जाते हैं।

**2.अनुरक्षण व्ययः–** इसमें स्थिर सम्पत्तियों की मरम्मत एवं ह्रास को शामिल किया जाता है।

**3.वित्तीय व्ययः—** इसके अन्तर्गत वह व्यय शामिल किये जाते हैं जो व्यवसाय को संचालित करने के लिये वित्त प्राप्त करने में किये जाते हैं जैसे ब्याज, बट्टा, कमीशन, प्रारम्भिक व्यय, अशोध्य ऋण इत्यादि।

**ब—जमा पक्ष**

**1.प्राप्त ब्याजः—** लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में बैंक सर्वप्रथम ऋण धारकों से प्राप्त ब्याज, अन्य बैंकों में जमा से प्राप्त ब्याज को दिखाती है।

**2.कमीशनः—** ब्याज के पश्चात बैंक विभिन्न प्रकार के अन्य कार्य भी करती है। जैसे बिल , ड्राफ्ट, चेक आदि का भुगतान जिस पर वह कमीशन प्राप्त करती है। जिसे वह अपने लाभ हानि खाते के जमा पक्ष में दिखाती हैं।

**3. अन्य प्राप्तियांः—** बैंक इन कार्यो के अतिरिक्त भी कुछ अन्य कार्य भी करती है जिसके लिये वह सेवा शुल्क के लिये कुछ राशि आय के रूप में प्राप्त करती है। जैसे अभिगोपन कमीशन आदि।

# लाभ–हानि
## यथा 31 मार्च

(धनराशि रूपये हजार म)

| विवरण | अनुसूची | 1991 | 1992 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **आय** | | | | | | | | | | |
| अर्जित ब्याज | 13 | 23191 | 25978 | 148868 | 192001 | 226092 | 248279 | 241741 | 310473 | 279227 |
| अन्य प्राप्तियां | 14 | 314 | 709 | 13122 | 7500 | 16876 | 16579 | 27159 | 37416 | 24782 |
| योग | | **23505** | **26387** | **161990** | **199501** | **242968** | **264858** | **308947** | **347889** | **304009** |
| **व्यय** | | | | | | | | | | |
| प्रदत्त ब्याज | 15 | 16617 | 20711 | 87701 | 105070 | 118916 | 136737 | 145159 | 158082 | 157671 |
| कार्यगत खर्चे | 16 | 15925 | 22372 | 52918 | 57854 | 66024 | 85579 | 98841 | 117704 | 181672 |
| प्रावधान एवं आकस्मिक खर्चे | | – | – | 6957 | 846 | – | – | – | – | – |
| योग | | **32545** | **43083** | **147576** | **163770** | **184940** | **222316** | **244000** | **255786** | **339343** |
| लाभ हानि | | (–) 9037 | (–) 16696 | 14414 | 35731 | 58028 | 42452 | 64947 | 72103 | (–) 35334 |

उपरोक्त लाभ हानि खाते का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो सर्वप्रथम हम एक लाभ हानि का विश्लेषण करना पड़ेगा कि बैंक की लाभ कमाने की शक्ति क्या है इसके लिये हमें शुद्ध लाभ का उसकी कमाने के लिये प्रयुक्त पूंजी की मात्रा से प्रतिशत निकालना पड़ेगा उसके लिये हमें कम से कम पिछले पांच वर्षो के औसत लाभ के अनुसार पर बैंक की लाभ कमाने की स्थिति का आंकलन करते हैं। इसके लिये हमें शुद्ध लाभ की राशि एवं लाभ कमाने में प्रयुक्त की गयी कार्यशील पूंजी की राशि (जिसमें निर्गमित पूंजी, संचय एवं कोष) को शामिल करेंगे।

**तालिका ५.१०**

## लाभ-विश्लेषण
## यथा 31 मार्च

(धनराशि रूपये हजार म)

| वर्ष | प्रदत्त अंश पूंजी जमा | कोष एवं संचय | अन्य दायित्व एवं प्रावधान | कुल कार्यशील पूंजी | लाभ हानि | लाभ प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 10000 | – | 386435 | 396435 | 14414 | 3.63 |
| 2000 | 95000 | – | 323029 | 418029 | 35731 | 8.55 |
| 2001 | 103652 | – | 134105 | 237757 | 58028 | 24.40 |
| 2002 | 103652 | – | 167114 | 270766 | 42542 | 15.71 |
| 2003 | 103652 | – | 263889 | 367541 | 64947 | 17.67 |
| 2004 | 110000 | 43281 | 315803 | 469084 | 72103 | 15.37 |
| 2005 | 110000 | 7947 | 352631 | 470570 | –35334 | –7.51 |
| | | | | औसत लाभ = | | 11.12 |

**लाभ प्रतिशत = लाभ/कार्यशील पूंजी x 100**

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि बैंक की औसत लाभ की दर पिछले सात वर्षो में 11.12 प्रतिशत है। जबकि यदि उसे सारणीबद्ध करके देखते हैं तो यह पाते हैं कि यह कभी घटती है कभी बढ़ती है। जिससे स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंक भी अन्य व्यवसायिक संस्थाओं की तरह प्रतियोगिता का सामना कर रही है।

## तालिका ५.११
## अन्य आय का शुद्ध लाभ एवं कार्यशील पूंजी से विश्लेषण
### यथा 31 मार्च

(धनराशि रूपये हजार में)

| वर्ष | अन्य आय | शुद्ध आय | अन्य आय का शुद्ध आय पर प्रतिशत | कार्यशील पूंजी पर शुद्ध आय का प्रतिशत | कार्यशील पूंजी पर अन्य आय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 13122 | 14414 | 91.03 | 3.63 | 3.31 |
| 2000 | 7100 | 35731 | 20.99 | 8.55 | 1.80 |
| 2001 | 16876 | 58028 | 29.08 | 24.40 | 7.09 |
| 2002 | 16579 | 42542 | 38.97 | 15.71 | 6.12 |
| 2003 | 27159 | 64947 | 41.82 | 17.67 | 7.39 |
| 2004 | 37416 | 72103 | 51.90 | 15.37 | 7.98 |
| 2005 | 24782 | −35334 | – | −7.51 | 5.27 |

**अन्य आय का शुद्ध आय पर प्रतिशत = सहायक आय/शुद्ध आय x 100**

**कार्यशील पूंजी पर अन्य आय का प्रतिशत = सहायक आय/कार्यशीलपूंजीx 100**

उपरोक्त सारणी का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो बैंक की अन्य आय 1999 में जहां शुद्ध आय का 91.03 प्रतिशत तथा कार्यशील पूंजी 3.3 प्रतिशत थी वहीं अगले वर्ष 2000 में यह घटकर क्रमशः 20.99 व 1.8 प्रतिशत रह गयी। तथा वर्ष 2005 में जहां अन्य आय कार्यशील पूंजी पर 5.27 प्रतिशत थी वहीं शुद्ध लाभ −7.51 प्रतिशत हो गयी। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बैंकों की सहायक आय का शुद्ध आय पर बहुत बड़ा योगदान है।

## तालिका ५.१२
## कार्यगत खर्चो का आय से विश्लेषण
### यथा 31 मार्च

(धनराशि रूपये हजार में)

| वर्ष | सकल आय | कार्यगत खर्चे | कार्यगत खर्चो पर सकल आय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 1999 | 161990 | 52918 | 32.67 |
| 2000 | 199501 | 57854 | 29.00 |
| 2001 | 242968 | 66024 | 27.17 |
| 2002 | 264858 | 85579 | 32.31 |
| 2003 | 308947 | 98841 | 31.99 |
| 2004 | 347889 | 117704 | 33.83 |
| 2005 | 304009 | 181672 | 59.76 |

कार्यगत खर्चो पर सकल आय का प्रतिशत = सकल आय / कार्यगत खर्चे x 100

यदि हम उपरोक्त सारणी का विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि कार्यगत (परिचालन) व्यय 1991 की अपेक्षा वर्ष 2000, 2001 में तो क्रमशः घटा है किन्तु वर्ष 2002, 2003, 2004 में इस पर एक सामान्य वृद्धि है। किन्तु वर्ष 2005 में यह 33.83 प्रतिशत बढ़कर 59.75 प्रतिशत हो गया। जो वर्ष 2004 की अपेक्षा वर्ष 2005 में 56.60 प्रतिशत की वृद्धि है। और शायद यह इसी का परिणाम है कि वर्ष 2005 में बैंक को हानि उठानी पड़ी।

# अध्याय – 6

## ग्रामीण उधार एवं अग्रिम में तुलसी ग्रामीण बैंक की उपलब्धियाँ

# अध्याय–6

## ग्रामीण उधार / अग्रिम में तुलसी ग्रामीण बैंक की उपलब्धियां

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का मुख्य उद्देश्य गांवों का सर्वोमुखी विकास करना था जिससे ग्रामीण जनता साहूकारों एवं महाजनों के दुष्चक्र से मुक्त हो सके तथा वह राष्ट्र के विकास में बाधक न होकर सार्थक पहल कर सके। इसी बात को ध्यान में रखकर सन् 1981 में जनपद बांदा व चित्रकूट में तुलसी ग्रामीण बैंक की स्थापना की गयी। जिसने अपने स्थापना वर्ष से लेकर आज तक विभिन्न प्रकार के ऋण एवं अग्रिमों को ग्रामीण खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों, सीमान्त किसानों को उपलब्ध कराया जिसके परिणाम स्वरूप आज वह देश के प्रगति में बराबर का सहयोग कर राष्ट्रीय आय में वृद्धि कर रहे हैं।

### 6.1 परियोजना वित्तीयन (वित्त के स्रोत)

किसी परियोजना की पूंजीगत लागत के अनुमान से उसके वित्तीय और व्यवहार्यता के स्वरूप की आधारभूत जानकारी मिलती है। यदि परियोजना की लागत का सही अनुमान नहीं लगाया जाता है तो नकदी प्रवाह और लाभप्रदता अनुमान तैयार करना व्यर्थ होगा क्योंकि परियोजना की पूंजीगत लागत में परिवर्तन के साथ मूल्यह्रास, ब्याज और लाभांश की राशि में भी परिवर्तन होगा। उद्यमी को परियोजना की लागत के अनुसार संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि किसी परियोजना की लागत अत्याधिक बढ़ जाती है तो उद्यमी के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है और इससे परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है जिससे परियोजना की पूंजीगत लागत में और अधिक वृद्धि होगी। बैंक उद्यमियों से इस आशय का वचन लेते हैं कि परियोजना के कार्यान्वयन की लागत में यदि कोई वृद्धि हुई तो वे स्वयं इसे पूरा करेंगे। किंतु

ऐसे वचन का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता है। अक्सर उद्यमी लागत में हुई अत्याधिक वृद्धि के वित्तीय हेतु स्वयं अतिरिक्त संसाधन जुटा पाने की स्थिति में नही होता है और अंततः वित्तीय संस्थाओं और बैंको को परियोजना में पहले से लगाए गए वित्त की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने पड़ते हैं। परियोजना की लागत का अधिक अनुमान लगाना भी उसके कम अनुमान लगाने जितना ही हानिकारक है। यदि परियोजना की लागत का अधिक अनुमान लगाया जाता है तो वित्तीय संस्थाओं को अनावश्यक रूप से अधिक राशि उपलब्ध करानी पड़ेगी जिसका प्रवर्तक अन्य प्रयोजनों हेतु विपथन कर सकते हैं। यह उद्यमियों तथा बैंकों के हित में भी आवश्यक है। अतः उद्यमियों को पूंजीगत लागत का अनुमान लगाने के विषय में जानकारी देने के लिए ओर बैंकों को उद्यमियों द्वारा दिए गए अनुमानों के मूल्यांकन के विषय में जानकारी देने के लिए निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिये।

## परियोजना की पूंजीगत लागत का ब्यौरा और मूल्यांकन पद्धतियां

| | शामिल की जाने वाली मदें | दस्तावेज जिनकी मूल्यांकन हेतु संवीक्षा की जानी चाहिये। |
|---|---|---|
| **A.** भूमि और और साइट विकास | **I.** भूमि की लागत | **I.** यह सुनिश्चित कीजिए कि भूमि, परियोजना एवं भावी विकास के लिए पर्याप्त है। |
| | **II.** रजिस्ट्री का विधिक प्रभार | **II.** भूमि क्रय का करार |
| | **III.**लेवलिंग की लागत | **III.** विधिक प्रभारों और रजिस्ट्री शुल्क की दर |
| | **IV.** सड़क बनाने की लागत | **IV.**सड़कों का कुल क्षेत्रफल और प्रति वर्ग मीटर लागत |
| | **V.** बाड़ बनाने की लागत | **V.**कुल क्षेत्रफल जिसमें बाड़ लगाई जानी है और प्रावधान का आधार |
| | **VI.** दरवाजों की लागत | |

| | | |
|---|---|---|
| B. भवन | I. फैक्टरी के भवन | I. भवनों की डिजाइन |
| | II. प्रशासकीय भवन | II. विभिन्न प्रकार के निर्माण और उनमें से प्रत्येक का क्षेत्रफल |
| | III. गोदाम | III. प्लांट ले–आउट से यह सुनिश्चित करें कि भवनों का प्रस्तावित निर्माण पर्याप्त है और कोई अनावश्यक निर्माण नहीं किया जा रहा है। |
| | IV. कैंटीन, गेस्ट हाउस आदि | |
| | V. परमावश्यक स्टाफ हेतु क्वार्टर्स | |
| | VI. टंकिया, कुंए आदि | |
| | VII. सीवरों ओर ड्रेनेज की | IV. प्रत्येक निर्माण की प्रति वर्ग मीटर दर |
| | VIII. आर्किटेक्ट की फीस | V. भवन ठेकेदार यदि कोई हो तो उसके साथ किया गया करार |
| | | VI. भवन ठेकेदार और आर्किटेक्ट की पृष्ठभूमि पर नोट |
| C. संयंत्र और मशीनरी | (क) <u>आयातित संयंत्र</u> | |
| | I. आयात किए जाने वाले संयंत्र का I.O.B. मूल्य | I. यह सुनिश्चित करें कि संयंत्र का का आयात आवश्यक है। |
| | II. शिपिंग फ्रेइट और बीमा प्रभार | II. यह भी सुनिश्चित करें कि आवश्यक स्टोर्स और अतिरिक्त पुर्जो का भी आयात किया जाना है। |
| | III. आयात शुल्क | III. आयात किए जाने वाले संयंत्र के कोटेशन |
| | IV. क्लीयरिंग, लोडिंग, अनलोडिंग और परिवहन प्रभार | IV. आयात किए जाने वाले संयंत्र के आर्डर, (यदि दे दिए गए हैं।) |
| | | V. आयात लाइसेंस, यदि जरूरी हो |
| | | VI. यदि पुराने संयंत्र का आयात किया जाना है तो किसी स्वतत्र इंजीनियर की रिपोर्ट |
| | (ख) <u>देशी संयंत्र</u> | |
| | I. मुख्य संयंत्र और अन्य | I. खरीदी जाने वाली मशीनरी की |

| | | |
|---|---|---|
| | मशीनरी | मुख्य मदें – यह सुनिश्चित करें कि सभी मदें शामिल की गई हैं और उनकी क्षमता संतुलित है। |
| | **II.** मशीनरी स्टोर और अतिरिक्त पुर्जे | |
| | **II.** विक्रय कर | |
| | **IV.** परिवहन और संस्थापन प्रभार | **II.** विभिन्न मशीनरी आपूर्तिकारों से प्राप्त कोटेशन |
| | | **III.** अन्य प्रतिष्ठित आपूर्तिकार जिनसे प्रवर्तक कोटेशन मंगवा सकते थे किंतु मंगवाए नहीं हैं उनसे भी जानकारी प्राप्त कर जांच करना चाहिये। |
| | | **IV.** केवल कीमत किंतु तकनीकी परिष्कृति, आपूर्तिकारों की प्रतिष्ठा, डिलीवरी तारीख, साख की शर्तो आदि के आधार पर विभिन्न कोटेशनों में से चुनाव किया जाना चाहिए। |
| | | **V.**मशीनरी के आदेश यदि दिए गए हों। |
| | | **VI.**मशीनरी आपूर्तिकारों के साथ की गई संविदा। |
| **D.** इंजीनियरिंग और परामर्श शुल्क | **I.** विदेशी तकनीशियनों का खर्च | **I.** विदेशी सहयोगियों के साथ संविदा |
| | **II.** भारतीय तकनीशियनों के प्रशिक्षण | **II.** परामर्शदाताओं के साथ संविदा |
| | **III.** तकनीकी ज्ञान फीस | **III.** परामर्शदाताओं की पृष्ठभूमि संबंधी रिपोर्ट |
| | **IV.** ड्राइंग्स का खर्च | **IV.** परियोजना के प्रवर्तकों और परामर्शदाताओं के बीच का संबंध यदि कोई हो |
| **E.** विविध | **I.** फर्नीचर | **I.** फर्नीचर की विविध मदों, विविध |

| | | |
|---|---|---|
| अचल आस्तियां | **II.** कार्यालय मशीनरी और<br>और उपकरण | कार्यालय मशीनरी, उपकरण आदि का<br>ब्यौरा और उनकी लागत |
| शुल्क | **III.** वाहन–कार–ट्रक आदि<br>**IV.** बिजली संस्थापन लागत<br>**V.** जल, वायु और भाप<br>वितरण हेत उपकरण और पाइप<br>**VI.** प्रयोगशाला उपकरण<br>**VII.** कार्यशाला उपकरण<br>**VIII.** अग्निशमन उपकरण | **II.** यह पता लगाएं कि क्या<br>परियोजनाओं के लिए वाहनों मे निवेश<br>आवश्यक है। वाहनों के रखरखाव<br>की लागत का अनुमान कर उसकी<br>तुलना बाह्य वाहन के किराए पर लिए<br>जाने पर होने वाले परिवहन खर्च से<br>करना चाहिये। |
| | **IX.** बहिःस्राव संग्रहण,<br>उपचार एवं निपटान व्यवस्था<br>**X.** विविध अचल आस्तियां | **III.** बिजली संस्थापन, पाइपिंग आदि<br>संबंधी संविदा।<br>**IV.** कार्यशाला के उपकरणों आदि<br>की कीमत सूची |
| **F.** प्राथमिक<br>एवं परिचालन पूर्व<br>खर्च | **I.** पूंजी निर्गम यदि किया<br>जाना हो तो उसके व्यय। | **I.** पूंजी निर्गम की कुल राशि का<br>पता लगाना चाहिये और उसके प्रभारों<br>की गणना करना चाहिये। |
| | **II.** प्रतिबद्धता प्रभार | **II.** निर्माण अवधि का पता लगाना चाहिये।<br>और उस अवधि की गणना करना चाहिये। |
| | **III.** निर्माण अवधि के दौरान<br>सावधि ऋणों पर ब्याज<br>**IV.** बंधक व्यय<br>**V.** निर्माण अवधि के दौरान<br>विविध व्यय<br>**VI.** नकद हानि, यदि कोई हो। | **III.** बंधक व्यय की राशि की<br>गणना करना चाहिये।<br>**IV.** निर्माण अवधि के दौरान होने<br>वाले अन्य कार्यो की गणना करना<br>चाहिये। |
| **G.** आकस्मिकताओं<br>हेतु प्रावधान | **I.** नई मदें जुड़ने से लागत<br>में होने वाली संभावित वृद्धि। | **I.** कुल लागत अनुमानों को दो समूहों<br>मे विभाजित करना चाहिये<br>निश्चित और अनिश्चित। |
| | **II.** कीमतों, विक्रय कर,<br>उत्पाद शुल्क, परिवहन<br>प्रभार मे वृद्धि एवं विदेशी | **II.** स्फीतिकारक प्रवृत्ति और<br>परियोजना कार्यान्वयन अवधि के<br>आधार पर लागत की अनिश्चित मदों |

| | मुद्रा दरों मे उतार–चढ़ाव आदि के कारण लागत मे संभावित वृद्धि। | पर आकस्मिकताओं के लिए 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत प्रावधान करना चाहिये कार्यान्वयन अवधि जितनी लंबी होगी उतनी ही अधिक आकस्मिकताओं की आवश्यकता होगी। |
|---|---|---|
| **H.** कार्यशील पूंजी हेतु मार्जिन राशि | **I.** देशी कच्चा माल<br>**II.** आयातित कच्चा माल<br>**III.** उपभोग्य स्टोर्स<br>**IV.** प्रक्रियारत माल का स्टाक<br>**V.** तैयार माल का स्टाक<br>**VI.** बकाया देनदार | कुल आवश्यक कार्यशील पूंजी की गणना करना चाहिये और इसके 25 प्रतिशत का मार्जिन राशि के रूप मे प्रावधान करना चाहिये। जिसे दीर्घावधि स्रोतों से लाया जाना है। |

प्रत्येक परियोजना अन्य परियोनाओं से भिन्न होती है और किसी एक परियोजना की लागत का बिना सोचे समझे किसी अन्य वैसी ही परियोजना हेतु अनुसरण नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, उपलब्ध पूर्व डाटा या अन्य स्रोतों (अन्य वित्तीय संस्थाएं और बैंक, सरकारी संस्थाएं, परामर्शदाता संस्थाएं, व्यापारी संघ, आदि) से प्राप्त जानकारी से मिलाकर इसे जांच लेना लाभप्रद होता है। यदि किसी मद विशेष की लागत के बारे में अत्याधिक अंतर पाया जाये तो इस अंतर का कारण जानने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह अंतर उचित है विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए।

## वित्त के स्रोत

परियोजना की पूंजीगत लागत के मूल्यांकन के बाद **उद्यमी और बैंक पूंजीगत लागत के वित्तीयन का स्वरूप निर्धारित करते हैं**। निम्नलिखित में से एक या अधिक स्रोतों से परियोजना का वित्तीयन किया जा सकता है।

(i) साधारण/प्रेफरेन्स शेयर जारी करना

(ii) प्रतिभूत डिबेंचर जारी करना

(iii) परिवर्तनीय डिबेंचर और बांड जारी करना

(iv) वित्तीय संस्था और बैंकों से सावधि ऋण

(v) बाह्य वाणिज्यिक उधार

(vi) विदेशी निवेश

(vii) कतिपय संस्थाओं/सरकार द्वारा तैयार की गई विशेष योजनाएं

(viii) उपकरण आपूर्तिकारों से बिल रिडिस्काउंटिंग योजना के अंतर्गत आस्थगित ऋण

(ix) लीजिंग वित्त

(x) अप्रतिभूत ऋण और जमाराशियां

(xi) पूंजी सब्सिडी या विकास ऋण/विक्रय कर ऋण

(xii) विद्यमान उपक्रमों के लिए आंतरिक उपचय

विभिन्न स्रोतों को मोटे तौर पर ईक्विटी पूंजी और उधार ली गई पूंजी इन दो वर्गो में वर्गीकृत किया जा सकता है। परियोजना की प्रकृति, उसके आकार, अवस्थिति, प्रवर्तकों की पृष्ठभूमि और अपेक्षित लाभप्रदता के आधार पर निधियों के इन दो वर्गो का अनुपात प्रत्येक परियोजना में कम या अधिक हो सकता है।

ईक्विटी पूंजी पर ऋण की तरह मूल की चुकौती और ब्याज की अदायगी जैसा कोई निश्चित प्रभार नहीं होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों और परिचालनात्मक कठिनाइयों में इससे राहत मिलती है। बैंक सावधि ऋण के माध्यम से समग्र वित्त देने के लिए प्रतिबद्ध नहीं होंगे क्योंकि उनके द्वारा दिए गए ऋण के लिए उनके पास कोई कुशल और आस्ति कवरेज नहीं होगा। परियोजना की प्रकृति, उसकी अवस्थिति, प्रवर्तक की पृष्ठभूमि आदि के आधार पर सामान्यतः 1.5:1 ऋण–ईक्विटी अनुपात अनुमत होगा। टेक्नोक्रेटों द्वारा प्रवर्तित परियोजनाओं, बड़े आकार की पूंजी प्रधान परियोजनाओं और पिछड़े क्षेत्रों मे स्थित परियोजनाओं के लिए उच्च ईक्विटी अनुपात अनुमत होता है।

**परियोजना का कार्यान्वयन पूरा करने के लिए मार्जिन राशि घटाने के बाद पर्याप्त वित्त उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसी परियोजना के कम वित्तीयन से बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ जाती है और परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होता है।**

## 6.2 परियोजना की प्रकृति (Nature of Project)

रोजगार के अवसर पैदा करने और आय के स्तर के लिये कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में मध्यम व बड़ी परियोजनाओं को वित्त पोषित करना आवश्यक है। वैश्वीकरण की नीति लागू होने के साथ कृषि निर्यात बढ़ाने के लिये मध्यम व बड़ी परियोजनाओं का वित्त पोषण आवश्यक है। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल विविध गतिविधियों के वित्त पोषण से रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित बकाया ऋण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है किन्तु इसके लिये हमें सर्वप्रथम परियोजना की प्रकृति (स्वभाव) के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहिये क्योंकि जिस परियोजना में हमे अपना धन विनयोग कर रहे हैं। उसकी चुकौती (भुगतान) बहुत कुछ परियोजना के स्वभाव पर निर्भर करता है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को कृषि में शामिल निम्नलिखित क्षेत्रों में मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं के वित्तीय हेतु अनुरोध प्राप्त हो सकते हैं।

### a-डेरी फार्मिंग

दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व मे दूध उत्पादन में भारत का हिस्सा 14 प्रतिशत है। दूध उत्पादन में भैंसों का 55 प्रतिशत, देशी गायों का 24 प्रतिशत और वर्णसंकर गायों का योगदान 16 प्रतिशत है। शेष 5 प्रतिशत दूध के उत्पादन में बकरियों का योगदान है।[1] निम्नलिखित कारणों से भारत के लिए डेरी फार्मिंग का राष्ट्रीय महत्व है:–

(i) डेरी फार्मिंग वर्ष भर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।

(ii) चावल और गेंहू के भूसे आदि जैसे कृषि उत्पाद (बाय–प्रोडक्ट) मानव उपभोग हेतु उपयुक्त नहीं है। इन्हें–पशुओं को खिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

**स्रोत:– भारतीय कृषि डॉ0 बद्री प्रसाद त्रिपाठी पेज नं0 173**

(iii) इससे कृषि मजदूरों और छोटे/सीमान्त कृषकों को अतिरिक्त आय उपलब्ध होती है। 50 प्रतिशत से अधिक दूध उत्पादन भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों से प्राप्त होता है। वे कम रोजगार प्राप्त और बेरोजगार पारिवारिक सदस्यों, विशेषकर महिलाओं की सहायता से मुख्यतः फसल अवशेषों (रेसिड्यूज) पर एक या दो दुधारू पशु पालते हैं।

(iv) फसल से आय मौसम की समाप्ति पर ही होती है जबकि डेरी फार्मिंग से वर्ष भर नियमित रूप से नकदी प्रवाह उपलब्ध होता है।

(v) गोबर और पशु मूत्र जैसे बेकार पदार्थो का खाद के लिए उपयोग होता है।

(vi) गोबर से प्राप्त गोबर गैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में और साथ ही कुंओं से पानी खींचने की मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है।

(vii) जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण में वृद्धि, आय स्तर में वृद्धि, दूध के पोषक मूल्य संबंधी जानकारी, शाकाहारी आहार की पसंदगी आदि के कारण दूध और दूध उत्पादों की मांग में सतत वृद्धि हो रही है।

(viii) यद्यपि एक या दो दुधारू पशुओं से उत्पन्न आय न्यून होती है फिर भी पारिवारिक श्रम और कृषि अपशिष्ट (waste) के उपयोग के कारण भूमिहीन मजदूरों और छोटे किसानों के लिए यह किफायती है।

(ix) शहरों के आसपास जहां दूध की मांग उत्तरोत्तरी बढ़ती जा रही है वहां डेरी फार्मिंग को मुख्य व्यवसाय के रूप में भी अपनाया जा सकता है।

## डेरी फार्मिंग के लिए वित्तीय सहायता

बड़ी लागत वाली डेरी योजनाओं के लिए हिाधिकारी को राज्य पशुपालन विभाग/जिला ग्राम विकास एजेंसी के तकनीकी व्यक्तियों या किसी अन्य विशेषज्ञ

की सहायता से विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करनी चाहिए। परियोजना रिपोर्ट में भूमि, पशुधन बाजार, जल , खाद्य, चारा, पशुचिकित्सा सहायता, प्रजनन सुविध ााओं , प्रशिक्षण सुविधाओं की उपलब्धि, प्रवर्तकों के अनुभव और राज्य सरकार से उपलब्ध सहायता संबंधी जानकारी होनी चाहिए। इसमें प्रस्तावित विपणन व्यवस्था संबंधी जानकारी भी होनी चाहिए। परियोजना की लागत में निम्न मदें शामिल होती हैं :–

(i) दुधारू पशुओं की खरीदी की लागत

(ii) भूमि और उसके विकास की लागत

(iii) छप्पर (शेड) निर्माण

(iv) आवश्यक मजदूर क्वार्टर्स और गोदाम

(v) कुंए की खुदाई, यदि आवश्यक हो

(vi) बिजली कनेक्शन

(vii) परिवहन वाहन

(viii) दूध प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) सुविधाएं

(ix) परियोजना की आवश्यकतानुसार अन्य फुटकर अचल आस्तियां

(x) आरंभिक एक या दो महीने की खाद्य (feeding) लागत।

परियोजना रिपोर्ट में विक्रय वसूली और व्ययों के पूर्वानुमान भी होने चाहिए। मंजूर की जाने वाली ऋण परियोजना की लागत और हिताधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले मार्जिन राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है। भावी लाभप्रदता के अनुमानों के आधार पर चुकौती अवधि निर्धारित की जाती है।

वित्तीय सहायता हेतु आवेदनों पर विचार करते समय योजना के आकार और आवश्यक वित्त के आधार पर निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए:

(i) किसान और कृषि मजदूर सम्बद्ध कार्यकलाप के रूप में डेरी फार्मिंग अपनाकर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। दूध, खाद और बछड़ों का विक्रय आय के मुख्य स्रोत हैं।

(ii) डेरी फार्मिंग पूर्णकालिक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है। यह पांच से दस पशुओं वाला छोटा यूनिट या बड़े आकार का यूनिट हो सकता है।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाए कि पशु रखने के लिए उधारकर्ता के पास आवश्यक आवास है।

(iv) यह सुनिश्चित किया जाए कि उस इलाके में अच्छी गुणवत्ता/नस्ल के पशु उपलब्ध हैं या नहीं यदि नहीं तो उन्हें बाहर से खरीदने की व्यवस्था की जाए।

(v) पशुओं के लिए चारा और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। यदि आवेदक के पास चारा उगाने की अपनी स्वयं की भूमि नहीं है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि उस इलाके में पर्याप्त चारा उपलब्ध है।

(vi) यह सुनिश्चित किया जाए कि आवश्यक पशु चिकित्सा सेवाएं तत्काल उपलब्ध हैं।

(vii) यह सुनिश्चित किया जाए कि हिताधिकारी को डेरी फार्मिंग का पर्याप्त अनुभव है। प्रस्तावित डेरी के आकार के संबंध में हिताधिकारी की विशेषज्ञता का अध्ययन किया जाना चाहिए।

(viii) दूध और दूध उत्पादनों के विक्रय हेतु उपलब्ध विपणन सुविधाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए

कि वर्तमान विक्रय कीमत के आधार पर हिताधिकारी दूध/दूध उत्पाद बेंच पायेगा और उससे समुचित लाभ अर्जित करेगा। यदि संगठित प्रणाली के माध्यम से दूध के विपणन की व्यवस्था की गई है तो बैंक को दूध संग्राहक एजेन्सियों से विक्रय की आगम राशि से ऋण वसूली की व्यवस्था करनी चाहिए।

(ix) प्रत्येक हिताधिकारी के लिए कम से कम दो दुधारू पशुओं का ऋण मंजूर किया जाना चाहिए। आरंभिक तौर पर एक पशु खरीदा जाना चाहिए और दूसरा 6 से 8 महीने की अवधि के बाद। इससे दूध उत्पादन में निरन्तरता सुनिश्चित होगी। जब पहला पशु दूध देना बंद करता है तब दूसरा दुधारू होता है। यदि हिताधिकारियों के पास पहले से एक पशु है तो उसे एक और पशु के लिए ऋण दिया जा सकता है।

(x) नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा गठित राज्य स्तरीय यूनिट मूल्य समिति द्वारा दर्शाए गए यूनिट मूल्य और उस इलाके में वास्तविक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए ऋण राशि निर्धारित की जानी चाहिए। समिति द्वारा निर्धारित यूनिट मूल्य का अनुसरण अनिवार्य नहीं है। उस इलाके की वास्तविक स्थिति के अनुसार बैंक अपना निर्णय ले सकता है।

(xi) ऋण मंजूरी के बाद निकटतम पशु बाजार से विश्वास पात्र प्रजनक (ब्रीडर) से पशु खरीदा जाना चाहिए।

(xii) बैंक के तकनीकी अधिकारी, राज्य सरकार/जिला परिषद आदि के पशु चिकित्सा/पशुपालन अधिकारी की सहायता से स्वस्थ पशु खरीदे जाने चाहिए।

(xiii) अपने दूसरे तीसरे दुग्धस्रवण (दूध देने वाले) काल (लैक्टेशन) में हों ऐसे ताजे

ब्याये पशु खरीदना बेहतर है।

(xiv) पशु खरीदने से पहले सतत तीन बार दूध दुहकर वास्तविक दूध की मात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(xv) उपयुक्त पहचान चिह्न देकर नये खरीदे गए पशु की पहचान की जानी चाहिए।

(xvi) नये खरीदे गए पशु को बीमारी से बचने का रोग निरोधी टीका लगाया जाना चाहिए।

(xvii) पशुओं के बीमें की व्यवस्था की जानी चाहिए और बीमा पालिसी बैंक के पक्ष में समनुदेशित की जानी चाहिए।

(xviii) निवेश मे से अर्जित आय में से हिताधिकारी चुकौती कर सके इसके लिए चुकौती अवधि पर्याप्त लंबी होनी चाहिए। दो पशुओं के लिए दिए गए ऋण के लिए चुकौती अवधि 4–5 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए (2–3 दुग्धस्रवण काल तक की)। लाभप्रदता अनुमानों के आधार पर मध्यम और बड़ी परियोजनाओं के लिए चुकौती अवधि अधिक लंबी होनी चाहिए।

## b-मुर्गीपालन योजनाऐं

भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का अण्डा उत्पादक देश है और पहले दस ब्रोइलर उत्पादकों में से एक है। मुर्गीपालन कृषि के सर्वाधिक तेज विकसित सेगमंट के रूप में उभर कर आया है। पिछले तीन दशकों में मुर्गीपालन गौण गतिविधि से रूपांतरित होकर एक आधुनिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी चलित उद्योग बन गया है। निम्नलिखित कारणों से देश में मुर्गीपालन बहुत लोकप्रिय हो गया है:–

(i) भारत ने सफल मुर्गीपालन के लिए आवश्यक सभी निविष्टियों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी और क्षमता विकसित की है।

(ii) हमारी कृषि–जलवायुवी (एग्रो–क्लाइमेटिक) परिस्थिति के पूर्णतः अनुकूल बढ़िया उपज देने वाले प्रजनन स्टॉक की आपूर्ति के लिए देश में अनुसंधान और विकास हुआ है। आज का अनुवांशिक रूप से बढ़िया चिकन एक वर्ष में 270–290 अंडे देता है जो उसके अपने वजन से 9 से 10 गुना होता है।

(iii) देश के विभिन्न भागों में प्रजनन फार्म और स्फुटशालाओं (हैचरीज) का नेटवर्क विकसित किया गया है।

(iv) पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए देश में विभिन्न प्रकार के टीकों और औषधियों का विकास किया गया है।

(v) देश के विभिन्न भागों में बीमारी निदान और मॉनीटरिंग प्रयोगशालाएं तथा तकनीकी सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(vi) तैयार संतुलित मुर्गी आहार के उत्पादन एंव आपूर्ति के लिए कई बड़े और छोटे मुर्गी आहार यूनिट सरकारी और निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं।

(vii) देश में हैचरी और पर्यावरण नियंत्रण प्रणालियों के लिए परिष्कृत उपकरणों का विनिर्माण किया जाता है।

(viii) उद्यमियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं।

(ix) उच्च पोषक मूल्य के कारण पोल्ट्री उत्पादों की मांग में वृद्धि हो रही है।

(x) मुर्गीपालन या तो पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यवसाय के रूप में अपनाया जा सकता है इसलिए इससे ग्रामीण भारत में अपूर्ण रोजगार/बेरोजगारी में कमी आएगी।

## मुर्गीपालन के लिए वित्तीय सहायता

छोटे ऋणों के मामले में बैंकों को अधिकांश आवेदन अंडे के उत्पादन की गतिविधि शुरू करने के लिए मिलते हैं। एक दिवसीय इनोक्युलेटेड मादा चूजे सीधे हैचरी से खरीदे जाते हैं। अंडे देने के लिए रचिकन का पालन किया जाता है। वे करीब 6 महीने बाद अंडे देने लगते हैं, तब उन्हें लेयर्स कहा जाता है। अंडे देना शुरू करने के बाद प्रत्येक लेयर वर्ष में औसतन लगभग 250 अंडे देता है। पहले छह–सात महीने जब पक्षी अंडे नहीं देता है उस दौरान उसे 10–11 कि.ग्रा. खाद्य की आवश्यकता होती है। अगले एक साल के लिए उसे 40–42 कि.ग्रा. खाद्य की जरूरत होती है। लगभग एक वर्ष अंडे देने के बाद पक्षी को खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अंडों की निरंतर आपूर्ति के लिए आरंभिक आपूर्ति कू एक वर्ष बाद चिकलन का नया स्टॉक खरीदना पड़ता है ताकि आरंभिक स्टॉक की अंडे देने की आर्थिक अवधि की समाप्ति पर जब उन्हें खाने के प्रयोजन से टेबल पर पहुंचाया जाता है तब चिकन के दूसरे स्टॉक के पालन की छह महीने की अवधि पूरी हो जाती है और वे अंडे देना आरंभ कर देते हैं। चिकन खरीदी के छह महीने बाद अंडे देना आरंभ होता है। ऋण आवश्यकता की गणना के लिए इस अवधि की खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताओं का पूंजीकरण किया जाना चाहिए और अवधि के बाद चुकौती की अपेक्षा की जा सकती है। अंडों के उत्पादन के लिए पोल्ट्री के प्रस्तावों का वित्तीयन करते समय निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए :

(i) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जिस स्थान पर पोल्ट्री फार्म की स्थापना प्रस्तावित है उस स्थान का जलवायु पोल्ट्री फार्म के लिए अनुकूल

है। उस स्थान में किसी अन्य पोल्ट्री फार्म का अस्तित्व इस बात का संकेत होगा कि वह स्थान पोल्ट्री फार्म की स्थापना के लिए उपयुक्त है। तथापि यह स्पष्ट किया जाता है कि उस स्थान में किसी अन्य फार्म की अनुपस्थिति को प्रस्ताव की मंजूरी के मार्ग में रूकावट नहीं समझा जाना चाहिए।

(ii) चुने गए स्थान में पानी जमा न होता हो अर्थात् वाटर लोगिंग की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यह मुख्य सड़कों, भारी यातायात और हवाई अड्डे से दूर होना चाहिए क्योंकि पक्षियों को शोर पसंद नहीं होता है।

(iii) निर्माण किए जाने वाले पोल्ट्री शेड का साइज पाले जाने वाले पक्षियों की संख्या हेतु पर्याप्त होना चाहिए।

(iv) यह पता किया जाना चाहिए कि पोल्ट्री हाउस के निर्माण हेतु अनुभवी ठेकेदार उपलब्ध है या नहीं। यदि नहीं तो यह सुनिश्चित किया जाना चहिए कि प्रस्तावित निर्माण मानक आवश्यकताओं के अनुसार है। पोल्ट्री हाउस में पक्षियों को धूप, वर्षा और परभक्षियों से समुचित सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए।

(v) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बिजली की आपूर्ति उपलब्ध होगी और इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

(vi) पक्षियों के लिए पर्याप्त स्वच्छ जल उपलब्ध होना चाहिए।

(vii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वाजिब दाम मे प्रतिष्ठित विक्रेताओं से एक दिन की आयु के चूजों या लेयर की खरीद के लिए उचित व्यवस्था की गई है।

(viii) पक्षी कोकोडायोसिस, कृषियोग, फाउलपोक्स, ब्रोन्काइटिस, कीरिजा आदि जैसी बीमारियों के बहुत आसानी से शिकार बन जाते हैं अतः पोल्ट्री फार्म्स में स्वास्थ्यकर वातावरण कायम रहे, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(ix) पशु चिकित्सा विभाग/खंड विकास एजेंसी के अधिकारियों की सेवाओं की तत्काल प्राप्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए। पोल्ट्री बीमारियों की औषधियों और टीकों की सुलभ उपलब्धि सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(x) यह पता लगा लिया जाये किपोल्ट्री खाद्य पास ही वाजिब दाम मे उपलब्ध है या नहीं

(xi) यह देखा जाये कि अंडों और पक्षियों के विक्रय हेतु प्रस्तावित विपणन व्यवस्थाएं पर्याप्त हैं और उनका समुचित निष्पादन संभव है।

(xii) यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक को मुर्गीपालन का पर्याप्त ज्ञान अनुभव प्राप्त है। यदि नहीं तो मुर्गीपालन हेतु अर्हता प्राप्त/अनुभवी सेवाएं उपलब्ध्ध कराई जाएं। यह वांछनीय है कि आवेदकों को सरकार संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे सही समय पर टीका लगाने और डीबीकिंग (debeaking) हेतु योग्यता प्राप्त हो।

(xiii) यह सुनिशचित किया जाये कि खरीद हेतु प्रस्तावित उपकरण (ब्रूडर्स नैस्ट्स फीडर्स, वाटरर्स, एग–ट्रेस आदि पर्याप्त हैं और उनके दाम वाजिब है।।

(xiv) पोल्ट्री शेड के निर्माण की अनुमानित लागत वाजिब होनी चाहिए।

(xv) योजना में कार्यशील पूंजी हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

(xvi) मर्जिन राशि घटाने के बाद ऋण राशि निधियों की आवश्यकता की पूर्ति लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(xvii) पक्षियों के बीमे की व्यवस्था की जानी चाहिए और बीमा पालिसी बैंक के पास में समनुदेशित की जानी चाहिए।

(xviii) प्रस्तावित पोल्ट्री फार्म से अपेक्षित आय का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मुख्यतः निम्नलिखित स्रोतों से आय प्राप्त होती है :

(क) अंडों की बिक्री

(ख) खाद की बिक्री

(ग) निकृष्ट पक्षियों की बिक्री

(घ) बोरियों की बिक्री

(xix) निम्नलिखित मदों पर अपेक्षित व्यय का पता लगाने के लिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए :

(क) चिकन/लेयर्स की खरीद

(ख) खाद्य

(ग) औषधियां

(घ) मूल्यह्रास

(ड़) ऋणों पर ब्याज

(च) उपरिव्यय

(xx) उल्लिखित आय एवं व्यय का अनुमान लगाने के बाद अपेक्षित वार्षिक आय सुनिश्चित की जानी चाहिए। उधारकर्ता के पास उपलब्ध अतिरिक्त राशि के आधार पर चुकौती निर्धारित की जानी चाहिए।

## c-बागवानी परियोजनाएं

(क) फलों/फलों/सब्जियों/मसालों/औषधीय एवं ऐरोमेटिक पौधों के लिए केप्टिव फार्म

(ख) टिशू कल्चर

(ग) मशरूम उत्पादन

(घ) फलों व सब्जियों की प्रोसेसिंग

(ड़) भूमि विकास परियोजनाऐं

(च) सिंचाई परियोजनाऐं

(छ) गोदामों और साइलों का निर्माण

(ज) शीत गृहों का निर्माण

## d-कृषि में ठेका फार्मिंग

किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण जनता के लिए अतिरिक्त रोजगार अवसरों के निर्माण हेतु कृषि में विविधता लाने को आवश्यक समझा गया है। कृषि को वित्तीय सहायता, प्रौद्योगिकी और सुनिश्चित बाजार उपलब्ध कराकर ठेका फार्मिंग कृषि के विविधीकरण में सहायक हो सकता है। टमाटर, आलू मिर्च, खीरा, बेबी कॉर्न, प्याज, कपास, गेंहू, बासमती चावल, मूंमफली, फूल, औषधीय पौधे आदि जैसी बहुत–सी कृषि और बागबानी फसलें भारत में किसानों के साथ किसी प्रकार की ठेका व्यवस्था में उगाई जाती है। कई छोटे व्यापारियों के अतिरिक्त कई बड़ी कंपनियां भी बहुत–सी फसलों का ठेका फार्मिंग करती है।

प्रोसेसिंग फर्मो को अपने ग्राहकों की मांग की पूर्ति हेतु कतिपय विशिष्ट गुणवत्ता वाले कृषि प्राप्त करने पड़ने पड़ते हैं। वे इनकी प्राप्ति खुले बाजार से कर सकती है या स्वयं इनका उत्पादन (कार्पोरेट फार्मिंग) कर सकती है या फिर वे इनका उत्पाद ठेका फार्मिंग के अंतर्गत कर सकती है। यदि आवश्यक कृषि उत्पाद खुले बाजार में उपलब्ध हों तो प्रोसेसिंग फर्म को कार्पोरेट फार्मिंग या ठेका फार्मिंग का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तथापि, कभी–कभी कतिपय प्रोसेसिंग फर्मो को सही गुणवत्ता वाला उत्पाद ही फार्मिंग या इेका फार्मिंग का विकल्प अपनाना पड़ता है। कार्पोरेट फार्मिंग बहुत मंहगा पड़ता है क्योंकि इसमें पारिवारिक फार्मो की तरह पारिवारिक श्रम उपलब्ध नहीं होता है। अतः ऐसे मामलों

में प्रोसेसिंग फर्मो को ठेका फार्मिंग का विकल्प अपनाना पड़ता है।

## 1. ठेका फार्मिंग की मुख्य विशेषताएं

ठेका फार्मिंग के अंतर्गत किसानों द्वारा, व्यापार या प्रोसेसिंग में प्रवृत्त किसी एजेंसी के साथ पुनः खरीद व्यवस्था के अंतर्गत, चुनी हुई फसलें उगाई जाती हैं। ऐसे ठेकों की मुख्य विशेषता यह है कि उत्पादक कोई विशेष प्रकार की कृषि वस्तु किसी परिचित क्रेता को उपलब्ध कराने के लिए वचनब द्ध होता हे। ऐसा क्रेता भी इस वस्तु को खरीदने के लिए वचनबद्ध होता है। ये ठेके तीन प्रकार के होते हैं :–

(i) प्रोक्युअरमेंट ठेका जिसके अंतर्गत केवल विक्रय और क्रय की शर्ते ही विनिर्दिष्ट होती हैं।

(ii) आंशिक ठेके जिनमें केवल कुछ निविष्टियों की ही ठेकाकर्ता फर्म द्वारा आपूर्ति की जाती है और उत्पाद पूर्व–सहमत कीमतों पर खरीदा जाता है

(iii) समग्र ठेका जिसमें ठेकाकर्ता फर्म सभी निविष्टियों की आपूर्ति और प्रबंध करती है और किसान केवल भूमि और श्रमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।

बैंक निविष्टियों की आपूर्ति के लिए वित्त उपलब्ध कराते हैं और किसानों को देय राशि में से क्रेता के माध्यम से चुकौती प्राप्त करते हैं। ठेका फार्मिंग क्रेताओं और किसानों के बीच द्विपक्षीय ठेका व्यवस्था हो सकती है या फिर ये आवश्यकतानुसार त्रिपक्षीय/बहुपक्षीय व्यवस्था हो सकती है।

## 2. किसानों और प्रासेसिंग फर्मो के लिए ठेका फार्मिंग के लाभ

ठेका फार्मिंग प्रोसेसिंग फर्मो/एग्रिबिजनेस फर्मो और छोटे किसानों के बीच सक्रिय भागीदारी है। इससे इन दोनों को निम्नानुसार लाभ होता है।

(i) इससे छोटे किसानों को फलों, तरकारियों, फूलों आदि जैसी उच्च मूल्य की फसलों के उत्पादन में सहभागी होने में सहायता मिलती है, जिससे इन्हें पारंपारिक फसलों की तुलना में अधिक आय हो सकती है।

(ii) इससे छोटे किसानों को तकनीकी सहायता का लाभ लेने में सहायता मिलती है। नई तकनीकी और निविष्टियों के उपयोग से किसान अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं।

(iii) प्रोसेसिंग फर्मो को अपनी विशिष्ट आवश्यकतानुसार कृषि उत्पादों की प्राप्ति होती है। किसानों से गुणवत्ता वाली वस्तुओं की सुनिश्चित आपूर्ति से कच्चे माल की अनुपलब्धता का जोखिम बहुत कम हो जाता है।

(iv) ठेका फार्मिंग के कुछ मामलों में किसान उत्पादकता संबंधी जोखिम उठाता है और कीमत संबंधी जोखिम कंपनी को अंतरित करता है और अन्य ठेका फार्मिंग के मामलों में उत्पादन जोखिम भी कंपनी उठाती है।

## 3. बैंकों के लिए ठेका फार्मिंग के लाभ

कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए 2001 में कृषि निर्यात क्षेत्रों (AEZ) की संकल्पना लागू की गई है। इस संकल्पना के अंतर्गत भौगोलिक रूप से एक अखंड क्षेत्र की किसी विशेष उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने, प्रोसेसिंग/पैकेजिंग करने और अंततः निर्यात हेतु पहचान की जाती है। भारत सरकार की ओर से एग्रिकल्चरल और प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी (APENDA) AEZ के लिए नोडल एजेन्सी का कार्य करती है। राज्य सरकारों के परामर्श से यह किसी खस उत्पाद/उत्पादों के लिए किसी क्षेत्र की पहचान कर उसकी AEZ क रूप में अधिसूचना द्वारा घोषणा करती है। प्रत्येक एजेन्सी की भूमिका परिभाषित करते हुए संबद्ध राज्य सरकार और APEDA (भारत सरकार की ओर से) के बीच समझौता

ज्ञापन पर हस्ताक्षर होते है। इस योजना की लोकप्रियता के कारण ऐसे कृषि निर्यात क्षेत्रों के कई प्रस्ताव APEDA के विचाराधीन है। AEZ के क्षेत्र और उत्पाद की पहचान के बाद उस क्षेत्र में उस उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रयास किए जाते हैं।

निर्यातकों द्वार निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुसार उत्पाद की पर्याप्ता मात्रा में आपूर्ति करने के लिए ठेका फार्मिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बैंक कृषि निर्यात क्षेत्रों (AEZ) में ठेका फार्मिंग के वित्तीयन में निम्नानुसार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

(i) बैंक त्रिपक्षीय करार के अंतर्गत सीधे किसानों को फसल उत्पादन के लिए वित्तपोषण कर सकते हैं।

(ii) बैंक प्रोसेसरों/निर्यातकों को वित्त दें, जो पुनः खरीद व्यवस्था के अंतर्गत तकनीकी ज्ञान सहित सारी निविष्टियां उपलब्ध करा सकते हैं।

कृषि निर्यात क्षेत्रों (AEZ) में किसान बेहतर तकनीक और निविष्टियों का उपयोग कर सकें इसलिए बैंक सामान्य वित्तमान से अधिक वित्त दे सकते हैं। बैंक यह सुनिश्चित करें कि कृषि निर्यात क्षेत्र (AEZ) योजना द्वारा आवरित किसानों को पर्याप्त ऋण सहायता प्राप्त हो।

प्रोसेसिंग यूनिट/निर्यातक, किसान, बैंक और संबद्ध सरकारी एजेंसियों द्वारा कृषि निर्यात क्षेत्र (AEZ) में समेकित दृष्टिकोण से न केवल कृषि निर्यातों में वृद्धि होगी बल्कि किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी।

## 5. ठेका फार्मिंग की सीमाएं

अक्सर प्रोसेसिंग फर्म या एग्रिबिजनेस फर्म किसी वस्तु की एक मात्र खरीदार नहीं होती है। ऐसे मामलों में किसान अवसरवादी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक प्रोससिंग फर्म के लिए किसानों द्वारा पंजाब में पैदा किए गए टमाटर

ऊंचे मूल्यों पर खुले बाजार में बेंच दिए गए थे और बाजार में कीमतें घटने पर किसानों ने प्रोसेसिंग फर्म कोसारी मात्रा की आपूर्ति कर दी थी। इस प्रकार एग्रिबिजनेस फर्म भी खुले बाजार में कीमत कम होने पर किसी न किसी बहाने से माल की डिलीवरी लेना टाल सकते हैं। उदाहरण के लिए एक निश्चित कीमत के वादे के साथ एक चॉकलेट विनिर्माता ने केरल मे कोका फार्मिंग आरंभ करवायी थी और एक कागज विनिर्माण यूनिट ने कर्नाटक में किसानों के साथ बांस के उत्पादन के लिए ठेका किया था। किसानों ने बहुत बड़े निवेश सहित यह ठेका किया था परंतु इन फर्मो ने अपनी प्रतिबद्धता से मुकर कर इन किसानों का शोषण किया था। गुणवत्ता मानकों और ग्रेडिंग की शर्तो के लादे जाने के कारण फर्मो को किसानों के शोषण के अवसर मिल जाते हैं। ठेका करते समय उपयुक्त सावधानियां न बरती जायें तो ठेका फार्मिंग के अंतर्गत समस्याएं सामने आ सकती हैं।

## 6. ठेका फार्मिंग में बरती जाने वाली सावधानियां

ठेका फार्मिंग के अंतर्गत स्पष्ट शर्ते होना जरूरी हैं। ठेका फार्मिंग में बैंकों, सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करना बेहतर होता है। यदि कोई विवाद हो तो समस्याओं के हल के लिए मुकदमेंबाजी के बदले तृतीयर पक्ष की सहायता अधिक लाभकर होती है। ठेका करते समय यदि स्थानीय संगठनों को भी शामिल किया जाये तो किसानों का शोषण रोकने में सहायता मिलती है। ये संगठन ठेके के कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग कर सकते हैं और किसी प्रकार का उल्लंघन होने पर आवश्यक कारवाई कर सकते हैं इससे ऐसे उल्लंघनों की घटनाओं का दोहराव रोका जा सकता है और मुकदमेंबाजी टाली जा सकती है। उत्पाद का विपथन रोकने के लिए फर्म ठेके में कोई नयी कीमतीकरण नीति शामिल

कर सकते हैं। इसमे निष्ठावान किसानों के लिए कोई बोनस योजना शामिल की जा सकती है। ताकि वे गुणवत्ता के विनिर्देश के अनुसार कतिपय मात्रा की आपूर्ति करने के लिए प्रोत्साहित हों। एग्रिबिजनेस फर्मो को किसानों को भागीदार समझकर चलना चाहिए न कि कच्ची सामग्री के आपूर्तिकार किसानों को यह महसूस होना चाहिए कि उनके प्रयासों के अनुसार फर्मे उन्हें पुरस्कृत करेंगी।

## e-एग्रिक्लिनिक और एग्रिबिजनेस केन्द्र

अपनी आय अधिकतम करने के लिए किसानों को संभवतः श्रेष्ठ प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना चाहिए। इस हेतु वे साथी प्रगतिशील किसानों, राज्य एजेंसियों, कृषि परामर्शदाताओं, पैरा टेक्नीशियनों, किसानों संगठनों/सहकारी समितियों, गैर–सरकारी संगठनों (NGOs), कृषि विज्ञान केन्द्रों (KVRs), निविष्टि व्यापारियों, ग्रिबिजनेस कंपनियों, समाचार पंत्रों, कृषि पत्रिकाओं, टैलीविजन चैनलों, इंटरनेट, डाटा एजेंसियों आदि से आवश्यक विशेषज्ञता और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इन स्रोतों की सूंपर्ति के लिए किसानों को श्रेष्ठ संभव प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एग्रिक्लिनिक और एग्रिबिजनेस केंद्रों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन देना जरूरी समझा गया है। **कृषि स्नातकों द्वारा एग्रिक्लिनिक और एग्रिबिजनेस की स्थापना हेतु बैंकों द्वारा दिए गए वित्त के लिए नाबार्ड द्वारा जुलाई, 2001 में पुनर्वित्त योजना की शुरूवात की गई है।** नाबार्ड द्वारा तैयार की गई योजना का सार नीचे दिया गया है :–

### 1. संकल्पना एवं उद्देश्य

किसानों को फसल संबंधी प्रथाओं, प्रौद्योगिकियों के प्रसार, कीड़ों और बीमारियों से फसल संरक्षण, बाजार की प्रवृत्तियों और बाजारों में विविध फसलों के भावों के विषय में परामर्श और विशेषज्ञ सेवाए उपलब्ध कराने के लिए और पशु

स्वास्थ्य आदि के विषय में क्लिनिकल सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्पादकता बढ़ाने के लिए और परिणामस्वरूप फसलों की और पशुओं की एग्रिक्लीनिक की परिकल्पना की गई है।

एग्रिबिजनेस केंद्रों की परिकल्पना निविष्टि आपूर्ति के लिए और कृषि उपकरण और अन्य सेवाएं किराये पर उपलब्ध कराने के लिए की गई हैं।

एग्रिबिजनेस और एग्रिबिजनेस केन्द्रों की स्थापना के उद्देश्य निम्नानुसार है :–

(i) सरकारी विस्तार प्रणाली की संपूर्ति

(ii) जरूरतमंद किसानों को निविष्टि आपूर्ति और सेबाओं के संपूरक स्रोता उपलब्ध कराना।

(iii) कृषि स्नातकों को कृषि क्षेत्र में उभरते हुये नये क्षेत्रों में लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराना।

## 2. पात्रता

कृषि स्नातकों और बागबानी, पशु पालन, वानिकी, डेरी, पशु चिकित्सा, पोल्ट्री फार्मिंग, मत्स्यपालन और अन्य कृषि संबद्ध विषयों के स्नातकों को एग्रिक्लिनिक और एग्रिबिजनेस कंद्रों की स्थापना के लिए वित्तपोषित किया जा सकता है। कोई कृषि स्नातक अकेले या अधिक से अधिक पांच उद्यमी संयुक्त रूप से सामूहिक आध ार पर इसकी स्थापना कर सकते हैं। समूह में से एक उद्यमी प्रबंध या कारोबार विकास एवं प्रबंध का अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए।

## 3. गतिविधियां

एग्रिक्लिनिक और एग्रिबिजनेस केंद्र निम्नलिखित कर सकते हैं :

(i) भूमि औरज ल गुणवत्ता सहित निविष्टि परीक्षण प्रयोगशालाएं (एटोमिक एक्सोर्पशन स्पेक्ट्रोग्राफ सहित)

(ii) कीट निगरानी, निदान और नियंत्रण सेवाएं।

(iii) रखरखाव, मरम्मत और माइक्रो सिंचाई प्रणालियों (स्प्रिंक्लर और ड्रिप) सहित कृषि उपकरण और मशीनरी किराये पर देना।

(iv) उल्लिखित तीन गतिविधियों (समूह गतिविधि) सहित एग्रि सेवा केंद्र

(v) बीज प्रसंस्करण यूनिट

(vi) प्लांट टिशू कल्चर के माध्यम से माइक्रो–प्रोपगेशन ओर हार्डनिंग यूनिट

(vii) वर्मीकल्चर यूनिटों की स्थापना, बायो–फर्टिलाइजर, बायो–पेस्टीसाइड, बायो–कंट्रोल एजेंटों का उत्पादन

(viii) मधुमक्खीशाला और मधु तथा मधुमक्खी उत्पादों के प्रोसेसिंग यूनिटों की स्थापना

(ix) विस्तार परामर्श सेवाओं का प्रबंध

(x) कृषि बीमा सेवाओं की सुविधा और एजेंसी

(xi) हैचरीस और एक्वा कल्चर के लिए फिश फिंगर–लिंग्स का उत्पादन

(xii) पशु स्वास्थ्य सुरक्षा प्रबंध, फ्रोजन सीमेन बैंक और प्रवाही नाइट्रोजन आपूर्ति सहित विभिन्न सेवाओं समेत पशु औषधालयों की स्थापना

(xiii) विभिन्न कृषि संबंधित पोर्टल्स में अभिगम (access) हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी किओस्कों की स्थापना।

(xiv) खाद्य प्रसंस्करण व परीक्षण यूनिट

(xv) मूल्य योजन केंद्र (Value Addition Centre)

(xvi) फार्म स्तर से कूल चेन की स्थापना (सामूहिक गतिविधि)

(xvii) छांटने, ग्रेडिंग करने, मानकीकरण, भंडारण और पैकजिंग के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैंनेजमेंट सेंटर्स

(xviii) धातु या अन्य सामग्री की भंडारण इमारत बनाना (सामूहिक गतिविधि)

(xix) प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के लिए खुदरा विपणन व्यवस्था

(xix) कृषि निविष्टियों और उत्पादों के ग्रामीण विपणन हेतु डीलरशिप

उपरोक्त सूची निर्देशी है। परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए दो या अधिक गतिविधियों को जोड़ा भी जा सकता है। इन उद्यमों की व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए कृषि स्नातक एग्रिक्लिनिक/एग्रिबिजनेस केंद्र के साथ-साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां भी अपना सकते हैं।[1]

## 4. मॉडल परियोजना प्रोफाइल

नाबार्ड ने निम्नलिखित गतिविधियों के संदर्भ में कुछ मॉडल परियोजनाएं परिचालित की हैं :-

(i) भूमि, जल गुणवत्ता और निविष्टि (इनपुट) परीक्षण प्रयोगशाला सेवा केंद्र

(ii) प्लान्ट संरक्षण सेवा केंद्र

(iii) वर्मि कंपोस्टिंग यूनिट

(iv) बागवानी क्लिनिक और कारोबार केंद्र

(v) एग्रोसर्विस केंद्र - कृषि मशीनरी

(vi) एग्रोसर्विस केंद्र - कृषि मशीनरी और प्राथमिक प्रसंस्करण

(vii) प्राइवेट पशु चिकित्सा क्लिनिक

(viii) खाद्य और औषधियों की खुदरा दुकान (outlet) सहित प्राइवेट पशु चिकित्सा क्लिनिक

स्रोतः- कृषि वानिकी वर्ष 2001 एवं कुरूक्षेत्र मई 2003

(ix) छोटे डेरी यूनिट सहित प्राइवेट पशुचिकित्सा क्लिनिक

(x) प्राईवेट कृत्रिम वीर्यसंचन (इनसेमिनेशन) केंद्र

(xi) फसल बीज उत्पादन और विस्तार सेवाओं के लिए इको–हैचरी

## लघु सिंचाई और भूमि विकास योजनाएं

विश्व की जनसंख्या के 17 प्रतिशत को सहारा देने (सपोर्ट) के लिए भारत के पास विश्व की भूमि का 2.4 प्रतिशत और ताजे जल संसाधनों का 4 प्रतिशत हिस्सा है। जनसंख्या में वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति भूमि और जल उपलब्धता घटती जा रही है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की मात्रा की मांग बढ़ती जा रही है। अतः कृषि के प्रयोजनार्थ जल की उपलब्धता भारी दबावग्रस्त है। कुंओं के निर्माण और उन्हें गहरा बनाने हेतु, कुंओं की बोरिंग, ऑयल इंजनों की खरीद, इलेक्ट्रिक मीटरों और पंपों के संस्थापन, खेत में नालियों (चैनलों) के निर्माण, फुहार सिंचाई प्रणाली के संस्थापन, लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण आदि के लिए ऋण देकर बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है।

## लघु सिंचाई योजनाओं के लिए जांच सूची

लघु सिंचाई हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदनों पर विचार करते समय प्रस्ताव की व्यवहार्यता के विषय में निर्णय लेने के लिए बैंक निम्नलिखित बिंदुओं की जांच कर सकते हैं :

(i) यह सुनिश्चित किया जाए कि उस क्षेत्र में भूमिगत जल संभाव्यता निर्धारण के लिए कोई भूवैज्ञानिक भूमिगत जल सर्वेक्षण किया गया है या नहीं। यह सुनिश्चित किया जाए कि उस क्षेत्र में सिंचाई प्रयोजनार्थ पर्याप्त भूमिगत जल उपलब्ध है। विद्यमान कुंओं और प्रस्तावित कुंओं के बीच की दूरी भी उस क्षेत्र के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों के अनुसार रखी जानी

चाहिए।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रस्तावित कुंए के निर्माण के साथ बनाए जाने वाले सिंचाई संसाधनों के पूर्ण उपयोग हेतु आवेदक के पास पर्याप्त भूमि है। यदि पर्याप्त भूमि नहीं है तो पड़ोस के किसानों द्वारा जल खरीदने की मांग का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

(iii) यदि पंपसेट डीजल इंजन से चलाया जाना है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बाजार में उपयुक्त अश्व–शक्ति का डीजल इंजन आसानी से उपलब्ध है। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि उस इलाके में पर्याप्त डीजल भी उपलब्ध है।

(iv) यदि पंप सेट बिजली से चलाया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपयुक्त समय पर बिजली की आपूर्ति निर्बाध रूप से उपलब्ध होगी। यदि बिजली की आपूर्ति निश्चित नहीं है तो अतिरिक्त डीजल इंजन का प्रावधान खेत के आकार और उपलब्धता के अनुसार किया जाये।

(v) इंजन की अश्व–शक्ति और पंप सेट का आकार कुंए की गहराई और उसमें से उठाये जाने वाले जल की मात्रा के अनुरूप हो।

(vi) प्रस्तावित इंजन आइएसआई मार्क सहित मानक बनावट का होना चाहिए और उस क्षेत्र में सामान्यतः प्रचलित होना चाहिए। यदि आवेदक किसी अलग बनावट का इंजन खरीदना चाहे तो इसके कारणों की पूछताछ की जानी चाहिए कि क्यों असामान्य बनावट का इंजन पसन्द किया जा रहा है। विक्रय के बाद की विनिर्माता फर्म द्वारा की गई व्यवस्था के विषय में भी जानकारी हासिल की जानी चाहिए।

(vii) यह सुनिश्चत किया जाना चाहिए कि उस इलाके में आवश्यक अतिरिक्त

पुर्जे और विक्रयोपरांत सेवा उपलब्ध होगी।

(viii) नदियो से लिफ्ट सिंचाई के मामले में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सम्बद्ध अधिकारियों (कलेक्टर/सिंचाई विभाग) से अनुमति प्राप्त की गई है।

(ix) जो क्षेत्र सिंचित किया जाना हो वह समतल होना चाहिए और खेत में नालियों (चैनलों) का प्रावधान किया गया होना चाहिए ताकि जल वितरण आसानी से हो सके। अतः यदि किसी प्रकार का भूमि विकास करना आवश्यक हो तो ऐसे विकास की लागत प्रस्ताव की लागत में शामिल की जानी चाहिए।

(x) यदि इंजन के या पंप सेट के संरक्षण हेतु शेड का निर्माण आवश्यक है तो उसके निर्माण के लिए प्रस्ताव में प्रावधान किया जाना चाहिए।

(xi) ड्रिप सिंचाई के मामले में कम अंतरालों पर दीर्घावधि के लिए कम दाब पर सीधे पौधे की जड़ के क्षेत्र में मुख्य लाइनों, गौण लाइनों और पार्श्विक लाइनों द्वारा जल आपूर्ति की जाती है। जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के अतिरिक्त मदवार यूनिट लागत का पता लगाया जाना चाहिए।

(xii) फुहार (स्प्रिन्क्लर) सिंचाई प्रणाली के संस्थापन के मामले में निम्नलिखित मुद्‌दों का अध्ययन किया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित फुहार सिंचाई प्रणाली का सफलता से संस्थापन और रखरखाव किया जायेगा।

(क) जल की उपलब्धता –स्रोत, गुणवत्ता और पर्याप्तता।

(ख) प्रति स्प्रिन्क्लर सेट सिंचित किया जाने वाला क्षेत्र।

(ग) भूमि की स्थलाकृति (टोपोग्राफी) जैसे कि रूपरेखा, औसत ढलान आदि।

(घ) वायु की औसत गति (किमी प्र.घं.) और योजना क्षेत्र की जलवायु।

(ड़.) उगाई/सिंचित की जानेवाली फसलें।

(च) सिचाई की बारंबारता (फ्रीक्वेन्सी) और प्रति सिंचाई सकल जल आवश्यकता।

(छ) पावर स्रोत।

(ज) स्प्रिन्क्लर लाइनों का ले–आउट।

(झ) स्प्रिन्क्लर नोजल का प्रकार और स्प्रे–डायामीटर।

(ञ) चुने गये नोज़लों के लिए आवश्यक प्रेशर हेड की गणना।

(ट) मुख्य लाइन की लंबाई और व्यास

(ठ) स्प्रिन्क्लर पार्श्विक लाइनों की लम्बाई, संख्या और व्यास।

(ड) कुल यूनिट लागत सहित विभिन्न मदों की लागत।

(ढ) तकनीकी मार्गदर्शन और सरकारी समर्थन (सपोर्ट)/विस्तार सेवा उपलब्धता के ब्योरे।

(xiii) यह सुनिश्चित किया जाये कि आवेदक के पास परियोजना की लागत और प्रस्तावित ऋण राशि के बीच के अंतर की पूर्ति हेतु आवश्यक निधियां है या नहीं।

(xiv) अतिरिक्त सिंचाई सुविधा के साथ अपनाई जाने वाली प्रस्तावित नई फसल पैटर्न उस क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और कृषि विभाग द्वारा संस्तुत होनी चाहिए।

(xv) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि आवेदक ने वित्त सहायता द्वारा सर्जित की जाने वाली सिंचाई सुविधाओं के साथ अपनायी जाने वाली नयी फसल प्रणाली (पैटर्न) के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी हेतु पर्याप्त व्यवस्था की है। यदि नहीं तो आवेदक को फसलें उगाने हेतु वित्त उपलब्ध कराने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है।

(xvi) अतिरिक्त सिंचाई सुविधा के साथ उगाई जाने वाली प्रस्तावित फसलों से प्राप्त निवल आय, ऋण हेतु निर्धारित अवधि के भीतर ऋण की किस्तों और उपचित ब्याज की अदायगी के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(xvii) पूर्वी राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के कुल जिले) में उपलब्ध भूमिगत जल संभाव्यता का (पोटेन्श्यिल) उपयोग बहुत कम किया गया है। वहां सिंचाई विकास के लिए बहुत अधिक संभावनाएं है। बैंक भूमिगत जल के उपयोग हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए विचार कर सकते हैं।

## g- भूमि विकास परियोजनाऐं

भूमि विकास योजनाओं के लिए जांच सूची के अनुसार भारत में लगभग 24.5 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि है और लगभग 16.6 मिलियन हेक्टेयर परती भूमि है। सिंचाई संभावनाओं के विकास, जल के दक्ष उपयोग, जल–विभाजक पद्धति अपनाने और उपयुक्त फसलों के चयन द्वारा इस भूमि के बहुत सारे भाग को खेती योग्य बनाया जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार और बैंकिंग क्षेत्र को एक दीर्घावधि योजना बनानी होगी। कभी–कभी कोई किसान भ्झी अपने खेत का विकास/जमीन का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु बैंक से संपर्क कर सकता है। ऐसे प्रस्तावों की व्यवहार्यता संबंधी निर्णय लेने के लिए बैंक निम्नलिखित मुद्दों पर विचार कर सकते हैं :

(i) प्रस्तावित भूमि विकास का ब्योरा प्राप्त किया जाये और उसकी लागत का अनुमान लगाया जाये।

(ii) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित भूमि विकास करने हेतु बनायी गयी योजना और अनुमान कृषि विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, सिंचाई विभाग या

राज्य के किसी अन्य विभाग जैसी मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा तैयार किए गए हैं। यदि प्रस्तावित विकास नाबार्ड की किसी योजना के अंतर्गत किया जाता है तो उसके ब्योरे प्राप्त किए जाने चाहिए।

(iii) यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित भूमि विकास के विभिन्न–चरण सही अनुक्रम में क्रमबद्ध हैं।

(iv) प्रस्तावित भूमि विकास यदि हिताधिकारी द्वारा स्वयं किया जाना है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रस्तावित भूमि विकास करने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध होंगे।

(v) यह पता लगाया जाये कि प्रस्तावित भूमि विकास करने के लिए क्या किसी ठेकेदार या सरकारी एजेंसी से किसी प्रकार की सहायता आवश्यक है। यदि ऐसा है तो यह सुनिश्चित किया जाये कि यह सहायता उपयुक्त समय पर उपलब्ध होगी।

(vi) यह सुनिश्चित किया जाये कि भूमि विकास करने के बाद प्रस्तावित फसलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हैं।

(vii) मिट्टी और जलवायु की स्थिति प्रस्तावित फसलों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।

(viii) प्रस्तावित भूमि विकास कार्य पूरा करने के बाद की फसल प्रणाली अपनाने से होने वाली संभावित आय में वृद्धि ऋण चुकौती के लिए पर्याप्त होनी चाहिए।

(viii) सिंचाई सुविधाओं/भूमि विकास योजनाओं के लिए सावधि ऋण उपलब्ध कराते समय सुधरी हुई सिंचाई सुविधाओं/भूमि विकास योजनाओं का लाभ लेने के लिए उत्पादन ऋण (कार्यशील पूंजी) हेतु किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना

आवश्यक है। बेहतर निविष्टियों (उर्वरकों, बीजों, कीटनाशकों आदि) के साथ फसलें उगाने के लिए कार्यशील पूंजी के बिना अचल आस्तियों में निवेश हेतु दिए गए सावधि ऋणों का पूर्णतः लाभ नहीं मिल सकता है।

उपरोक्त सूची अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें कुछ मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं की ओर निर्देश हैं। जिन्हें बैंक वित्त की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रगतिकारी उद्यमियों, सरकारी एजेंसियों, परामर्शदाता संगठनों आदि द्वारा परियोजनाओं की पहचान की जा सकती है। और उन्हें तैयार किया जा सकता है। कतिपय कृषि गतिविधियो के लिये परियोजना प्रोफाइल नाबार्ड से प्राप्त की जा सकती है। कभी–2 बैंकों को भी उद्यमियों को परियोजना की पहचान करने और उसे तैयार में सहायता करनी चाहिये।

वित्तीयन हेतु परियोजना की प्राप्ति के बाद बैंकर को एक प्राथमिक अध्ययन करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या अपनी ऋण नीति के अनुसार बैंक द्वारा इसका वित्तीयन संभव है या नहीं। बैंक और उधार लेने वाले प्रतिष्ठान के बीच प्राथमिक चर्चा परिहार्य व्ययों को टालने और वित्तीयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के शीघ्र निपटान हेतु आवश्यक है।

प्राथमिक जांच पर यदि परियोजना निम्नलिखित मानदंड पूरे करती है तो विस्तृत संवीक्षा हेतु उस पर विचार किया जा सकता है :–

(i) बैक की नीति और सरकारी दिशा–निर्देशों के अनुसार इसे प्राथमिकता प्राप्त है।

(ii) अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी भली भांति प्रमाणित है।

(iii) उत्पादन किये जाने वाले उत्पादन की बाजार में मांग व आवश्यकता है और इस क्षेत्र के कार्यरत यूनिट अच्छा निष्पादन कर रहे हैं।

(iv) परियोजना की पूंजीगत लागत अत्याधिक ऊँची नहीं है।

(v) प्रवर्तकों की अच्छी प्रतिष्ठा है या उन्हें इस क्षेत्र में आवश्यकता ज्ञान/अनुभव प्राप्त है।

(vi) प्रवर्तक का अपना अंशदान बहुत कम नहीं है और बैंक की नीति के अनुसार निर्धारित अवधि में ऋण की चुकौती की संभावना दर्शाते हैं।

निम्नलिखित स्थिति में परियोजना का विस्तृत मूल्यांकन नही किया जाएः–

(i) संबद्ध बैंक ने इस क्षेत्र मे बहुत से यूनिटों का वित्तीयन किया है और अत्याधिक संलिप्तता के कारण वर्तमान मे इस क्षेत्र मे और नये यूनिटों का वित्तपोषण नही करने का निर्णय लिया हो।

(ii) प्रवर्तकों की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं है और उनकी गैर कानूनी और समाज विरोधी गतिविधियों मे शामिल होने संबंधी रिपोर्ट को।

(iii) प्रवर्तकों की वित्तीय स्थिति असंतोषजनक हो।

(iv) परियोजना की पूंजीगत लागत अत्याधिक ऊँची हो।

(v) प्रवर्तकों का अंशदान असामान्यतः कम हो और वे इसे बढ़ाने के लिए तैयार न हो।

(vi) प्रस्तावित यूनिट का स्थल प्रकटतः गैर लाभकारी हो

(vii) उपकरणों के आपूर्तिकारों द्वारा कुछ अन्य यूनिटों को आपूरित उपकरणों का निष्पादन संतोषप्रद नहीं हो।

(viii) प्रोसेस की जानकारी (knowledge) प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई हो/चलन से बाहर हो गई हो।

(ix) कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धता संदिग्ध हो।

(x) विनिर्मित किए जाने वाले उत्पादों के विपणन के कारण इस क्षेत्र के अन्य परियोजनाओं का निष्पादन अच्छा न हो।

उधारकर्ता संस्था के साथ अनौपचारिक चर्चा के दौरान यदि वे प्राथमिक संवीक्षा के दौरान ध्यान मे ˙आये उपरोक्त आधारित प्रतिकूल लक्षणों के सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय करने को तैयार हों तो परियोजना विस्तृत संवीक्षा हेतु हाथ मे ली जाए।

प्रथम दृष्ट्या व्यवहार्य प्रतीत होने पर ही परियोजना का विस्तृत मूल्यांकन हाथ मे लिया जाए। उधार देने वाली संस्था को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना द्वारा निवेशित संसाधनों पर पर्याप्त आय प्राप्त होगी। किसी भी परियोजना की व्यवहार्यता–तकनीकी संभाव्यता, लाभ्रपद कीमतों पर उत्पादों की विपणन योग्यता समय पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता ओर यूनिट के उपयुक्त प्रबंध पर निर्भर होती है।

## 6.3 तुलसी ग्रामीण बैंक की वर्तमान स्थिति

प्रस्तुत शोध **"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन" (तुलसी ग्रामीण बैंक के विशेष संदर्भ में)** है। जो कि बाँदा एवं चित्रकूट जनपद का क्षेत्रीय ग्रामीण है। जिसकी स्थापना ही इस उद्देश्य को लेकर की गयी थी कि दोनों जनपदों के दूर–दराज के क्षेत्रों में लघु कृषकों, सीमान्त कृषकों दस्तकारों एवं भूमिहीन मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके लिये रोजगार के साधन सुलभ कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्वावलम्बन की ओर उन्मुख किया जा सके।

सामान्यतया निर्धनता की समस्या तो देशव्यापी है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र मे यह अधिक प्रभावशाली है प्रदेश एवं जनपद की अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या अशिक्षित है। अतः उनके अल्पबचतों के एकत्रीकरण तथा उसके समुचित उपयोग की आवश्यकता हेतु इन्ही ग्रामीण बैंकों द्वारा दी गयी बैंकिंग सुविधाओं का समुचित उपयोग के लिये लोगो को प्रेरित किया गया जिसका अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और ग्रामीणों को ऋणग्रस्तता के दुष्चक्र से बचाया गया एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैंकिंग सुविधा तथा सरकार की नवीनतम नीतियों से परिचित हो सके।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। **उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों मे लगभग 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 3004 शाखाओं के माध्यम से जहाँ ग्रामीण विकास मे योगदान दे रहे हैं वहीं तुलसी ग्रामीण बैंक अपनी 78 शाखाओं के माध्यम से जनपद बाँदा एवं चित्रकूट की ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके आर्थिक उत्थान मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।** यदि पिछले वर्ष 1981 से लेकर वर्ष मार्च 2005 तक के आय–व्यय का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाय तो इसकी वर्तमान भूमिका निम्न प्रकार स्पष्ट होती है।

# तुलसी ग्रामीण बैंक की प्रगति विश्लेषण सारणी

## (प्रारम्भ से 31 मार्च 2005 तक)

| क्र.सं. | विवरण | 1981* | 1985* | 1989–90 | 1990–91 | 1991–92 | 1995.96 | 1997.98 | 1998.99 | 1999.2000 | 2000.01 | 2001.02 | 2002.03 | 2003.04 | 2004.05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शाखाओं की संख्या | 12 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 79 | 78 | 78 | 78 |
| 2 | कर्मचारियों की संख्या | 26 | 307 | 386 | 383 | 383 | 382 | 375 | 376 | 370 | 370 | 376 | 376 | 377 | 377 |
| 3 | वर्ष में जमा (रूपये लाख में) | 34.45 | 566.96 | 2125.07 | 2585.07 | 2988.05 | 2877.48 | 2558.74 | 2894.14 | 2872.97 | 2789.75 | 3129.78 | 4967.55 | 4258.94 | 4629.02 |
| 4 | वर्ष में वितरित ऋण (रूपये लाख में) | 7.98 | 521.85 | 1631.41 | 1605.74 | 1848.71 | 1607.72 | 1681.18 | 1646.83 | 1619.52 | 3312.69 | 3607.11 | 4456.54 | 5253.2 | 6940.02 |
| 5 | प्रतिशाखा जमा (रू० लाख में) | 2.87 | 6.83 | 25.61 | 31.14 | 36.00 | 35.52 | 25.41 | 35.73 | 35.46 | 34.44 | 39.62 | 63.69 | 54.60 | 59.35 |
| 6 | प्रतिशाखा अग्रिम (रू० लाख में) | - | - | 19.95 | 19.34 | 22.27 | 19.85 | 20.76 | 20.33 | 19.99 | 40.9 | 45.65 | 57.13 | 67.35 | 88.98 |
| 7 | अग्रिम – जमा अनुपात | - | - | 76.73% | 62.15% | 61.87% | | 39.89% | 38.42% | 37.15% | 39.35% | 46.75% | 51.08% | 55.13% | 60.94% |
| 8 | लाभ/हानि (रू० लाख में) | 10.79 | -35.95 | -115.80 | -90.37 | -166.96 | 374.38 | 193.76 | 144.14 | 357.31 | 580.28 | 425.42 | 649.47 | 721.03 | -353.34 |
| 9 | अधिकृत पूंजी (रू० लाख में) | 25 | 25 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | निर्गमित पूंजी (रू० लाख में) | 21.25 | 21.25 | 50 | 50 | 50 | 58.75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | वसूली (प्रतिशत में) | - | - | 42% | 46% | 46% | 45.4% | 40.23% | 46.75% | 50.30% | 51.45% | 59.02% | 61.44% | 63.60% | 65.05% |
| 12 | जमा वृद्धि (प्रतिशत) | - | - | - | - | - | - | 20.36 | 23.78 | 19.07 | 13.68 | 13.52 | 18.16 | 15.57 | 14.63 |
| 13 | अग्रिम वृद्धि (प्रतिशत) | - | - | - | - | - | - | 13.95 | 19.22 | 10.49 | 82.06 | 8.89 | 23.55 | 17.88 | 32.11 |
| 14 | ऋण अवशेष (रू० हजार में) | | | | | | | | | | | | | | |
| | प्राथमिकता क्षेत्र में | - | - | - | - | - | - | - | 578821 | 666581 | 709295 | 840219 | 1070212 | 1343772 | 1781911 |
| | गैर प्राथमिकता क्षेत्र में | - | - | - | - | - | - | - | 496439 | 507760 | 174663 | 242028 | 327248 | 398924 | 426439 |

स्रोत :– विभिन्न वार्षिक प्रतिवेदन तुलसी ग्रामीण बैंक

* माह दिसम्बर तक की सूचनायें हैं ।

## 1. शाखा विस्तार

जनपद बांदा एवं चित्रकूट में वर्तमान समय में 78 शाखाओं के माध्यम से यह बैंक अपनी बैंकिंग सेवायें प्रदान कर रहा है जिनमे से जनपद बांदा में 7 अर्द्धशहरी, 42 ग्रामीण एवं जनपद चित्रकूट में 1 अर्द्धशहरी एवं 28 ग्रामीण शाखायें हैं जबकि जुलाई 1981 में सर्वप्रथम कोतवाली बांदा शाखा की स्थापना से इसका प्रारम्भ हुआ था तथा दिसम्बर 1981 में मात्र 12 शाखायें ही कार्यरत थीं। जो 1985 में बढ़कर 83 हो गयी थीं।

इस तरह तुलसी ग्रामीण बैंक जनपद बांदा एवं चित्रकूट में दूर–दराज गांवों में अपनी 78 शाखाओं के साथ ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

## 2. अंश पूंजी

तुलसी ग्रामीण बैंक की वर्तमान अधिकृत पूंजी 500 लाख रूपये है तथा निर्गमित एवं प्रदत्त पूंजी 100 लाख रूपये है जो 100 रूपये के अंशों में विभक्त है। जबकि 1981 में इसकी अधिकृत पूंजी 25 लाख रूपये तथा निर्गमित पूंजी 21.25 लाख रूपये थी। लेकिन 1989–90 में यह अधिकृत पूंजी 100 लाख एवं निर्गमित पूंजी 50 लाख रूपये हो गयी जो इसकी वृद्धि का सूचक है।

## 3. जमा संग्रहण

तुलसी ग्रामीण बैंक ने अपनी 78 शाखाओं के माध्यम से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी–छोटी बचत को एकत्रित करके पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अनुमानतः इनमें से 70 प्रतिशत जमा इन बैंकों के अभाव में किसी भी बैंक को प्राप्त नहीं होता था। परिणामतः यह धन या तो अनुत्पादक कार्यो में लगा दिया जाता था या बेकार पड़ा रहता था। अब यह बैंक अपने क्षेत्र से बचत को

एकत्रित करके पुनः उसी क्षेत्र में लगा रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है। क्योंकि वर्ष 1981 में जहां 34.45 लाख रूपये जमा के रूप में प्राप्त हुये थे वहीं 1985 में मात्र पांच वर्ष की अल्पावधि में बढ़कर 595.66 लाख रूपये हो गयी। जो वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में यह क्रमशः 4258.94 एवं 4629.02 लाख रूपये की जमा प्राप्ति की। इस तरह इसकी जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुयी जिसके कारण यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन बैंकों ने ग्रामीण समाज से जमा संग्रहण करने का गहन प्रयास किया है।

## 4. ऋण वितरण

जनपद का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दूरदराज के वित्तविहीन ग्रामीण अंचलों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाकर ग्रामीण समाज को उचित मात्रा एवं उचित समय पर कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों, भूमिहीन मजदूरों, लघु एवं कुटीर उद्योगों, तथा परिवहन हेतु ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। इन्होंने सम्पूर्ण ऋण का लगभग 80 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र में वितरित किया है जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है यदि इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि जहां दिसम्बर 1981 में सकल अग्रिम मात्र 7.98 लाख रूपये था वहीं यह 1985 में बढ़कर 521.85 लाख, 1990–91 में 1637.41 लाख एवं 2000–01 में बढ़कर 3372.69 लाख रूपये हो गया। वर्ष 2000–01 की यदि वर्ष 1999–2000 से तुलना करते हैं तो यह पाते हैं कि इसमें 82.06 प्रतिशत की वृद्धि हुयी जो एक रिकार्ड उपलब्धि मानी जाती है। इसके पश्चात वर्ष 2001–02, 02–03, 03–04, 04–05 में यह वृद्धि सामान्य ही हुयी है।

## 5. जमा ऋण अनुपात

इन उपलब्धियों के बावजूद बैंक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सफल

नहीं हुये अपनी स्थापना के प्रारम्भ से 1989–90 में ऋण जमा अनुपात 76.73 प्रतिशत थी वहीं यह 1997–98 में घटकर 39.89 प्रतिशत हो गया। एवं 1999–2000 में यह और घट गया तथा 37.15 ही रह गया। फिर क्रमशः थोड़ी वृद्धि हुयी और वर्ष 2004–05 में यह 60.94 प्रतिशत हो गया।

## 6. उत्पादकता

तुलसी ग्रामीण बैंक की प्रतिशाखा की उत्पादकता पर यदि हम नजर डालते हैं तो वह भी सन्तोषजनक पायी जाती है क्योंकि जहां मार्च 2002 में प्रतिशाखा उत्पादकता 43002 हजार रूपये थी वहीं मार्च 2005 में यह बढ़कर 74711 हजार रूप्ये प्रतिशाखा हो गयी। और यदि इसे प्रति कर्मचारी की दृष्टि से देखते हैं तो यह विदित होता है कि मार्च 2002 में 11878 हजार रूपये प्रति कर्मचारी से बढ़कर मार्च 2005 में 20464 हजार रूपये प्रति कर्मचारी हो गयी।

## 7. लाभ प्रदत्ता विश्लेषण

यदि हम लाभ प्रदत्ता विश्लेषण का अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि जहां मार्च 2002 में 136734 हजार रूपये का ब्याज भुगतान करते हैं तथा वेतन की दृष्टि से मार्च 2002 में 73608 हजार रूपेय की जगह मार्च 2005 में 86717 हजार रूपये का भुगतान किया जाता है। वहीं परिचालन व्यय मार्च 2002 में 9460 हजार रूपये से बढ़कर मार्च 2005 में 21159 हजार रूपये का किया जाता है। और यदि प्राप्तियों में नजर डालें तो मार्च 2002 में 110838 हजार रूपये जहां ब्याज के रूप में प्राप्त करते हैं वही वो मार्च 2004 में बढ़कर 310473 हजार रूपये हो जाती है किन्तु मार्च 2005 में घटकर 279227 हजार रूपये रह जाती है तथा अन्य विविध आयों में भी वृद्धि हो रही है। जो मार्च 2002 में 16579 से बढ़कर मार्च 2004 में 37416 हजार रूपये हो जाती है किन्तु मार्च 2005 में यह पुनः घटकर 24782 ही रह

जाती है।

इस तरह से यदि इसका लाभ–हानि विश्लेषण करते हैं तो यह पाते हैं कि जहां तुलसी ग्रामीण बैंक ने दिसम्बर 1981 में 10.79 लाख का लाभ अर्जित किया वहीं बाद में हानि हुयी तथा मार्च 1996 में पुनः लाभ हुआ जो रूपये 374.38 लाख था तथा मार्च 2002 में 42542 हजार रूपये लाभ अर्जित करती है। वहीं मार्च 2004 में यह बढ़कर 72103 हजार रूपये हो जाता है। किन्तु मार्च 2005 में घटकर 35334 ही रह जाता है। जो मूल्यांकन की दृष्टि से संतुष्टिजनक नहीं कहा जायेगा।

## 8. ऋण अवशेष

यदि तुलसी ग्रामीण बैंक के ऋण अवशेष पाते हैं तो हम यह पाते हैं कि जहां 1997–98 में बैंक का प्राथमिक क्षेत्र में 578821 एवं गैर प्राथमिकी 496439 हजार रूपये था वहीं यह वर्ष 2004–05 में क्रमशः बढ़कर 1781911 एवं 426439 हजार रूपये हो गया। जो प्रतिशत की दृष्टि से 1997–98 की तुलना में 207.85 प्रतिशत की वृद्धि थी। जबकि गैर प्राथमिकी क्षेत्र में यह घटकर 14.10 प्रतिशत हो गया।

## 9. कर्मचारी

कर्मचारियों की संख्या के आधार पर यदि इसका मूल्यांकन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि जहां 1981 में मात्र 26 कर्मचारियों से यह अपनी सेवायें दे रहा था वहीं वर्तमान में यह 377 कर्मचारियों के सहयोग से अपनी बैंकिंग सेवायें प्रदान कर रहा है। जिसमें 150 कर्मचारी स्केल प्रथम, 50 कर्मचारी स्केल द्वितीय, 85 कर्मचारी लिपिक सह रोकड़िया एवं 92 अधीनस्थ कर्मचाारी कार्यरत हैं जों बैंक की मानवशक्ति के रूप में बैकिंग व्यवसाय में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

## 10. लाभहानि

यदि तुलसी ग्रामीण बैंक के लाभ हानि में नजर डालते हैं कि सन् 1981 में

जहां यह अपने प्रारम्भिक वर्ष में 10.79 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया था वहीं 1985, 1989–90, 90–91, 91–92 में क्रमशः 35.95, 115.80, 90.37, 166.96 लाख रूपये की हानि हुयी किन्तु 1995–96 में जब बैंकों के वित्तीय लागत में कमी लाने के उद्देश्य से घाटे में चल रही शाखाओं को बन्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 374.38 लाख रूपये का लाभ अर्जित हुआ किन्तु यह 1997–98 से लेकर 1999–2000 तक कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुयी। किन्तु वर्ष 2000–01 में इसने 580.28 एवं 2003–04 में 721.03 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया। परन्तु 2004–05 में यह पुनः 353.34 लाख की हानि हुयी। जो बैंक की व्यवस्था नीतिगत कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है।

## 11. ऋण वसूली

यदि बैंक की ऋण वसूली पर दृष्टिपात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि बैंकिंग वसूली वसूली शिविरों, जिला प्रशासन के सहयोग एवं कर्मचारियों द्वारा ऋणधारकों से सम्पर्क के सार्थक परिणाम के कारण इस पर क्रमशः वृद्धि हुयी है। क्योंकि वर्ष 1989–90 में यह मात्र 42 प्रतिशत थी वहीं 1999–2000 में यह बढ़कर 50.3 प्रतिशत एवं 2004–05 में बढ़कर 65.05 प्रतिशत हो गयी। जो बैंकिंग कार्यप्रणाली, प्रशासनिक सहयोग को स्पष्ट करता है।

## 6.4 ऋण वितरण में कठिनाइयाँ

तुलसी ग्रामीण बैंक ग्रामीण विकास में आपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहे हैं जिसके प्रमुख कारण निम्न हैं।

1. कृषि विस्तार एजेन्सियों एवम् क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में तालमेल का अभाव पाया जाता है।
2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिये नाबार्ड की पुनः वित्त सुविधा की नीति स्पष्ट न होने के कारण तथा ऋण वितरण की प्रतिबद्धता के कारण ग्रामीण बैंकों की ऋण वसूली शून्य होती जा रही है।
3. ऋण वसूली कार्यक्रम राजनीति से प्रभावित होने के कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं निदेशक मण्डल द्वारा क्षेत्रीय समस्याओं के अनुरूप कोई कारगर निर्णय नहीं लिया जा सकता।
4. ग्रामीण बैंकों में प्रायः ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है जो पूरी तरह प्रशिक्षित नहीं हैं तथा उन्हें ग्रामीण समस्याओं का ज्ञान नहीं है।
5. इन बैंकों की सबसे प्रमुख समस्या आधारभूत ढांचे की समस्या है क्योंकि यह बैंक ऐसी जगह अपनी शाखाओं को विस्तार करते हैं जहां यातायात डाकतारघर, स्वच्छ वातावरण युक्त भवन आदि जैसी बुनियादी सुविधायें नहीं होती।
6. ग्रामीण बैंक की ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया जटिल है। साथ ही ग्रामीण जनता अशिक्षित होने के कारण ऋण लेने के लिये उत्साहित नहीं होती।
7. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का कार्यभार उनके कर्मचारियों की संख्या के अनुपात में बहुत अधिक बढ़ गया है। कई ग्रामीण बैंक शाखाओं में स्थित की दयनीयता का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उनमें एक या दो कर्मचारी

है और सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है।

8. प्रायः ग्रामीण बैंकों द्वारा जिन उद्देश्यों से ऋण दिये जाते हैं ऋण प्राप्तकर्ता उनका प्रयोग अन्यत्र करते हैं।

9. अधिकांश बैंक अपनी शाखायें ग्रामीण क्षेत्रों के नाम से शहरों एवं कस्बों में चला रहे हैं जिससे यह अपने उद्देश्य से कार्य नहीं कर पा रहे हैं।

10. ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये गरीबों को ऋण दिये तो जाते हैं लेकिन ऋण की वसूली ठीक ढंग से नहीं हो पाती परिणामतः ग्रामीण बैंक आर्थिक परेशानी उठाते हैं।

11. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्वामित्व केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के हाथ होता है जिस कारण वित्त के लिये इन्हें सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है।

12. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के निदेशक मंडल का गठन आर.बी.आई. अधिनियम 1976 के अन्तर्गत होता है। जो राजनीति से प्रेरित होता है। इस कारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अध्यक्ष एवं निदेशक मंडल क्षेत्रीय समस्याओं के अनुरूप कोई उपयोग निर्णय नहीं ले पाते हैं।

13. नाबार्ड की स्थापना कृषि एवं ग्रामीण के लिये की गयी। लेकिन इसकी नीतियां उचित नहीं हैं।

14. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा उनके प्रायोजक बैकों के पास जमा धनराशि 2500 करोड़ रूपये है। प्रायोजक बैंक अपने ग्रामीण बैंकों को 10 प्रतिशत की दर से ब्याज देते हैं। जबकि यह बैंक उसी धनराशि को पूंजी बाजार में ऋण देकर 24 प्रतिशत तक ब्याज अर्जित करते हैं। इससे ग्रामीण बैंकों को 250 करोड़ रूपये वार्षिक ब्याज की हानि हो रही है।[1]

15. ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने योग्य प्रस्तावों के मूल्यांकन की समस्या गंभीर है।

स्रोतः– योजना मार्च 1999 पृष्ठ नं0 11

ऋण वितरण के सम्बन्ध में बैंकों में यह दबाव होता है कि वह निश्चित समय अवधि में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें। ऐसी स्थिति में ऋण पाने योग्य लोगों का चुनाव में जो सतर्कता व सावधानी रखना चाहिये वह कर पाना संभव नहीं होता।

16. ग्रामीण बैकों द्वारा कृषकों को ऋण देते समय जमानत (गारण्टी) देने पर अधिक जोर दिया जाता है। जिससे ग्रामीण ऋण लेने से वंचित रह जाते हैं।

## 6.5 सुधार हेतु सुझाव

वर्तमान युग नियोजन का है और नियोति युग में ग्रामीण विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। जिन उद्देश्यों को आधार बना कर बैंकों की स्थापना की गयी आधुनिकता के इस दौर में सारे उद्देश्य कागजों में सिमट गये। समस्त अध्ययन के दौरान महसूस की गयी समस्याओं के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण सुझाव लिये गये हैं। जो निम्नलिखित हैं।

### a- प्रशिक्षण

बैंकिंग संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रतीत होती है, अधिकांशतः ऐसे व्यक्ति बैंकों में कार्यरत हैं, जो स्थानीय परिस्थितियों के प्रति पूर्णतया अनभिज्ञ है।, ग्रामीण समस्याओं का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। इसके अतिरिक्त बैंकिंग नियमों, कम्प्यूटर व आधुनिक एवं बदलती हुई परिस्थितियों और ग्राहकों के प्रति जबाब देही के मध्य सामंजस्य स्थापित कर पाने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। अतः बैंकिंग संस्थाओं के प्रबंधन, संचालन का पूर्ण उत्तरदायित्व योग्य, कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों के हाथ में होना चाहिये। इसके लिये समय–समय पर बैंकिंग कर्मचारियों को कार्य के दौरान आ रही समस्याओं का अध्ययन कर उनके निवारण के लिये उन्हें प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिये।

### b-उदार ऋण की व्यवस्था

जनपद में अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके पास कृषि योग्य जमीन 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य है जबकि कई लोगों के पास आवश्यकता से अधिक जमीन है। किन्तु ऋण लेते व देते समय उन्हें एक समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिससे निर्धन व ,खेतिहर मजदूर आदि सम्पन्न लोग अधिक प्रभावित होते हैं। उनकी आर्थिक कठिनाईयों में वृद्धि होती है। अतः सम्पन्न व निर्धन वर्ग के लिये अलग–अलग

नियमों का निर्धारण होना चाहिये। इसके अतिरिक्त ऋण राशि व जरूरत के आधार पर लघु, मध्यम व दीर्घावधि के ऋण स्वीकृत किये जाने चाहिये।

## c- पारदर्शिता

बैंकिंग संस्थाओं की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है, वर्तमान में ऋण से सम्बन्धित कार्य भ्रष्टाचार का सबसे अच्छा माध्यम बन चुके हैं। ऋण धारक द्वारा अदा की गयी राशि में समायोजित राशि की कोई जानकारी नहीं दी जाती। कहीं–कहीं ऐसे मामले भी प्रकाश में आये कि किसी दूसरे की जमीन के बदले किसी दूसरे को ऋण स्वीकृत कर दिया गया। बैंकिंग संस्थाओं को चाहिये कि "Custmar Care" का ध्यान रखते हुये अलग से एक अधिकारी की नियुक्ति की जाय जो ग्राहकों के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हो और ग्राहकों की जिज्ञासा को नियम व कानून की परिधि के अन्दर शान्त कर सके। इसके अतिक्ति बैंकिंग संस्थाओं में कमीशन, दलाली आदि पर रोक की सख्त आवश्यकता है। ऋणधारक की पास बुक में दर्ज की गई प्रवृष्टियों को साफ व स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिये।

## d- पूंजी निर्माण की दर को प्रोत्साहित करना

ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प बचतों का अभाव पाया जाता है। जिस कारण पूंजी निर्माण की दर अत्यन्त निम्न होती है। संस्थाओं को चाहिये कि क्षेत्र में समय–समय पर स्थानीय लोगों के बीच में निजी स्तर पर सम्पर्क व विचार गोष्ठियों का आयोजन कर लोगों को अल्पबचतों के सन्दर्भ में जागरूक करें। स्थानीय सर्वे के आधार पर लघु व मध्यम अवधि की नयी–नयी नीतियों का निर्माण कर स्थानीय लोगों को लाभान्वित करें। समय पूर्ण ऋण अदायगी पर लोगों को पुरस्कार की व्यवस्था होनी चाहिये, यह व्यवस्था पूंजी निर्माण के अनुकूल होगी, इससे जहां एक ओर बैंकों और स्थानीय व्यक्तियों के मध्य आपसी सम्बन्ध प्रगाढ़ होगें वहीं दूसरी ओर बैंकिंग

व्यवस्था के प्रति लोगों में विश्वास कायम होगा।

## e-ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाओं का विस्तार

बैंकों को अपनी शाखाओं में विस्तार करना चाहिये, अधिकांश क्षेत्र ऐसे ही जहाँ एक भी बैंकिंग शाखा नहीं है, लोग बैंकों के प्रति पूर्णरूप से उदासीन हैं। इस प्रकार के क्षेत्रीय असंतुलन को समाप्त कर बैंकिंग शाखाओं का विस्तार करना चाहिये।

## f-ऋण वसूली हेतु कानून का निर्माण

जनपद में एक वर्ग ऐसा भी है जो बैंकों का लाखों रूपया ऋण रूप में लिये है, और जिनके द्वारा काफी लम्बी समयावधि से ऋण अदायगी नहीं की गयी है। सरकार को ऐसे ऋणधारकों के लिये स्पष्ट ठोस कानून का निर्माण कर दिये गये ऋण की पुनः प्राप्ति की ओर ध्यान देना चाहिये।

## g-ऋण वितरण प्रक्रिया को सरल बनाना

ग्रामीण जनसंख्या का शिक्षा का स्तर अत्यन्त निम्न है। अशिक्षा, रूढ़िवादिता की जड़ें काफी मजबूत हैं। ऐसी स्थिति में कठिन पेपर वर्क को समझ पाना उनके लिये अत्यन्त दुष्कर है, इसलिये क्षेत्रीय दलालों से उन्हे सम्पर्क करना पड़ता है। बैंकिंग संस्थाओं को चाहिये कि ऋण प्रक्रिया की कागजी कार्यवाही कम करते हुये ऋण प्रक्रिया को सरल व लचीला बनाना चाहिये।

## i-विवादों का समायोजन

बैंकिंग संस्थाओं द्वारा विवादों का त्वरित निस्तारण शाखा स्तर पर शीघ्र होना चाहिये। ऋण आवेदनों के प्रति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुये शीघ्र ही समायोजन करना चाहिये।

## j- जागरूकता

सरकार द्वारा एक ऐसी व्यूह रचना का निर्माण किया जाय जिससे लोगों को बैंकों के प्रति और बैंकों को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाया जा सके। जिससे समाज में जागरूकता, पूंजी निर्माण, रोजगार, ऋण प्रवाह व ऋण अदायगी में गुणात्मक व उल्लेखनीय सुधार सम्भव हो सके।

बदलती हुई बाजारीकरण के समय में ग्रामीण क्षेत्र ही नये बाजारों के रूप में प्रयोग किये जायेंगे, प्रत्येक क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में ही अवसर तलाश किये जायेंगे। ऐसी स्थिति में यदि बैंकिंग क्षेत्र को ग्रामीण विकास का मुख्य शस्त्र बनाया जाय और आपसी तालमेल के आधार पर कार्य किया जाय तो निश्चित रूप से बैंक अपने उद्देश्य में पूर्णतया सफल होंगे।

## k- शाखाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत होना

वर्तमान समय में अधिकांश ग्रामीण शाखायें शहर एवं नजदीक के कस्बे में ग्रामीण क्षेत्रों के नाम से अपनी शाखायें स्थापित कर अपना व्यवसाय संचालित कर रही हैं। अतः इन्हें अपने ग्राम में ही शाखायें संचालित करना चाहिये तभी ग्रामीण बैंक के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति होगी।

## l- बैंक ग्राहक समिति का गठन करना

बैंकों को ग्राहकों की समस्याओं का निराकरण करने के लिये एक ग्राहक समिति का गठन करना चाहिये जिसके सदस्य बैंक कर्मचारियों के साथ–साथ कुछ ग्राहक एवं उस गांव के एक दो सम्मानित बुजुर्ग सदस्यों को शामिल करना चाहिये जिस गांव में बैंक शाखा कार्यरत है जो बैंक ग्राहकों की समस्याओं की सुनवाई कर सके तथा उसे सुलझाने का प्रयास करे। यदि समिति के स्तर पर यह निपटारा न हो सके तो उसे उच्च अधिकारियों के पास भेजा जाय एवं इस समिति की मासिक

बैठक अनिवार्य होनी चाहिये जिसमें एक माह में किये गये कार्यो की समीक्षा करनी चाहिये।

## m- स्वतंत्र प्रबन्ध

बैंकों का प्रबन्ध स्वतन्त्र निकाय के द्वारा होना चाहिये। जिसमे राजनैतिक व्यक्तियो का प्रभाव न पड़े। जैसे न्यायालय, चुनाव आयोग, सी0बी0आई आदि संस्थायें कार्यरत हैं। क्योंकि राजनैतिक व्यक्ति अपनी राजनीति के कारण बैंकिंग हितो की अनदेखी करते हैं।

## सर्वेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष

बांदा एवं चित्रकूट जनपद में कुल 13 विकास खण्ड हैं जिनमें प्रतिदर्श आधार पर 4 विकास खण्डों का चुनाव किया गया जो सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह विकास खण्ड निम्नवत हैं।

जसपुरा (जनपद–बांदा)

बड़ोखर खुर्द (जनपद–बांदा)

नरैनी (जनपद–बांदा)

पहाड़ी (जनपद–चित्रकूट)

सर्वेक्षण के लिये कुल 200 ऋण प्राप्तकर्ताओं का चयन किया गया जिनमें प्रत्येक विकास खण्ड से 50 ऋण प्राप्तकर्ताओं का चयन किया गया जिसमें से यह प्रयास किया गया कि कृषि तथा गैर कृषि दोनों ही प्रकार के ऋणार्थी शामिल हो जायें। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सूचनाओं को जो कि 200 ऋणार्थियों व्यक्तियों से सम्बन्धित हैं, को निम्न तालिकाओं से स्पष्ट किया जा रहा है।

### तालिका १ –ऋण प्राप्तकर्ताओं का आय स्तर एवं ऋण की मात्रा

| आय स्तर प्रतिमाह (रू0 में) | ऋण प्राप्त करने वाले ऋणार्थियों की संख्या | ऋण की राशि (रू0 हजार में) |
|---|---|---|
| 1000 से कम | 32 | 482.43 |
| 1000–2000 | 92 | 2172.45 |
| 2000–3000 | 61 | 2007.98 |
| 3000 से अधिक | 15 | 454.90 |
| योग | 200 | 5217.76 |

स्पष्ट है कि तुलसी ग्रामीण बैंक द्वारा ऋण प्राप्त करने वालों में मध्यम आय वालों की संख्या सर्वाधिक है। 200 व्यक्तियों में से 92 व्यक्ति ऐसे थे जिनकी मासिक आय रू0 1000/– से लेकर रू0 2000/– प्रतिमाह थी। इस प्रकार 46 प्रतिशत व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। मात्र 15 (7.5 प्रतिशत) ऋणार्थी ऐसे थे जिनकी आय रू0 3000/– से अधिक है।

तुलसी ग्रामीण बैंक ने जनपद बांदा एवं चित्रकूट में कृषि तथा गैर कृषि दोनों ही प्रकार के क्षेत्रों में ऋण वितरित किया है। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त विवरण निम्न हैं।

## तालिका २ -कृषि एवं गैर कृषि ऋणों का विवरण

(धनराशि हजार रूपये में)

| विकास खण्ड | ऋणार्थियो की संख्या | कृषि ऋण | गैर कृषि ऋण | कुल ऋण |
|---|---|---|---|---|
| जसपुरा | 50 | 752.51 | 487.53 | 1240.09 |
| बड़ोखर खुर्द | 50 | 562.60 | 958.52 | 1521.12 |
| नरैनी | 50 | 756.32 | 702.43 | 1458.75 |
| पहाड़ी | 50 | 585.62 | 412.18 | 997.80 |
| योग | 200 | 2657.10 | 2560.66 | 5217.76 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बड़ोखर खुर्द विकास खण्ड को छोड़कर सभी विकास खण्ड में कृषि क्षेत्र में अधिक ऋण प्राप्त किया गया है। बड़ोखर खुर्द विकास खण्ड में गैर कृषि ऋण अधिक है। इसका प्रमुख कारण शहर की निकटता है। यह बांदा शहर (मण्डल कार्यालय) के पास का क्षेत्र है। कुल ऋण का 50.92 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में तथा 49.08 प्रतिशत गैर कृषि ऋण को वितरित किया गया है।

## तालिका ३ –कृषि ऋण का उद्देश्यवार विवरण

| क्रम सं0 | ऋण प्राप्ति का उद्देश्य | ऋण की राशि (रू0 हजार में)402. |
|---|---|---|
| 1 | जुताई के काम वाले पशु | 402.42 |
| 2 | दुधारू पशु | 254.31 |
| 3 | तेल इंजन/पम्पिंगसेट/मोटर | 844.42 |
| 4 | अन्य औजार | 165.43 |
| 5 | बिजली चलित यंत्र | 475.32 |
| 6 | परिवहन गाड़िया | 64.69 |
| 7 | खाद बीज एवं अन्य | 450.51 |
|  | योग | 2657.10 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चार विकास खण्डों में तुलसी ग्रामीण बैंक में कृषि क्षेत्र में चयनित कुल 200 व्यक्तियों में कुल 2657.10 हजार रूपये का ऋण वितरित किया गया है। जिसमें सर्वाधिक ऋण इंजन, पम्पिंग सेट के लिये रूपये 844.42 हजार तथा सबसे कम परिवहन गाड़ियों के लिये रूपये 64.69 हजार वितरित किया गया। खाद्य बीज के लिये कुल ऋण का 16.95 प्रतिशत (450.51हजार रूपये) ही वितरित किया गया है।

## तालिका ४ –गैर कृषि ऋण का उद्देश्यवार विवरण

| क्रम सं0 | ऋण प्राप्ति का उद्देश्य | ऋण की राशि (रू0 हजार में)402. |
|---|---|---|
| 1 | स्थायी परिसम्पत्तियां | 964.76 |
| 2 | कार्यशील पूंजी | 1233.63 |
| 3 | लेनदारों के भुगतान के लिये | 362.27 |
|  | योग | 2560.66 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि चारों विकास खण्डों में चयनित 200 व्यक्तियों में तुलसी ग्रामीण बैंक द्वारा गैर कृषि ऋण सर्वाधिक कार्यशील पूंजी के लिये दिया गया है। जो कि कुल ऋण का 48.17 प्रतिशत है। एवं 37.68 प्रतिशत ऋण स्थायी परिसम्पत्तियों व 14.15 प्रतिशत ऋण लेनदारों के भुगतान के लिये किया गया।

## तालिका ५ -जोत के आधार पर ऋण विवरण

| क्रसं. | हेक्टेयर | ऋण धारकों की सं0 | ऋण की राशि (रू0 हजार में) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 हेक्टेयर से कम | 30 | 978.37 |
| 2 | 1 से 2 हेक्टेयर | 47 | 1264.04 |
| 3 | 2 से 3 हेक्टेयर | 56 | 1523.12 |
| 4 | 3 से 4 हेक्टेयर | 44 | 913.45 |
| 5 | 4 हेक्टेयर से अधिक | 23 | 538.78 |
| | | 200 | 5217.76 |

उपरोक्त वर्गीकरण से स्पष्ट है कि अधिकांश ऋणधारक 0 से 4 हेक्टेयर के जोत वाले हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं विकास बैंक ने जनपद बांदा एवं चित्रकूट के लिये लघु एवं सीमान्त कृषक की परिभाषा निश्चित की। उसके अनुसार 8.5 एकड़ (3.4 हेक्टेयर लगभग) के जोत वाले कृषक लघु कृषक की श्रेणी में आते हैं। इस आधार पर यदि हम सारणी का विश्लेषण करते हैं तो कुल 200 व्यक्तियों में 177 व्यक्ति लघु एवं सीमान्त कृषक हैं जो प्रतिशत की दृष्टि से 88.5 प्रतिशत हैं। जिन्होंने तुलसी ग्रामीण बैंक से ऋण प्राप्त किया है। इससे स्पष्ट है कि तुलसी ग्रामीण बैंक की जनपद बांदा एवं चित्रकूट की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है।

सर्वेक्षण के द्वितीय चरण में कुल 20 शाखाओं का चयन किया गया जो कार्यरत शाखाओं का लगभग 25 प्रतिशत है जिनमें बैंक अधिकारियों से ऋण वितरण में होने वाली विभिन्न कठिनाइयों के बारे में जानने का प्रयास किया गया सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त सूचनाओं से यह स्पष्ट होता है कि अधिकांशतः बैंक अधिकारी शासन प्रशासन की ओर से ऋण वितरण का लक्ष्य निर्धारित करने को

दोषपूर्ण मानते हैं क्योंकि लक्ष्यपूर्ति के दबाव में वह कहीं न कहीं अपात्र आवेदक को भी ऋण वितरित करने को बाध्य हो जाते हैं साथ ही साथ बैंक अधिकारियों का मत है कि बैंकिंग कार्यप्रणाली एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में होना चाहिये जैसे चुनाव आयोग, सी0बी0आई0, न्यायालय आदि। जिसमें राजनैतिक लोगों का कोई दबाव न हो। क्योंकि राजनैतिक लोग अपनी राजनीति के कारण तमाम ऐसे निर्णय लेते हैं जो बैंक के हित में नहीं होते।

# अध्याय – 7

## सारांश एवं निष्कर्ष

# अध्याय–7

## सारांश एवं निष्कर्ष

### (अ) सारांश

बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र बांदा, चित्रकूट, झांसी, महोबा, ललितपुर, जालौन, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, दमोह, सागर जनपदों से मिलकर बना है जिसका कुल क्षेत्रफल 72000 वर्ग किमी0 है तथा इस पूरे क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है। भौगोलिक दृष्टि से यह परिक्षेत्र $24^0$ उत्तरी अक्षांश से लेकर $26^0$ 30'' तक उत्तरी अक्षांश तक $78^0$ 10'' पूर्वी देशान्तर से लेकर $81^0$ 30'' पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। **अध्ययन क्षेत्र** में बुन्देलखण्ड प्रभाग के अन्तर्गत वर्गीकृत जनपद बांदा एवं चित्रकूट भगवान नीलकण्ठ, भगवान राम, महर्षि बामदेव की ख्याति एवं स्मृतियों से जुड़ा धार्मिक भू–भाग है। जो इस प्रभाग के पूर्व में $25^0$ से $26^0$ अक्षांश तथा $79^0$ से $81^0$ देशान्तर के मध्य स्थित है। इस अध्ययन क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 7278.2 वर्ग किमी0 है। जिसका ग्रामीण क्षेत्रफल 7216.5 वर्ग किमी0 एवं नगरीय क्षेत्रफल 61.7 वर्ग किमी0 है। जनपद के नगरीय क्षेत्रों का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0. 85 प्रतिशत है। वर्ष 2001 में जनपद की कुल जनसंख्या 23.03 लाख थी जिसमें कुल पुरूष 12.35 लाख तथा कुल स्त्री 10.68 लाख थी। प्राशासनिक अध्ययन क्षेत्र को दो जनपद क्रमशः बांदा एवं चित्रकूट तथा 6 तहसीलें बांदा, नरैनी, बेबेरू, अतर्रा, कर्वी , मऊ 13 विकासखण्ड कमासिन, बिसण्डा, नरैनी, बबेरू, महुआ, तिन्दवारी, बड़ोखर खुर्द, जसपुरा, कर्वी, मानिकपुर, पहाड़ी, मऊ, रामनगर 3 नगरपालिका परिषद बांदा, अतर्रा, कर्वी, 6 टाउन एरिया नरैनी, बिसण्डा, ओरन, बबेरू, तिन्दवारी, मटौंध, राजापुर व मानिकपुर तथा 118 न्याय पंचायतें, 767 ग्राम पंचायत, 1220 आबाद ग्रामों में विभाजित किया गया है।

प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में 188 किमी0 यमुना नदी प्रभावित है जो अध्ययन क्षेत्र को जनपद फतेहपुर से अलग करती है पूरा अध्ययन क्षेत्र यमुना नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में आता है। आर्थिक दृष्टि से बागै नदी अध्ययन क्षेत्र को दो भागों में बांटती है। जो क्रमशः जनपद बांदा व चित्रकूट हैं। प्राकृतिक बनावट के आधार पर अध्ययन क्षेत्र के दो भाग हैं। **प्रथम मैदान भाग, द्वितीय पठारी भाग।**

आर्थिक विकास की प्रक्रिया में मानवीय संसाधन महत्वपूर्ण होता है मानवीय संसाधन मानव पूंजी है इसका विनियोजन किसी भी स्तर की अर्थव्यवस्था के विकास की प्रक्रिया का अंगीभूत प्रत्यय है। अध्ययन क्षेत्र में मानवीय संसाधन पर्याप्त है। तथा वर्ष 2001 में इसमें निरन्तर वृद्धि हुयी है किन्तु गुणवत्ता की दृष्टि से यह हीन है क्योंकि जनपद में साक्षरता की दर अत्यन्त कम है। अध्ययन क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व 316 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 था। जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजातियों की संख्या क्रमशः 522.06 व 0.06 हजार थी। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में कुल कर्मकारों की संख्या 9,43,317 थी। जो कुल जनसंख्या का 40.12 प्रतिशत है। यह कर्मकार विभिन्न कार्यकलापों जैसे कृषि, पशुपालन, परिवारिक एवं गैर–पारिवारिक उद्योग, यातायात, संचार आदि क्षेत्रों कार्यरत हैं जिसमें सर्वाधिक व्यक्ति 16.88 प्रतिशत व्यक्ति कृषि कार्य तथा द्वितीय 13.82 प्रतिशत व्यक्ति सीमा जनपदीय कृषि व्यवसाय में लगभग 80 प्रतिशत जनसंख्या कार्यरत है। जिसमें 2 हेक्टेयर भूमि से कम 77.5 प्रतिशत कास्तकार कुल कृषि क्षेत्रफल के 35 प्रतिशत भाग में दाखिल काबिज हैं। कृषि जोत संख्या के 30 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं जो समुचित सिंचाई से 2 या 3 फसलें या नगदी फसलें प्राप्ति के माध्यम बन सकते हैं। कृषि के अन्तर्गत रवी, खरीफ तथा जायद की

फसलों का उत्पादन किया जाता है। नरैनी, अतर्रा तथा बबेरू तहसील पर चावल का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है तथा 80 के दशक तक यहां कुल 22 चावल मिलें कार्यरत थीं। जो आज शासन की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण बन्द हो गयी हैं।

किसी भी जनपद के विकास में पशुधन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पशु कृषि कार्यो में सहायक एवं जीविकोपार्जन की दृष्टि से दूध, दही, घी, मांस, अण्डे आदि के रूप में खाद्य पदार्थ की प्राप्ति के साधन हैं। इसके गोबर से उपले, जैविक खाद आदि प्राप्त होती है। पशुपालन एक सुनियोजित उद्योग है। यह जनपद की बेरोजगारी हटाने में काफी मददगार है। अध्ययन क्षेत्र दिसम्बर 1997 में कुल 9,06,723 पशु थे जिनमें सर्वाधिक पशु गोवंशीय, 4,32,393 थे।

मत्स्य एवं मछली पकड़ना मानव की प्राचीन आर्थिक क्रियाओं का एक अंश रहा। अध्ययन क्षेत्र में नहर, तालाब, चैकडैम का प्रमुख उपयोग सिंचाई व अन्य कार्यो के लिये किया जा रहा है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों जनपदों में **मत्स्य विकास अभिकरण** की स्थापना की गयी। इसके अन्तर्गत मत्स्य पालकों को पुराने तालाबों के सुधार के लिये 60 हजार रूपये सीमाकर बैंक ऋण उपलब्ध कराया जाता है। जिस पर 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 25 प्रतिशत शासकीय अनुदान प्रदान किया जाता है एवं निजी भूमि पर नये तालाबों के निर्माण के लिये 2 लाख का ऋण उपलब्ध कराया जाता है जिसमें सामान्य वर्ग को 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 25 प्रतिशत का शासकीय अनुदान प्रदान किया जाता है।

अध्ययन क्षेत्र के जनपद बांदा में शजर पत्थर तराशने का कार्य किया जाता है जो प्रदेश में अन्यत्र कहीं नहीं किया जाता है। इसका मूल कारण जनपद में इस

कार्य हेतु उपलब्ध दक्षता है शजर पत्थर को तराशने का कार्य भारत वर्ष में दो जगह होता है प्रथम बांदा शहर में, द्वितीय जयपुर में, यह पत्थर बांदा के केन नदी की तलहटियों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिसे स्थानीय ग्रामीण एवं चरवाहे एकत्र करते हैं। तथा यहां के शिल्पियों को 5 हजार से 8 हजार रूपये प्रति बोरी विक्रय करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में बालू के भी असीम भण्डार हैं जो खनिज सम्प्रदा का प्रमुख साधन हैं दोनों जनपदों में करोड़ों रूपयों का बालू खनन किया जाता है। जिससे करोड़ों रूपये सरकार को राजस्व प्राप्त होता है। तहसील नरैनी, बांदा, एवं कर्वी में पहाड़ों को तोड़कर गिट्टियां भी बनायी जाती हैं जिसका उपयोग सड़क, मकान आदि के निर्माण में किया जाता है। इसके उपयोग में ठेकेदार पहाड़ों का ठेका लेकर मजदूरों द्वारा पत्थरो की तुड़वाई करवाते हैं फिर क्रेशर मशीन द्वारा विभिन्न नाप की गिट्टियां बनवाकर निर्यात करते हैं।

अध्ययन क्षेत्र में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र के अन्तर्गत है जबकि पर्यावरण मानक के अन्तर्गत यह हिस्सा 30 प्रतिशत होना चाहिये। औद्योगिक दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र भारत सरकार द्वारा उद्योग शून्य घोषित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह क्षेत्र प्रदेश के प्रमुख जिलों में एक है। तथा यहां की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है लेकिन उद्योग एवं औद्योगिक वस्तुओं से सम्बन्धित मांग में यह जनपद प्रदेश के किसी भी जनपद से पीछे नहीं है। इसीलिये यहां पर मांग आधारित रोजगार के विभिन्न प्रतिमान उपलब्ध हैं। पर्यटन रोजगार की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनपद बांदा में बाम्बेश्वर पहाड़, खत्री पहाड़, भूरागढ़ किला, विश्व प्रसिद्व दुर्ग कालिंजर, मड़फा जनपद चित्रकूट में रसिन, रामघाट, हनुमानधारा, सती अनुसुइया, गुप्त गोदावरी, जानकीकुण्ड, राजापुर, वाल्मीकि आश्रम, रामदर्शन, आरोग्यधाम आदि कई धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल हैं।

इन स्थानों पर मकर संक्रान्ति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि, नवदुर्गा आदि विभिन्न तीज–त्योहारों पर विशाल मेलों का आयोजन किया जाता है। स्थानीय व्यापारी अपना व्यापार लगाते हैं।

अधिसंरचात्मक सुविधाओं की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में सड़कों की कुल लम्बाई 2379 किमी0 है। जिसमें लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़कों की लम्बाई 2186 किमी0 है। तथा यह राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 76 से जुड़ा है। जिसमें कुल 193 बस स्टेशन तथा रेल परिवहन की दृष्टि से दोनों जनपदों में 19 रेलवे स्टेशन तथा कुल 200 किमी0 रेलवे लाइन की लम्बाई है। संचार सेवाओं के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में कुल 285 डाकघर, 17 तारघर, 662 पी.सी.ओ., 16500 टेलीफोन कनेक्शन हैं एवं शिक्षा की दृष्टि से अध्ययन क्षेत्र में 2243 प्राथमिक विद्यालय, 685 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 121 माध्यमिक विद्यालय, 6 महाविद्यालय, 3 स्नाकोत्तर विद्यालय, 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 1 पॉलीटेक्निक कॉलेज, 2 शिक्षक संस्थान (डायट), 1 इंजीनियरिंग कॉलेज तथा 1 आयुवेर्दिक कॉलेज हैं। चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य सेवाओं के अन्तर्गत दोनों जनपदों में 15 एलोपैथिक चिकित्सालय, 27 आयुवेर्दिक कॉलेज, 37 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 4 यूनानी चिकित्सालय, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 310 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र कार्यरत हैं। अध्ययन क्षेत्र में विकास कार्यो के सफलतापूर्वक संचालन हेतु कृषि क्षेत्रों में कृषकों को ऋण उपलब्ध कराने तथा घरेलू बचतों को प्रोत्साहन करने हेतु 136 बैंक कार्यरत हैं। जिनका अग्रणी (लीड) बैंक इलाहाबाद बैंक है। वर्तमान समय में जनपद बांदा व चित्रकूट में 39 राष्ट्रीकृत बैंक , 78 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 15 सहकारी बैंक, 4 सहकारी एवं कृषि ग्राम विकास बैंक की शाखायें कार्यरत हैं।

अनुसंधान प्रक्रिया के अन्तर्गत अध्ययन क्षेत्र में कार्यरत 78 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में से दैव निर्दशन पद्धति के आधार पर 20 शाखाओं का चयन किया गया है जो कुल शाखाओं का लगभग 25 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। चयनित 20 शाखाओं में कार्यरत शाखा प्रबन्धकों एवं उनमें कार्यरत कर्मचारियो से पूर्व निर्धारित प्रश्नावली को अनुसूचियों के माध्यम से सूचनाओं का संकलन किया गया है। निर्दशन पद्धति के आधार पर चयनित शाखाओं से उनके द्वारा विभिन्न उद्देश्यों हेतु वितरित ऋणों के आधार पर ऋण प्राप्तकर्ताओं की सूचियां प्राप्त की गयी। जो वित्तीय वर्ष 2002–03, 2003–04, 2004–05 में वितरित ऋण प्राप्तकर्ताओं से सम्बन्धित हैं। ऋण प्राप्तकर्ताओं की सूची के आधार पर चयनित 20 शाखाओं में से 10–10 ऋण प्राप्तकर्ताओं का दैव निर्दशन पद्धति पर पुनः चयन किया गया। चयनित ऋण प्राप्तकर्ताओं से पूर्व प्रश्नावली एवं अनुसूची को व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा सावधानीपूर्वक सम्पादित करते हुये निष्कर्ष निकाले गये हैं। सूचनाओं का सम्पादन सर्वेक्षण द्वारा संकलित सूचनाओं का निरीक्षण करके उसमें पायी जाने वाली कमियो, गल्तियों को सुधारते हुये सूचनाओं को क्रमबद्ध किया गया यह देखा गया कि अनुसूची में कुछ सूचनायें अधूरी हैं तथा कुछ उत्तरदाताओं द्वारा कुछ प्रश्नों का उत्तर न देने के कारण बिना भरी रह गयी हैं। जिन्हें स्वयं सूझ–बूझ तथा अनुभव के आधार पर अथवा अन्य विद्वानों से मिलकर विचार–विमर्श किया तथा उन्हें ठीक कर लिया।

सन् 1975 में भारत में आपातकाल के पश्चात् बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की एक कड़ी के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का विचार सरकार के समक्ष आया ओर तत्कालीन सरकार ने कम लागत अवधारणा के आधार पर बैंकिंग शाखायें खोलने का निर्णय किया जिससे यह परिकल्पना की गयी थी कि निश्चित

क्षेत्रों में खुलने वाली शाखायें केवल ऋण वितरण का कार्य करेगी इस सन्दर्भ में भारत सरकार ने 26 सितम्बर 1975 को एक अध्यादेश द्वारा देश भर में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित करने की घोषणा की। जिसका मुख्य उद्देश्य छोटे तथा सीमान्त किसानों, कृषि मजदूरों कारीगरों तथा छोटे उद्यमीकर्ताओं को उधार पूंजी तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराना है ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार, वाणिज्य उद्योग तथा अन्य उत्पादक क्रियाओं को विकसित कर सके। 26 सितम्बर 1975 के अध्यादेश के परिपालन मे राष्ट्रपिता महात्मागाँधी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1976 को सर्वप्रथम पांच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गयी जिसमें उ0प्र0 के मुरादाबाद एवं गोरखपुर, पश्चिम बंगाल के मालदा, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा के भिवानी थे जो क्रमशः स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया एवं सिण्डीकेट बैंक के द्वारा चालू किये गये प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी एक करोड़ रूपये तथा निर्गमित एवं चुकता पूंजी 25 लाख रूपये थी जिसमें संचालित बैंक को 35 प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार का 50 प्रतिशत तथा राज्य सरकार में 15 प्रतिशत का योगदान दिया।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976" के अन्तर्गत किये गये जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार प्रवर्तक बैंक की प्रार्थना पर सरकारी गजट में प्रकाशन कर किसी भी राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश में एक या एक से अधिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नोटिफिकेशन में वर्णित नाम से स्थापित कर सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि किस स्थानीय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य करेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की मदद करना एवं सहायता देना प्रवर्तक बैंक का कर्तव्य होगा। प्रर्वतक बैंक अंशपूंजी में अंशदान देगा, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा तथा स्थापना के प्रथम पांच वर्ष तक प्रबन्धकीय

एंव आर्थिक सहायता देगा। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का एक नाम होगा जिस नाम से वह सम्पत्ति अर्जित कर सकता है तथा विक्रय करेगा। इसी नाम से किसी से अनुबन्ध कर सकता है तथा उस पर कोई भी मुकदमा या बाद चला सकता है। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का अपना एक मुख्य कार्यालय प्रकाशित क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार एंव प्रवर्तक बैंक की सहमति से बनाया जायेगा यह आवश्यकतानुसार निर्धारित क्षेत्रों मे अपनी शाखायें खोलेगा। प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की अधिकृत पूंजी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (संशोधन) बिल 1987 के अनुसार 5 करोड़ रूप्ये होगी जिसका प्रतयेक अंश 100/– रूपये का होगा। जिसकी चुकता पूंजी एक करोड़ होगी। जिसमें 50 : 35 : 15 के अनुपात में क्रमश केन्द्रीय सरकार प्रयोजक बैंक एवं राज्य सरकार से एकत्रित की जायेगी। बैंक का प्रबंधन एक निदेशक मण्डल द्वारा किया जाता है जिसमें 9 सदस्य संचालक होते हैं जिनमें से 6 केन्द्रीय सरकार 1 राज्य सरकार तथा 2 प्रयोजक बैंक द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। संचालक मण्डल के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। केन्द्रीय सरकार बोर्ड के सदस्यों की संख्या बढ़ा सकती है लेकिन किसी भी दशा में यह 15 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। इस संचालक मण्डल को समय–2 पर निर्गमित सरकारी आदेशों का पालन करना होगा। प्रत्येक संचालक (अध्यक्ष को छोड़कर) का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक नहीं होगा और वह अपने उत्तराधिकारी के पद में आने तक बना रहेगा। प्रवर्तक बैंक किसी व्यक्ति (जो प्रवर्तक बैंक का अधि ाकारी न हो) को अध्यक्ष एक निश्चित समय के लिये नियुक्त करेगा जो पांच वर्ष से अधिक न होगा। प्रवर्तक बैंक अध्यक्ष के कार्यकाल को तीन महीना का नोटिस या तीन माह का वेतन व भत्ता देकर निश्चित समय से पूर्व उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित बैंक

मानकर अपनी द्वितीय सारणी में सम्मिलित कर लिया है। रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा–1(क) के उपबन्धों से छूट प्रदान की है। जिसके अनुसार इन बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 25 प्रतिशत तरल रूप में रखना पड़ता है किन्तु इन्हें कुल मांग एवं समग्र दायित्वों का 3 प्रतिशत ही रखना होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकिंग अधिनियम 1976 में वर्णित कार्य एवं उद्देश्य निम्नवत हैं।

1. ग्रामीण क्षेत्र का विकास तथा इस क्षेत्र के पिछड़े हुये वर्गो को रियायती दर पर वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना।

2. ग्रामीण क्षेत्र में साख सुविधाओं की कमी को दूर करना।

3. ग्रामीण बैंकों के कार्य क्षेत्र की वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों की नियुक्ति, क्षेत्र विशेष की आवश्यकताओं का अध्ययन एवं साख आवश्यकताओं के आकलन के पश्चात साख की व्यवस्था करना।

4. ग्रामीणों की ऋणग्रस्तता को दूर करने का प्रयत्न करना।

5. सहकारी समितियों विपणन समितियों, कृषि सम्बन्धी परिष्करण समितियों , प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अथवा कृषि सम्बन्धी उद्देश्यों के लिये किसानों की सेवा समितियां बनाना।

6. जमा राशि स्वीकार कर ग्रामीण बचत को बढ़ावा देना तथा इस राशि को ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पादक कार्यो में उपयोग करना।

7. शहरी मुद्रा बाजार से ग्रामीण क्षेत्रों में पुनः वित्त के माध्यम से ऋण के प्रवाह का अनुपूरक चैनल तैयार करना।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना।

वाणिज्यिक बैंक के आवेदन पर जब केन्द्र सरकार कोई ग्रामीण बैंक स्थापित करती

है, तो वह उन स्थानीय सीमाओं का भी उल्लेख करती है, जिसके भीतर ग्रामीण बैंक को कार्य करना होता है। अतः यह कुछ तथ्यों में वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न हो जाते हैं। जिनमें अन्तर का मुख्य कारण निम्न हैं–

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य क्षेत्र सीमित होता है इसके अन्तर्गत किसी एक राज्य में एक से अधिक जिलो के एक विशेष क्षेत्र तक सीमित होता है, जबकि वाणिज्यिक बैंकों का कार्यक्षेत्र विस्तृत है, तथा किसी भी प्रतिबन्धात्मक शर्तो से भिन्न होता है।

2. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने कार्यक्षेत्र में विशेष रूप से छोटे सीमान्त किसानों, भूमिहीन मजदूरों, हस्तकारों तथा अन्य उत्पादकों को ऋण और अग्रिम धन प्रदान करते है। जबकि वाणिज्यिक बैंक इनकी अपेक्षा बड़े उद्यमियों की ऋण प्रदान करते हैं।

3. ग्रामीण बैंकों की ब्याज दर सहकारी समितियों की ब्याज दरों से अधिक नहीं होती जबकि वाणिज्यिक बैंकों में अपेक्षाकृत अधिक होती है।

4. क्षेत्रीय ग्रामीाण बैंकों के कर्मचारियों का वेतनमान एवं भत्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किये जाते हैं राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर ही वेतनमान इनको दिया जाता है। जबकि वाणिज्यिक बैंकों के कर्मचारियों को अपेक्षाकृत अधिक वेतनमान दिया जाता है।

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा 1(क) के उपबंधो से छूट प्रदान की है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा रखी जाने वाली आन्तरिक निधि नकदी उनके निवल मांग और मियादी देयताओं के तीन प्रतिशत ही बनी रहेगी, जबकि व्यापारिक बैंकों के सन्दर्भ में निरन्तर परिवर्तित होता रहता है।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामाजिक बैंकिंग की तरह कार्य करते हैं तथा इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को उन्नत करना है जबकि वाणिज्यिक बैंकों का मुख्य उद्देश्य लार्भाजन करना है।

7. प्रत्येक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 9 सदस्यों का एक संचालक मण्डल होता है, जिसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है।

8. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों कार्यप्रणाली वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न है।

9. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पूंजी 50:35:15 के अनुपात में क्रमशः केन्द्र सरकार प्रवर्तक बैंक एंव राज्य सरकार विनियोजित करती हैं जबकि वाणिज्यिक बैंक अपनी पूंजी स्वयं के स्रोतों से (अंश विक्रय) एकत्र करती है।

यदि हम चिठ्ठे का विश्लेषण करते हैं तो तुलसी ग्रामीण बैंक की 31 मार्च 1991 को निर्गमित पूंजी 5000 हजार रू0 है वहीं यह मार्च 1999 में बढ़कर 10000 हजार तथा मार्च 2000 में 95000 हजार व मार्च 2005 में 110000 हजार रू0 हो गयी है जो प्रतिशत की दृष्टि से 1991 की अपेक्षा 2200 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। तथा मार्च 1991 में कार्यशील पूंजी जहां 3388 रूपये थी वहीं यह मार्च 2005 में बढ़कर 99145 हजार रूपये हो गयी जो प्रतिशत वृद्धि की दृष्टि से 2926 प्रतिशत के लगभग था जो लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। एवं अमूर्त सम्पत्तियां जहां मार्च 1991 में यह 77913 हजार रूपये था वहीं मार्च 2005 में यह बढ़कर 80017 हजार रूपये हो गया जो 15 वर्षो के लम्बे समय के बावजूद मात्र 2104 हजार रूपये की वृद्धि हुयी साथ ही साथ लाभों में भी वृद्धि हुयी जो सन्तोषजनक स्थिति प्रदर्शित कर रही है। एवं बैंक की सम्पत्ति एवं दायित्वों में निरन्तर वृद्धि हुयी है वर्ष 1990–91 की अपेक्षा वर्ष 1991–92 में जहां 17.93 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है वहीं वर्ष 1998–99 की **6 वर्ष की अल्प अवधि** में यह वृद्धि बढ़कर 399 प्रतिशत हो गयी। तथा इसके

बाद के वर्षो में बैंक के सम्पत्ति व दायित्वों में बराबर उतार–चढ़ाव आते रहे फिर भी यह वृद्धि जारी रही किन्तु वर्ष 2004 की अपेक्षा वर्ष 2005 में वृद्धि मात्र 7.64 प्रतिशत ही रह गयी जो पिछले 15 वर्षो मे सबसे कम है। लाभ हानि खाते का यदि हम विश्लेषण करते हैं तो बैंक की औसत लाभ की दर पिछले सात वर्षो में 11.12 प्रतिशत है। जबकि यदि उसे सारणीबद्ध करके देखते हैं तो यह पाते हैं कि यह कभी घटती है कभी बढ़ती है। जिससे स्पष्ट है कि ग्रामीण बैंक भी अन्य व्यवसायिक संस्थाओं की तरह प्रतियोगिता का सामना कर रही है। तथा बैंक की अन्य आय 1999 में जहां शुद्ध आय का 91.03 प्रतिशत तथा कार्यशील पूंजी 3.3 प्रतिशत थी वहीं अगले वर्ष 2000 में यह घटकर क्रमशः 20.99 व 1.8 प्रतिशत रह गयी। तथा वर्ष 2005 में जहां अन्य आय कार्यशील पूंजी पर 5.27 प्रतिशत थी वहीं शुद्ध लाभ –7.51 प्रतिशत हो गयी। इससे स्पष्ट है कि वर्तमान समय में बैंकों की सहायक आय का शुद्ध आय पर बहुत बड़ा योगदान है व कार्यगत (परिचालन) व्यय 1991 की अपेक्षा वर्ष 2000, 2001 में तो क्रमशः घटा है किन्तु वर्ष 2002, 2003, 2004 में इस पर एक सामान्य वृद्धि है। किन्तु वर्ष 2005 में यह 33.83 प्रतिशत बढ़कर 59. 75 प्रतिशत हो गया। जो वर्ष 2004 की अपेक्षा वर्ष 2005 में 56.60 प्रतिशत की वृद्धि है। और शायद यह इसी का परिणाम है कि वर्ष 2005 में बैंक को हानि उठानी पड़ी।

किसी परियोजना की पूंजीगत लागत के अनुमान से उसके वित्तीय और व्यवहार्यता के स्वरूप की आधारभूत जानकारी मिलती है। यदि परियोजना की लागत का सही अनुमान नहीं लगाया जाता है तो नकदी प्रवाह और लाभप्रदता अनुमान तैयार करना व्यर्थ होगा क्योंकि परियोजना की पूंजीगत लागत में परिवर्तन के साथ मूल्यह्रास, ब्याज और लाभांश की राशि में भी परिवर्तन होगा। उद्यमी को परियोजना की लागत के अनुसार संसाधनों की व्यवस्था करनी पड़ती है। यदि

किसी परियोजना की लागत अत्याधिक बढ़ जाती है तो उद्यमी के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था करना मुश्किल हो सकता है और इससे परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है जिससे परियोजना की पूंजीगत लागत में और अधिक वृद्धि होगी। बैंक उद्यमियों से इस आशय का वचन लेते हैं कि परियोजना के कार्यान्वयन की लागत में यदि कोई वृद्धि हुई तो वे स्वयं इसे पूरा करेंगे। किंतु ऐसे वचन का कोई व्यावहारिक अर्थ नहीं होता है। अक्सर उद्यमी लागत में हुई अत्याधिक वृद्धि के वित्तीय हेतु स्वयं अतिरिक्त संसाधन जुटा पाने की स्थिति में नही होता है और अंततः वित्तीय संस्थाओं और बैंको को परियोजना में पहले से लगाए गए वित्त की सुरक्षा हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने पड़ते हैं। यदि परियोजना की लागत का अधिक अनुमान लगाया जाता है तो वित्तीय संस्थाओं को अनावश्यक रूप से अधिक राशि उपलब्ध करानी पड़ेगी जिसका प्रवर्तक अन्य प्रयोजनों हेतु विपथन कर सकते हैं। यह उद्यमियों तथा बैंकों के हित में भी आवश्यक है। रोजगार के अवसर पैदा करने और आय के स्तर के लिये कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों के क्षेत्र में मध्यम व बड़ी परियोजनाओं को वित्त पोषित करना आवश्यक है। वैश्वीकरण की नीति लागू होने के साथ कृषि निर्यात बढ़ाने के लिये मध्यम व बड़ी परियोजनाओं का वित्त पोषण आवश्यक है। कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत शामिल विविध गतिविधियों के वित्त पोषण से रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित बकाया ऋण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है किन्तु इसके लिये हमें सर्वप्रथम परियोजना की प्रकृति (स्वभाव) के बारे में विस्तार से अध्ययन करना चाहिये क्योंकि जिस परियोजना में हमे अपना धन विनयोग कर रहे हैं। उसकी चुकौती (भुगतान) बहुत कुछ परियोजना के स्वभाव पर निर्भर करता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को कृषि में शामिल निम्नलिखित क्षेत्रों में मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं के वित्तीय हेतु अनुरोध

ा प्राप्त हो सकते हैं। डेरी फार्मिंग के लिये मंजूर की जाने वाली ऋण परियोजना की लागत और हिताधिकारी द्वारा लगाए जाने वाले मार्जिन राशि के आधार पर निर्धारित की जाती है। भावी लाभप्रदता के अनुमानों के आधार पर चुकौती अवधि निर्धारित की जाती है। मुर्गी पालन योजनाओं के अन्तर्गत मुर्गी पालन के लिये छोटे ऋणों के मामले में बैंकों को अधिकांश आवेदन अंडे के उत्पादन की गतिविधि शुरू करने के लिए मिलते हैं। एक दिवसीय इनोक्युलेटेड मादा चूजे सीधे हैचरी से खरीदे जाते हैं। अंडे देने के लिए रचिकन का पालन किया जाता है। वे करीब 6 महीने बाद अंडे देने लगते हैं, तब उन्हें लेयर्स कहा जाता है। अंडे देना शुरू करने के बाद प्रत्येक लेयर वर्ष में औसतन लगभग 250 अंडे देता है। पहले छह–सात महीने जब पक्षी अंडे नहीं देता है उस दौरान उसे 10–11 कि.ग्रा. खाद्य की आवश्यकता होती है। अगले एक साल के लिए उसे 40–42 कि.ग्रा. खाद्य की जरूरत होती है। लगभग एक वर्ष अंडे देने के बाद पक्षी को खाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अंडों की निरंतर आपूर्ति के लिए आरंभिक आपूर्ति कू एक वर्ष बाद चिकलन का नया स्टॉक खरीदना पड़ता है ताकि आरंभिक स्टॉक की अंडे देने की आर्थिक अवधि की समाप्ति पर जब उन्हें खाने के प्रयोजन से टेबल पर पहुंचाया जाता है तब चिकन के दूसरे स्टॉक के पालन की छह महीने की अवधि पूरी हो जाती है और वे अंडे देना आरंभ कर देते हैं। चिकन खरीदी के छह महीने बाद अंडे देना आरंभ होता है। ऋण आवश्यकता की गणना के लिए इस अवधि की खाद्यान्न और अन्य आवश्यकताओं का पूंजीकरण किया जाना चाहिए और अवधि के बाद चुकौती की अपेक्षा की जा सकती है। लघु सिंचाई एवं भूमि विकास योजनायें जनसंख्या में वृद्धि के साथ प्रति व्यक्ति भूमि और जल उपलब्धता घटती जा रही है। घरेलू और औद्योगिक उपयोग हेतु जल की मात्रा की मांग बढ़ती जा रही है। अतः

कृषि के प्रयोजनार्थ जल की उपलब्धता भारी दबावग्रस्त है। कुंओं के निर्माण और उन्हें गहरा बनाने हेतु, कुंओं की बोरिंग, ऑयल इंजनों की खरीद, इलेक्ट्रिक मीटरों और पंपों के संस्थापन, खेत में नालियों (चैनलों) के निर्माण, फुहार सिंचाई प्रणाली के संस्थापन, लिफ्ट सिंचाई परियोजना के निर्माण आदि के लिए ऋण देकर बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते है। उपरोक्त सूची अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसमें कुछ मध्यम एवं बड़ी परियोजनाओं की ओर निर्देश हैं। जिन्हें बैंक वित्त की आवश्यकता पड़ सकती है। प्रगतिकारी उद्यमियों, सरकारी एजेंसियों, परामर्शदाता संगठनों आदि द्वारा परियोजनाओं की पहचान की जा सकती है। और उन्हें तैयार किया जा सकता है। कतिपय कृषि गतिविधियो के लिये परियोजना प्रोफाइल नाबार्ड से प्राप्त की जा सकती है। कभी–2 बैंकों को भी उद्यमियों को परियोजना की पहचान करने और उसे तैयार में सहायता करनी चाहिये। वित्तीयन हेतु परियोजना की प्राप्ति के बाद बैंकर को एक प्राथमिक अध्ययन करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि क्या अपनी ऋण नीति के अनुसार बैंक द्वारा इसका वित्तीयन संभव है या नहीं। बैंक और उधार लेने वाले प्रतिष्ठान के बीच प्राथमिक चर्चा परिहार्य व्ययों को टालने और वित्तीयन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के शीघ्र निपटान हेतु आवश्यक है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों मे लगभग 40 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने 3004 शाखाओं के माध्यम से जहाँ ग्रामीण विकास मे योगदान दे रहे हैं वहीं तुलसी ग्रामीण बैंक अपनी 78 शाखाओं के माध्यम से जनपद बाँदा एवं चित्रकूट की ग्रामीण जनता को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके आर्थिक उत्थान मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जनपद बांदा एवं चित्रकूट में वर्तमान समय में 78 शाखाओं के माध्यम

से यह बैंक अपनी बैंकिंग सेवायें प्रदान कर रहा है जिनमे से जनपद बांदा में 7 अर्द्धशहरी, 42 ग्रामीण एवं जनपद चित्रकूट में 1 अर्द्धशहरी एवं 28 ग्रामीण शाखायें हैं। तुलसी ग्रामीण बैंक ने अपनी 78 शाखाओं के माध्यम से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी–छोटी बचत को एकत्रित करके पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अनुमानतः इनमें से 70 प्रतिशत जमा इन बैंकों के अभाव में किसी भी बैंक को प्राप्त नहीं होता था। परिणामतः यह धन या तो अनुत्पादक कार्यो में लगा दिया जाता था या बेकार पड़ा रहता था। अब यह बैंक अपने क्षेत्र से बचत को एकत्रित करके पुनः उसी क्षेत्र में लगा रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है। क्योंकि वर्ष 1981 में जहां 34.45 लाख रूपये जमा के रूप में प्राप्त हुये थे वहीं 1985 में मात्र पांच वर्ष की अल्पावधि में बढ़कर 595.66 लाख रूपये हो गयी। जो वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में यह क्रमशः 4258.94 एवं 4629.02 लाख रूपये की जमा प्राप्ति की। इस तरह इसकी जमाओं में निरन्तर वृद्धि हुयी जिसके कारण यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इन बैंकों ने ग्रामीण समाज से जमा संग्रहण करने का गहन प्रयास किया है। ग्रामीण अंचलों में अपनी शाखाओं का जाल बिछाकर ग्रामीण समाज को उचित मात्रा एवं उचित समय पर कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों, भूमिहीन मजदूरों, लघु एवं कुटीर उद्योगों, तथा परिवहन हेतु ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। इन्होंने सम्पूर्ण ऋण का लगभग 80 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र में वितरित किया है जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है यदि इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि जहां दिसम्बर 1981 में सकल अग्रिम मात्र 7.98 लाख रूपये था वहीं यह 1985 में बढ़कर 521.85 लाख, 1990–91 में 1637.41 लाख एवं 2000–01 में बढ़कर 3372.69 लाख रूपये हो गया। वर्ष 2000–01 की यदि वर्ष 1999–2000 से तुलना करते हैं तो यह पाते हैं

कि इसमें 82.06 प्रतिशत की वृद्धि हुयी जो एक रिकार्ड उपलब्धि मानी जाती है। इसके पश्चात वर्ष 2001–02, 02–03, 03–04, 04–05 में यह वृद्धि सामान्य ही हुयी है।

इन उपलब्धियों के बावजूद बैंक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अधिक सफल नहीं हुये अपनी स्थापना के प्रारम्भ से 1989–90 में ऋण जमा अनुपात 76.73 प्रतिशत थी वहीं यह 1997–98 में घटकर 39.89 प्रतिशत हो गया। एवं 1999–2000 में यह और घट गया तथा 37.15 ही रह गया। फिर क्रमशः थोड़ी वृद्धि हुयी और वर्ष 2004–05 में यह 60.94 प्रतिशत हो गया। तुलसी ग्रामीण बैंक की प्रतिशाखा की उत्पादकता पर यदि हम नजर डालते हैं तो वह भी सन्तोषजनक पायी जाती है क्योंकि जहां मार्च 2002 में प्रतिशाखा उत्पादकता 43002 हजार रूपये थी वहीं मार्च 2005 में यह बढ़कर 74711 हजार रूपये प्रतिशाखा हो गयी। और यदि इसे प्रति कर्मचारी की दृष्टि से देखते हैं तो यह विदित होता है कि मार्च 2002 में 11878 हजार रूपये प्रति कर्मचारी से बढ़कर मार्च 2005 में 20464 हजार रूपये प्रति कर्मचारी हो गयी। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर यदि इसका मूल्यांकन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि जहां 1981 में मात्र 26 कर्मचारियों से यह अपनी सेवायें दे रहा था वहीं वर्तमान में यह 377 कर्मचारियों के सहयोग से अपनी बैंकिंग सेवायें प्रदान कर रहा है। जिसमें 150 कर्मचारी स्केल प्रथम, 50 कर्मचारी स्केल द्वितीय, 85 कर्मचारी लिपिक सह रोकड़िया एवं 92 अधीनस्थ कर्मचाारी कार्यरत हैं जों बैंक की मानवशक्ति के रूप में बैकिंग व्यवसाय में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। यदि तुलसी ग्रामीण बैंक के लाभ हानि में नजर डालते हैं कि सन् 1981 में जहां यह अपने प्रारम्भिक वर्ष में 10.79 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया था वहीं 1985, 1989–90, 90–91, 91–92 में क्रमशः 35.95, 115.80, 90.37, 166.96 लाख रूपये

की हानि हुयी किन्तु 1995–96 में जब बैंकों के वित्तीय लागत में कमी लाने के उद्देश्य से घाटे में चल रही शाखाओं को बन्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 374.38 लाख रूपये का लाभ अर्जित हुआ किन्तु यह 1997–98 से लेकर 1999–2000 तक कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुयी। किन्तु वर्ष 2000–01 में इसने 580.28 एवं 2003–04 में 721.03 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया। परन्तु 2004–05 में यह पुनः 353.34 लाख की हानि हुयी। जो बैंक की व्यवस्था नीतिगत कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। यदि बैंक की ऋण वसूली पर दृष्टिपात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि बैंकिंग वसूली वसूली शिविरों, जिला प्रशासन के सहयोग एवं कर्मचारियों द्वारा ऋणधारकों से सम्पर्क के सार्थक परिणाम के कारण इस पर क्रमशः वृद्धि हुयी है। क्योंकि वर्ष 1989–90 में यह मात्र 42 प्रतिशत थी वहीं 1999–2000 में यह बढ़कर 50.3 प्रतिशत एवं 2004–05 में बढ़कर 65.05 प्रतिशत हो गयी। जो बैंकिंग कार्यप्रणाली, प्रशासनिक सहयोग को स्पष्ट करता है।

1989–90, 90–91, 91–92 में क्रमशः 35.95, 115.80, 90.37, 166.96 लाख रूपये की हानि हुयी किन्तु 1995–96 में जब बैंकों के वित्तीय लागत में कमी लाने के उद्देश्य से घाटे में चल रही शाखाओं को बन्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 374.38 लाख रूपये का लाभ अर्जित हुआ किन्तु यह 1997–98 से लेकर 1999–2000 तक कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुयी। किन्तु वर्ष 2000–01 में इसने 580.28 एवं 2003–04 में 721.03 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया। परन्तु 2004–05 में यह पुनः 353.34 लाख की हानि हुयी। जो बैंक की व्यवस्था नीतिगत कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। यदि बैंक की ऋण वसूली पर दृष्टिपात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि बैंकिंग वसूली वसूली शिविरों, जिला प्रशासन के सहयोग एवं कर्मचारियों द्वारा ऋणधारकों से सम्पर्क के सार्थक परिणाम के कारण इस पर क्रमशः वृद्धि हुयी है। क्योंकि वर्ष 1989–90 में यह मात्र 42 प्रतिशत थी वहीं 1999–2000 में यह बढ़कर 50.3 प्रतिशत एवं 2004–05 में बढ़कर 65.05 प्रतिशत हो गयी। जो बैंकिंग कार्यप्रणाली, प्रशासनिक सहयोग को स्पष्ट करता है।

## (ब) निष्कर्ष

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिये कृषि का विशेष महत्व है। यह मनुष्य का अति प्राचीन व्यवसाय है। यद्यपि इसका ढंग एवं प्रणालियां समय–समय पर बदलती रहती हैं भारत का लगभग 70 प्रतिशत व्यक्ति कृषि व्यवसाय में संलग्न रह गांव में निवास करता है अतः इसके विकास को दृष्टिगत रखते हुये सन् 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व0 श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सन् 1976 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की जिसके सन्दर्भ में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि जिन उद्देश्यों के लिये इन बैंकों की स्थापना की उसमें सफलता मिली। उत्तर प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों में लघु एवं सीमान्त कृषकों, दस्तकारों एवं भूमिहीन मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके लिये रोजगार के साधन सुलभ कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आर्थिक स्वालम्बन की ओर उन्मुख किया इन बैंकों द्वारा प्रदत्त ऋण सुविधाओं का समुचित उपयोग करने के लिये लोगों को प्रेरित किया गया परिणाम स्वरूप हमारी अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और ग्रामीणों को देशी साहूकारों व महाजनों के ऋणग्रस्तता के दुष्चक्रता से मुक्ति मिली।

प्रस्तुत अध्ययन **"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन" (तुलसी ग्रामीण बैंक के विशेष सन्दर्भ में)** अध्ययन क्षेत्र जनपद बांदा व चित्रकूट में कार्यरत तुलसी ग्रामीण बैंक से सम्बन्धित है जो अपनी 78 शाखाओं के माध्यम से ग्रामीणों को बैंकिंग सुविधायें प्रदान कर रहा है इस शोध कार्य में शोधार्थी को निष्कर्ष के रूप में निम्नलिखित तथ्य प्राप्त हुये हैं।

1. अध्ययन क्षेत्र में जनपद बांदा व जनपद चित्रकूट शामिल है। जो बुन्देलखण्ड के पूर्व में $25^0$ से $26^0$ अक्षांश तथा $79^0$ से $81^0$ देशान्तर के मध्य स्थित है जिसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7278.2 वर्ग किमी0 है। जिसमे कुल ग्रामीण क्षेत्रफल

7216.5 व नगरीय क्षेत्रफल 61.7 वर्ग किमी0 है।

2. अध्ययन क्षेत्र को प्रशासनिक दृष्टि से दो जनपद, 6 तहसील, 13 विकासखण्ड, 3 नगर पालिका परिषद, 6 नगर पंचायत, 118 न्याय पंचायत, 767 ग्राम पंचायत, 1220 आबाद ग्रामों में विभाजित किया गया है।

3. अध्ययन क्षेत्र की कुल जनसंख्या 23.03 लाख है जिसमें कुल पुरूष 12.35 लाख तथा स्त्री 10.68 लाख है। 1991 से 2001 के मध्य इसमें 23.68 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है। तथा जनसंख्या घनत्व 316 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी0 है। जबकि अनुसूचित जाति व जनजातियों की संख्या क्रमशः 522.06 व 0.06 हजार थी। एवं कुल कर्मकारों की संख्या 9,43,317 थी जो कुल जनसंख्या का 40.12 प्रतिशत है।

4. अध्ययन क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न प्रतिमान (विकल्प) उपलब्ध हैं। जिसमें मुख्यतः खनन, (गिट्टी बालू) , पर्यटन, मांग आधारित उद्योग (ग्रिल, चैनल, आचार, पापड़, जनरल स्टोर इत्यादि), पशुधन, मत्स्य उद्योग, वन आधारित उद्योग (आयुर्वेदिक जड़ी बूटी, तेंदू पत्ता, गोंद इत्यादि) यातायात, संचार आदि प्रमुख हैं।

5. अध्ययन क्षेत्र में अधिसंरचनात्मक सुविधाओ की दृष्टि से सड़कों की कुल लम्बाई 2379 किमी0 है जिसमें कुल बस स्टेशन 193, रेलवे स्टेशन 19 व रेलवे की लम्बाई 200 किमी0, 285 डाकघर, 17 तारघर, 662 पी0सी0ओ0, 16500 टेलीफोन कनेक्शन, 2243 प्राथमिक विद्यालय, 685 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 121 माध्यमिक विद्यालय, 6 महाविद्यालय, 3 स्नाकोत्तर विद्यालय, 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, 1 पॉलीटेक्निक कॉलेज, 2 शिक्षक संस्थान, 1 इंजीनिंयरिंग कॉलेज, 1 आयुर्वेदिक कॉलेज, 15 एलोपैथिक कॉलेज, 27 आयुवेर्दिक चिकित्सालय, 37 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 4 यूनानी चिकित्सालय, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 28 परिवार एवं मातृ शिशु परिवार केन्द्र, 310 परिवार एवं मातृ शिशु

परिवार उपकेन्द्र, 136 बैंक जिनमें 39 राष्ट्रीकृत बैंक, 78 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 15 सहकारी बैंक, 4 सहकारी एवं कृषि ग्रामीण विकास बैंक कार्यरत हैं।

6. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ''क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976'' के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार प्रवर्तक बैंक की प्रार्थना पर नोटिफिकेशन में वर्णित नाम से करती है जिसमें पूंजी का अंशदान केन्द्र सरकार, प्रवर्तक बैंक व राज्य सरकार क्रमशः 50:35:15 के अनुपात में करते हैं। तथा इसका प्रबंधन 9 सदस्यीय संचालक मण्डल के द्वारा होता है। जिसमें 6 सदस्य केन्द्रीय सरकार, 1 राज्य सरकार, 2 प्रायोजक बैंक द्वारा नियुक्ति किये जाते हैं। प्रत्येक संचालक का कार्यकाल 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। प्रवर्तक बैंक किसी व्यक्ति (जो प्रवर्तक बैंक का अधिकारी न हो) को अध्यक्ष एक निश्चित समय के लिये नियुक्ति करेगा जो पांच वर्ष से अधिक न होगा तथा प्रवर्तक बैंक अध्यक्ष को तीन माह का नोटिस अथवा तीन माह का वेतन भत्ता देकर उसकी सेवायें समय से पूर्व समाप्त कर सकता है।

7. रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुसूचित बैंक मानकर अपनी द्वितीय सारणी में शामिल कर लिया है। किन्तु रिजर्व बैंक ने समस्त क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 42 की उपधारा –1 (क) के उपबन्धों से छूट प्रदान की है जिसके अनुसार इन बैकों को अपनी कुल जमा का 25 प्रतिशत तरल रूप में रखना पड़ता है। किन्तु इन्हें कुल मांग एवं समग्र दायित्व का मात्र 3 प्रतिशत भाग ही रखना पड़ता है।

8. तुलसी ग्रामीण बैंक की प्रारम्भ (वर्ष 1981) में जहां अधिकृत पूंजी 25 लाख तथा निर्गमित पूंजी 21.25 लाख थी वहीं 31 मार्च 1991 को निर्गमित पूंजी 5000 हजार रूपये 1999 में 10000 हजार रूपये, वर्ष 2000 में 95000 हजार रूपये तथा मार्च 2005 में 1,10000 हजार रूपये हो गयी। वहीं अमूर्त सम्पत्तियां जहां 1991 में

77913 हजार रूपये की थी वहीं मार्च 2005 में बढ़कर 80017 हजार रूपये हो गयी। जो 15 वर्ष के लम्बे समय के बावजूद भी मात्र 2104 हजार रूपये की वृद्धि हुयी।

9. जनपद बांदा एवं चित्रकूट में वर्तमान समय में 78 शाखाओं के माध्यम से यह बैंक अपनी बैंकिंग सेवायें प्रदान कर रहा है जिनमे से जनपद बांदा में 7 अर्द्धशहरी, 42 ग्रामीण एवं जनपद चित्रकूट में 1 अर्द्धशहरी एवं 28 ग्रामीण शाखायें हैं। तुलसी ग्रामीण बैंक ने अपनी 78 शाखाओं के माध्यम से जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी–छोटी बचत को एकत्रित करके पूंजी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। अनुमानतः इनमें से 70 प्रतिशत जमा इन बैंकों के अभाव में किसी भी बैंक को प्राप्त नहीं होता था। परिणामतः यह धन या तो अनुत्पादक कार्यो में लगा दिया जाता था या बेकार पड़ा रहता था। अब यह बैंक अपने क्षेत्र से बचत को एकत्रित करके पुनः उसी क्षेत्र में लगा रही है। जिससे ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो रहा है। क्योंकि वर्ष 1981 में जहां 34.45 लाख रूपये जमा के रूप में प्राप्त हुये थे वहीं 1985 में मात्र पांच वर्ष की अल्पावधि में बढ़कर 595.66 लाख रूपये हो गयी। जो वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में यह क्रमशः 4258.94 एवं 4629.02 लाख रूपये की जमा प्राप्ति की। तथा सम्पूर्ण ऋण का लगभग 80 प्रतिशत भाग प्राथमिक क्षेत्र में वितरित किया है जिसमें से लगभग 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्धित है यदि इसका मूल्यांकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि जहां दिसम्बर 1981 में सकल अग्रिम मात्र 7.98 लाख रूपये था वहीं यह 1985 में बढ़कर 521.85 लाख, 1990–91 में 1637.41 लाख एवं 2000–01 में बढ़कर 3372.69 लाख रूपये हो गया। वर्ष 2000–01 की यदि वर्ष 1999–2000 से तुलना करते हैं तो यह पाते हैं कि इसमें 82.06 प्रतिशत की वृद्धि हुयी जो एक रिकार्ड उपलब्धि मानी जाती है। इसके पश्चात वर्ष 2001–02, 02–03, 03–04, 04–05 में यह वृद्धि सामान्य ही हुयी है।

10. तुलसी ग्रामीण बैंक की प्रतिशाखा की उत्पादकता पर यदि हम नजर डालते हैं तो जहां मार्च 2002 में प्रतिशाखा उत्पादकता 43002 हजार रूपये थी वहीं मार्च 2005 में यह बढ़कर 74711 हजार रूपये प्रतिशाखा हो गयी। और यदि इसे प्रति कर्मचारी की दृष्टि से देखते हैं तो यह विदित होता है कि मार्च 2002 में 11878 हजार रूपये प्रति कर्मचारी से बढ़कर मार्च 2005 में 20464 हजार रूपये प्रति कर्मचारी हो गयी। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर यदि इसका मूल्यांकन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि जहां 1981 में मात्र 26 कर्मचारियों से यह अपनी सेवायें दे रहा था वहीं वर्तमान में यह 377 कर्मचारियों के सहयोग से अपनी बैंकिंग सेवायें प्रदान कर रहा है। जिसमें 150 कर्मचारी स्केल प्रथम, 50 कर्मचारी स्केल द्वितीय, 85 कर्मचारी लिपिक सह रोकड़िया एवं 92 अधीनस्थ कर्मचारी कार्यरत हैं जों बैंक की मानवशक्ति के रूप में बैकिंग व्यवसाय में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

11. तुलसी ग्रामीण बैंक के लाभ हानि में नजर डालते हैं कि सन् 1981 में जहां यह अपने प्रारम्भिक वर्ष में 10.79 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया था वहीं 1985, 1989–90, 90–91, 91–92 में क्रमशः 35.95, 115.80, 90.37, 166.96 लाख रूपये की हानि हुयी किन्तु 1995–96 में जब बैंकों के वित्तीय लागत में कमी लाने के उद्देश्य से घाटे में चल रही शाखाओं को बन्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप 374.38 लाख रूपये का लाभ अर्जित हुआ किन्तु यह 1997–98 से लेकर 1999–2000 तक कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुयी। किन्तु वर्ष 2000–01 में इसने 580.28 एवं 2003–04 में 721.03 लाख रूपये का लाभ अर्जित किया। परन्तु 2004–05 में यह पुनः 353.34 लाख की हानि हुयी। जो बैंक की व्यवस्था नीतिगत कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करता है। यदि बैंक की ऋण वसूली पर दृष्टिपात करते हैं तो हम

यह पाते हैं कि बैंकिंग वसूली वसूली शिविरों, जिला प्रशासन के सहयोग एवं कर्मचारियों द्वारा ऋणधारकों से सम्पर्क के सार्थक परिणाम के कारण इस पर क्रमशः वृद्धि हुयी है। क्योंकि वर्ष 1989–90 में यह मात्र 42 प्रतिशत थी वहीं 1999–2000 में यह बढ़कर 50.3 प्रतिशत एवं 2004–05 में बढ़कर 65.05 प्रतिशत हो गयी। जो बैंकिंग कार्यप्रणाली, प्रशासनिक सहयोग को स्पष्ट करता है।

उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि तुलसी ग्रामीण बैंक की स्थापना जिन उद्देश्यों को लेकर की गयी थी उनको प्राप्त करने वह काफी प्रयासरत है। साथ ही साथ स्थापना वर्ष से लेकर मार्च 2005 तक के अनेक व्यवसायिक उतार–चढ़ाव के परिणाम स्वरूप आज जनपद बांदा एवं चित्रकूट के ग्रामीण किसानों, भूमिहीन मजदूरों, दस्तकारों आदि को उसने साहूकारों एवं महाजनों के चंगुल से मुक्त कराने में अपनी बैंकिंग सेवायें देकर काफी सहयोग किया जिससे एक तरफ ग्रामीणों के अन्दर बचत की भावना जाग्रत हुयी वहीं वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से ऋण/अग्रिम लेकर अपने दैनिक उपभोग एवं व्यवसाय में कार्यशील पूंजी में वृद्धि कर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं जिससे उनका जीवन स्तर ऊँचा हो रहा है।

# सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

# सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


१. धीगरा ईश्वर १९९१ — ''ग्रामीण अर्थव्यवस्था''
सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली

२. धीगरा ईश्वर — ''ग्रामीण बेरोजगार एवं ग्रामीण उद्योग
सुल्तान चन्द्र एण्ड सन्स, नई दिल्ली

३. सिंह सुदामा २००२ — ''भारतीय अर्थव्यवस्था समस्यायें एवं नीतियां''
नीलकमल प्रकाशन, गोरखपुर

४. त्रिपाठी बद्री विशाल — ''भारतीय कृषि २००२''
किताब महल, इलाहाबाद

५. त्रिपाठी बद्री विशाल — ''भारतीय कृषि २००३''
किताब महल, इलाहाबाद

६. त्रिपाठी बद्री विशाल — ''भारतीय कृषि २००४''
किताब महल, इलाहाबाद

७. शुक्ल एवं सहाय — ''सांख्यिकी के सिद्धान्त''
साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा

८. वार्ष्णेय — ''सांख्यिकी के सिद्धान्त''
जवाहर पब्लिकेशन, आगरा

९. गुप्ता वी०के० — ''सांख्यिकी के सिद्धान्त''
साहित्य भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा

१०. अग्रवाल जी०के० — ''सामाजिक अनुसंधान की पद्धातियां''
साहित्य भवन पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, आगरा

११. मुखर्जी रवीन्द्र — "सामाजिक शोध एवं सांख्यिकी"

१२. गुप्ता रामबाबू मीरा — "सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण"

१३. श्रीवास्तव डॉ० रमेश चन्द्र — "बुन्देलखण्ड साहित्यिक, एतिहासिक, सांस्कृतिक वैभवं"

१४. वर्मा डॉ० महेन्द्र — "बुन्देलखण्ड का इतिहास"

१५. विश्वकर्मा गया प्रसाद — "बाँदा का भूगोल"

१६. श्रीवास्तव डॉ० रमेश चन्द्र — "बाँदा वैभव"

१७. डॉ० कुलश्रेष्ठ एवं राठी — "वित्तीय प्रबन्ध"

१८. गुप्ता डॉ० ए०सी० — "वित्तीय प्रबन्ध"

१६. गुप्ता डॉ० के०एल० — "प्रबन्धकीय लेखाकंन"

२०. गुप्ता डॉ० एस०पी० — "प्रबन्धकीय लेखांकनं"

२१. गुप्ता डॉ० पी०सी० — "प्रबन्धकीय लेखांकन"

२२. डॉ० रवीन्दु राय — "उच्चतर लेखांकन"

२३. सेठी डॉ० टी०टी० — "मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त"

२४. सिन्हा डॉ० वी०सी० — "भारतीय बैंकिंग प्रणाली"

२५. पाण्डेय डॉ० श्यामकृष्ण — "क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा निक्षेप एकत्रीकरण"

26. Bopha, M.S. — Regional Rural Banks in Rajasthan, Himalaya Bomay, 1989.

27. Choubey, B.N. — Principles and Practices of Co-operative Banking in India. Asia Publishing House, 1986.

28. Desai, B.M. — Farm Production Credit in Changing Agriculture, Indian Institute of Management, Ahmedabad, 1971.

29. Jain, M.K. Rural Bank and Rural Poor : problems & prospect, D.K. PUblishers Distributors (Pvt.) Ltd., New Delhi.

30. Kotia, P.K. Role of Financial Institutions in Regional Development of India, D.K. Publishers Distributors (Pvt.) Ltd., New Delhi.

# रिपोर्ट एवं पत्र–पत्रिकायें

एन.सी.ए.आई.आर. — ''चेंजिंग इन रूरल इनकम इन इण्डिया''

सेन्सर डायरी २००० — '' स्टेटिकल डायरी इन यूपी''

रिपोर्ट — ''रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया'' बुलेटिन

''सांख्यिकीय पत्रिका'' , बाँदा

''वार्षिक प्रतिवेदन'' तुलसी ग्रामीण बैंक, बाँदा

(विभिन्न वर्ष)

''आर्थिक समीक्षा भारत सरकार'' २००२-०४

''जनपद की समाजार्थिक समीक्षा'' उ०प्र० शासन

''जिला योजना'' कार्यालय अर्थ एवं सांख्य अधिकारी

बांदा

''उ०प्र० डायरी'' कार्यालय अर्थ एवं सांख्य अधिकारी

बांदा

''कृषि एवं पत्र-पत्रिकाये'' कृषि विभाग, बाँदा

''भारतीय बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति रिपोर्ट''

''योजना''

कुरूक्षेत्र

प्रतियोगिता दर्पण

बिजनेस टाइम्स

टाइम्स ऑफ इण्डिया

राष्ट्रीय सहारा

अमर उजाला

दैनिक जागरण

सहारा समय (साप्ताहिक)

# प्रश्नावली / साक्षात्कार अनुसूची
## (गोपनीय)

"क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धियों का मूल्यांकन"

(तुलसी ग्रामीण बैंक के विशेष सन्दर्भ में)


| शोध निदेशक | शोधार्थी |
|---|---|
| **डॉ0 अभिलाष श्रीवास्तव** | **बिष्णु स्वरूप गुप्ता** |
| **रीडर अध्यक्ष वाणिज्य विभाग** | |
| **अतर्रा पी0जी0 कॉलेज, अतर्रा** | |


### अ- सामान्य जानकारी

1. ऋणधारक का नाम : श्री / श्रीमती ..........................................................
2. पिता / पति का नाम : श्री ..........................................................
3. पता ..........................................................

   ..........................................................

   ग्राम.............................. पोस्ट................................ ब्लाक...............

   तहसील....................... जनपद..............................
4. आयु................................
5. जाति / वर्ग
   अ– अनुसूचित जाति / जनजाति ( )
   ब– पिछड़ा वर्ग ( )
   स– सामान्य ( )
6. विवाहित / अविवाहित ..........................................................
7. शिक्षा :– ..........................................................
8. तकनीकी प्रशिक्षणः– ..........................................................
9. प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नामः– ..........................................................
10. प्रशिक्षण अवधिः– ..........................................................

## ब- आर्थिक जानकारी

1. परिवार में आश्रित व्यक्तियों की संख्याः– ......................
2. व्यवसायः– ..........................................................................
3. कृषि भूमि है तो कितनी (हेक्टेयर में):–

   1 हेक्टेयर से कम ......................

   1 से 2 हेक्टेयर ......................

   2 से 3 हेक्टेयर ......................

   3 से 4 हेक्टेयर ......................

   4 हेक्टेयर से अधिक
4. सिंचित/असिंचित/ऊसर अथवा बंजर
5. मासिक आयः– 1000 से कम ( ) 1000–2000 ( )

   2000–3000 ( ) 3000 से अधिक ( )
6. ऋणदाता का सम्बधित ग्रुप

   (A) लघु एवं सीमन्त कृषक

   (B) व्यापारी अथवा ग्रामीण दस्तकार

   (C) भूमिहीन मजदूर

## स- ऋणार्थी से संस्थागत जानकारी

1. ऋणदाता बैंक/शाखा का नामः– ..........................................
2. ऋण की धनराशिः– ..........................................................
3. ऋण प्राप्ति का वर्षः– ..........................................................
4. ऋण प्राप्ति में लगा समयः– ...................................................
5. ऋण प्राप्ति में मध्यस्थ का सहयोग लिया अथवा नहीं :– ....................
6. ऋण प्राप्ति में बैंक अधिकारियों को कमीशन दिया अथवा नहीं ..................
7. ऋण प्राप्ति में क्या–क्या कठिनाईयां अनुभव की गयीः–................................

   ..........................................................................................................

   ..........................................................................................................

   ..........................................................................................................

8. क्या बैंक कर्मचारी आपको बचत हेतु प्रोत्साहित करते हैं या नहीं :–

9. यदि हां तो बचत का स्वरूप कैसा हैः–

   1. अल्प बचत   2. सावधि बचत   3. आवर्ती बचत

10. क्या बैंक अधिकारियों द्वारा परम्परागत ऋणों से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाता है।

11. क्या कृषि के अतिरिक्त भी अन्य किसी व्यवसाय के लिये आपने आवेदन कियाः–

12. क्या बैंक द्वारा फसल बीमा योजना, किसान दुर्घटना बीमा योजना, ब्याज राशि में प्राप्त छूट अथवा अन्य किसी तथ्य के बारे में आपको सूचित किया जाता हैः–

13. क्या अनावरत् ऋण अदायगी के लिये आपको किसी प्रकार का पुरस्कार अथवा प्रोत्साहन दिया गयाः–

14. क्या बैंक द्वारा आपको फसलों की हानि की प्रतिपूर्ति के लिये फसल बीमा हेतु आपको प्रोत्साहित किया जाता है।

15. क्या बैंक की वर्तमान भूमिका अथवा व्यवस्था से आप पूर्णतया संतुष्ट हैंः–

.........................................................................................................

.........................................................................................................

16. बैंकिंग व्यवस्था में सुधार हेतु आपके सुझाव क्या हैं?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## द- ऋण सम्बन्धी जानकारी

1. ऋण प्राप्ति का उद्देश्य
2. ऋण किस योजना के अन्तर्गत प्राप्त किया गयाः–
   (i) स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना– SGRY
   (ii) जवाहर रोजगार योजना– JRY
   (iii) प्रधानमंत्री रोजगार योजना– PMRY
   (iv) स्वयं सहायता समूह
   (v) अन्य कोई योजना
4. क्या ऋण जिस उद्देश्य के लिये लिया था उसी में लगाया अथवा नहीं।
5. यदि नहीं तो किन क्षेत्रों में ऋण का उपयोग कियाः–
6. ऋण प्राप्ति हेतु दी गयी गारंटी (प्रत्याभूति):–
7. किश्तें स्थापित उद्यम की आय से चुकाया अथवा अन्य किसी स्रोत से
8.. यदि अन्य स्रोत से नाम बतायें:–
9. क्या ऋण भुगतान में किसी प्रकार की छूट (सब्सिडी) प्राप्त हुईः–
10. वास्तविक ऋण एवं समस्त किश्तों के योग में अन्तरः–
11. प्राप्त ऋण की ब्याजदरः–
12. क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के अतिरिक्त किसी अन्य संस्था/व्यक्ति से ऋण प्राप्त किया है अथवा नहीं
13. यदि हां तो बतायें:–

| क्र.सं. | संस्था/व्यक्ति का नाम | धनराशि | वर्ष | उद्देश्य |
|---|---|---|---|---|
| 1. | क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक | | | |
| 2. | व्यापारिक बैंक | | | |
| 3. | भूमि विकास बैंक | | | |
| 4. | सहकारी बैंक | | | |
| 5. | अन्य स्रोत | | | |

## प्रश्नावली बैंक अधिकारियों हेतु

1. शाखा का नामः–

2. शाखा अधिकारी का पदः–

3. विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण/वितरण में होने वाली कठिनाइयांः–

   ..........................................................................................................

   ..........................................................................................................

4. अग्रिम एवं उधार देने में क्या कठिनाइयां हैं।

   (A) भुगतान नियमित है/नहीं–

   (B) दोषपूर्ण प्रबन्धकीय व्यवस्था है/नहीं–

   (C) ऋण का प्रयोग उद्देश्यपूर्ण/उद्देश्यविहीन होता है–

   (D) दोषपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है/नहीं–

   (E) साहूकारों पर निर्भरता है/नहीं

5. क्या ऋणदाताओं के आर्थिक उत्थान के बारे में आप उन्हें कुछ परामर्श देंगें।

6. आपके द्वारा दी गयी वित्तीय सुविधा ग्रामीण विकास में कहां तक प्रभावी है।

   ..........................................................................................................

   ..........................................................................................................

   ..........................................................................................................

